राज्य वित्त
वर्ष 2008-09 के बजटों का अध्ययन[1]

प्रस्तावना

राजकोषीय सुधार और समेकन हासिल करने के सतत प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2008-092 के लिए राज्य सरकारों ने अपने बजट प्रस्तुत किए। राज्य सरकारों के लिए नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था जैसी कि उनके राज्यकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) में निर्दिष्ट की गयी है, उसमें अधिकांश राज्य सरकारों3 को 2009-10 के दौरान अंततः पहुंचना राज्य सरकारों के प्रयासों को समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों4 की बिना पर कर उछाल में सुधार सहित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से होने वाले बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों से राजकोषीय असंतुलनों को घटाने की दिशा में सहायता मिली। सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर के बदले मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू किया है जिससे राज्यों के राजस्व स्रोतों में उछाल आया है।

2008-09 के लिए राज्यों ने अपने बजट प्रस्तुत करते हुए अनेक नीतिगत पहलों की घोषणाएं कीं जिनका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना तथा व्यय की दिशा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर करनी थी। अधिकांश राज्यों द्वारा 2008-09 में कृषि और जल संरक्षण हेतु आबंटन बढ़ाने के प्रस्ताव रखे गए थे। सभी राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय प्रस्तावित किए। सड़कों और शहरी परिवहन के विकास हेतु अधिक आबंटनों के साथ बुनियादी संरचना के विकास पर भी राज्य सरकारों ने जोर दिया है। कुछ राज्यों ने शहरी विकास और आवासन क्षेत्रों हेतु अपेक्षाकृत अधिक आबंटन प्रस्तावित किए। राज्य सरकारों ने निम्न और मध्यम आय समूह वाले परिवारों, झोपड़ियों में रहने वालों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मकानों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया है जिसमें इंदिरा आवास योजना और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) भी शामिल है। बहुत सी राज्य सरकारों ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ-साथ जीवन बीमा लाभ के लिए भी अपना समर्थन दिया है। अनेक राज्य सरकारों ने कोषागारों तथा कर विभागों का कम्प्यूटरीकरण भी प्रस्तावित किया है। महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ और राज्य सरकारों ने 'लिंग आधारित बजट' प्रारंभ किया ।

भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कृषि बीमा के क्षेत्र में विभिन्न पहलें प्रस्तावित की हैं ताकि राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक भूमिका अदा करने के लिए सहायता दी जा सके। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट तथा बाजार से उधार लेने में राज्य सरकारों को सहायता देने के अलावा परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) से लिए गए उधारों को फिर से खरीदने में सहायता दी। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रारंभ करना तथा राज्य सरकारों को उनके राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के पुनर्निगम में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

इस अध्ययन का शेष भाग निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। खण्ड II में इस अध्ययन का विहगावलोकन दिया गया है। खण्ड III में राज्य सरकार, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की

---

1 केंद्रीय वित्त प्रभाग और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) में तैयार किया गया। इसके लिए रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी सहयोग मिला। 28 राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की सरकारों के वित्त विभागों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और योजना आयोग से मिली तकनीकी सहायता के लिए हार्दिक आभार।

2 वर्ष 2008-09 के लिए 28 राज्यों के राज्य बजटों के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2007-08 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 28 राज्यों के बजट शामिल किए गए हैं। इसमें समेकित राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ राज्यवार विश्लेषण, जिसमें बजटीय आंकड़े शामिल किए गए हैं, संबंधी और ब्यौरे तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के संबंध में सूचना अतिरिक्त रूप से ज्ञापन मद के रूप में दी गयी है।

3 सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियम बनाया है।

4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 13 नवम्बर 2007 को तेरहवां वित्त आयोग गठित किया गया था जिसकी निर्दिष्ट अवधि 2010-15 तक रहेगी।

नीतिगत पहलों का वर्णन किया गया है। खण्ड IV में राज्य सरकारों की समेकित बजट स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन दिया गया है। खण्ड V में राजकोषीय निष्पादन का राज्यवार मूल्यांकन प्रतिपादित किया गया है । खण्ड VI में राज्य सरकारों के बाजार उधारों और आकस्मिक देयताओं सहित बकाया देयताओं का विश्लेषण और मूल्यांकन दिया गया है। एक विशेष थीम के रूप में राज्यों के राजस्वों की प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण खण्ड VII में दिया गया है। राज्य वित्त से संबंधित उभरते प्रमुख मुद्दों को खण्ड VIII में प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गयी हैं।

राज्य बजटों में घोषित राज्यवार प्रमुख नीतिगत पहलें अनुबंध I में दी गयी हैं। 28 राज्य सरकारों के विभिन्न राजकोषीय संकेतों से संबंधित समेकित आंकड़े परिशिष्ट सारणी 1-24 में दिए गए हैं, जबकि राज्यवार आंकड़े विवरण 1-48 में दिए गए हैं। राज्यवार विस्तृत बजटीय आंकड़े परिशिष्ट I-IV (परिशिष्ट I - राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II - राजस्व व्यय, परिशिष्ट III - पूंजी प्राप्तियां, परिशिष्ट IV - पूंजी व्यय) में दिए गए हैं।

II विहगावलोकन

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए हैं। 1986-87 के बाद पहली बार 2006-07 (लेखा) में राज्य सरकारों ने राजस्व अधिशेष (बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.6 प्रतिशत) प्राप्त किया । वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों (सं.अ.) के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत पर 2008-09 के लिए बजट अनुमानों (ब.अ.) में अधिशेष की यह स्थिति बनाए रखना प्रस्तावित किया गया है। राजस्व लेखे में सुधार को दर्शाते हुए सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2006-07 (लेखे) में 1.9 प्रतिशत था। 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जोकि उच्च था लेकिन 2008-09 के दौरान इसे बजट करके 2.1 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रयास किया गया है। 2006-07 (लेखे) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय में 2.4 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद से पूंजी परिव्यय का अनुपात 2.7 प्रतिशत रखना अनुमानित किया गया है। राज्य सरकारों ने 2006-07 (लेखे) के दौरान प्राथमिक अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत) पैदा किया। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) तथा 2008-09 (ब.अ.) में राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि के अनुरूप प्राथमिक घाटे (सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत) का अनुमान लगाया है।

जब 2006-07 के अनुमानों का लेखा लिखा गया तो राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों यथा राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गयी (सारणी 1)। 2007-08 के संशोधित अनुमानों की प्रवृत्ति राज्य सरकारों के राजस्व लेखों में सुधार दर्शाती है। 2008-09 (ब.अ.) में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति प्रमुख घाटा संकेतकों के रूप में और सुधार की ओर संकेत करती है।

समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार उस व्यापक उतार-चढ़ाव को नहीं दर्शाता है जो राज्यों के बीच रहता है। 2008-09 के दौरान 25 राज्यों ने राजस्व अधिशेष वाले बजट प्रस्तुत किए और शेष तीन राज्यों ने राजस्व घाटे वाले बजट प्रस्तुत किए। सत्रह राज्यों ने अपना सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से भी कम अनुमानित किया। तथापि, समग्र सुधार के अधिकांश भाग के लिए कुछ राज्य ही उत्तरदायी हैं। बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संस्तुत कार्यक्रम से आगे रहना राज्यों के अपने तथा केंद्र से होनेवाले डिवोल्यूशन दोनों

सारणी 1 : महत्त्वपूर्ण घाटा संकेतक

(सघउ का प्रतिशत)

मद	2006-07 (सं.अ.)	2006-07 (लेखे)	2007-08 (ब.अ.)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	0.1	-0.6	-0.3	-0.5	-0.5
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	1.9	2.3	2.3	2.1
प्राथमिक घाटा	0.4	-0.4	0.1	0.1	0.1

टिप्पणी : ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

ही तथा अधिक सहायता अनुदानों के कारण कर राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अवधि के दौरान राजस्व व्यय के कुछ तार्किकीकरण के साथ पूंजी परिव्यय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताएं जो बड़े और सतत राजकोषीय असंतुलनों के कारण मौजूदा दशक के प्रथमार्ध में ऊंचे स्तरों पर पहुंच गयी थीं, उन्होंने हाल ही में बीते समय में सुधार दर्शाया है। राज्य सरकारों का ऋण - सघउ अनुपात जो 2004 में 33.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, 2007-08 (सं.अ.) में उतरकर 28.3 प्रतिशत पर आ गया और 2008-09 में इसके 27.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों का राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से खराब होते हुए 2003-04 में 26.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर आ गया लेकिन उसके बाद ऋण अदला-बदली योजना (डीएसएस) (2002-03 से 2004-05) और घटती ब्याज दरों के कारण आंशिक रूप से घट गया। अनुमान लगाया गया है कि राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात 2008-09 (ब.अ.) में 15.1 प्रतिशत हो जाएगा।

राज्य वित्त के लिए कई मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में हाल ही के वर्षों में हासिल किया गया सतत राजकोषीय सुधार, पर्याप्त स्व-राजस्व उत्पन्न करने के माध्यम से राजकोषीय सुधार को टिकाऊ बनाना, व्यय प्राथमिकताकरण के साथ-साथ दक्ष सेवा देने के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना, हाल ही के वर्षों में सुधार के बावजूद ऋण देयताओं के मौजूदा स्तर को कम करना और स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

III नीतिगत पहलें

वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय आबंटित करने पर पर्याप्त जोर देने के साथ ही राजकोषीय सुधार और समेकन पर फोकस रखना जारी रखा। राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों(एफआरएल) के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा ये राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किए गए हैं। सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर की जगह मूल्यवर्धित कर (वैट) कार्यान्वित किया है। उत्तर प्रदेश वैट कार्यान्वित करने में अंतिम राज्य रहा जिसने 1 जनवरी 2008 से इसे कार्यान्वित किया। राज्य सरकारें अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अंतर्गत एक अपेक्षा के रूप में मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) तैयार करती रही हैं जो रणनीतिक प्राथमिकताओं, महत्वपूर्ण नीतियों और विभिन्न राजकोषीय मापदण्डों हेतु चल लक्ष्यों को परिभाषित करती हैं।

एक महत्वपूर्ण बात जिसके मध्यावधि में राज्य वित्त हेतु निहितार्थ होंगे, वह तेरहवें वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार तेरहवां वित्त आयोग 13 नवम्बर 2007 को गठित किया गया था जिसकी निर्दिष्ट अवधि 2010 से 2015 तक रहेगी। इस आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार यह निम्नलिखित के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा:

- करों के निवल आगम का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण, जो उनके बीच बांटे जाएंगे अथवा बांटे जा सकते हैं,
- सिद्धांत, जो भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान को नियंत्रित करेंगे और
- राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय ताकि राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी विचार करेगा, (क)माल और सेवा कर (जीएसटी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव; (ख) सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता और (ग) सतत विकास के साथ पारिस्थितिक, पर्यावरण और बदले वातावरण को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता (बॉक्स 1)।

राज्य सरकारों को अपनी विकासात्मक भूमिका निभाने में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बीमा के क्षेत्र में सहायता प्रदान के लिए विभिन्न पहलों का प्रस्ताव रखा है। रिज़र्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट तथा

बाक्स 1: तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय

यह आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगा नामतः-

(i) उन करों के निवल आगम का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन जो उनके बीच संविधान के अध्याय I भाग XII के अंतर्गत बांटे जाने वाले हैं या बांटे जा सकते हैं और ऐसे आगमों का राज्यों के बीच तत्संबंधित हिस्सों का आबंटन;

(ii) सिद्धांत, जो भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान तथा जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है उन्हें अदा की जानेवाली राशि जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुकों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए है, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान के माध्यम से अदा की जाएगी;

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय और

(iv) राजकोषीय लेखांकन में तेल, खाद्यान्न और उर्वरक बांडों के कारण केंद्र सरकार की देयताओं को लाने की आवश्यकता तथा घाटा लक्ष्यों के संबंध में केंद्र सरकार की विभिन्न अन्य देयताओं के प्रभाव के संबंध में यह आयोग राजकोषीय समायोजनों हेतु रोडमैप की समीक्षा कर सकता है और एक संशोधित रोडमैप का सुझाव इस दृष्टि से दे सकता है ताकि राजकोषीय समेकन के लाभों को 2010 से लेकर 2015 तक बनाए रखा जाए (25 अगस्त 2008 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार अतिरिक्त संदर्भाधीन विषय जोड़ा गया)।

2. यह आयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए खासकर बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राज्यों की ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-10 के परिचालनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के वित्त की स्थिति की समीक्षा करेगी और साम्यिक वृद्धि के अनुरूप स्थिर और वहनीय राजकोषीय वातावरण बनाए रखने के लिए उपाय सुझाएगी।

3. अपनी सिफारिशें देते समय यह आयोग अन्य बातों पर विचार करने के अलावा निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा ताकि

(i) 2008-09 के अंत में पहुंचने वाले कराधान और करेतर राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष के लिए केंद्र सरकार के संसाधन;

(ii) केंद्र सरकार के संसाधनों से संबंधित मांगें विशेषकर, केंद्र और राज्य योजना, नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण चुकौती पर व्यय तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय और देयताओं को अनुमानित सकल बजट सहायता के कारण मांगें;

(iii) 2008-09 के अंत में पहुंचने वाले कराधान और करेतर राजस्व के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों के संसाधन;

(v) सभी राज्य सरकारों और केंद्र के राजस्व लेखों से संबंधित प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेष भी पैदा करने का उद्देश्य;

(vi) केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयास तथा केंद्र के मामले में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा राज्यों के मामले में कर - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण की संभावना;

(vii) माल और सेवा कर का देश के विदेश व्यापार पर प्रभाव सहित 1 अप्रैल 2010 से इसके प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव;

(vii) बेहतर उत्पादन और परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की गुणवता सुधारने की आवश्यकता;

(viii) सतत विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और मौसम में परिवर्तन का प्रबंधन करने की आवश्यकता;

(ix) पूंजी आस्तियों के रखरखाव के वेतन से इतर घटक पर व्यय तथा 31 मार्च 2010 तक पूरी होने वाली योजना की योजनाओं से संबंधित मजदूरी से इतर संबद्ध रखरखाव व्यय और मानदंड जिनके आधार पर पूंजी आस्तियों के रखरखाव हेतु विशेष राशियों तथा ऐसे व्यय की निगरानी के तरीके की सिफारिश और

(x) विभिन्न साधनों के माध्यम से जिसमें उपभोक्ता प्रभार की लेवी लगाना और दक्षता संवर्धन हेतु अपनाये जानेवाले उपाय शामिल हैं, सिंचाई परियोजनाओं, उर्जा परियोजनाओं, विभागीय उपक्रम और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

4. ऐसे उन सभी मामलों में जहां कर और शुल्क लगाने तथा सहायता अनुदान के निर्धारण के लिए आबादी एक कारक है वहां विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें देते समय यह आयोग 1971 के जनसंख्या विषय आंकाड़ों को आधार के रूप में लेगा।

5. यह आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि तथा आपदा राहत निधि और आपदा प्रबंधन अधिनियम ,2005, (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है और उसके बारे में उचित सिफारिशें कर सकता है।

6. यह आयोग वह आधार भी दर्शायेगा जिसके आधार पर यह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और केंद्र तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा।

7. यह आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर 2009 को उपलब्ध कराएगा जिसमें 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ पांच वर्ष की अवधि कवर की जाएगी।

स्रोत: वित्त आयोग भारत सरकार की वेबसाईट (http://www.fincomindia.nic.in)।

बाजार से उधार जुटाने के रूप में सहायता करने के अलावा विभिन्न विषयों पर अपनी ओर से राज्य सरकारों को परामर्श देता रहा है। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को बकाया राज्य विकास ऋणों तथा राष्ट्रीय अल्पबचत निधि से लिए गए उधारों को फिर से खरीदने में सहायता दी। रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां शुरू करने तथा राज्य

सरकारों को राज्य विकास ऋण के पुनर्निर्गम में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

विभिन्न नीतिगत पहलें और उपाय जो राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, निम्नलिखित खण्डों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है।

III.1 राज्य सरकार

वर्ष 2008-09 के लिए राज्य सरकारों ने अपने बजटों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अधिक आबंटन उपलब्ध कराने के प्रयास करते हुए राजकोषीय सुधार की सतत प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है। राज्य सरकारों ने योजनेतर व्यय घटाने पर जोर और पूंजी निवेश हेतु संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर देना जारी रखा। राजस्व पक्ष की ओर राज्य सरकारों ने कर वसूली और कर अनुपालन सुधारने के उपाय अपनाये हैं। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने 2008-09 के लिए अपना बजट तैयार करते समय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा है। कुछ राज्यों जैसे कि असम और मध्यप्रदेश ने अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है। वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजटों में राज्य सरकारों द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षिप्त रूप से दी गयी हैं। राज्यवार नीतिगत विस्तृत उपायों का उल्लेख अनुबंध I में किया गया है।

III.1.1 राजस्व उपाय

सभी राज्य सरकारों और विधान परिषदवाले दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी ने वैट कार्यान्वित किया है। बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों ने अपने बजटों में कर प्रशासन सुधारने पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए अपनी राजस्व वसूली बढ़ाने की दृष्टि से गोवा ने अपने वाणिज्य कर और उत्पाद कर विभाग की ओवरहालिंग करने और उसे पुनर्संगठित करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि बिहार ने वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू करने की योजनाएं बनायी है। संसाधन संग्रहण हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक नवोन्मेषी उपाय के रूप में हिमाचल प्रदेश ने उन संबंधित राजस्व संग्रहण विभागों को उस अतिरिक्त कर वसूली का एक प्रतिशत देने का प्रस्ताव रखा है जो वे अपने बजट लक्ष्यों के ऊपर संग्रहीत करेंगे तथा जिसे संबंधित विभाग द्वारा अपनी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मणिपुर और राजस्थान ने अपने खज़ानों को स्वचालित बनाने की योजनाओं की घोषणा की। उत्तराखंड ने दक्ष राजकोषीय और नकदी प्रबंधन हेतु राज्य में सभी खज़ानों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल डीलरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर अदायगी करने हेतु एक सुविधा प्रारंभ करने की योजना बना रहा है जो उनके लिए वैकल्पिक होगी। महाराष्ट्र ने कम्प्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है जिसका लक्ष्य नकद प्रवाह में सुधार लाना है।

एक राजस्वदायक उपाय के रूप में गुजरात ने माल की बिक्री पर वैट के अलावा एक अतिरिक्त कर लगाया है। गोवा ने उन वाहनों पर (माल वाहक वाहनों को छोड़कर) प्रवेश शुल्क लगाया है जिनका पंजीकरण गोवा के बाहर हुआ है। केरल ने वैट पर एक प्रतिशत अधिभार लगाया है। कुछ राज्यों ने कतिपय करों में कमी प्रस्तावित की है जिसका लक्ष्य कर दरों को तर्क संगत बनाना तथा विशिष्ट क्षेत्रों / उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। असम और हरियाणा ने अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क की दर में कमी करने की घोषणा की राजस्थान ने मनोरंजन कर में कमी करने की घोषणा की है और अचल संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल ने होटलों पर विलासिता कर की दर में कमी करने की घोषणा की।

III.1.2 व्यय उपाय

राज्य सरकारों ने विकासेतर व्यय को नियंत्रित करने और संसाधनों को उत्पादक प्रयोजनों की ओर मोड़ने पर जोर देना जारी रखा। राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के परिणामों को सुधारने के भी उपाय कर रही हैं। इस दिशा में जम्मू और कश्मीर ने केंद्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की स्थिति और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पर्यवेक्षण और निगरानी समिति गठित करने की घोषणा की है।

कृषि की वृद्धि दर सुधारने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों द्वारा कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में कदम उठाने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों ने कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा देने पर जोर दिया है (आंध्र प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश)। आंध्र प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से एक नई योजना जिसे सक्सेस (स्कीम फॉर युनिवर्सल एक्सेस एण्ड क्वॉलिटी एट सेकंडरी स्टेज) नाम दिया गया है, कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। कई राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है (गोवा, मेघालय और उत्तराखंड)। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थाओं में बुनियादी सुविधाएं तथा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और अधिक जिलों में लागू करने की घोषणा की है (आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश)। राज्य सरकारों ने समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अनेक विकास योजनाएं प्रस्तावित की हैं। राज्यों द्वारा बहुत सी रियायतों की घोषणाएं की गयी हैं, विशेषकर किसानों और दुर्बल वर्गों को दिए गए कृषि और आवास ऋणों पर ब्याज भार में कमी करने की दिशा में (असम, गोवा, हरियाणा और मध्य प्रदेश)। कुछ राज्यों ने महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सुरक्षा हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है (अरुणाचल प्रदेश)। कई राज्यों ने दुग्धोत्पादन को बढ़ावा देने तथा दुग्धोत्पादक किसानों हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणाएं की हैं (झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश)।

कई राज्यों ने निर्धन परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं (असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम और उत्तराखंड), मछुवारों के लिए बीमा योजना (बिहार और केरल), जीवन बीमा (हरियाणा और पंजाब), बुनकरों के लिए बीमा योजना (हिमाचल प्रदेश), दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (जम्मू और कश्मीर) तथा सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्र/छात्राओं के लिए बीमा सुरक्षा (राजस्थान) की घोषणाएं की हैं। मिज़ोरम ने भारत सरकार के साथ 50:50 के साझा पैटर्न पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है।

III.1.3 संस्थागत उपाय

विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने विभिन्न संस्थागत उपाय अपनाएं हैं जिनकी दिशा राजकोषीय अनुशासन को और सुदृढ़ बनाने जैसे कि गारंटियों और राजकोषीय उत्तरदायित्व के संबंध में विधान बनाने की ओर रही है। 26 राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाए हैं। राज्यों ने नई पेंशन योजना शुरू करने, समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटीमोचन निधि तथा गारंटियों पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय भी कार्यान्वित किए हैं (सारणी.2)।

बहुत से राज्यों ने विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जैसे कि गन्ना किसानों की शिकायतों का तेजी से निवारण (बिहार), विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना (छत्तीसगढ़), कुशल कृषि सेवाएं (गोवा), विभिन्न ट्रेडों में महिलाओं को प्रशिक्षित करना (गोवा), स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता (हरियाणा), बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना (हिमाचल प्रदेश), कृषि और संबद्ध गतिविधियों का विकास (कर्नाटक), उच्च शिक्षा (कर्नाटक), बच्चों का समन्वित विकास और कल्याण (कर्नाटक) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को मकान (उड़ीसा) हेतु समितियां/संस्थाएं /योजनाएं बनाने का प्रस्ताव रखा है।

असम ने राज्य में प्रमुख बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के विकास हेतु असम इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग अथॉरिटी के सहयोग से एक समर्पित निधि सृजित करने की योजना बनायी है। गुजरात ने बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और मरम्मत तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के रखरखाव का उत्तम स्तर बनाए रखने के लिए गुजरात राज्य स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा विकास निगम गठित करने का प्रस्ताव रखा है। कर्नाटक ने बेहतर जल संसाधन प्रबंध एवं नियंत्रण सुसाध्य बनाने के लिए कर्नाटक जल संसाधन नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा है। पंजाब ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यकलापों हेतु निधियों का सरल प्रवाह सुसाध्य बनाने के लिए पंजाब राज्य विकास निधि सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। सिक्किम क्षमता निर्माण का एक संस्थान स्थापित करेगा। उत्तराखंड तेजी और कारगर तरीके से सरकारी योजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड बुनियादी सुविधा विकास निगम गठित

सारणी 2 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार*

राज्य	कार्यान्वित मूल्य वर्धित कर (वैट)	अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल)	प्रारंभ की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटियों पर लगाई गई उच्चतम सीमा	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएएफ)
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11. झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	हां	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2006	नहीं	नहीं	हां	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21. पंजाब	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	नहीं
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24. तमिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	नहीं
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	जून 2005	नहीं	नहीं	हां	नहीं
26. उत्तराखंड	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	हां	हां
27. उत्तर प्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
कुल	**28**	**26**	**19**	**17**	**20**	**11**

* : नवंबर 2008 के अंत की स्थिति
स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के रिकार्डों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

करने की योजना बना रहा है। हिमाचल प्रदेश ने एक नया ऊर्जा निदेशालय सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। कर्नाटक ने स्पर्धी प्रक्रिया द्वारा मूल्यवान सरकारी भूमि की बिक्री करने अथवा पट्टे पर देने के माध्यम से विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए एक उपक्रम जिसे कर्नाटक पब्लिक लैंड्स कार्पोरेशन कहा जाएगा, गठित करने की योजना बनाई है। अनेक राज्य सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रारंभ कर रहे हैं (बॉक्स 2)।

कई राज्यों ने महिला सशक्तीकरण तथा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु लिंग आधारित बजट बनाना शुरू करने की घोषणा की है (अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड)। केरल ने लिंग बोर्ड (जेंडर बोर्ड) गठित करने की योजना बनाई है। अनेक राज्य स्वयं सहायता समूहों विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से जोर दे रहे हैं (अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु)। ब्याज मुक्त ऋण तथा नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से सहायता देने की परिकल्पना की जा रही है।

बॉक्स 2: राज सरकार के स्तर पर सरकारी निजी सहभागिता

सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) निजी क्षेत्र के साझे से सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने का एक तरीका है। पीपीपी के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ निम्नलिखित तीन रूपों में सहयोग कर सकता है; निधीयन ऐजेंसी के रूप में, खरीदार के रूप में और एक समन्वयक के रूप में। सरकारी क्षेत्र के पास सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व और आस्तियों का कानूनी स्वामित्व बना रहता है। तथापि, सेवा की प्रगति और व्याप्ति संविदागत आधार पर निर्धारित की जाती है तथा जोखिम और फायदे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच साझे किये जाते हैं। इसके अलावा कार्यान्वयन के पूरे चरण में सरकार को एक पर्यवेक्षी भूमिका निभानी पड़ती है तथा यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि सेवाएं प्रत्याशानुसार दी जा रही है। पीपीपी से मिलनेवाले संभावित लाभ हैं परियोजना की लागत प्रभावशालिता, उच्च उत्पादकता, तेज डिलीवरी, अधिक सामाजिक सेवा और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली। तथापि, पीपीपी परियोजनाओं से लाभों की पूरी फसल काटने के लिए सरकार को एक यथोचित नीतिगत का ढांचा तैयार करना पड़ता है जिसमें पीपीपी के उपयोग के साथ-साथ इसके तर्क, राजनीतिक वचनबद्धता और कार्यक्रम हेतु समर्थन या सहायता का विस्तृत विवरण रहता है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र को पीपीपी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कार्यक्रम के लिए आवश्यक लेन-देन कौशल, पीपीपी के रूप में अनुसरण की जानेवाली परियोजनाओं का चयन, पीपीपी की राजकोषीय लागत का अनुमान, पर्यवेक्षण और संविदा प्रबंधन तथा पीपीपी के कार्यनिष्पादन का कार्योत्तर मूल्यांकन तथा लेखा-परीक्षण संभालने के लिए पर्याप्त मानव क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। संविदाओं के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए सरकार पीपीपी विधान भी बना सकती है।

चूंकि पीपीपी के अंतर्गत सरकार का हाथ ऋणेत्तर सृजन तरीके से क्षेत्र की निधियों तक पहुंच सकता है, अतः विकासात्मक गतिविधियों हेतु राजकोषीय स्थान पैदा करने का यह अच्छा तरीका माना जाता है। भारत में, पीपीपी के संवर्धन हेतु विभिन्न प्रस्ताव देने तथा गतिविधियों के समन्वय हेतु वित्त मंत्रालय ने एक पीपीपी विभाग गठित किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों की क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करने की दिशा में अनेक कदम भी उठाएं हैं, यथा एक संपर्क (नोडल)एजेंसी के रूप में राज्य स्तरीय पीपीपी कक्षों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना पीपीपी अनुमोदन प्रक्रिया को सुसंगत बनाना, पीपीपी टूल किट विकसित करना, आदर्श रियायती करार, नीलामी दस्तावेज और परियोजना निर्माण मैन्युअल। उन बुनियादी परियोजनाओं को जो निकट भविष्य में आर्थिक रूप से न्यायोचित है किंतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता देने के लिए एक व्यवहार्यता अंतर निधीयन (वीजीएफ) योजना भी तैयार की गई है। इसके अलावा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) पीपीपी मोड पर परियोजनाओं की एक दूसर के ऊपर जानेवाली प्राथमिकता जोड़ती है, जबकि बुनियादी संरचना परियोजनाओं को दीर्घावधि वित्त प्रदान करती है। राज्यों और निजी क्षेत्र को अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय आंकड़ा आधार तथा पीपीपी संबंध में वेबसाईट भी विकसित की है।

लगभग सभी राज्य सरकारों ने पीपीपी आधार पर परियोजनाएं शुरू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राज्यों ने कुछ क्षेत्र रेखांकित किए हैं जहां केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है जैसे कि वीजीएफ, तेज अनुमोदन प्रकिया, मौजूदा समय में जिन परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता है उन परियोजनाओं के विवरण में भी लेना, विशेष प्रयोजन के साधन (एसवीपी) मार्ग के माध्यम से दी जाने वाली परियोजनाओं को शामिल करना वीजीएफ वित्तपोषण के अंतर्गत भूमि की लागत को जोड़ना, आदि। विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच फॉर्मेटों, नीलामी प्रकियाओं, करारों अब पीपीपी के समग्र निष्पादन में अंतर को देखते हुए निजी क्षेत्र ने भी दक्षता भविष्य सूचकता तथा अनुमोदन प्रक्रिया की आसानी सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत पूर्व योग्यता तथा नीलामी प्रक्रियाएं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

भारी लागत वाली बुनियादी संरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के अलावा बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी पीपीपी का उपयोग किया जा रहा है। 2008-09 के अपने बजटों में बहुत सी राज्य सरकारों ने पीपीपी के आधार पर अनेक परियोजनाओं की घोषणा की है जैसे कि खानों और खनिजों का सर्वेक्षण तथा दोहन (अरुणाचल प्रदेश), औद्योगिक इस्टेटों का विकास (गुजरात), मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (हिमाचल प्रदेश और राजस्थान), कारवार गोदी का विकास (कर्नाटक), इमर्जेन्सी हेल्थ केअर/ एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराना (कर्नाटक और उत्तराखंड), सड़कों के जाल का विकास (मध्य प्रदेश), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और एक सूचना प्रौद्योगिकी इस्टेट की स्थापना करना (मेघालय), वृद्धाश्रमों के लिए चिरायु योजना तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय (राजस्थान), आठ मार्ग वाले गंगा महामार्ग (एक्सप्रेस वे) का निर्माण, चार अन्य महत्वपूर्ण संपर्क महामार्गों का निर्माण और लखनऊ शहर के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास (उत्तर प्रदेश)।

संदर्भ:

1. नटराज गीतांजली (2007), "इन्फ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन साउथ एशिया: द रोल ऑफ पब्लिक - प्रायवेट पार्टनरशिप्स"। डिस्कशन पेपर नं.80, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टिट्यूट ।
2. योजन आयोग (2004), रिर्पोट ऑफ द पीपीपी सब-ग्रुप आन सोशल सेक्टर, नवंबर।
3. विश्व बैंक (2006), भारत - सरकारी निजी सहभागिताओं के लिए क्षमता निर्माण, इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट एण्ड फायनान्स एण्ड प्रायवेट सेक्टर डेवलपमेंट यूनिट, दक्षिण एशिया क्षेत्र।

कुछ राज्यों ने गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) गठित करने का प्रस्ताव रखा है (असम और मणिपुर)। मणिपुर समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) गठित करेगा। गोवा ने अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन देयता निधि गठित करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

कई राज्यों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्तर पर विकासात्मक पहलें की हैं जैसे कि सामान्य जन को सूचना आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना (बिहार), सभी पंचायतों को जोड़ना (कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना) (हिमाचल प्रदेश) तथा साइबर केंद्रों की स्थापना करना (कर्नाटक)। केरल ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को ऋण

उपलब्ध कराने हेतु केरल रूरल एण्ड अर्बन डेवलपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

III.1.4 अन्य पहलें

गुजरात में समावेशी वृद्धि और सभी को समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। कर्नाटक "कर्नाटक 2020" नामक एक विज़न दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें गरीबी के सकल उन्मूलन, राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के लिए एक सुंदर और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं के उन्नयन तथा राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ाने के लिए रणनीति दर्शायी जाएगी। असम ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।

पारदर्शिता में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र और महिलाओं, लड़कियों और आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु केंद्र से सीधे प्राप्त निधियों के लिए बजटेतर आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। असम ने अपने बजट दस्तावेजों के साथ एक अलग विवरण प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है जिसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से पंचायतों को निधियों का प्रवाह दर्शाया है। मध्य प्रदेश ने पंचायतों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करने की योजना बनायी है ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके और इस प्रयोजन हेतु वह एक अलग निदेशालय स्थापित करेगा। जबकि बिहार ने सरकारी खरीद और निविदा प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक खरीद (ई-प्रोक्योरमेंट) और इलेक्ट्रॉनिक निविदा (ई-टेंडरिंग) प्रणाली प्रस्तावित की है। अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए पुदुचेरी ने इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रणाली प्रारंभ की है। तमिलनाडु ने तीन मुख्य विभागों यथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और खज़ाना विभाग में ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक वितरण की दुकानों के कम्प्यूटरीकरण करने की घोषणा की है। कर्नाटक ने 500 करोड़ रुपयों की परिक्रामी निधि गठित करने की योजना बना रहा है ताकि मूल्यों के गिरने के मामले में बाजार हस्तक्षेप का उपयोग करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। केरल कृषि उत्पादन हेतु एक मूल्य स्थिरता योजना कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। पश्चिम बंगाल ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उचित मूल्य पर वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति हेतु एक विपणन निगम गठित करने का प्रस्ताव रखा है। असम ने एक जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजना बनायी है। हिमाचल प्रदेश और झारखंड अधिक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं टाउनशिप बनाएंगे। झारखंड को एक जैव राज्य के रूप में विकसित करने के लिए 'बायो ग्राम' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पश्चिम बंगाल 20 जैव-ग्राम स्थापित करेगा। सभी जिलों और संभागीय मुख्यालयों को संचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए बिहार और राजस्थान ने स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनायी है। असम ने सौर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से सभी दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। जम्मू और कश्मीर ने स्टॉम्पों के लिए डिमैट व्यवस्था प्रारंभ की है ताकि स्टॉम्पों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके।

III.2 भारत सरकार

2008-09 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनकी विकासात्मक और सामाजिक भूमिका निभाने में सहायता देने के अनेक कदमों का उल्लेख किया है। भारत निर्माण के अंतर्गत आठ प्रमुख योजनाओं की प्रगति राज्य सरकारों में विकास प्रक्रिया को सतत सहायता देती रहेगी। 2008-09 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्माण हेतु आबंटन 6,677 करोड रुपए (27 प्रतिशत) बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जोकि भारत निर्माण के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजना है, का फोकस प्राथमिक स्तर पर पहुंच और बुनियादी ढांचे से हटकर बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक पहुंच बढ़ाना सुनिश्चित करने पर ले जाया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले 6000 आदर्श विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य के साथ एक आदर्श विद्यालय कार्यक्रम 2008-09 में कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र उन 20 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करेगा जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का अधिक बाहुल्य है। देश के सभी विकास खण्डों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक मध्याह्न भोजन योजना लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार उन राज्यों में जो अब तक कवर नहीं हुए हैं, प्रत्येक में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में तीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; मध्य प्रदेश और केरल में दो भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) तथा मध्य प्रदेश

और आंध्र प्रदेश में दो योजना और वास्तु कला विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉड बैंड नेटवर्क के माध्यम से सभी ज्ञान संस्थानों को परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। अधिकांश राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे वाली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार को 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। 2008-09 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सरकार 90 अल्पसंख्यक जिलों में से प्रत्येक में एक बहुक्षेत्रीय विकास योजना कार्यान्वित करेगी।

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में (चेन्नै के पास) एक विलवणीकरण सयंत्र स्थापित करने में सहायता करने की घोषणा की। यह सयंत्र केंद्र की वित्तीय सहायता से पीपीपी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। जल निकायों की मरम्मत करने, उन्हें नवीकृत करने और पुनर्स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों द्वारा विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। कुछ अन्य राज्य सरकारों द्वारा करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। केंद्र 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना करेगा। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं से इसकी ईक्विटी में अंशदान करने का भी आमंत्रण दिया जाएगा। वृक्षारोपण क्षेत्र के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनन्तपुरम को एक बार सहायता अनुदान देगा। इसके अलावा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्था को बदलकर तथा इसका उन्नयन करके एक स्वशासी राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। वस्त्रोद्योग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और उत्पादन दोनों को ही बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मेगा-क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए छह केंद्रों को अपने हाथ में लेगा। केंद्रीय योजना और सीएसएस के लिए योजनावार और राज्यवार जारी की जाने वाली सहायताओं के लिए सरकार एक केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी। एक व्यापक निर्णय समर्थन प्रणाली तथा प्रबंध सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

एक बैंकर और राज्य सरकारों के लोक ऋण के प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक राजकोषीय मुद्दों पर राज्य सरकारों को चेताता रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों के वित्त से संबधित विषयों के प्रति परामर्शी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक 1997 से राज्य वित्त सचिवों का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था ने राज्य सरकारों के बहुत से वित्तीय मुद्दों का हल उपलब्ध कराने में सहायता दी है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंध परिचालनों को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए गए हैं।

III.3.1 नीलामी के माध्यम से बाजार उधार

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया था कि "नीलामी के माध्यम से बाजार उधारों का क्रमिक रूप से हिस्सा बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे नीलामी के माध्यम से यथाशीघ्र अपने समस्त बाजार उधारों को कवर कर सकें"। तदनुसार वित्त वर्ष 2006-07 से राज्य सरकारों के बाजार उधार पूरी तरह से नीलामी पद्धति के माध्यम से जुटाए गए हैं।

III.3.2 राज्य सरकारों के बाजार उधारों हेतु सांकेतिक कैलेण्डर

वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तावित किया गया था कि "राज्यों को अपने विवेक और पहल पर उन्नत सांकेतिक खुला बाजार उधार कैलेण्डर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा"। क्रमिक रूप से राज्य सरकारों के बाजार उधारों में सापेक्षिक रूप से अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को राज्य सरकारों के बाजार उधारों के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें निवल आबंटन, परिपक्वताएं, जुटायी जाने वाली राशि तथा वह राशि जो 2007-08 की शेष अवधि के दौरान जुटायी जा सकेगी, का विस्तृत विवरण दिया गया था। इसके अलावा 17 जून 2008 को रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के सकल बाजार उधारों का अनुमान लगभग 59,000 करोड़ रुपए लगाया गया था जिसमें 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियां शामिल हैं।

III.3.3 ऋण चुकाने के लिए नकद शेषों का उपयोग

हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा नकद शेषों की भारी अधिकता होने तथा ऐसे शेषों के निवेशों पर अर्जित ऋणात्मक स्प्रेड ने कुछ राज्य सरकारों को अपने बकाया ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित

किया। बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की पुनर्खरीद योजना जो रिवर्स नीलामियों के दो चक्रों के माध्यम से 2006-07 के दौरान चलायी गयी थी, 2007-08 के दौरान भी चलती रही। 156 करोड़ रुपए की कुल राशि जिसमें इन परिचालनों के माध्यम से उड़ीसा सरकार के 11 एसडीएल कवर किये गये थे, फरवरी और मार्च 2008 में एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर द्वितीयक बाजार खरीदों के माध्यम से चलाये गये थे। दो राज्य सरकारों यथा उड़ीसा तथा तमिलनाडु ने भी एनएसएसएफ से लिये गये अपने उधारों को भी फिर से खरीद लिया जिनकी राशि क्रमशः 217 करोड़ रुपए और 1,178 करोड़ रुपए थी।

III.3.4 राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

राज्य वित्त सचिवों का 20 वां सम्मेलन 24 अगस्त 2007 को आयोजित किया था। सरकारी लेन-देनों से संबंधित परिचालनीय मुद्दों के अलावा यह चर्चाएं मूल रूप से राज्य सरकारों के नकद शेषों निवेश हेतु ढांचे, राज्यों के निवेश संविभाग, केंद्र से बाह्य ऋणों के बैक-टू-बैक अंतरण के संदर्भ में राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा का जोखिम का प्रबंध और राज्यों द्वारा लिये जानेवाले उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति से संबंधित थीं। 15 मई 2008 को आयोजित 21 वें सम्मेलन में फोकस किये गये मुद्दे राज्य सरकारों के नकद शेष अधिशेष, बाजार उधार, बजट प्रबंधन और राज्यों की विभिन्न निधियों के प्रबंधन से संबंधित थे।

III.3.5 राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम

पुणे में 24 जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19 वें सम्मेलन में राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी। प्रारंभ में, राज्य सरकारें बाजार उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए दो नई प्रतिभूतियां जिसमें से एक वित्त वर्ष 2007-08 की पहली छमाही में और एक दूसरी छमाही में जारी करने पर सहमत हुईं। यह प्रतिभूतियां वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के दौरान बाद की श्रृंखलाओं के लिए पुनर्निर्गम की जा सकेंगी। तदनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित किया था कि राज्य सरकारों के परामर्श से रिज़र्व बैंक पुनर्निर्गम की एक प्रणाली प्रारंभ करेगा। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य विकास ऋणों का पुनर्निर्गम किया जा सकता है।

III.3.6 राज्य विकास ऋणों की नीलामियों में गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना

निवेशक का आधार चौड़ा करने और राज्य विकास ऋणों की चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा हेतु एक योजना अनुमोदित की गयी है। तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों के निर्गम से संबंधित सामान्य अधिसूचनाएं संशोधित की गयी हैं। एनडीएस नीलामी मॉड्यूल (वर्शन 2), जो इस योजना को लागू करना सुसाध्य बनाएगा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस नये वर्शन 2 का साथ-साथ चालन शीघ्र ही प्रारंभ होगा और यह योजना दिसंबर 2008 के अंत से प्रारंभ हो जाएगी।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

राजकोषीय और संस्थागत सुधारों, विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों का अधिनियम, बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार केंद्र से अधिक डिवोल्यूशन और अंतरण तथा राज्य स्तर पर कर उछाल में सुधार के कारण हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राज्यकोषीय स्थिति ने ध्यान देने सुधार दर्शाया। राज्य सरकारों ने लगभग दो दशकों के अंतराल और ऐतिहासिक रूप से सकल राजकोषीय घाटे के निम्नस्तर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत)के बाद 2006-07 (लेखा) में राजस्व अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत) प्राप्त किया। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख घाटा संकेतक हाल ही में बीते समय के घाटों के उच्च स्तर की तुलना में काफी कम रहे (सारणी 3)। यह खंड[5] 2006-07, 2007-08 (सं.अ.) और 2008-09 (ब.अ.) के दौरान राज्य सरकारों के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अर्थ में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

5 इस खंड और इस अध्ययन में भी दिया गया विश्लेषण 28 राज्य सरकारों के 2008-09 के बजटों में वर्ष 2006-07 (लेखा), 2007-08 (संशोधित अनुमान) और 2008-09 (बजट अनुमान) से संबंधित है।

सारणी 3 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (ब.अ.)	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
	औसत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा				90,084	77,509	1,08,323	1,07,958	1,12,653
	(2.8)	(3.4)	(4.0)	(2.5)	(1.9)	(2.3)	(2.3)	(2.1)
राजस्व घाटा				7,013	-24,857	-11,973	-22,526	-28,426
	(0.7)	(1.7)	(2.2)	(0.2)	-(0.6)	-(0.3)	-(0.48)	-(0.54)
प्राथमिक घाटा				6,060	-15,654	5,648	5,080	4,270
	(1.1)	(1.4)	(1.3)	(0.2)	-(0.4)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान.

टिप्पणी : 1. ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.1 लेखे : 2006-07

जब 2006-07 संशोधित अनुमान लेखों में बदले गये तो समेकित राज्य सरकार वित्तों ने सुधार दर्शाया है। राज्य सरकारों के सभी प्रमुख महत्वपूर्ण घाटा संकेतक यथा राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखों ने 2006-07 (सं.अ.) के 5,566 करोड़ रुपए (सघउ का 0.1 प्रतिशत) के घाटे की तुलना में 2006-07 (लेखे) में 24,857 करोड़ रुपए (सघउ का 0.6 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 1)। 2006-07 (सं.अ.) और 2006-07 (लेखे) के बीच राजस्व सुधार अधिकांशतः राजस्व व्यय के 31,296 करोड़ रुपए (सघउ का 0.8 प्रतिशत) तक दब जाने के कारण था। राजस्व लेखे से संबंधित विकासात्मक व्यय में 19,137 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) की भारी गिरावट आई जिसने राजस्व व्यय में 61.1 प्रतिशत की गिरावट का योगदान दिया। जब 2006-07 (सं.अ.) लेखों में बदले तो शिक्षा, कला, खेल और संस्कृति (5.5 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (12.8 प्रतिशत) और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (11.1 प्रतिशत) से संबंधित व्यय में कमी ने राजस्व व्यय में हुई गिरावट में योगदान दिया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिबद्ध व्यय जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेन्शन शामिल है, में भी 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई और इसने राजस्व व्यय में 22.2 प्रतिशत का योगदान दिया।

संशोधित अनुमानों की तुलना में 2006-07 के लेखों में राजस्व प्राप्तियों में 873 करोड़ रुपए (0.2 प्रतिशत) की गिरावट आयी। केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में 8,504 करोड़ रुपए (8.3 प्रतिशत) तथा राज्यों के स्व-कर राजस्व (ओटीआर) में 4,532 करोड़ रुपए (1.8 प्रतिशत) की गिरावट थी जो आंशिक रूप से उनके स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर) में 7.606 करोड़ रुपए (13.7 प्रतिशत) तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 4,556 करोड़ रुपए (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि से पूरी हो गयी। ओएनटीआर में हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (33.2 प्रतिशत) और शिक्षा, कला, खेल और संस्कृति (12.0 प्रतिशत) से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोत्तरी के कारण थी।

राजस्व लेखे में भारी सुधार के अलावा जो मूलतः राजस्व व्यय में कमी के कारण था, 2006-07 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (लेखे) में पूंजी परिव्यय 6,879 करोड़ रुपए (6.6 प्रतिशत) तथा दिए जाने वाले निवल उधारों में गिरावट आयी। इसने राज्य सरकारों को सकल राजकोषीय घाटा 2006-07 (सं.अ.) के 1,13,913 करोड़ रुपए (सघउ का 2.7 प्रतिशत) से 2006-07 (लेखे) में 36,405 करोड़ रुपए (सघउ का 0.9 प्रतिशत) कम करके 77,508 करोड़ रुपए (सघउ का 1.9 प्रतिशत) करने में समर्थ बनाया। राज्य वित्त के इतिहास में पहली बार राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति ने 2006-07 (लेखों) में 15,672 करोड़ रुपए का प्राथमिक अधिशेष दर्शाया।

सारणी 4:प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2006-07(सं.अ.) की तुलना में 2006-07(लेखा)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (सं.अ)	2006-07 (राशि)	घट-बढ़ राशि	घट-बढ़ प्रतिशत	योगदान* प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**5,31,429**	**5,30,556**	**-873**	**-0.2**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	3,72,817	3,72,841	25	0.0	-2.8
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	2,57,080	2,52,548	-4,532	-1.8	519.1
जिसमें से : बिक्री कर	1,58,113	1,53,573	-4,540	-2.9	520.0
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,15,737	1,20,293	4,556	3.9	-521.9
(ii) करेतर राजस्व	1,58,612	1,57,714	-898	-0.6	102.8
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	55,657	63,263	7,606	13.7	-871.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,02,955	94,451	-8,504	-8.3	974.1
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**5,36,995**	**5,05,699**	**-31,296**	**-5.8**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,03,934	2,84,797	-19,137	-6.3	61.1
जिसमें से :					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	94,816	89,578	-5,237	-5.5	16.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24,977	22,205	-2,772	-11.1	8.9
ग्रामीण विकास	22,156	19,315	-2,840	-12.8	9.1
(ii) विकासेतर व्यय	2,19,709	2,07,390	-12,319	-5.6	39.4
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	42,511	38,964	-3,546	-8.3	11.3
पेंशन	47,739	46,861	-878	-1.8	2.8
ब्याज भुगतान	95,704	93,180	-2,525	-2.6	8.1
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,43,154**	**1,43,049**	**-105**	**-0.1**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	3,054	1,906	-1,148	-37.6	1089.4
IV. पूंजी व्यय	**1,50,951**	**1,51,582**	**630**	**0.4**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,04,942	98,063	-6,879	-6.6	-1,091.4
जिसमें से:					
ग्रामीण विकास पर पूंजी परिव्यय	5,773	5,388	-385	-6.7	-61.1
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी व्यय	32,751	31,553	-1,197	-3.7	-190.0
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	2,551	1,695	-856	-33.6	-135.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	20,233	19,831	-402	-2.0	-63.8
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	5,566	-24,857	-30,423	-546.6	
सकल राजकोष घाटा	1,13,913	77,508	-36,405	-32.0	
प्राथमिक घाटा	18,209	-15,672	-33,881	-186.1	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. घाटा संकेतकों में ऋण (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।
2. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।
3. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.2 संशोधित अनुमान : 2007-08

बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में घटबढ़ के मूल्यांकन ने दर्शाया कि 2007-08 (ब.अ.) के 11,973 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) के राजस्व अधिशेष की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 22,526 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (सारणी 5 और परिशिष्ट सारणी 2)। राजस्व लेखे के संबंध में 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में हुई 22,009 करोड़ रुपए (सघउ

सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (सं.अ)	2007-08 (राशि)	घट-बढ़ राशि	घट-बढ़ प्रतिशत	योगदान* प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**6,06,733**	**6,28,742**	**22,009**	**3.6**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	4,30,222	4,41,526	11,304	2.6	51.4
क) अपने कर राजस्व	2,94,038	2,93,392	-646	-0.2	-2.9
जिसमें से : बिक्री कर	1,82,973	1,78,198	-4,775	-2.6	-21.7
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,36,184	1,48,134	11,951	8.8	54.3
(ii) करेतर राजस्व	1,76,511	1,87,216	10,705	6.1	48.6
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	59,191	62,578	3,387	5.7	15.4
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,17,320	1,24,638	7,318	6.2	33.2
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**5,94,760**	**6,06,216**	**11,456**	**1.9**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,38,251	3,55,099	16,848	5.0	147.1
जिसमें से,					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,03,870	1,06,474	2,604	2.5	22.7
ऊर्जा	23,980	28,599	4,619	19.3	40.3
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	28,615	32,926	4,311	15.1	37.6
(ii) विकासेतर व्यय	2,40,585	2,34,386	-6,200	-2.6	-54.1
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	49,066	47,694	-1,372	-2.8	-12.0
पेंशन	54,263	56,002	1,739	3.2	15.2
ब्याज भुगतान	1,02,675	1,02,878	203	0.2	1.8
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,60,962**	**1,34,635**	**-26,327**	**-16.4**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	10,102	8,400	-1,702	-16.8	6.5
IV. पूंजी व्यय	**1,71,859**	**1,81,273**	**9,414**	**5.5**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,18,796	1,28,331	9,535	8.0	101.3
जिसमें से :					
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी व्यय	36,406	39,128	2,722	7.5	28.9
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	23,460	25,275	1,814	7.7	19.3
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	-11,973	-22,526	-10,553	88.1	
सकल राजकोष घाटा	1,08,323	1,07,958	-364	-0.3	
प्राथमिक घाटा	5,648	5,080	-567	-10.0	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.:बजट अनुमान *: संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : See Notes to Table 4.
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

का 0.5 प्रतिशत) की वृद्धि 11,456 करोड़ रुपए (सघउ का 0.2 प्रतिशत) के राजस्व व्यय में हुई वृद्धि की भरपाई से अधिक थी। केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 11,951 करोड़ रुपए और अनुदानों के रूप में 7,318 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंतरणों में हुई वृद्धि 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में हुई 87.5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। 2007-08 (ब.अ.) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से विकासेतर व्यय में 6,200 करोड़ रुपए (सघउ का 0.1 प्रतिशत) की गिरावट की तुलना में 16,848 करोड़ रुपए (सघउ का 0.4 प्रतिशत) की विकासात्मक व्यय में हुई वृद्धि के कारण थी। विकास व्यय में हुई यह वृद्धि मूलतः ऊर्जा और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

सकल राजकोषीय घाटा राजस्व लेखे में भारी सुधार तथा दिए जाने वाले अपेक्षाकृत कम निवल उधारों के बावजूद बजट

अनुमानों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में मात्र 364 करोड़ रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,07,958 करोड़ रुपए रहा। यह 1,702 करोड़ रुपए की ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में गिरावट के साथ-साथ पूंजी परिव्यय में 9,535 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण था। तदनुसार, सघउ से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय 2.5 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से 2007-08 (सं.अ.) में बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया। यह उच्च पूंजी परिव्यय मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन तथा जल आपूर्ति एवं सफाई के संबंध में था। बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 के संशोधित अनुमानों का मूल्यांकन दर्शाता है कि पूंजी परिव्यय में उर्ध्वमुखी संशोधन के बावजूद मुख्य रूप से राजस्व लेखे में सुधार के कारण राज्य सरकारों का राजकोषीय निष्पादन और सुदृढ़ हुआ है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के अंतर्गत बनाए गए बजटीय नियमों ने राज्य सरकारों को अपनी बजटीय राजकोषीय स्थिति से फिसलने से बचाने में एक मिलीजुली भूमिका अदा की।

IV.3 बजट अनुमान 2008-09

राज्य सरकारों की प्रमुख नीतिगत पहलों ने जैसी कि पूर्व खण्डों में चर्चा की गयी है, निरंतर समग्र विकास हेतु बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तदनुसार, राज्य सरकारों ने अनेक नीतिगत कदम उठाये हैं जिनका लक्ष्य राजस्व में वृद्धि करना तथा व्यय का प्रबंध करना है। 2008-09 के बीच अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया तथा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अनुरूप समेकन की प्रक्रिया को जारी रखने के प्रति और प्रतिबद्धता दर्शायी है। महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों में कमी के अर्थ में हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य वित्तों में क्रमिक सुधार की 2008-09 के दौरान बने रहने की कल्पना की गयी है।

IV.3.1 बजट अनुमान 2008-09 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक

2008-09 के दौरान अनुमान है कि राज्य सरकारों का समेकित राजस्व अधिशेष 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 5,899 करोड़ रुपए (सघउ का 0.06 प्रतिशत) से बढ़कर 28,426 करोड़ रुपए (सघउ का 0.5 प्रतिशत) हो जाएगा (चार्ट 1 सारणी 6)। 2008-09 में राजस्व लेखे में सुधार पिछले वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (14.1 प्रतिशत) में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में (14.5 प्रतिशत) मूलतः उच्च वृद्धि के माध्यम से हासिल करने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व अधिशेष के साथ-साथ ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में अनुमानित वृद्धि के परिणामस्वरूप समेकित स्तर पर जीएफडी-जीडीपी अनुपात 0.2 प्रतिशत अंक कम होकर 2.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया गया है, हालांकि वास्तविक अर्थ में सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में 4,695 करोड़ रुपए बढ़ेगा। प्राथमिक घाटा 2007-08 (सं.अ.) के 5,080 करोड़ रुपए (सघउ का 0.11 प्रतिशत) से घटकर 2008-09 में 810 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) कम होकर 4,270 करोड़ रुपए (सघउ का 0.08 प्रतिशत) हो जाने का अनुमान लगाया है। प्राथमिक राजस्व अधिशेष सघउ का 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जोकि 2008-09 में ब्याज भुगतानों के 79.2 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी होगा।

2008-09 के बजटों में परिकल्पित घाटे में कमी बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए राजकोषीय सुधार मार्ग की दिशा में राजकोषीय पुनर्संरचना प्रारंभ करने के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण राहत योजना का लाभ उठाने की एक पूर्व शर्त के रूप में राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाने की शर्त उसके द्वारा रखी गयी है। अब तक छब्बीस राज्यों ने राजकोषीय

चार्ट 1 : प्रमुख घाटा संकेतक

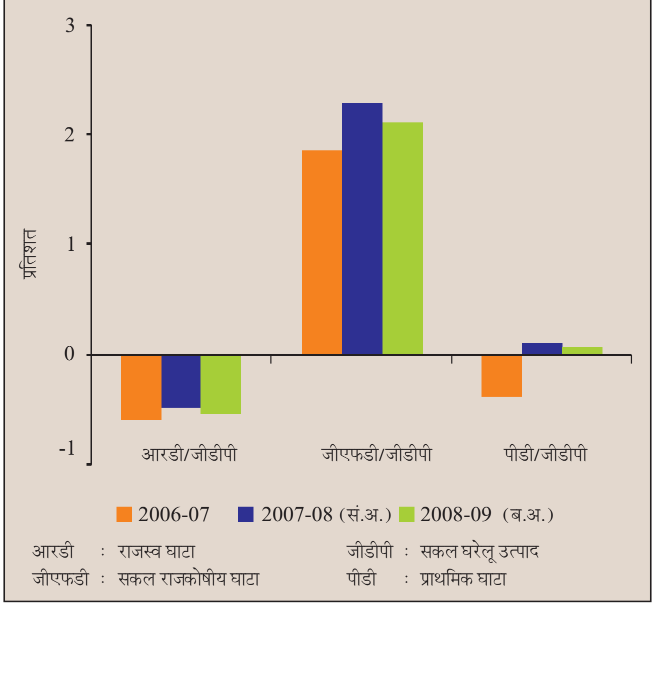

सारणी 6 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2007-08(ब.अ.)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2007-08 (सं.अ)	2007-08 (राशि)	घट-बढ़		योगदान*
			राशि	प्रतिशत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तिया (i+ii)	**6,28,742**	**7,19,835**	**91,093**	**14.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	4,41,526	5,09,957	68,431	15.5	75.1
क) अपने कर राजस्व	2,93,392	3,36,810	43,418	14.8	47.7
जिसमें से: बिक्री कर	1,78,198	2,03,623	25,425	14.3	27.9
ख) केंद्रीय कर में अंश	1,48,134	1,73,147	25,013	16.9	27.5
(ii) करेतर राजस्व	1,87,216	2,09,878	22,662	12.1	24.9
क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	62,578	66,848	4,270	6.8	4.7
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	1,24,638	1,43,030	18,392	14.8	20.2
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**6,06,216**	**6,91,409**	**85,193**	**14.1**	**100.0**
जिसमें से :					
(i) विकास व्यय	3,55,099	4,02,810	47,710	13.4	56.0
जिसमें से :					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,06,474	1,22,072	15,598	14.6	18.3
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	27,760	32,224	4,463	16.1	5.2
ऊर्जा	28,599	26,483	-2,116	-7.4	-2.5
ग्रामीण विकास	23,454	29,750	6,296	26.8	7.4
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	32,926	36,376	3,450	10.5	4.0
(ii) ब्याज भुगतान	2,34,386	2,68,665	34,279	14.6	40.2
जिसमें से :					
प्रशासनिक सेवाएं	47,694	62,905	15,211	31.9	17.9
पेंशन	56,002	62,729	6,727	12.0	7.9
ब्याज भुगतान	1,02,878	1,08,383	5,505	5.4	6.5
III. पूंजी प्राप्तियां	**1,34,635**	**1,75,306**	**40,671**	**30.2**	**100.0**
जिसमें से :					
ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	8,400	15,000	6,600	78.6	16.2
IV. पूंजी व्यय	**1,81,273**	**2,01,374**	**20,101**	**11.1**	**100.0**
जिसमें से :					
पूंजी परिव्यय	1,28,331	1,45,159	16,828	13.1	83.7
जिसमें से :					
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	2,833	4,289	1,455	51.4	7.2
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर (पूंजी परिव्यय)	39,128	44,525	5,397	13.8	26.9
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	15,652	16,690	1,038	6.6	5.2
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	25,275	27,618	2,344	9.3	11.7
ज्ञापन मदें :					
राजस्व घाटा	-22,526	-28,426	-5,899	26.2	
सकल राजकोष घाटा	1,07,958	1,12,653	4,695	4.3	
प्राथमिक घाटा	5,080	4,270	-810	-15.9	

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.:बजट अनुमान *: संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणी : See Notes to Table 4.

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उत्तरदायित्व विधान बनाए हैं और उनमें से अधिकांश में ऋण समेकन तथा ऋण माफी के लाभ उठा लिए हैं। राज्यों द्वारा वैट का कार्यान्वयन उनके कर राजस्व के संग्रहण में संवर्धनकारी पाया गया है।

IV.3.2 राजस्व प्रप्तियां

राजस्व प्रप्तियां 2007-08 (सं.अ.) के 6,28,742 करोड़ रुपए (सघउ का 13.3 प्रतिशत) से 2008-09 में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 7,19,835 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया

है। 2008-09 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में 91,093 करोड़ रुपए की यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वकर राजस्व (47.7 प्रतिशत), केंद्रीय करों में हिस्से (27.5 प्रतिशत) और केंद्र से अनुदानों (20.2 प्रतिशत) के सहयोग से होगी (सारणी 7 और परिशिष्ट सारणी 3)।

राज्यों के स्वकर राजस्व में 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में सघउ के अनुपात के रूप एक वृद्धि दर्ज होगी। राज्यों में वैट के सफल कार्यान्वयन के कारण राज्य सरकारें बिक्री कर से होनेवाले राजस्व संग्रह में जबर्दस्त वृद्धि देख रही हैं। बिक्री कर/वैट जो राज्यों के स्वकर राजस्व में 58.6 प्रतिशत वृद्धि का योगदान करता है, से होने वाले कर संग्रह के अलावा अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं, स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क (14.3 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (12.1 प्रतिशत) तथा वाहनों से प्राप्त होने वाले कर (5.7 प्रतिशत)।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सघउ से प्रतिशत के रूप में राज्यों के स्व करेतर राजस्व पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखे जाएंगे यद्यपि वास्तविक अर्थो में इसमें 4,270 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज होगी। राज्यों के स्व करेतर राजस्व में वृद्धि पिछले वर्ष की 1.1 प्रतिशत गिरावट की तुलना में 2008-09 के दौरान 6.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। करेतर राजस्व में होनेवाली इस अनुमानित वृद्धि में मुख्य रूप से आर्थिक

सारणी 7: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
		(औसत)						कॉ. 7/6	कॉ. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.2)	5,95,627 (16.6)	6,73,605 (16.2)	7,63,377 (16.2)	8,95,141 (16.9)	13.3	17.3
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.2)	4,31,020 (12.0)	5,30,556 (12.8)	6,28,742 (13.3)	7,19,835 (13.6)	18.5	14.5
क) राज्यों के अपने राजस्व (i+ii)	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (7.0)	2,60,246 (7.3)	3,15,812 (7.6)	3,55,970 (7.6)	4,03,658 (7.6)	12.7	13.4
i. राज्यों के अपने कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.6)	2,12,307 (5.9)	2,52,548 (6.1)	2,93,392 (6.2)	3,36,810 (6.4)	16.2	14.8
ii. राज्यों के अपने करतर राजस्व	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	62,578 (1.3)	66,848 (1.3)	-1.1	6.8
ख) केंद्रीय अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.8)	2,14,744 (5.2)	2,72,772 (5.8)	3,16,177 (6.0)	27.0	15.9
i. अंशदायी कर	19,790 (2.6)	37,608 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.6)	1,20,293 (2.9)	1,48,134 (3.1)	1,73,147 (3.3)	23.1	16.9
ii. महावार अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.3)	1,24,638 (2.6)	1,43,030 (2.7)	32.0	14.8
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (6.0)	1,64,607 (4.6)	1,43,049 (3.5)	1,34,635 (2.9)	1,75,306 (3.3)	-5.9	30.2
क) केंद्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	11,291 (0.2)	15,348 (0.3)	97.5	35.9
ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.4)	1,37,331 (3.3)	1,23,344 (2.6)	1,59,958 (3.0)	-10.2	29.7

स.अ. : संशोधित अनुमान   ब.अ. : बजट अनुमान

@ : वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश, जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया है, तथा इसे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि इस सारणी में सूचित 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े में तुलनात्मकता के लिए अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणीय : 1 सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 कोष्ठक में दिए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते है।

3 पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल है। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सेवाओं से होनेवाली प्राप्तियों में वृद्धि के साथ-साथ उद्योग, बिजली और वानिकी तथा वन्य जीवन का भी योगदान रहेगा। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से होने वाली कम वसूली राज्य सरकारों के लिए गंभीर चिंता का कारण रही है। जबकि बिजली सड़क क्षेत्रों से होनेवाली वसूलियों ने सुधार दर्शाया है, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की वसूलियां कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 में लागत वसूली शिक्षा के लिए 1.4 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य के लिए 4.4 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 14.7 प्रतिशत, बिजली के लिए 25.4 प्रतिशत और सड़कों के लिए 7.7 प्रतिशत रहेगी (सारणी 8, चार्ट 2)। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाभांश के रूप में मिलने वाला लाभ तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों से मिलने वाला लाभ उनके निस्तेज कार्यनिष्पादन के कारण काफी कम रहा है। राज्य सरकारों के करेतर राजस्व के स्तर को बढ़ाने के लिए उचित उपयोगिता प्रभार लगाकर तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करके लागत वसूली बढ़ाने की आवश्यकता है। सेवाएं देने की गुणवत्ता में सुधार से राज्य सरकारें करेतर राजस्व का स्तर बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगी।

चार्ट 2 : चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय से करेतर राजस्व व्यय का अनुपात)

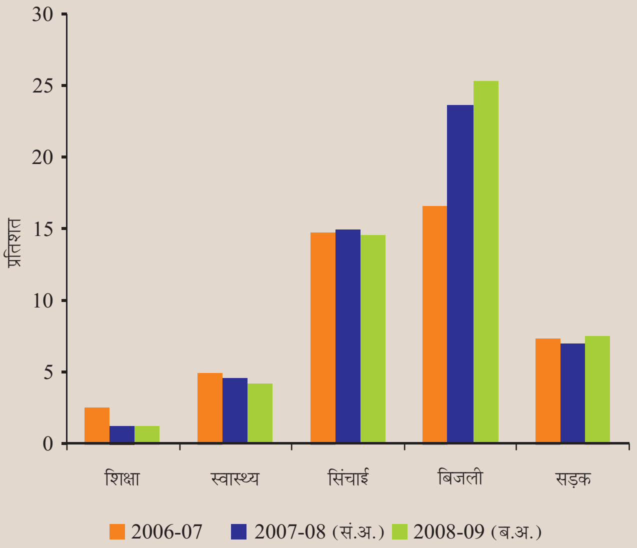

राजकोषीय स्थान पैदा करने के तरीके में से एक तरीका राजस्व में वृद्धि करना है जिसने उधारों से व्यय के वित्तपोषण पर उच्चतम स्पष्ट सीमा के कारण नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत और महत्व प्राप्त कर लिया है (बॉक्स 3)।

सारणी 8: चयनित सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

(प्रतिशत)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ)	2008-09 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. सामाजिक सेवाएं	**2.8**	**3.1**	**3.3**	**3.6**	**3.7**	**4.2**	**5.8**	**4.0**	**3.8**
जिसमे से:									
(क) शिक्षा $	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	1.4	1.4
(ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	4.4
ब. आर्थिक सेवाएं	**25.3**	**27.6**	**30.8**	**26.6**	**39.6**	**33.4**	**32.8**	**32.3**	**38.1**
जिसमें से:									
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.2	14.7
(ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	23.8	25.4
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	7.2	7.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है।

: योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह घडी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है।

@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह मार्ग परिवहन से संबंधित है।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है। अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एक बार की करेतर प्राप्तियां प्राप्त की थीं जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई, ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त राशि, जो करेतर स्वरूप की नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मालमे में 2004-05 करोड़ रु. तथा उत्तराखण्ड सरकार के मालमे में 2004-05 में 134 करोड़ रु.को निकाल दिया गयाा है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट प्रलेखों से संकलित।

बॉक्स 3: उप-राष्ट्रिक सरकारों के संदर्भ में राजकोषीय अंतर

राजकोषीय अंतर एक उभरती संकल्पना है। इसे "व्यय के मौजूदा स्तर और किसी सरकार द्वारा अपनी ऋण शोधन क्षमता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उच्चतम स्तर तक किए जानेवाले व्यय के बीच अंतर के रूप में" परिभाषित किया जा सकता है (अंमुको - विश्व बैंक, 2006)। इसे "उपलब्ध बजटीय गुंजाईश जो सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति की निर्वहनीयता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले एक वांछित प्रयोजन हेतु संसाधन प्रदान करने की अनुमति देती है (हेलर, 2005)।" ये दोनों ही परिभाषाएं अवशिष्ट अर्थों ('अंतर' या 'स्थान') में राजकोषीय अंतर की व्याख्या करती हैं। इसके ठीक विपरीत, घरेलू संसाधन संग्रहण बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत कार्रवाइयां और सक्षम कंपनी संचालन हासिल करने के लिए आवश्यक सुधार 'इन नीतिगत कार्रवाइयों को कारगर होने के लिए संस्थागत और आर्थिक वातावरण' के रूप में भी राजकोषीय अंतर की व्याख्या की जाती है (राय और अन्य, 2007)। इस परिभाषा में घरेलू संसाधन संग्रहण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अंतः किसी अर्थव्यवस्था की वहनीयता और ऋण शोधन क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है (क) वह सीमा जहां तक घरेलू वित्तपोषण व्यवस्था सार्वजनिक व्यय को समर्थन देने में सक्षम है और (ख) यह तथ्य की एक निर्वाहणीय प्रकार से संसाधनों का संग्रहण राजनैतिक आर्थिक संदर्भ का कार्य है जिसके अंदर राजकोषीय अंतर सुरक्षित रहता है।

परिचालनीय रूप से राजकोषीय अंतर एक देश-विशिष्ट मामला है। विकासशील देशों के लिए यह एक तात्कालिक मुद्दा दिखाई दे सकता है क्योंकि यह अतिरिक्त राजकोषीय स्थान उपलब्ध कराएगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी संरचना जैसी कुछ आवश्यक सार्वजनिक व्यय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप मध्यावधि वृद्धि बढ़ेगी और दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था के राजस्व आधार में विस्तार होगा। तथापि, किसी विशेष गतिविधि के लिए राजकोषीय अंतर निर्मित करते समय सरकारों को इस बात का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि क्या इससे जुड़े किसी भावी व्यय को सरकार के सामान्य भावी राजस्व से पूरा किया जा सकेगा। यदि यह राजकोषीय अंतर सरकार के पुराने ऋण को चुकाने के लिए सृजित किया जा रहा है तो सरकार भविष्य में ब्याज बहिर्वाह के कारण पैसा बचा सकती है (तंजी, 2007)। इसके ठीक विपरीत, यदि सरकार के भावी बजट संसाधन सरकार के अनुमानित प्रतिबद्ध व्यय से जुड़े हैं तो यह भविष्य में सरकार के वरीय व्यय हेतु एक नकारात्मक राजकोषीय अंतर पैदा करेगा।

उप-राष्ट्रिक सरकारों के वित्त के संदर्भ में, केन्द्र सरकार की तुलना में उनके अपेक्षाकृत अधिक व्यय को देखते हुए राजकोषीय अंतर महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय अंतर अनेक तरीकों से पैदा किया जा सकता है जैसे कि कर दरों को बढ़ाकर, कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर, निम्न प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती कर के, व्यय कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करके, अतिरिक्त उधार लेकर तथा केन्द्र सरकार से अधिक अंतरण हासिल करके किया जा सकता है (हेलर, 2005)। हालाकि निम्न प्राथमिकतावाले व्यय में कटौती करके राजकोषीय अंतर पैदा करना एक वांछनीय तरीका है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा करने से एक विशेष क्षेत्र कमजोर न होने पाए ताकि भविष्य में उस समस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण की लागतों से बचा जा सके। इसी प्रकार, यदि राजकोषीय अंतर अतिरिक्त उधारों के माध्यम से सृजित किया जाता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक राजस्व पैदा करने की सरकार की क्षमता पर इसके प्रभाव के अर्थ में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

आने वाले दशकों में जनसांख्यिक लाभांशों के लाभ की फसल काटने के लिए भारत में राजकोषीय का सृजन महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि देश में बुनियादी संरचना घाटे पर विजय प्राप्त की जाए। राजकोषीय अंतर सृजन देश के सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचना दोनो ही क्षेत्रों में भारी निवेश प्रारंभ करने योग्य बनाएगा। भारत में, राज्यों के जीएसडीपी से स्व-कर और करेतर राजस्वों का अनुपात बढ़ाना उप-राष्ट्रिक स्तर पर राजकोषीय अंतर निर्मित करने का एक संभावित तरीका होगा। संरचनागत सुधारों द्वारा व्यय पक्ष पर राजकोषीय अंतर निर्मित किया जा सकता हैः (क) सार्वजनिक व्यय में अदक्षता कम करना, अथवा (ख) ऐसे कार्यक्रमों को समाप्त करना जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का कोई ऐसा सशक्त कारण नहीं है और उन्हें निजी क्षेत्र में अंतरित किया जा सकता है। इन सबके अलावा, सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर बनाने से भी अनावश्यक सब्सिडियों को बंद करके भी राजकोषीय अंतर निर्मित किया जा सकता है। इस संबंध में, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (पीएफएम) की गुणवत्ता पर यहां पर जोर देना उपयोगी होगा आदर्श रूप में, बज़ट बनाने, निष्पादन, लेखांकन, रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा हेतु न केवल अच्छी तरह से बनायी हुई पारदर्शि और विधिवत लागू की गयी प्रक्रियाएं होनी चाहिए बल्कि बज़ट के लिए एक सारगर्भित कार्यक्रम वर्गीकरण; ऐसे कार्यक्रमों के लिए भरोसेमंद और सामयिक लागत लेखांकन और उनकी प्रभावशालीता के लिए उचित संकेतक विकसित करने की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रमों की दक्षता (कार्यनिष्पादनों की बेंचमार्किंग करने के माध्यम सहित) का मूल्यांकन सुसाध्य हो सके।

2002-05 के दौरान चली ऋण बदली योजना (डीएसएस) और बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) ने ब्याज भुगतानों पर व्यय घटाकर भारत में राज्य स्तर पर राजकोषीय अंतर पैदा कर दिया है। एफआरएल के अंतर्गत अपनाए गये नियम आधारित ढांचे से राज्यों में राजकोषीय अनुशासन आया है। कुछ राज्यों का यह प्रयाय रहा है कि विशेष प्रयोजन के साधनों (एसपीवी) के माध्यम से निर्धारित राजकोषीय अंतर पैदा किया जाए। राज्य भविष्य में अपने बज़टों पर दबाव को बचाने के लिए विशेष प्रयोजन के साधनों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के प्रति लाभ की दर का मूल्यांकन करने में पर्याप्त सावधानी बरत सकते हैं। हाल ही के वर्षो में राज्य सरकारों ने एक बारगी उपाय भी प्रारंभ किये हैं जैसे कि राजकोषीय अंतर पैदा करने के लिए भूमि एवं संपत्ति की बिक्री। तथापि, यदि ऐसे राजकोषीय अंतर द्वारा वित्त पोषित व्यय भविष्य में और व्यय की मांग करता है तो यह भविष्य में सामान्य बज़ट पर दबाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा बहुत-सी राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से बुनियादी संरचना वित्तपोषण हेतु राजकोषीय अंतर सृजित करने के माध्यम के रूप में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) का उपयोग किया है। पीपीपी के माध्यम से राज्य सरकारें सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बिना ऋण लिये निजी निधियों का लाभ उठा सकती हैं।

संदर्भः

1. भारत सरकार (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज।
2. हेलर पी.एस.(2005),'अंडरस्टैंडिंग फिस्कल स्पेस',पॉलिसी डिस्कशन पेपर, आइएमएफ ।
3. आइएमएफ -वर्ल्ड बैंक (2006), द इंटरिम रिपोर्ट आन फिस्कल पॉलिसी फार ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट, डेंवलपमेंट कमिटी ऑफ द जॉइंट वर्ल्ड बैंक - आइएमएफ बोर्ड ऑन फिस्कल पॉलिसी एण्ड ग्रोथ।
4. भारतीय रिजर्व बैंक (2008), वार्षिक रिपोर्ट
5. रॉय रोथीन और अन्य (2007), 'फिस्कल स्पेस फॉर वॉट? एनालिटिकल इश्युज फ्राम ए ह्यूमन डेवलपमेंट पर्स्पेक्टिव', राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।
6. तंजी वी. (2007), 'कैन फिस्कल डीसैंट्रलाइजेशन क्रिएट फिस्कल स्पेस?' राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।
7. टेरेसा टेर-मिनासियन एण्ड अन्नालिज्न फेडेलिनो (2007),"डज फिस्कल डीसैंट्रलाइजेशन हेल्प क्रिएट फिस्कल स्पेस?" राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, 1-2 जुलाई, इस्तांबुल ।

IV.3.3 राजस्व व्यय

2008-09 के दौरान अनुमान है कि राजस्व व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष के 19.9 प्रतिशत से घटकर 14.1 प्रतिशत हो जाएगी। राजस्व व्यय में होने वाली 85,193 करोड़ रुपए की अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से विकास व्यय में होनेवाली वृद्धि के कारण होगी जो इस वृद्धि में 56.0 प्रतिशत का योगदान देगी। विकासात्मक व्यय में होनेवाली वृद्धि मूलतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास में होनेवाली वृद्धि के कारण होगी (सारणी 9 और परिशिष्ट सारणी 4)। विकासात्मक व्यय के अलावा प्रतिबद्ध व्यय की 13.3 प्रतिशत वृद्धि (अर्थात ब्याज, भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय) राजस्व व्यय में 32.2 प्रतिशत का योगदान देगी। तथापि, अनुमान है कि प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष के 32.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों के मामूली रूप से अपेक्षाकृत कम हिस्से (32.5 प्रतिशत) का पूर्वक्रय कर लेगा (चार्ट 3)।

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां

अनुमान है कि पूंजी प्राप्तियों में बीते वर्ष में 5.9 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए 2008-09 के दौरान 30.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो मुख्य रूप से एनएसएसएफ, आरक्षित निधि (निवल) को जारी की गयी विशिष्ट प्रतिभूतियों और विविध पूंजी प्राप्तियों की राशि में तेज वृद्धि के कारण होगी। बजट अनुमानों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) एनएसएसएफ प्राप्तियां 73.6 प्रतिशत कम रही। अनुमान है कि 2008-09 के दौरान एनएसएसएफ प्राप्तियां 86.8 प्रतिशत बढ़ेंगी। राज्य सरकारों ने ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 16.8 प्रतिशत निम्न रहने का अनुमान लगाया है। अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान केंद्र से सकल ऋण 35.9 प्रतिशत बढ़ जायेंगे (सारणी 7 और परिशिष्ट सारणी 5)।

सारणी 9: राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)							कॉ. 7/6	कॉ. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.1)	5,61,682 (15.7)	6,57,280 (15.9)	7,87,489 (16.7)	8,92,783 (16.8)	19.8	13.4
1. राजस्व व्यय *जिसमें से:*	98,009 (12.7)	1,93,816 (12.4)	3,40,752 (13.4)	4,38,034 (12.2)	5,05,699 (12.2)	6,06,216 (12.9)	6,91,409 (13.0)	19.9	14.1
ब्याज भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	1,02,878 (2.2)	1,08,383 (2.0)	10.4	5.4
2. पूंजी व्यय *जिसमें से:*	24,261 (3.2)	39,625 (2.5)	96,547 (3.6)	1,23,648 (3.5)	1,51,582 (3.7)	1,81,273 (3.8)	2,01,374 (3.8)	19.6	11.1
पूंजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.2)	98,063 (2.4)	1,28,331 (2.7)	1,45,159 (2.7)	30.9	13.1
3. विकास व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (9.2)	3,92,165 (9.5)	4,93,563 (10.5)	5,57,116 (10.5)	25.9	12.9
4. विकासेतर व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.3)	2,11,872 (5.1)	2,41,019 (5.1)	2,75,609 (5.2)	13.8	14.4
5. अन्य*	6,547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.2)	53,243 (1.3)	52,907 (1.1)	60,058 (1.1)	-0.6	13.5

सं.अ. : संशोधित अनुमान   ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है।

टिप्पणी : 1. सघउ का 5 वर्ष का औसत विभिन्न-अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते है।

3. पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं है। परिशिष्ट की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बज़ट दस्तावेज।

चार्ट 3 : ब्याज भुगतानों, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय

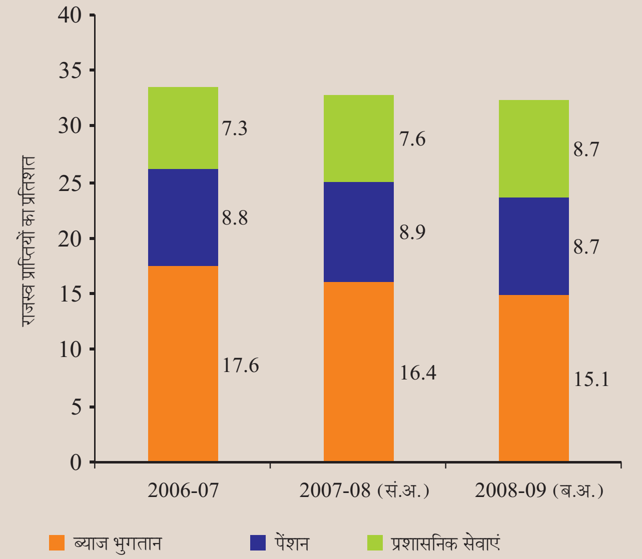

तथापि, केंद्र से ऋणों का लेना धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है क्योंकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारें अपनी पांच वर्षीय योजनाओं के लिए बाजार से उधार लेने का मार्ग अपना रही हैं। राज्यों की कुल पूंजी प्राप्तियों (वसूलियां घटाकर) से अनुपात के रूप में पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक चार्ट 4 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4 : पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक

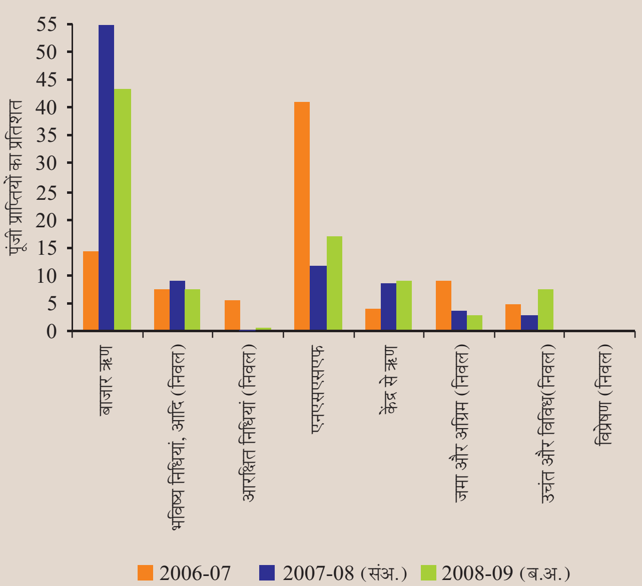

उधार ली गयी निधियों के अलावा दो राज्यों ने जमीन की बिक्री (विनिवेश) के माध्यम से निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार, अनुमान है कि राज्यों की ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 में 6,600 करोड़ रुपए (78.6 प्रतिशत) बढ़ जायेंगी। 2008-09 (ब.अ.) में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत क्रमशः 12,000 करोड़ रुपए और 3,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। राज्य सरकारों ने बाह्य सहायता लेने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिये हैं। तथापि, बाह्य सहायता परियोजनाएं कुछ राज्यों के बीच ही केंद्रित हैं (बॉक्स 4)।

IV.3.5 पूंजी व्यय

अनुमान है कि राज्य सरकारों का सकल पूंजी व्यय पिछले वर्ष की 19.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान 11.1 प्रतिशत रहेगा (सारणी 9 और परिशिष्ट सारणी 9)। पूंजी परिव्यय में वृद्धि पूंजी संवितरणों में वृद्धि का 83.7 प्रतिशत होगी जो मूल रूप से आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय दर्शाती है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय बीते वर्ष के 2.7 प्रतिशत के स्तर पर ही अपरिवर्तित बना रहेगा। राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम जिनमें 4.0 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, को छोड़कर पूंजी व्यय के सभी घटक पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में बढ़ने का अनुमान लगाया है।

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण

अनुमान लनाया गया है कि 2008-09 में केंद्र से संसाधनों का सकल डिवोल्यूशन और अंतरण (अर्थात साझा योग्य कर, अनुदान और ऋण एवं अग्रिम) 16.7 प्रतिशत बढ़कर 3,31,525 करोड़ रुपए हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 7)। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत के तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो जाएगा। यह कहा जा सकता है कि केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 36.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) के दौरान राज्य सरकारों के सकल संवितरणों के 37.1 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे।

बॉक्स 4 : बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

बाह्य सहायता बड़ी बुनियादी संरचना परियोजनाओं, सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा संस्थागत क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के महत्वपूर्ण क्षमतावान स्रोत हैं तथा राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही बड़े आकार की परियोजनाओं हेतु भारी निवेशों के लिए आठवीं योजना से बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं पर निर्भरता बढ़नी आवश्यक हो गई है। बाह्य सहायता मूल रूप से बुनियादी संरचना सुविधाओं जैसे कि सड़कों का विकास, सिंचाई, जल आपुर्ति और बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग की जाती रही है। परिणामस्वरूप, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं अब राज्य के कुल योजना संसाधनों के एक प्रमुख घटक का निर्माण करती हैं। कालांतर में, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का स्कोप पहले से व्यापक हो गया है और राज्य सरकारें बाह्य सहायता के माध्यम से ऊर्जा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, वणिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में आस्तियां खड़ी करने में समर्थ हो गई हैं। बाह्य सहायता विश्व बैंक, युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआइडी), यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), विदेशी आर्थिक सहायता निधि (ओईसीएफ) जर्मनी का केएफडब्ल्यू और कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आइएफएडी) जैसी एजेंसियों से प्राप्त की जाती रही है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में बाह्य सहायता का ढांचा कुछ ही राज्यों के पक्ष में मनमानी रूप से झुका रहा है। केंद्रीय क्षेत्र/बहु-राज्य क्षेत्र परियोजनाएं और कुछ राज्य यथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात का हिस्सा संवितरणों में लगभग 90 प्रतिशत हैं। अन्य राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को किए जानेवाले संवितरण नगण्य हैं।

राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या में सुझाव दिया है कि बाह्य ऋण राज्यों को उन्हीं शर्तों पर आगे दिए जाने चाहिए जिन शर्तों पर वे उधारदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ढांचागत समायोजन सहायता को छोड़कर भारत को बाह्य सहायता परियोजना आधारित है। बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की शर्तें और कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उधारदाता एजेंसियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रहते हैं। परियोजना के स्वरूप, वित्तीय व्यवहार्यता तथा परियोजना की राजस्व अर्जन क्षमता के आधार पर उधारदाता एजेंसियों द्वारा सहायता अनुदान, आसान शर्तों पर दिए जानेवाले ऋण तथा बिना रियायतवाले ऋण प्रदान किए जाते हैं। तथापि राज्यों की परियोजना के लिए प्राप्त बाह्य सहायता सामान्यतः 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत सहायता अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले क्रमशः 10 प्रतिशत और 90 प्रतिशत) आधार पर आगे पास की जाती है। इन पर लागू की जानेवाली ब्याज दरें वे ब्याज दरें रहती हैं जो एकमुश्त ऋणों पर लागू होती हैं। एक ओर जहां कुछ परियोजनाओं के लिए कुछ स्रोतों से मिलनेवाली बाह्य सहायता बेहद रियायती हैं वहीं अन्य मामलों में यह खर्चीली हो सकती है। सहायता को एक जगह पर इकट्ठा करने और रुपए में एक समान ब्याज दर निर्धारित करने की प्रक्रिया में क्रॉस सब्सिडाइजेशन का एक तत्व दो स्तरों पर यथा केंद्र और सभी राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच, रहता है। केंद्र और सभी राज्यों के बीच क्रॉस सब्सिडाइजेशन के मामले में दूसरे की तुलना में एक ओर की लाभ/हानि प्रमुख विदेशी करेंसियों के सामने भारतीय रुपए की मूल्यह्रास की दर पर निर्भर करती है।

भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इन सिफारिशों को कि बाह्य सहायता जिन शर्तों पर प्राप्त हुई थी उन्हीं शर्तों पर उन्हें दी जाएगी, स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हस्ताक्षर की गई नई परियोजनाओं के मामले में बाह्य सहायता 'बैक-टू-बैक' आधार पर हस्तांतरित की जा रही है। तथापि, इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को सेवा की लागत भी अब पास की जा रही है। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों ने अनुरोध किया है कि 90:10 अनुदान और ऋण आधार पर बाह्य सहायता अंतरित करने पुरानी व्यवस्था फिर से कायम की जाए जो 2006 में फिर से लागू कर दी गई है। राज्य सरकारें द्विपक्षीय अथवा बहु-पक्षीय स्रोतों के माध्यम से किसी भी प्रकार से बाह्य सहायता नहीं ले सकती हैं।

राज्यों को बहु-पक्षीय एजेंसियों के माध्यम से दी जानेवाली बाह्य सहायता पारंपरिक रूप से केंद्रीय सहायता के एक अंग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दी जाती रही है जिसकी विदेशी मुद्रा जोखिम केंद्र उठाता रहा है। तथापि, राज्यों द्वारा लिए जानेवाले उधारों में केंद्र की अमध्यस्थीकरण की नीति के एक अंग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को बाह्य सहायता का अंतरण बैक-टू-बैक होना चाहिए। राज्य वित्त सचिवों के सोलहवें सम्मेलन में कुछ राज्य वित्त सचिवों ने सुझाव दिया कि बैक-टू-बैक हस्तांतरण करने की बाह्य सहायता की नीति से उपजनेवाली उनकी विदेशी मुद्रा दर जोखिमों को हेज करने में भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों की सहायता करने में एक परामर्शी भूमिका अदा कर सकता है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19वें सम्मेलन में चर्चाओं के अनुसरण में राज्य सरकार के अधिकारियों के हितार्थ मई 2007 में रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय बाजारों के माध्यम से राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। राज्यों ने अपने बजटों में विदेशी मुद्रा जोखिम से निधियों को अलग रख कर प्रावधान करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी प्रस्ताव रखा है जहां आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक सीएसएफ की तर्ज पर इन निधियों के प्रबंधन में एक भूमिका अदा करेगा। इन प्रस्तावों पर अगस्त 2007 में राज्य वित्त सचिवों के बीसवें सम्मेलन में चर्चा की गई थी (रेड्डी, 2008)।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2008), पोजिशन पेपर ऑन एक्स्टर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय इंडिया, वित्त मंत्रालय, मार्च।
2. रेड्डी, वाई.वी.आर. (2007), ' द रिजर्व बैंक एण्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स : पार्टनर्स इन प्रोग्रेस' आरबीआइ बुलेटिन, अक्तूबर।
3. विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटें।

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय[6]

2008-09 के दौरान अनुमान लगाया गया है कि कुल विकासात्मक व्यय (राजस्व एवं पूंजी) सकल घरेलू उत्पाद के 10.5 प्रतिशत पर आपरिवर्तित बना रहेगा, जबकि विकासेतर व्यय 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 5)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय 2007-08 (सं.अ.) के 62.7 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 62.4 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया है (सारणी 10)। तथापि, कुल विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय तथा विकासात्मक पूंजी परिव्यय का हिस्सा 2007-08 (सं.अ.) के क्रमशः 71.9 प्रतिशत तथा 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 72.3 प्रतिशत और 25.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास मदों पर होनेवाले सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे व्यय को तर्कसंगत बनाने के उचित उपाय करें और मुख्य सार्वजनिक और अच्छे माल के प्रावधान पर जोर दें (बाक्स 5)।

6 आंकड़ा स्रोतों और पद्धतियों से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें।

चार्ट 5 : विकास और विकासेतर व्यय

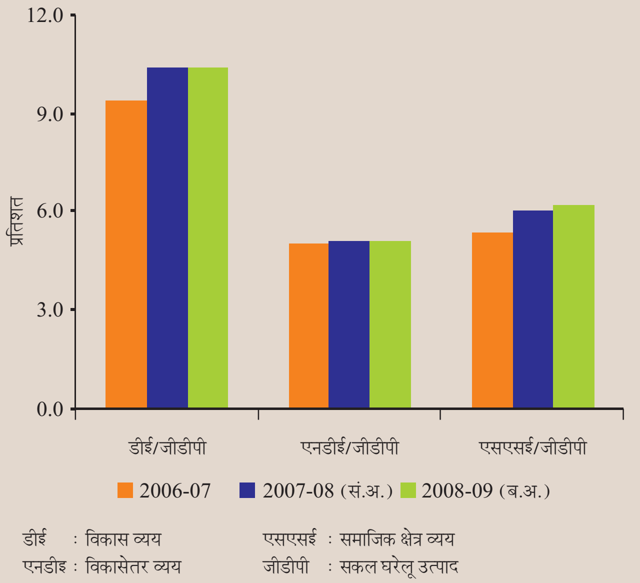

लगभग सभी प्रमुख विकासात्मक शीर्षों (राजस्व और पूंजी व्यय दोनों) की वृद्धि दर घट जाने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में योजनेतर विकासेतर व्यय 2008-09 में 5.0 प्रतिशत पर रखा जाएगा जो पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है(परिशिष्ट सारणी 8-14)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्व से अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय(जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं) जो विगत में बढ़ता रहा है, ने हाल के वर्षों में स्थिर होने के कुछ संकेत दिये हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय के 33.8 प्रतिशत के

सारणी 10 : कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	विकास राजस्व व्यय	विकास पूंजी परिव्यय	विकास ऋण और अग्रिम	कुल विकास व्यय
1	2	3	4	5
2006-07	2,84,797	94,165	13,202	3,92,165
	(43.3)	(14.3)	(2.0)	(59.7)
2007-08 (सं.अ.)	3,55,099	1,22,315	16,149	4,93,563
	(45.1)	(15.5)	(2.1)	(62.7)
2008-09 (ब.अ.)	4,02,810	1,39,013	15,294	5,57,116
	(45.1)	(15.6)	(1.7)	(62.4)

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

आसपास बना रहेगा। स्व-राजस्व से प्रतिशत के रूप में यह 58.0 प्रतिशत के आसपास अटका रहेगा।

IV.3.8 सामाजिक क्षेत्र व्यय[7]

सामाजिक क्षेत्र व्यय (एसएसई) (जिसमें सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न भंडारण एवं वेयर हाउसिंग आते हैं) 2007-08 (सं.अ.) के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों के कुल व्यय (टीई) में सामाजिक क्षेत्र व्यय के हिस्से जिसने इस दशक के प्रथमार्ध में गिरावट दशाई थी, ने हाल के वर्षों में सुधार दर्शाया (चार्ट 6)। 2000-05 के दौरान 32.5 प्रतिशत के औसत से एसएसई-टीई का अनुपात 2006-07 में बढ़कर 33.9 प्रतिशत हो गया। अनुमान है कि 2008-09 के दौरान बढ़कर यह 37.2 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 11 और परिशिष्ट सारणी 15)। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में एसएसई ने हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया और 2008-09 में यह 6.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में एसएसई में पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिमों के हिस्से ने बढ़ने की प्रवृत्ति दशाई। एसएसई में पूंजी परिव्यय का हिस्सा 1990-95 के 4.3 प्रतिशत के औसत स्तर से बढ़कर 2006-07 में 10.1 प्रतिशत हो गया। 2008-09 में यह हिस्सा

चार्ट 6: सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां

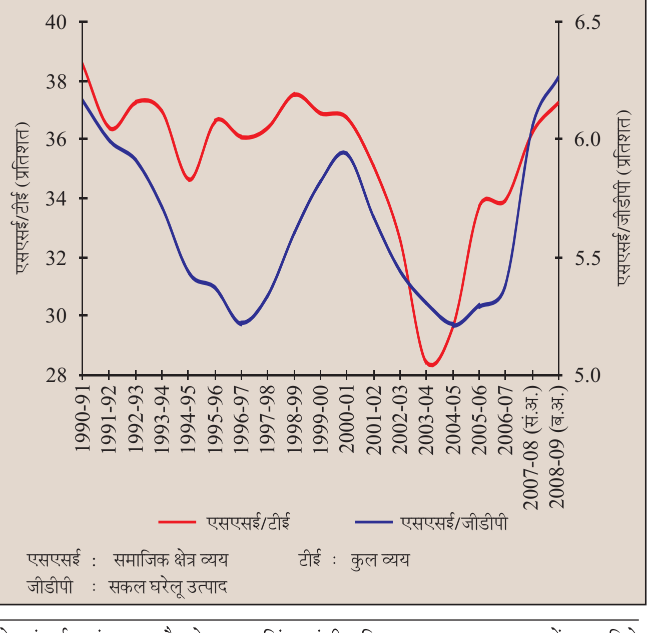

7 सामाजिक क्षेत्र व्यय में सामजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्य पर व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत भंडारण और वेयर हाउसिंग, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋण अग्रिम शामिल हैं।

बॉक्स 5 : राज्य सरकारों के सार्वजनिक व्यय का उभरता स्वरूप

भारतीय संविधान के अनुसार सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक ढांचे से संबंधित व्यय विषयक उत्तरदायित्व अधिकांशतः राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। मानव विकास स्तरों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य केसाथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने की व्यवस्थाओं को सुधारने पर अपने व्यय बढ़ाने पड़ते हैं। घाटे अथवा उधारों द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय को काफी बढ़ाने के संबंध में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के ढांचे के भीतर बजटीय सीमाएं हैं। इसकी वजह से राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक और अन्य विकास व्यय प्रारंभ करने में राजकोषीय स्थान प्राप्त करने के लिए व्यय को तर्कसंगत बनाने के उपायों के साथ-साथ राजस्व प्रणित रणनीति अंगीकृत करने की आवश्यकता पड़ी।

राज्य सरकारों के समेकित व्यय के पैटर्न का मूल्यांकन दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उनका औसत कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजी) 1991-95 के 15.9 प्रतिशत से घटकर 1996-2000 के दौरान 14.5 प्रतिशत हो गया जो राजस्व और पूंजी दोनों ही घटकों ने गिरावट दर्शाता है (सारणी 1)। यह अनुपात 2001-05 में सुधरकर 17.1 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2006-07 में घटकर 15.9 प्रतिशत पर आ गया। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में समग्र व्यय और राजस्व प्राप्तियों को कम करने जिसकी वजह से राज्य वित्त का क्षरण हुआ, के ठीक विपरीत हाल ही की अवधि में एफआरएल ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय समेकन राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा राजस्व व्यय में कमी करके लाया गया है। राज्यों के राजस्व शेषों में परिणामी सुधार से सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजी व्यय में कुछ वृद्धि सुसाध्य हुई है।

सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की सीमा को देखते हुए राज्य सरकारें व्यय सुधार आयोग गठित कर रही है और व्यय को तर्कसंगत बनाने की दिशा में अनेक उपाय प्रारंभ कर रही हैं। तथापि, राज्य सरकारों के व्यय में विकासेतर घटकों के पहले से ही रहे वर्चस्व के परिप्रेक्ष्य में व्यय सुधार उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती बना रहा है। राजकोषीय घाटों के बढ़ते स्तरों के साथ ब्याज भुगतानों ने राज्य सरकारों के व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग निर्मित किया जो 1991-95 के सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत हो गया। हाल ही के वर्षों का सकारात्मक पहलू राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कम करने तथा राज्य सरकारों की देयताओं की पुनर्संरचना की दिशा में उठाए गए उपायों से संबंधित हैं जिन्होंने सकल घरेलू उत्पाद से ब्याज भुगतानों के अनुपात में कमी लाना सुसाध्य बनाया। 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत के उच्च शिखर छूने के बाद ब्याज भुगतान 2006-07 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत पर आ गई जिसका कारण आंशिक रूप से बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण अदलाबदली योजना (2002-05) और ऋण समेकन तथा राहत सुविधा तथा आंशिक रूप से गिरती ब्याज दरें रही हैं। दूसरा, पेंशन देयताएं एक अन्य महत्वपूर्ण स्वनिर्णयकारी घटक रहा है जो 1991-95 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 2001-05 में 1.2 प्रतिशत हो गया। 19 राज्य सरकारों ने परिभाषित अंशदान पर आधारित नई पेंशन योजना प्रारंभ की है जिसने पेंशन देयताओं में स्थिरता लाना शुरू कर दिया है। तीसरा, नब्बे के दशक की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि को रोकने की नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सेवाओं पर होनेवाला व्यय अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहा हैं।

हाल ही के वर्षों में विकास प्रयोजनों हेतु किए जानेवाले व्यय ने सुधार के संकेत दर्शाए। तथापि, यह अभी भी 1990 की शुरुआती वर्षों में हासिल किए गए स्तरों की तुलना में कम है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में औसत विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) 1990-91से 1994-95 के 10.7 प्रतिशत से घटकर 2001-05 के दौरान 9.4 प्रतिशत हो गया लेकिन 2007-08(सं.अ.) में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में औसत सामाजिक क्षेत्र व्यय (सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्यान्न भंडारण तथा वेयरहाउसिंग) 1991-95 और 2001-05 के बीच 5.8 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2007-08 (सं.अ.) में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया।

राज्यों द्वारा किए जानेवाले व्यय का उभरता स्वरूप सार्वजनिक व्यय प्रबंधन उधारों से संबंधित अनेक मुद्दों को सामने लाता है। पहला, राज्यों को एफआरएल के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन (कठोर बजट नियंत्रण) का पालन करना होगा। दूसरा, विकास व्यय की दिशा में आबंटन में सुधार लाने की आवश्यकता है, विशेषकर हाल ही के वर्षों में ऋण चुकौती में गिरावट आने के कारण पैदा हुए राजकोषीय शून्य के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा, राज्य कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स के प्रावधान पर फोकस करके व्यय की प्राथमिकताएं पुनर्निर्धारित कर सकती हैं। अंततः, राज्य सरकारें परिणामों की गुणवत्ता पहुंच और उसके असर के अर्थों में व्ययों को संबद्ध कर सकती है। इस संदर्भ में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की गुणवत्ता का महत्व बढ़ जाता है (देखें बॉक्स 3)।

संदर्भ :

1. भारतीय रिजर्व बैंक (2008), वार्षिक रिपोर्ट
2. शिक, एलेन (2007), 'मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेंडीचर', राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया पेपर, जुलाई 1-2, इस्तांबुल।
3. सेन, टी.के. और के.करमरकर (2007), 'रिप्रायरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडीचर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट', वर्किंग पेपर नं.2, फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी, जून।

सारणी 1 : राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्तियां

(जीडीपी से प्रतिशत)

मद	1990-91 से 1994-95 (औसत)	1995-96 से 1999-00 (औसत)	2000-01 से 2004-05 (औसत)	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
कुल व्यय (1+2)	**15.9**	**14.9**	**17.1**	**15.7**	**15.9**	**16.7**	**16.8**
1. राजस्व व्यय	12.7	12.4	13.4	12.2	12.2	12.9	13.0
जिसमें से :							
क) ब्याज भुगतान	1.7	2.0	2.7	2.3	2.2	2.2	2.0
ख) पेंशन	0.6	0.8	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
ग) प्रशासनिक सेवाएं	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2
2. **पूंजी व्यय**	3.2	2.5	3.6	3.5	3.7	3.8	3.8
जिसमें से :							
क)पूंजी परिव्यय	1.5	1.4	1.6	2.2	2.4	2.7	2.7
ख)राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
ज्ञापन मदें :							
(i) विकास व्यय	10.7	9.4	9.4	9.2	9.5	10.5	10.5
(ii) सामाजिक क्षेत्र व्यय	5.8	5.5	5.5	5.3	5.4	6.1	6.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.:बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 11:राज्य सरकारों के कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मदें	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
		(औसत)				(सं.अ.)	(ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.0	17.1	15.7	15.9	16.7	16.8
साक्षेव्य/सघउ	5.8	5.5	5.5	5.3	5.4	6.1	6.3
साक्षेप/कुल व्यय	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	36.3	37.2

सं.अ.: संशोधति अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान
साक्षेव्यः सामाजिक क्षेत्र सघउ : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर, सामाजिक क्षेत्र व्यय ने 1990-95 के 93.3 प्रतिशत से 2006-07 में 87.8 प्रतिशत आकर क्रमिक गिरावट दर्शाई और अनुमान है कि 2008-09 में यह और गिरकर 83.8 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 12)। सामाजिक सेवाओं पर व्यय (जिसके अंतर्गत बारह उप-शीर्ष) एसएसई के प्रमुख घटक का निर्माण करता है जिसके

सारणी 12: सामाजिक क्षेत्र व्यय के संघटन की प्रवृत्तियां

(साक्षेव्य से प्रतिशत)

मद	राजस्व व्य	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	78.9	3.8	2.4	85.1
ग्रामीण विकास	13.6	0.4	–	14.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.1	–	0.9
जोड़	**93.3**	**4.3**	**2.4**	**100.0**
1995-96 से 1999-00 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	82.2	4.0	2.0	88.2
ग्रामीण विकास	10.2	0.4	–	10.6
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.1	0.1	0.1	1.2
जोड़	**93.4**	**4.5**	**2.1**	**100.0**
2000-01 से 2004-05 (औसत)				
सामजिक सेवाएं	80.8	5.5	2.0	88.3
ग्रामीण विकास	8.7	1.6	–	10.2
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	1.4
जोड़	**90.3**	**7.6**	**2.1**	**100.0**
2005-06				
सामजिक सेवाएं	78.7	7.5	1.1	87.2
ग्रामीण विकास	9.3	2.1	–	11.4
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.9	0.1	0.4	1.4
जोड़	**88.9**	**9.7**	**1.5**	**100.0**
2006-07				
सामजिक सेवाएं	78.3	7.8	1.6	87.7
ग्रामीण विकास	8.7	2.4	–	11.1
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	-0.1	0.5	1.2
जोड़	**87.7**	**10.1**	**2.1**	**100.0**
2007-08 (स.अ.)				
सामजिक सेवाएं	76.2	9.2	2.9	88.3
ग्रामीण विकास	8.2	2.1	–	10.3
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.2	0.5	1.4
जोड़	**85.2**	**11.4**	**3.4**	**100.0**
2008-09 (ब.अ.)				
सामजिक सेवाएं	76.1	9.5	2.4	88.0
ग्रामीण विकास	8.9	2.0	–	11.0
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.5	0.1	0.4	1.0
जोड़	**85.6**	**11.6**	**2.8**	**100.0**

सा.क्षे.व्य : सामाजिक क्षेत्र व्यय स.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान '–' : शून्य/नगण्य
टिप्पणी : आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण जोड़ मेल नहीं मिलेगा।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बाद ग्रामीण विकास और खाद्यान्न भंडारण तथा वेयर हाउसिंग का स्थान आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का हिस्सा जिसने 1990-91 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राज्यों के व्यय का क्रमशः लगभग 52.1 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत का निर्माण किया, ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2008-09 के दौरान इसके क्रमशः 43.3 और 11.0 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर आवास, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसी सेवाओं पर होने वाले व्यय के हिस्से में बढ़ोतरी रही है (सारणी 13)।

IV.3.9 परिचालन एवं रखरखाव तथा मजदूरी और वेतन[8]

सरकार की पूंजी आस्तियों को ठीक-ठाक रखने के लिए परिचालन और रखरखाव का स्तर महत्वपूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग ने आस्तियों के रखरखाव पर होने वाले व्यय का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट अनुदानों की भी सिफारिश की। कुल राजस्व व्यय में परिचालन और रखरखाव व्यय के हिस्से ने वर्षों के दौरान कमोबेश गिरावट दर्शाई। योजना परियोजनाओं से होने वाले लाभ के लिए इसके निहितार्थ हैं। दूसरी ओर, राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का हिस्सा पिछले वर्ष के 27.6 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में बढ़कर 29.4 प्रतिशत हो जाएगा (सारणी 14)। कुल राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक चौथाई से अधिक) राजस्व व्यय में अधोमुखी जड़ता के मूल कारणों में से एक है।

इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा गठित छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सौंप दी है। बहुत सी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण कर रही हैं। कई राज्य सरकारों ने तो अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित किए हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा कि राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाए जाने के बाद नब्बे के दशक के बाद के हिस्से में राज्य वित्तों में क्षरण अनुभव किया। अतः राज्यों को वेतन के स्तरों के संबंध में निर्णय लेते समय सावधान रहना होगा और इसे कर्मचारियों की संख्या,जनसंख्या के आकार और उत्पादक नियोजनों के लिए अपेक्षित पूरक व्यय से संतुलित करना होगा।

सारणी 13: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) - संघटन

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ)
	(औसत)						
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(क) शिक्षा, क्षेत्र, कला एवं संस्कृति	52.2	52.6	51.3	48.2	47.0	43.7	43.3
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	11.0
(ग) परिवार कल्याण	–	2.4	2.0	1.7	1.6	1.6	1.7
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.8	8.2	7.9	8.1	7.2
(ड) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	4.4	4.4
(च) शहरी विकास	2.2	2.7	3.7	4.2	5.7	7.5	9.0
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.5	7.1
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.5	8.3
(त्र) पोषण	1.7	2.7	2.1	2.4	2.5	2.6	2.9
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.5	2.8	3.8	5.2	4.0	2.7	1.9
(ठ) अन्य	2.5	1.9	2.1	2.3	2.3	2.4	2.2

औ : औसतसं. अ : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

8 मजदूरी और वेतन तथा परिचालन और रखरखाव संबंधी आंकड़े सभी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त करने के बाद मिलाये गये हैं।

सारणी 14: राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय - मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.0
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,672	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	58,282	35.9	3.8	14,872	10.3	1.0
1998-99	71,234	37.1	4.1	17,710	9.8	1.0
1999-00	86,285	38.1	4.4	17,522	8.3	0.9
2000-01	94,507	36.3	4.5	19,529	7.9	0.9
2001-02	93,008	34.0	4.1	19,591	7.5	0.9
2002-03	94,717	32.8	3.9	22,438	8.2	0.9
2003-04	98,741	30.0	3.6	25,464	8.1	0.9
2004-05	1,03,924	29.4	3.3	29,164	8.6	0.9
2005-06	1,04,158	29.1	2.9	33,976	9.3	0.9
2006-07	1,16,431	27.5	2.8	41,807	9.8	1.0
2007-08 (सं.अ.)	1,39,395	27.6	3.0	48,635	9.5	1.0
2008-09 (ब.अ.)	1,63,915	29.4	3.1	54,950	9.8	1.0

सं.अ.:संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान

टिप्पणी : 1 विवरण 44 और 45 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है। प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।

2 राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े (स्तंभ 3 और 6) उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित है।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

IV.3.10 राज्य सरकारों का योजना परिव्यय

2008-09 के दौरान राज्य सरकारों का अनुमोदित योजना परिव्यय 2,93,664 करोड़ रुपए (सघउ का 5.5 प्रतिशत) रखा गया है अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह नोट किया जा सकता है कि पिछले वर्ष के 90.2 प्रतिशत की तुलना में गैर विशेष वर्गों के राज्यों का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय 2008-09 के दौरान 91.0 प्रतिशत है। राज्य सरकारों के योजना परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा विवरण 30 में दिया गया है।

IV.4 मूल्यांकन

IV.4.1 समेकित स्थिति

महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों में कमी के अर्थ में राज्य वित्तों में स्थिर और क्रमिक सुधार 2008-09 के लिए राज्य बज़टों में जारी रहने की कल्पना की गयी है। सारणी 15 और चार्ट 7 में दर्शाए गये अनुसार महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति नब्बे के दशक की दूसरी छमाही के दौरान क्रमिक क्षरण रिकार्ड करने के पश्चात हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय राजकोषीय सुधार और समेकन दर्शाती है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र से पहले से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों द्वारा समर्थित नियम-आधारित राजकोषीय नीति का अनुपालन तथा कर उछाल में सुधार ने राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण घाटा संकेतकों को पहले से कम स्तर पर लाने में समर्थ बनाया। अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 28,426 करोड़ रुपए (सघउ का 0.54 प्रतिशत) का राजस्व अधिक्य दर्ज करायेगी। पूंजी परिव्यय और दिये जाने वाले निवल उधारो में वृद्धि के बावजूद यह 15,000 करोड़ रुपए की निवल ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के साथ राज्यों को अपना सकल राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत पर सीमित रखने में सहायक होगा। प्राथमिक घाटा 2007-08 (सं.अ.)(सघउ का 0.11 प्रतिशत) की तुलना में 2008-09 में 810 करोड़ रुपए घटकर 4,270 करोड़ रुपए (सघउ का 0.08 प्रतिशत) होने का अनुमान लगाया गया है।

सारणी 15: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष		प्राथमिक घाटा	
1	2		3		4		5	
1999-00	54,548	(2.8)	90,099	(4.6)	9,907	(0.5)	45,458	(2.3)
2000-01	55,316	(2.6)	87,923	(4.2)	4,331	(0.2)	36,937	(1.8)
2001-02	60,398	(2.7)	94,260	(4.1)	-1,198	(-0.1)	32,665	(1.4)
2002-03	57,179	(2.3)	99,726	(4.1)	-11,848	(-0.5)	30,699	(1.3)
2003-04	63,407	(2.3)	1,20,631	(4.4)	-16,989	(-0.6)	40,235	(1.5)
(पावर बांडों के घटाकर)			94,086	(3.4)				
2004-05	39,158	(1.2)	1,07,774	(3.4)	-47,263	(-1.5)	21,353	(0.7)
2005-06	7,013	(0.2)	90,084	(2.5)	-77,011	(-2.2)	6,060	(0.2)
2006-07	-24,857	(-0.6)	77,508	(1.9)	-1,18,037	(-2.8)	-15,672	(-0.4)
2007-08 (सं.अ.)	-22,526	(-0.5)	1,07,958	(2.3)	-1,25,404	(-2.7)	5,080	(0.1)
2008-09 (ब.अ.)	-28,426	(-0.5)	1,12,653	(2.1)	-1,36,809	(-2.6)	4,270	(0.1)

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) संकेत अधिशेष दर्शाता है।
2. कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत हैं।
3. राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटानी योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बांड जारी किए है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार

समेकित स्तर पर सभी राज्यों ने राजस्व अधिक्य सघउ का 0.54 प्रतिशत तथा सकल राजकोषीय घाटा सघउ के 2.1 प्रतिशत पर अनुमानित किया है। तथापि, राजस्व लेखे और सकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण दर्शाता है कि राज्यों के बीच भारी भिन्नताएं हैं। 2008-09 के दौरान पच्चीस राज्य सरकारों ने राजस्व अधिक्य

चार्ट 7: प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

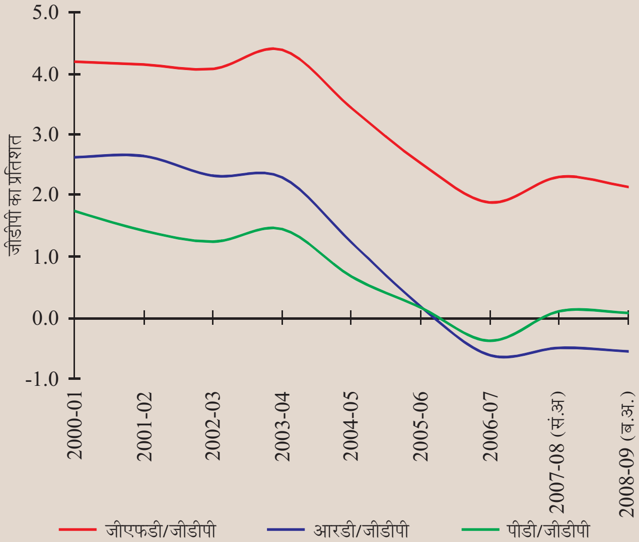

जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
आरडी : राजस्व घाटा पीडी : प्राथमिक घाटा

वाले बजट प्रस्तुत किये है और शेष तीन राज्यों ने राजस्व घाटे वाले बजट प्रस्तुत किये हैं। सत्रह राज्यों ने अपना सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान लगाया है।

जहां तक राजस्व लेखे में समग्र सुधार की बात है, यह कुछ राज्यों के अनुमानित आधिक्य के आस-पास ही घूमता है (सारणी 16)। 2008-08 (ब.अ.) के दौरान विशेष वर्ग के राज्य राजस्व लेखे में 74.2 प्रतिशत सुधार के लिए उत्तरदायी होंगे। विशेष वर्ग के राज्यों के बीच कुछ प्रमुख योगदानकर्ता हैं, असम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड जिन्होंने क्रमशः 2063 करोड़ रुपए, 1174 करोड़ रुपए और 687 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। गैर विशेष वर्ग के राज्यों के बीच झारखंड, उत्तरप्रदेश और राजस्थान ने क्रमशः 3684 करोड़ रुपए, 1963 करोड़ रुपए, 1277 करोड़ रुपए और 936 करोड़ रुपए का सुधार राजस्व अधिशेष में अनुमानित किया है। राज्यों के समेकित राजस्व शेष में सुधार काफी हद तक पूर्व लिखित राज्यों के निष्पादन पर निर्भर करेगा।

राजस्व लेखे में सुधार के बावजूद सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (सं.अ.) के 1,07,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 1,12,653 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि, सघउ के प्रतिशत के रूप में यह 2.3 प्रतिशत से घटकर 2.1

सारणी 16: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार - 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल से प्रतिशत	2007-08 (सं.अ.) की तुलना में सुधार (करोड़ रुपए)	कुल से प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-259	17.0	421	5.8
2. बिहार	-820	53.8	-250	-3.5
3. छत्तीसगढ़	11	-0.7	146	2.0
4. गोवा	-222	14.6	82	1.1
5. गुजरात	2,287	-150.0	2,665	36.9
6. हरियाणा	80	-5.3	317	4.4
7. झारखंड	-3,684	241.6	-3,931	-54.5
8. कर्नाटक	1,454	-95.4	944	13.1
9. केरल	-1,277	83.8	-1,275	-17.7
10. मध्य प्रदेश	517	-33.9	243	3.4
11. महाराष्ट्र	1,795	-117.7	2,839	39.4
12. उड़ीसा	1,118	-73.4	1,423	19.7
13. पंजाब	310	-20.3	720	10.0
14. राजस्थान	-936	61.4	-319	-4.4
15. तमिलनाडु	832	-54.5	2,381	33.0
16. उत्तर प्रदेश	-1,963	128.7	1,415	19.6
17. पश्चिम बंगाल	-768	50.4	-608	-8.4
कुल (क)	**-1,525**	**100.0**	**7,214**	**100.0**
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	-275	6.3	-974	38.7
2. असम	-2,063	47.2	-1,462	58.0
3. हिमाचल प्रदेश	-115	2.6	603	-23.9
4. जम्मू और कश्मीर	-1,174	26.8	-420	16.7
5. मणिपुर	10	-0.2	25	-1.0
6. मेघालय	-14	0.3	42	-1.7
7 मिजोरम	203	-4.6	-7	0.3
8. नागालैंड	-117	2.7	-259	10.3
9. सिक्किम	-19	0.4	109	-4.3
10. त्रिपुरा	-124	2.8	276	-11.0
11. उत्तराखंड	-687	15.7	-451	17.9
कुल (ख)	**-4,375**	**100.0**	**-2,519**	**100.0**
कुल योग (क+ख)	**-5,899**	**100.0**	**4,695**	**100.0**
ज्ञापन मदें:				
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1,373	–	-371	–
2. पदुचेरी	652	–	595	–

स.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
टिप्पणी : नकारात्मक (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

प्रतिशत आ जाएगा। समेकित स्तर पर सकल राजकोषीय घाटा में हुई 4,695 करोड़ रुपए की वृद्धि पूरी तरह से गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के योगदान (7,214 करोड़ रुपए) के कारण होगी, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटा में (2,519 करोड़ रुपए) की कमी का अनुमान लगाया है। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र (2,839 करोड़ रुपए), गुजरात (2,665 करोड़ रुपए) और तमिलनाडु (2,381 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि प्रस्तावित की है। तथापि, 2008-09 (ब.अ.) के दौरान झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल ने सकल राजकोषीय घाटे में क्रमशः 3,931 करोड़ रुपए, 1,275 करोड़ रुपए और 608 करोड़ रुपए का सुधार प्रस्तावित किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में से असम (1,462 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (451 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्ष की तुलना में कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश (603 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (276 करोड़ रुपए) और सिक्किम (109 करोड़ रुपए) ने सकल राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रस्तावित की है। इस प्रकार, 2008-09 के दौरान राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा काफी हद तक गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में झारखंड और केरल तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में असम के राजकोषीय निष्पादन पर निर्भर करेगा।

IV.4.3 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन और वित्तीयन

पहले से बेहतर राजस्व आधिक्य तथा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों ने राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन बदल दिया है। सभी राज्य सरकारों के बज़ट दस्तावेजों के आधार पर उनके समेकित सकल राजकोषीय घाटे का वियोजन दर्शाता है कि राजस्व लेखे का आधिक्य 2007-08 (सं.अ.) के 20.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में 25.2 प्रतिशत तक सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करेगा। ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां 2007-08 (सं.अ.) के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (ब.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे के 13.3 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगी। तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटे में पूंजी परिव्यय का हिस्सा 118.9 प्रतिशत से बढ़कर 128.9 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 16)।

एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतिया की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे के प्रमुख स्रोत बाजार उधारों, जोकि विगत कुछ वर्षों में सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण का प्रमुख स्त्रोत होती थी, के रूप में उभरने के साथ ही राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप (पैटर्न) में संघटनीय परिवर्तन हुआ है। अल्प बचतों के अंतर्गत संग्रहों में तेज कमी के चलते एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों ने 2006-07 (लेखा) के 72.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे के मात्र 8.8 प्रतिशत की वित्तपोषण किया।

अनुमानप है कि एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां 2008-09 में सकल राजकोषीय घाटे के 19.6 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगी जबकि बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे के 56.7 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे (सारणी 17)। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि बारहवें वित्त आयोग ने केंद्र से दिये जानेवाले ऋणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की सिफारिश की है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि केंद्र से दिए जानेवाले ऋण 2006-07 के 8,887 करोड़ रुपए की निवल चुकौती की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 3,435 करोड़ रुपए की सीमा तक राज्यों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करेंगे। अनुमान है कि 2008-09 में ऐसे ऋण बढ़कर 6,942 करोड़ रुपए हो जाएंगे (परिशिष्ट सारणी 17-18)।

IV.4.4 बजटीय आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट बनाम केंद्रीय बजट

तीन वर्षों के राज्य बजटों के साथ केंद्रीय बजट का अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्य में सामान्यतः केंद्र से अनुदान सहायता का अधिक अनुमान लगाते हैं जबकि राज्य बजटों में बंटवारे योग्य करों की राशि कम अनुमानित की जाती है। जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तीयन का संबंध है, 2008-09 के राज्य बजटों में एनएसएसएफ से हानेवाले प्रवाह कम अनुमानित किए गए हैं। बजट के इन शीर्षों के लिए राज्य बजटों और केंद्र बजट के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़ों में अंतर सारणी 18 में दिए गए हैं।

सारणी 17: सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण - 2006-07 (लेखा) से 2007-08 (ब.अ.)

(जीएफडी के प्रति प्रतिशत)

मद	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3-4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. सकल राजकोषीय घाटा	-32.1	-20.9	-25.2
2. पूंजी परिव्यय	126.5	118.9	128.9
3. दिए गए निवल उधार	8.0	9.8	9.7
4. ऋणेतर पूंजी प्राप्तियां	2.5	7.8	13.3
वित्तपोषण (1 से 11)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. बाजार उधार	16.9	58.9	56.7
2. केंद्र से ऋण	-11.5	3.2	6.2
3. अल्प बचत/राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	72.3	8.8	19.6
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंको से ऋण	5.1	6.8	6.5
5. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	13.4	11.3	11.5
6. आरक्षित निधि	9.8	-8.9	1.1
7. जमाराशि और अग्रिम	16.5	4.7	4.3
8. उचंत और विविध	6.0	-4.5	-1.6
9. विप्रेषण	-0.4	-0.3	0.1
10. अन्य	-7.1	-2.2	-2.2
11. समय अधिशेष (-) / घाटा (+)	-21.1	22.3	-2.1

स.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: अनुमान

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी की टिप्पणियां देखें।

2 'अन्य' में क्षतिपूर्ति व अन्य बांड, संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2008-09 के राज्य बजटों में केंद्र से साझा योग्य करों के 5,618 करोड़ रुपए के कम आकलन तथा 24,129 करोड़ तक

सारणी 18: बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रुपए)

मदें	2006-07 (ब.अ.)			2007-08 (ब.अ.)			2008-09 (ब.अ.)		
	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *	राजस्व बजट	केंद्रीय बजट	अंतर *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र से मिलनेवाले साझा कर	1,09,420	1,13,448	-4,028 -(3.6)	1,36,184	1,42,450	-6,267 -(4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 -(3.1)
2. सहायता अनुदान	99,291	83,098	16,193 (19.5)	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	4,827	-2,507	7,334 -(292.6)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)
4. एनएसएसएफ (निवल)	59,141	83,490	-24,349 -(29.2)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)

ब.अ.: बजट अनुमान

*: (-)/ सकारात्मक (+) संकेत केंद्रीय बजट के अनुमानों की तुलना में राज्य बजटों में राज्य बजटों में कम आकलन/अधिक आकलन बताते हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में घटबढ़ हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के बजट दस्तावेज।

अधिक अनुदानों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व प्राप्तियों का स्तर राज्य सरकारों द्वारा बज़ट में अनुमानित स्तर से भिन्न होगा। अतः राज्य सरकारों द्वारा बजटों में लगाए गए अनुमानों से राज्यों का राजस्व अधिशेष और सकल राजकोषीय घाटा भिन्न होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व अधिशेष की समेकित स्थिति (2008-09 के उनके बजटों के अनुसार) 0.5 प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि सकल राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 2008-09 के केंद्रीय बजट के साथ राज्य बजटों का मूल्यांकन दर्शाती है कि सहायता अनुदान 20.3 प्रतिशत अधिक अनुमानित किए गए है और साझा योग्य केंद्रीय कर 3.1 प्रतिशत कम अनुमानित किए गए हैं। केंद्रीय बज़ट 2008-09 के आंकड़ों के सामायोजन पर राज्य सरकारों का राजस्व अधिशेष 9,915 करोड़ रुपए पर कम होगा (सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत)। तदनुरूप से सकल राजकोषीय घाटा 1,31,164 करोड़ रुपए पर अधिक रखा जाएगा (सकल राजकोषीय घाटा का 2.5 प्रतिशत)।

सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण के संबंध में केंद्र से ऋण एवं अग्रिमों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का 2008-09 के राज्य बजटों में क्रमशः 5,463 करोड़ रुपए और 3,418 करोड़ रुपए अधिक अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों की इन बजट मदों के ऐसे अधिक/कम अनुमान लगाने के कारण सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन पैटर्न विकृत हो जाता है। केंद्र से ऋणों के आंकड़ों और 2008-09 के केंद्रीय बजट के आधार पर एनएसएसएफ से प्रवाहों तथा बाजार उधारों के आबंटन (रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार) को हिसाब में लेते हुए राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटा का समेकित वित्तीयन पैटर्न सारणी 19 में दिया गया है। सकल राजकोषीय घाटा के वित्तीयन में एनएसएसएफ, बाजार उधारों तथा

सारणी 19: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (समायोजित)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09 (ब.अ.)		घट-बढ़	
	राज्य बज़ट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	**1,12,653 (100.0)**	**1,31,164 (100.0)**	**18,511**	**16.4**
1. बाजार उधार*	63,842 (56.7)	57,103 (43.5)	-6,739	-10.6
2. केंद्र से उधार@	6,942 (6.2)	1,479 (1.1)	-5,463	-78.7
3. एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां@	22,044 (19.6)	18,626 (14.2)	-3,418	-15.5
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	7,360 (6.5)	7,360 (5.6)	–	–
5. अल्प बचत और भविष्य निधि, आदि	13,001 (11.5)	13,001 (9.9)	–	–
6. प्रारक्षित निधियां	1,203 (1.1)	1,203 (0.9)	–	–
7. जमाराशि और अग्रिम	4,813 (4.3)	4,813 (3.7)	–	–
8. उचंत और विविध	-1,851 -(1.6)	-1,851 -(1.4)	–	–
9. विप्रेषण	85 (0.1)	85 (0.1)	–	–
10. अन्य	-2,429 -(2.2)	-2,429 -(1.9)	–	–
11. समग्र आधिक्य (-)/घाटा (+)	-2,358 -(2.1)	31,774 (24.2)	34,132	-1,447.6

* : आंकड़े 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटनों के अनुसार समायोजित किये गये हैं।

@ : आंकड़े केंद्रीय बजट 2008-09 के अनुसार समायोजित किये गये हैं। ब.अ. : बजट अनुमान '–' : शून्य

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े जीएफडी का प्रतिशत हैं।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज तथा रिज़र्व बैंक के अभिलेख।

केंद्र से ऋण प्रवाह के हिस्से में गिरावट आई हैं। इस प्रकार, केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजटों के बजट अनुमानों में अंतर सही अर्थों में राजकोषीय विश्लेषण करने में समस्याएं खड़ी करता है।

V. राजकोषीय निष्पादन का राज्य-वार मूल्यांकन

राज्य सरकारों के समेकित आंकड़ों पर आधारित विश्लेषपण उस घट-बढ़ को छुपा लेता है जो राज्यों के बीच मौजूद रहता है। इस खंड में 2004-07(औसत) की तुलना में 2007-08 के लिए संशोधित अनुमानों के आधार पर राजकोषीय स्थिति का राज्यवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण विभिन्न राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिन्हें मौटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, (i) घाटा संकेत (ii) राजस्व लेखा (iii) व्यय स्वरूप (राजस्व और पूंजी दोनों) और (iv) प्रति व्यक्ति व्यय। पहले तीन भागों में राजकोषीय संकेतक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी9) के अर्थ में व्यक्त किये गये हैं जबकि चौथे भाग में जीएसडीपी के अलावा सकल व्यय और जनसंख्या10 राजकोषीय चरों के लिए हर के रूप में भी उपयोग की गयी है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के राजकोषीय चरों से संबंधित आंकड़े भी ज्ञापन मद के रूप में इन सारणियों में दिये गये हैं। विभिन्न राजकोषीय संकेतकों से संबंधित राज्य-वार विस्तृत आंकड़े विवरण 1 से 48 में दिये गये हैं।

V.1 राज्य सरकारों से घाटा संकेतक

इस खंड में 2004-07 (औसत) से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान राज्यों के घाटा संकेतकों अर्थात राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) का विश्लेषण किया गया है। गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए जीएसडीपी से अनुपात के रूप में आरडी, जीएफडी, पीडी और प्राथमिक राजस्व संतुलन (पीआरबी) से संबंधित आंकड़े सारणी 20 (विवरण 1 से 5 भी देखें) में दिये गये हैं।

V.1.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटा समाप्त करने के संबंध में बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य को हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी राज्य-वार विश्लेषण एक भिन्न स्थिति दर्शाता है। गैर विशेष श्रेणी के सत्रह राज्यों में से 2004-07 (औसत) के दौरान सात राज्यों की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में तेरह राज्यों ने राजस्व अधिशेष रिकार्ड किया है। चार राज्यों यथा केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटा दर्ज किया था। यद्यपि कर्नाटक और तमिलनाडु राजस्व अधिशेष में बने हुए थे लेकिन फिर भी 2004-07(औसत) की अपनी संबंधित स्थिति की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजस्व खातों ने क्षरण दर्ज किया।

2007-08 में बिहार में जीएसडीपी के 3.6 प्रतिशत पर सर्वोच्च राजस्व अधिशेष दर्ज किया उसके बाद छत्तीसगढ़ (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 8)। इन राज्यों का उच्च स्तरीय राजस्व अधिशेष इन्हें अपना पूंजी व्यय वित्त पोषित करने में सहायक होगा और इस प्रकार उधार ली गयी निधियों पर से निर्भरता कम करेगा। इस इंद्रधनुष के दूसरे छोर पर केरल ने जीएसडीपी के 3.1 प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व घाटा दर्ज किया जिसके बाद पश्चिम बंगाल (जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत), झारखंड (जीएसडीपी का 1.9 प्रतिशत) और पंजाब (जीएसडीपी का 1.2 प्रतिशत) का स्थान रहा।

2007-08 (सं.अ.) में 9 राज्यों ने जीएफडी -जीएसडीपी की अनुपात को 3 प्रतिशत तक घटाकर टीएफसी लक्ष्य हासिल कर लिया जो कि संस्तुत समय सीमा से 2 वर्ष पहले। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में 7 राज्यों में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात नीचे आ गया है। उन राज्यों के बीच जहां इसी अवधि के दौरान जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दिखाई दी है, झारखंड, केरल और गोवा की स्थिति ध्यान देने योग्य है क्योंकि जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के संबंध में टीएफसी लक्ष्य से वे

9 इस अध्ययन में उपयोग किया गया वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद मुख्य रूप से केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिया गया है। जहां कहीं भी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास आंकड़ें नहीं थे वहां संबंधित राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में दिये गये अनुमानों से लेकर उपयोग किये गये हैं जो उन्होंने रिजर्व बैंक को भेजे थे। इसके अलावा, जहां कही भी ये संबंधित राज्य सरकार से नहीं मिले थे वहां तीन वर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर के आधार पर अनुमानित किये गये हैं।

10 वर्ष 2007-08 के लिए भारत की जनगणना द्वारा राज्यवार जनसंख्या के आंकड़े इस अध्ययन में उपयोग किये गये हैं।

सारणी 20: राज्य सरकारों के घाटा संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*				2007-08 (सं.अ.)			
	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी	आरडी/ जीएसडीपी	जीएफडी/ जीएसडीपी	पीआरबी/ जीएसडीपी	पीडी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	0.1	3.2	-2.9	0.2	-0.1	3.0	-2.9	0.2
2. बिहार	-1.4	3.2	-5.7	-1.1	-3.6	3.4	-7.3	-0.2
3. छत्तीसगढ़	-2.5	1.1	-4.5	-0.9	-2.6	2.6	-4.3	1.0
4. गोवा	0.1	4.4	-3.0	1.4	0.0	4.6	-2.9	1.7
5. गुजरात	0.6	3.3	-2.4	0.3	-0.8	1.7	-3.3	-0.8
6. हरियाणा	-0.7	0.2	-2.8	-1.8	-1.0	1.2	-2.6	-0.4
7. झारखंड	2.0	7.3	0.8	6.0	1.9	8.0	-0.6	5.5
8. कर्नाटक	-1.6	2.4	-3.9	0.0	-1.4	2.8	-3.6	0.6
9. केरल	2.7	3.5	-0.6	0.3	3.1	4.6	-0.1	1.4
10. मध्य प्रदेश	-1.4	4.0	-4.6	0.9	-2.4	3.2	-5.3	0.2
11. महाराष्ट्र	1.1	3.8	-1.1	1.5	-0.5	1.8	-2.6	-0.3
12. उड़ीसा	-0.8	0.5	-5.1	-3.8	-1.6	1.1	-5.5	-2.8
13. पंजाब	2.0	3.4	-1.6	-0.2	1.2	3.6	-1.9	0.5
14. राजस्थान	0.6	4.1	-3.6	-0.1	-0.1	3.3	-3.7	-0.3
15. तमिलनाडु	-0.5	1.8	-2.7	-0.4	-0.3	2.5	-2.4	0.4
16. उत्तर प्रदेश	0.6	4.0	-3.2	0.2	-2.6	3.0	-5.8	-0.2
17. पश्चिम बंगाल	3.4	4.5	-0.9	0.2	2.6	3.9	-1.1	0.2
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	-8.8	6.4	-14.2	1.1	-17.6	9.2	-22.6	4.2
2. असम	-1.8	0.7	-4.4	-1.8	-0.1	4.3	-2.7	1.8
3. हिमाचल प्रदेश	1.3	4.7	-5.1	-1.7	0.1	4.2	-5.3	-1.3
4. जम्मू और कश्मीर	-6.6	5.0	-11.2	0.4	-6.9	8.1	-13.2	1.8
5. मणिपुर	-5.3	7.0	-9.9	2.4	-15.9	1.5	-19.9	-2.5
6. मेघालय	-1.2	3.0	-4.1	0.1	-6.7	1.1	-9.6	-1.9
7. मिजोरम	-5.1	10.2	-12.4	2.9	-11.8	4.2	-17.3	-1.3
8. नागालैंड	-4.5	3.6	-8.5	-0.5	-5.6	6.0	-9.1	2.6
9. सिक्किम	-10.9	8.2	-16.7	2.4	-18.9	11.6	-24.5	5.9
10. त्रिपुरा	-6.7	0.9	-10.7	-3.1	-5.8	4.7	-9.2	1.3
11. उत्तराखंड	0.5	6.6	-2.8	3.3	-3.2	4.7	-6.6	1.2
सभी राज्य #	**0.3**	**2.6**	**-2.2**	**0.2**	**-0.5**	**2.3**	**-2.7**	**0.1**
ज्ञापन मदें :								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-3.6	0.6	-5.3	-1.1	-3.8	1.7	-5.7	-0.2
2. पदुचेरी	0.3	5.6	-2.7	2.6	3.4	7.3	0.3	4.2

स.अ. : संशोधित अनुमान; आरडी : राजस्व घाटा
जीएफडी : प्राथमिक राजस्व संतुलन; पीडी : प्राथमिक घाटा; पीआरबी : सकल राजकोषीय घाटा
जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े सघउ के प्रतिशत के रूप में हैं।
टिप्पणी : नकारात्मक (-) चिह्न आधिक्य दर्शाता है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

अभी भी दूर हैं। उड़ीसा ने 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के 1.1 प्रतिशत का न्यूनतम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया है, उसके बाद हरियाणा (जीएसडीपी का 1.2 प्रतिशत) गुजरात (जीएसडीपी का 1.7 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (जीएसडीपी का 1.8 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 9)। यद्यपि टीएफसी लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण है, टीएफसी लक्ष्य के लगभग आधे तक जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को घटाकर लाने का अर्थ है इन राज्यों द्वारा सुरक्षित स्थिति में पहुंचना और व्यय के वित्तपोषण हेतु उधार लेने से बचना। दूसरी ओर झारखंड की स्थिति 2007-08 (सं.अ.) में 8.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के साथ उसे एकदम अलग खड़ा करती है। 2007-08 (सं.अ.) में केरल और गोवा ने 4.6 प्रतिशत का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (3.9 प्रतिशत) का स्थान रहा।

2007-08 (सं.अ.) में पूंजी परिव्यय 13 राजस्व आधिक्यवाले राज्यों की संबंधित सकल राजकोषीय घाटे से अधिक

चार्ट 8: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-)

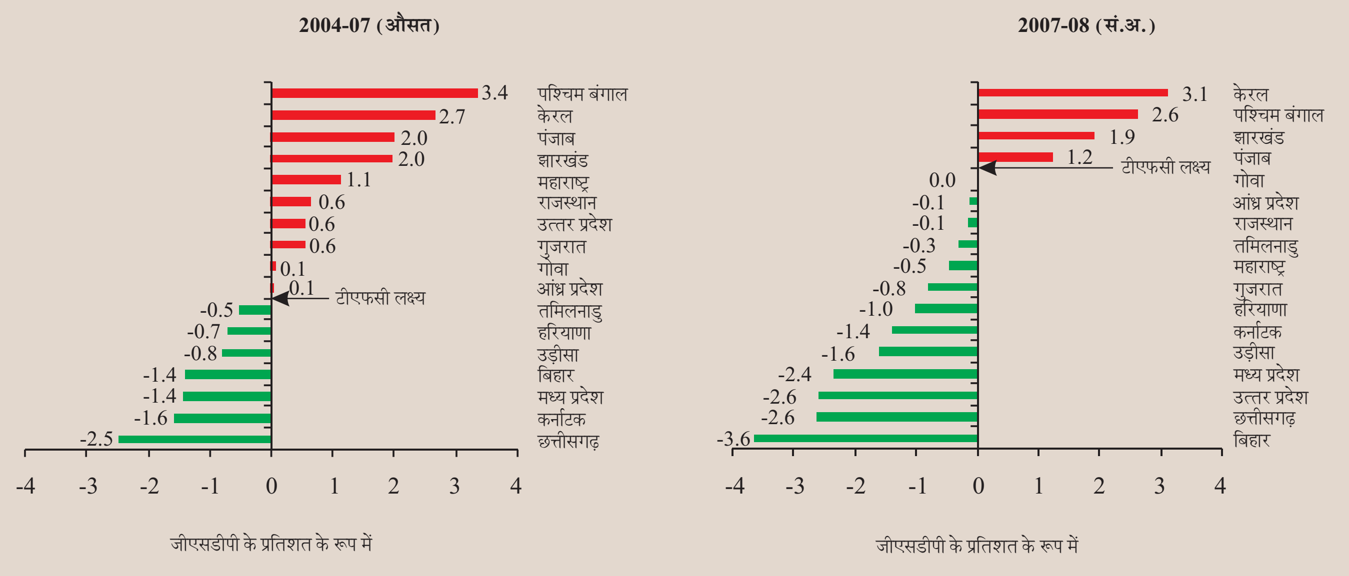

था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश (8,200 करोड़ रुपए) और कर्नाटक (200 करोड़ रुपए) में विनिवेश और भूमि तथा संपत्ति की बिक्री से एकल प्राप्तियों ने भी इन राज्य सरकारों को 2007-08 (सं.अ.) में अपनी सकल राजकोषीय घाटे नीचे लाने में सहायता दी।

2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने प्राथमिक राजस्व आधिक्य (पीआरएस) दर्ज किया। तथापि, 4 राज्यों यथा केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में प्राथमिक राजस्व आधिक्य और राजस्व घाटा दोनों की मौजूदगी का निहितार्थ यह है कि 2007-08 (सं.अ.) में इन राज्यों में पीआरएस इतना नहीं था कि उससे ब्याज भुगतान देयताओं का वित्तपोषण किया जा सके। 2007-08 (सं.अ.) में पीआरएस में केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 25.1 प्रतिशत, 28.9 प्रतिशत और 61.2 प्रतिशत के ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण किया (चार्ट 10)। यह तथ्य इन राज्यों में और राजकोषीय सुधार तथा राजस्व लेखे के संबंध में समेकन हेतु राजस्व बढ़ाने की महत्व को रेखांकित करता है।

चार्ट 9 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

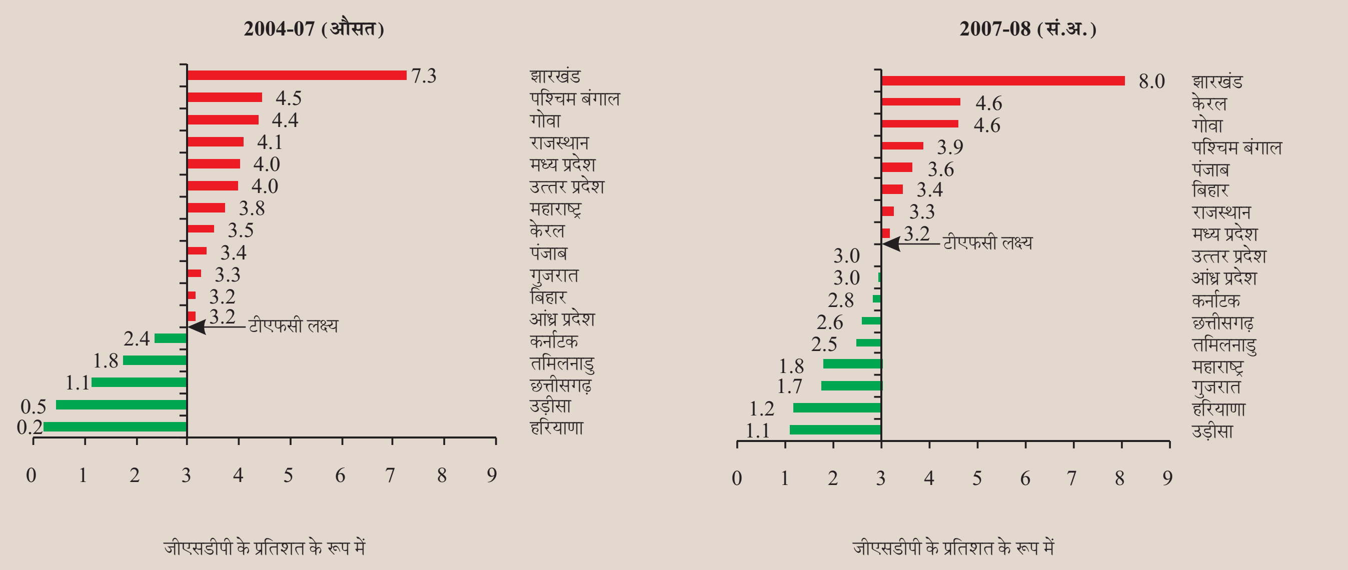

चार्ट 10: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण

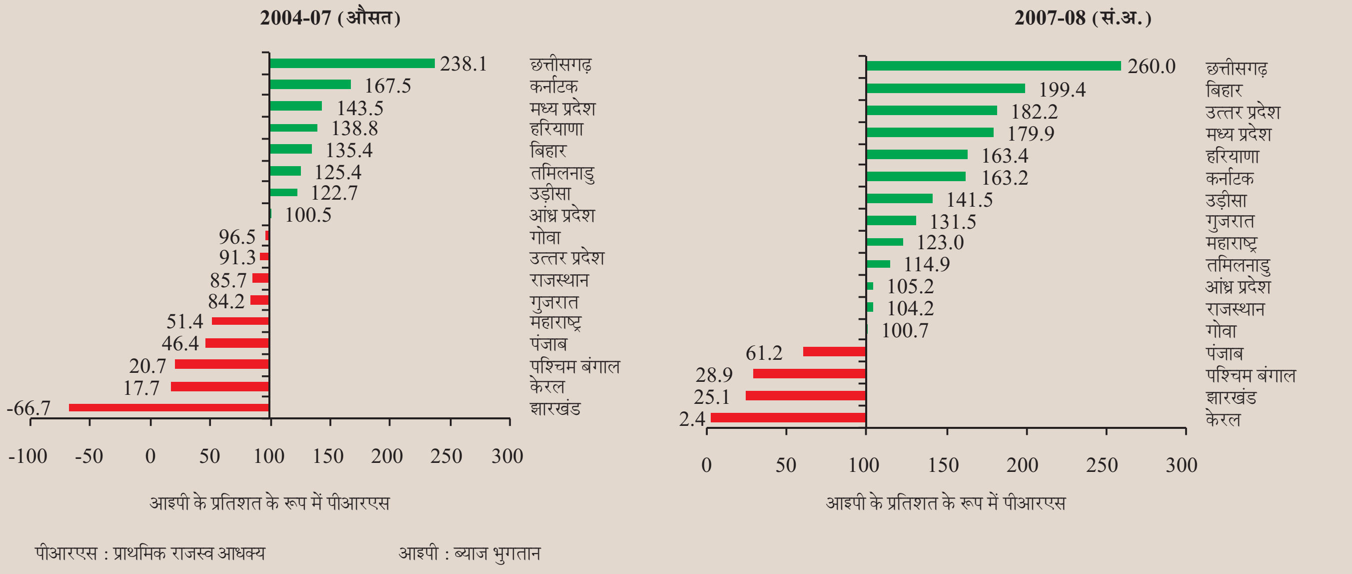

गैर विशेष श्रेणी के 17 राज्यों में से 7 राज्यों ने 2007-08 (सं.अ.) में प्राथमिक आधिक्य दर्ज कराया। उड़ीसा ने जीएसडीपी के 2.8 प्रतिशत का सर्वोच्च प्राथमिक आधिक्य दर्ज किया और उसके बाद गुजरात (0.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। झारखंड ने जीएसडीपी के 5.5 प्रतिशत का सर्वोच्च प्राथमिक घाटा दर्ज किया और उसके बाद गोवा (1.7 प्रतिशत) और केरल (1.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

V.1.2 विशेष श्रेणी के राज्य

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के 11 राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने 2004-07 (औसत) के दौरान 9 राज्यों की तुलना में राजस्व अधिशेष दर्ज किया (सारणी 20, चार्ट 11)। तथापि, असम और त्रिपुरा ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में कमतर राजस्व अधिशेष दर्ज किया। 2007-08(सं.अ.) में सिक्किम ने जीएसडीपी के 18.9

चार्ट 11: विशेष श्रेणी के राज्यों का राजस्व घाटा (+)/आधिक्य (-)

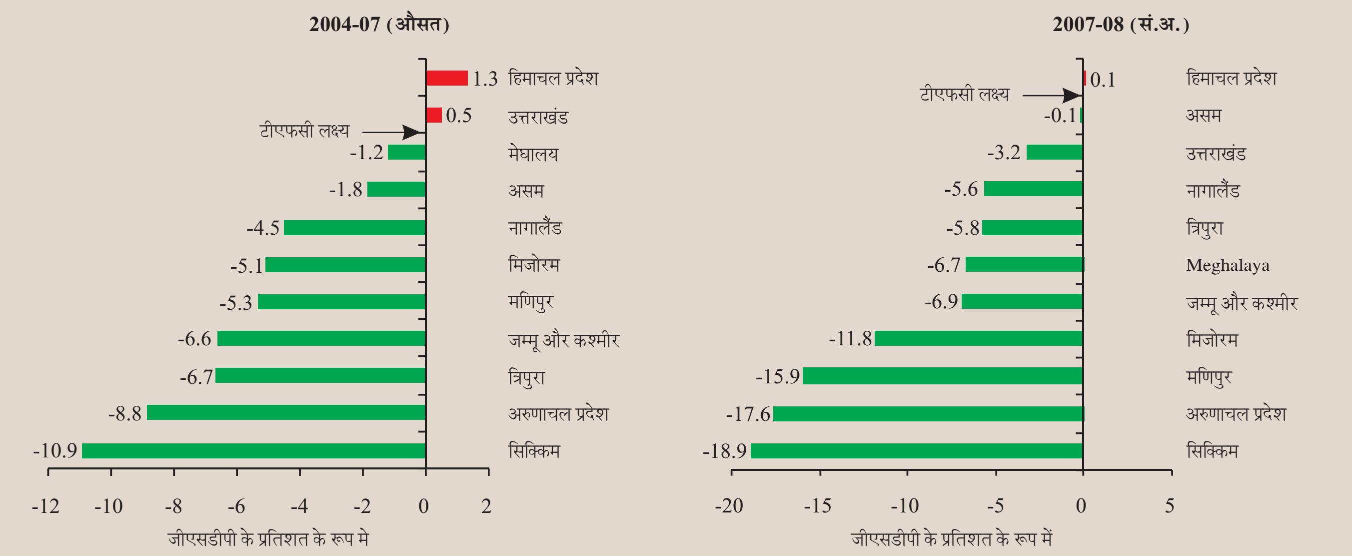

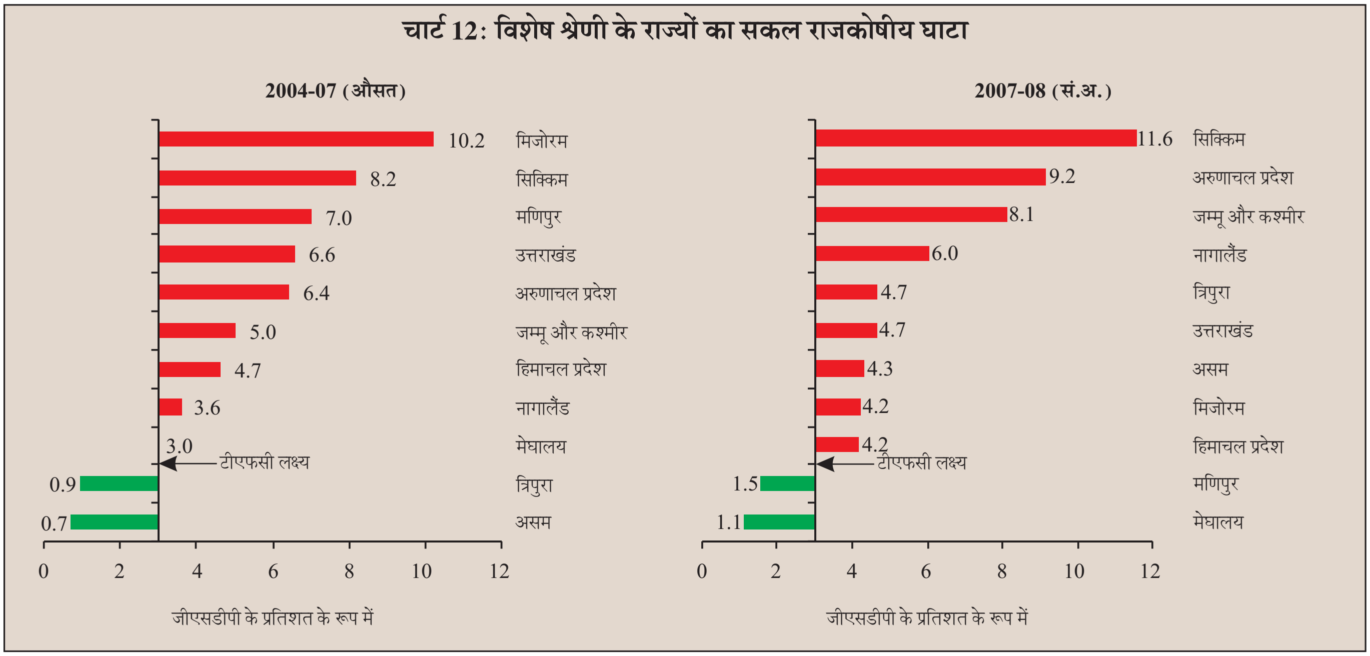

प्रतिशत का सर्वोच्च राजस्व आधिक्य दर्ज किया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत), मणिपुर (15.9 प्रतिशत) और मिज़ोरम (11.8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

राजस्व लेखे में सुधार में देखी गई प्रवृत्ति के ठीक विपरीत जीएफडी में सुधार के संबंध में विशेष श्रेणी के राज्य गैर विशेष श्रेणी के राज्यों से बहुत पीछे हैं। 2007-08(सं.अ.) में मेघालय और मणिपुर को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों ने 3 प्रतिशत के अधिक का जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (चार्ट 12)। विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में से 7 राज्यों ने 2004-07 (औसत) के दौरान अपनी संबंधित स्थिति की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में उच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। सिक्किम ने 11.6 प्रतिशत का सर्वोच्च जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (9.2 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (8.1प्रतिशत) और नागालैंड (6.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि ये सभी राज्य 3 प्रतिशत के जीएफडी-जीएसडीपी के टीएफसी लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तथापि, भारी राजस्व आधिक्य तथा भारी सकल राजकोषीय घाटे का सह-अस्तित्व दर्शाता है कि लिए गए उधार पूंजी परिव्यय की दिशा में मोड़े गए हैं।

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने प्राथमिक राजस्व आधिक्य (पीआरएस) दर्ज किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों में पीआरएस इतना है कि वह ब्याज भुगतान चुका सके। हिमाचल प्रदेश में अनुमान है कि पीआरएस 2007-08 (सं.अ.) में ब्याज भुगतानों के 97.4 प्रतिशत का वित्तपोषण कर सकता है। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में 7 राज्यों ने प्राथमिक घाटा दर्ज किया।

V.2 राज्य सरकारों का राजस्व लेखा

इस खंड में राज्य सरकारों के राजस्व लेखे, प्राप्तियां और व्यय दोनों, का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ताकि राजस्व लेखे में सुधार की प्रक्रिया समझी जा सके। राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित संकेतक सारणी 21 में दिए गए हैं जबकि राज्य सरकारों के राजस्व व्यय से संबंधित संकेतक सारणी 22 में दिए गए हैं।

V.2.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों का हिस्सा सभी राज्य सरकारों के कुल राजस्व लेखा सुधार का 23.7 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा सभी राज्य सरकारों के कुल राजस्व लेखा सुधार का 3.3 प्रतिशत था और उसके बाद पूर्वोल्लिखित अवधि के दौरान बिहार (2.2 प्रतिशत) का स्थान था।

चार्ट 13: विशेष श्रेणी के राज्यों में प्राथमिक राजस्व आधिक्य के द्वारा ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण

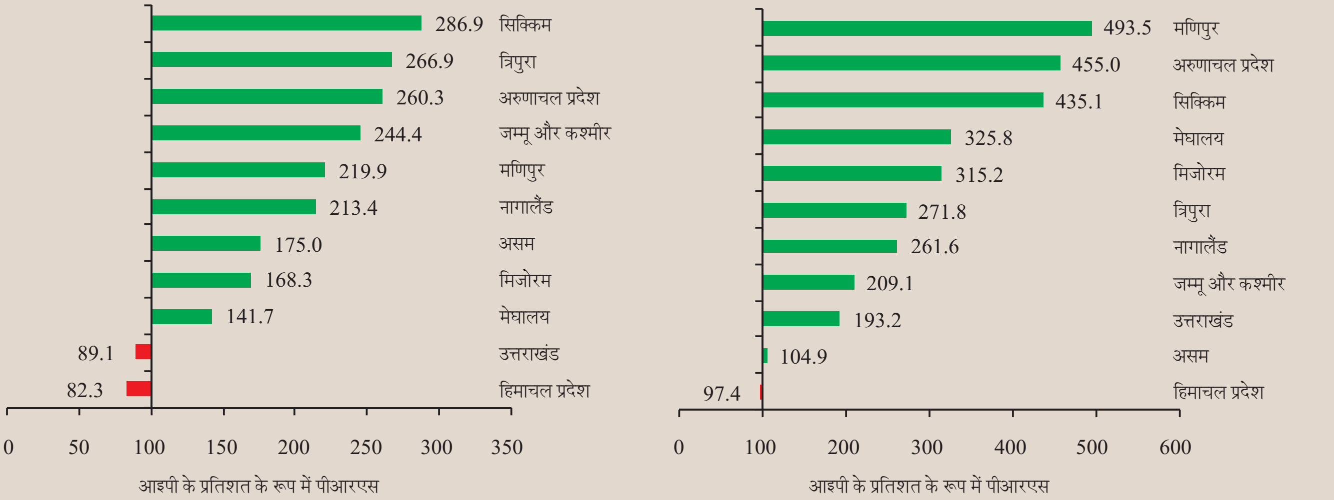

पीआरएस : प्राथमिक राजस्व आधक्य आइपी : ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियां

गैर-विशेष श्रेणी के सभी राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी के अर्थ में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में बढ़ी हैं। तथापि, अधिकांश राज्यों में यह वृद्धि केंद्र से होने वाले अंतराणों के कारण है न कि उनके स्व-प्रयासों के कारण। मात्र आंध्र प्रदेश और केरल में यह वृद्धि केंद्रीय अंतरणों की तुलना में स्व-प्रयासों से राजस्व प्राप्तियों में होनेवाली वृद्धि के कारण अधिक है। कुछ राज्यों ने जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में स्व-प्रयासों में कमी आई।आंध्र प्रदेश में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08(सं.अ.) में अपने राजस्व प्रयासों में सर्वोच्च सुधार दर्शाया जिसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा (सारणी 21 और चार्ट 14)।

2007-08(सं.अ.) में बिहार ने 27.4 प्रतिशत का सर्वोच्च आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसे मुख्य रूप से 22.3 प्रतिशत के सर्वोच्च सीटी-जीएसडीपी अनुपात का समर्थन प्राप्त था। उड़ीसा (20.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (22.1 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (21.0 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (21.2 प्रतिशत) जैसे राज्यों ने भी सापेक्षतः ऊंचे आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किए। इन सभी राज्यों ने केंद्रीय अंतरणों ने राजस्व प्राप्तियों के आधे से अधिक का योगदान दिया। तथापि, इन राज्यों के बीच उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 2007-08 (सं.अ.) में सापेक्षतः अधिक ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया (सारणी 21 और विवरण 22,23 और 25)।

2007-08 (सं.अ.) में कर्नाटक का 12.6 प्रतिशत का ओटीआर-जीएसडीपी का अनुपात सर्वोच्च रहा, इसके बाद आंध्र प्रदेश (10.0 प्रतिशत), तमिलनाडु (9.8 प्रतिशत), केरल (9.4

चार्ट 14: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

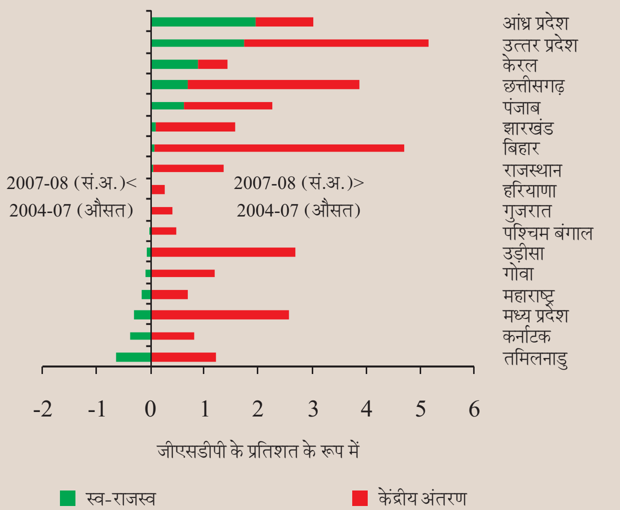

सारणी 21: राज्य सरकारों के राजस्व प्राप्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*				2007-08 (सं.अ.)			
	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी	आरआर/ जीएसडीपी	ओटीआर/ जीएसडीपी	ओएनटीआर/ जीएसडीपी	सीटी/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर विशेष श्रेणी								
1. आंध्र प्रदेश	15.0	8.3	2.1	4.6	18.0	10.0	2.2	5.7
2. बिहार	22.7	4.4	0.6	17.7	27.4	4.7	0.4	22.3
3. छत्तीसगढ़	17.4	7.8	2.5	7.1	21.2	8.6	2.4	10.3
4. गोवा	17.4	8.6	6.4	2.5	18.5	8.4	6.4	3.7
5. गुजरात	11.5	7.2	1.7	2.7	11.9	7.3	1.5	3.1
6. हरियाणा	13.0	8.4	2.9	1.8	13.3	8.5	2.7	2.0
7. झारखंड	13.5	4.4	2.1	6.9	15.0	4.6	2.1	8.4
8. कर्नाटक	18.5	11.4	2.5	4.7	19.0	12.6	0.8	5.5
9. केरल	13.1	8.5	0.8	3.8	14.5	9.4	0.7	4.3
10. मध्य प्रदेश	18.7	7.8	2.7	8.3	21.0	8.4	1.8	10.8
11. महाराष्ट्र	11.4	7.9	1.3	2.2	11.9	8.1	1.0	2.9
12. उड़ीसा	18.1	6.3	2.2	9.6	20.7	6.6	1.9	12.3
13. पंजाब	14.4	7.5	4.3	2.6	16.7	7.6	4.9	4.2
14. राजस्थान	16.7	7.8	2.2	6.8	18.1	7.7	2.3	8.1
15. तमिलनाडु	15.1	10.3	1.2	3.6	15.6	9.8	1.0	4.8
16. उत्तर प्रदेश	16.9	6.8	1.4	8.7	22.1	8.0	2.0	12.1
17. पश्चिम बंगाल	9.7	4.5	0.5	4.7	10.1	4.5	0.5	5.2
II. विशेष श्रेणी								
1. अरुणाचल प्रदेश	64.3	2.1	7.2	55.0	87.5	2.1	15.6	69.8
2. असम	20.2	5.4	2.5	12.4	24.0	4.8	2.7	16.5
3. हिमाचल प्रदेश	24.5	5.7	3.4	15.4	24.6	6.1	3.4	15.0
4. जम्मू और कश्मीर	41.5	6.2	2.5	32.7	43.2	7.1	3.1	33.0
5. मणिपुर	40.4	1.7	1.8	36.8	49.5	2.0	2.8	44.8
6. मेघालय	27.7	3.9	2.4	21.5	42.5	4.3	2.4	35.7
7. मिजोरम	62.8	2.0	4.0	56.8	71.9	2.1	3.9	65.8
8. नागालैंड	35.3	1.6	1.4	32.3	37.6	1.5	1.3	34.8
9. सिक्किम	110.3	8.0	56.7	45.6	124.4	6.4	60.2	57.7
10. त्रिपुरा	32.2	3.2	1.3	27.8	31.6	3.3	1.0	27.3
11. उत्तराखंड	21.4	7.2	2.4	11.8	26.8	8.4	2.6	15.9
सभी राजय#	**12.1**	**5.9**	**1.4**	**4.7**	**13.3**	**6.2**	**1.3**	**5.8**
ज्ञापन मदें :								
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.0	8.3	1.2	0.5	11.3	8.9	1.4	1.1
2. पुदुचेरी	30.8	8.7	8.8	13.2	28.4	8.6	8.2	11.5

आरई : संशोधित अनुमान   आरआर : राजस्व प्राप्तियां
ओटीआर : स्व-कर राजस्व   ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व
सीटी : चालू अंतरण   जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।   # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित

प्रतिशत) का स्थान रहा। यह नोट किया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बिहार का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात (4.7 प्रतिशत) सबसे कम है जो स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि जीएसडीपी के अर्थ में सर्वोच्च राजस्व आधिक्य के साथ इस राज्य द्वारा हासिल किए जानेवाले राजकोषीय सुधार के पीछे केंद्रीय अंतरण महत्वपूर्ण कारक है। कुछ राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा 2007-08 (सं.अ.) में 6.8 प्रतिशत के ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात के टीएफसी लक्ष्य से नीचे थे (चार्ट 15 और विवरण 18 और 19)।

घाटा संकेतकों को नीचे लाने में गोवा (6.4 प्रतिशत का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात और पंजाब (4.9 प्रतिशत का ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात) में ओएनटीआर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ राज्यों ने जैसे कि बिहार (0.4 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (0.5 प्रतिशत), केरल (0.7 प्रतिशत) और कर्नाटक

चार्ट 15 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में स्व-कर और करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.)

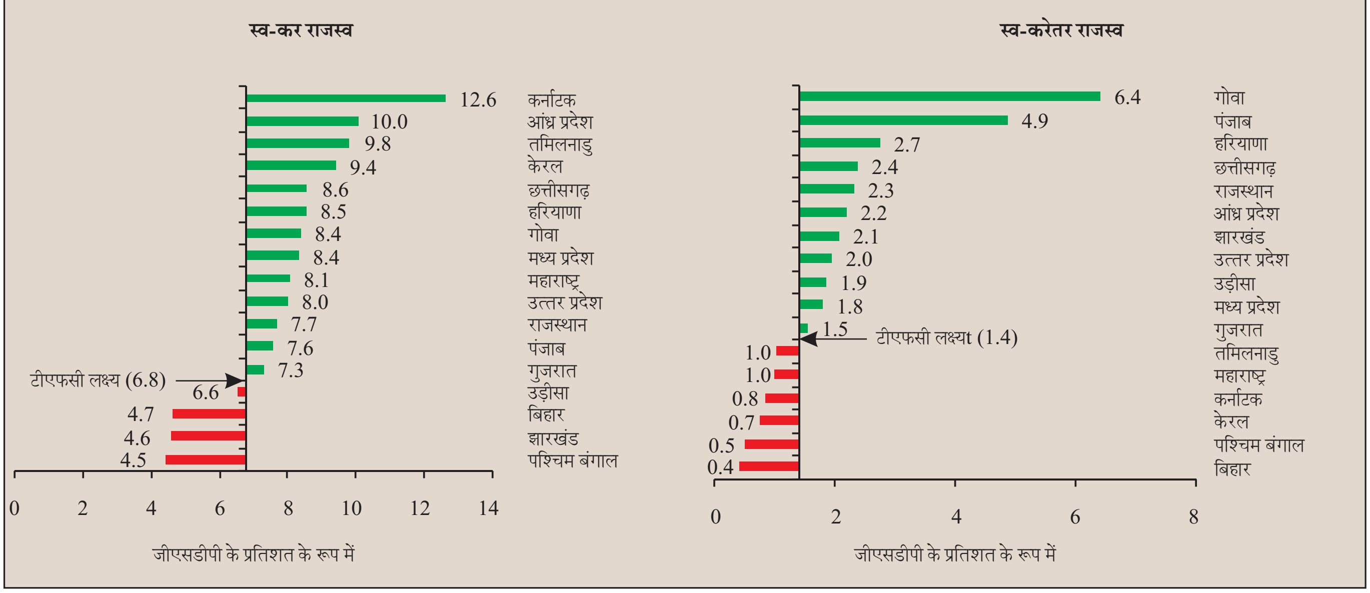

(0.8 प्रतिशत) में जीएसडीपी के अर्थ में स्व-करेतर राजस्व में निराशाजनक कार्य निष्पादन दर्शाया। छह राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 1.4 प्रतिशत के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात के टीएफसी लक्ष्य से नीचे थे (चार्ट 15 और विवरण 20 तथा 21)।

वैट राज्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर राजस्व जो कुल स्व कर प्राप्तियों के लगभग आधे का योगदान देता है। 2007-08 (सं.अ.) में केरल का वैट-ओटीआर अनुपात 65.9 प्रतिशत था जो कि सर्वोच्च था, उसके बाद गोवा (62.5 प्रतिशत), बिहार (61.4 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (59.7 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 16)। राज्यो के कर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा मोटर वाहन कर हैं।

राजस्व व्यय

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोडकर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में जीएसडीपी से अनुपात के रूप में कुल राजस्व व्यय ने वृद्धि दर्शायी (सारणी 22)। अधिकांश राज्यों में कुल राजस्व व्यय में यह वृद्धि अधिकतर विकास व्यय में वृद्धि के कारण थी। महत्वपूर्ण रूप से उसी अवधि के दौरान गैर विकास राजस्व व्यय अधिकांश राज्यों में कम हो गया जिसने सतत राजस्व लेखा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (चार्ट 17 तथा विवरण 12 और 13)।

2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 23.8 प्रतिशत का सर्वोच्च आरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश (19.5 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (19.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। जीएसडीपी के अर्थ में बिहार ने सर्वोच्च (13.8 प्रतिशत) विकास राजस्व व्यय (डीआरई) दर्ज किया, जिसके

चार्ट 16: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.)

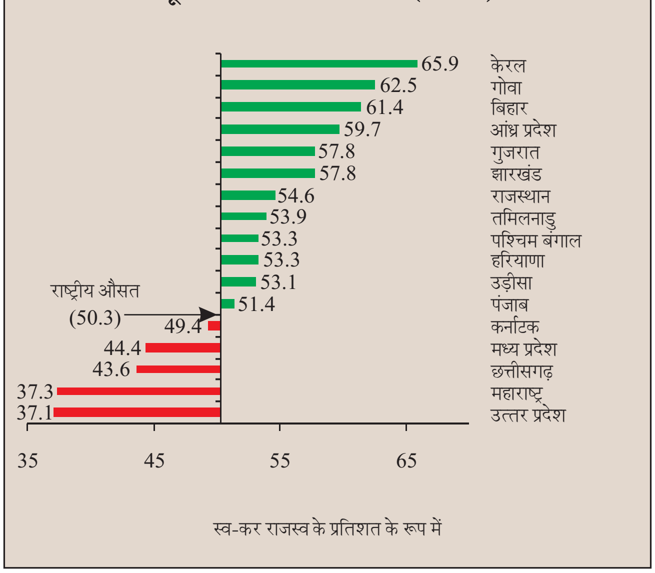

सारणी 22: राज्य सरकारों का राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*					2007-08 (सं.अ.)				
	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी	आरई/ जीएसडीपी	डीआरई/ जीएसडीपी	एनडीआरई/ जीएसडीपी	आइपी/ जीएसडीपी	पीएन/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. गैर विशेष श्रेणी										
1. आंध्र प्रदेश	15.0	9.1	5.9	3.0	1.4	17.8	11.6	6.1	2.8	1.5
2. बिहार	21.3	11.2	10.1	4.3	3.0	23.8	13.8	10.0	3.7	3.0
3. छत्तीसगढ़	14.9	9.5	4.7	2.0	1.0	18.6	13.0	4.8	1.7	1.1
4. गोवा	17.5	11.8	5.7	3.0	1.2	18.5	13.0	5.5	2.9	0.9
5. गुजरात	12.1	6.9	5.1	2.9	1.0	11.1	6.6	4.5	2.5	0.9
6. हरियाणा	12.3	7.7	4.5	2.1	1.0	12.3	8.5	3.6	1.6	0.9
7. झारखंड	15.5	10.3	5.2	1.2	1.3	17.0	10.7	6.3	2.6	0.9
8. कर्नाटक	17.0	10.3	6.0	2.3	1.4	17.6	11.5	5.2	2.2	1.5
9. केरल	15.7	7.9	7.4	3.2	2.4	17.6	7.8	8.3	3.2	3.1
10. मध्य प्रदेश	17.3	9.6	6.7	3.2	1.3	18.6	10.8	6.7	3.0	1.4
11. महाराष्ट्र	12.5	7.0	5.3	2.3	0.7	11.4	7.1	4.2	2.1	0.8
12. उड़ीसा	17.3	8.4	8.7	4.3	1.7	19.1	10.4	8.3	3.9	2.0
13. पंजाब	16.4	6.8	9.4	3.6	1.5	17.9	8.2	9.2	3.2	1.5
14. राजस्थान	17.4	10.1	7.3	4.2	1.4	17.9	11.3	6.6	3.6	1.6
15. तमिलनाडु	14.5	7.7	5.9	2.2	2.0	15.3	8.3	5.9	2.1	2.3
16. उत्तर प्रदेश	17.5	8.5	8.2	3.8	1.5	19.5	10.9	7.5	3.2	1.7
17. पश्चिम बंगाल	13.1	5.9	7.0	4.2	1.5	12.8	6.4	6.2	3.7	1.3
II. विशेष श्रेणी										
1. अरुणाचल प्रदेश	55.5	38.6	16.9	5.4	2.4	69.9	53.3	16.6	5.0	2.1
2. असम	18.4	11.4	7.0	2.5	1.9	23.9	15.2	8.4	2.6	2.0
3. हिमाचल प्रदेश	25.9	14.3	11.5	6.4	2.8	24.7	13.7	11.0	5.4	3.3
4. जम्मू और कश्मीर	34.9	20.7	14.2	4.6	3.0	36.3	19.9	16.4	6.3	3.3
5. मणिपुर	35.1	21.7	13.3	4.6	3.4	33.6	20.7	13.0	4.0	3.0
6. मेघालय	26.5	16.7	9.8	2.9	1.5	35.8	25.7	10.1	2.9	1.5
7. मिजोरम	57.7	37.2	20.6	7.3	3.2	60.0	40.7	19.3	5.5	3.2
8. नागालैंड	30.8	16.2	14.6	4.1	2.6	32.0	17.5	14.5	3.5	3.0
9. सिक्किम	99.4	33.7	65.6	5.8	2.2	105.5	35.6	70.0	5.6	2.1
10. त्रिपुरा	25.6	13.7	11.4	4.0	2.6	25.8	13.6	11.6	3.4	2.7
11. उत्तराखंड	21.9	13.1	8.1	3.3	1.7	23.6	14.3	8.4	3.4	1.9
सभी राजय #	**12.4**	**6.8**	**5.3**	**2.4**	**1.2**	**12.9**	**7.2**	**5.1**	**2.2**	**1.2**
ज्ञापन मदें:										
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.4	3.7	2.2	1.7	0.0	7.5	4.6	2.5	1.9	0.0
2. पुदुचेरी	31.0	24.0	7.0	3.0	1.1	31.9	24.1	7.7	3.1	1.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान
आरई : राजस्व व्यय
एनडीआरई : विकासेतर राजस्व व्यय
डीआरई : विकास राजस्व व्यय
पीएन : पेंशन
आईपी : ब्याज भुगतान
जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं। # : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

बाद छत्तीसगढ (13.0 प्रतिशत), गोवा (13.0 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (11.6 प्रतिशत) तथा कर्नाटक (11.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप में 3.0 प्रतिशत का न्यूनतम विकासेतर राजस्व व्यय (एनडीआरई) दर्ज किया जिसके बाद महाराष्ट्र (4.2 प्रतिशत), गुजरात (4.5 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान नीचे आ गए। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा द्वारा आइपी-जीएसडीपी अनुपात न्यूनतम (1.6 प्रतिशत) दर्ज किया गया था और इसके बाद छत्तीसगढ़ (1.7 प्रतिशत), तमिलनाडु (2.1 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (2.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। राज्यों की ब्याज अदायगियों में गिरावट में नरमी गिरती ब्याज दरों के साथ डीएसएस तथा ऋण समेकन और राहत सुविधा के

चार्ट 17: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर राजस्व व्यय में घटबढ़ - गैर विशेष श्रेणी के राज्य

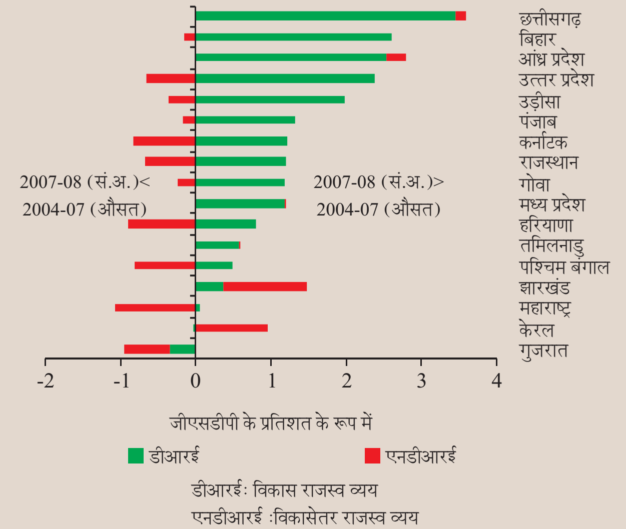

चार्ट 18: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.)

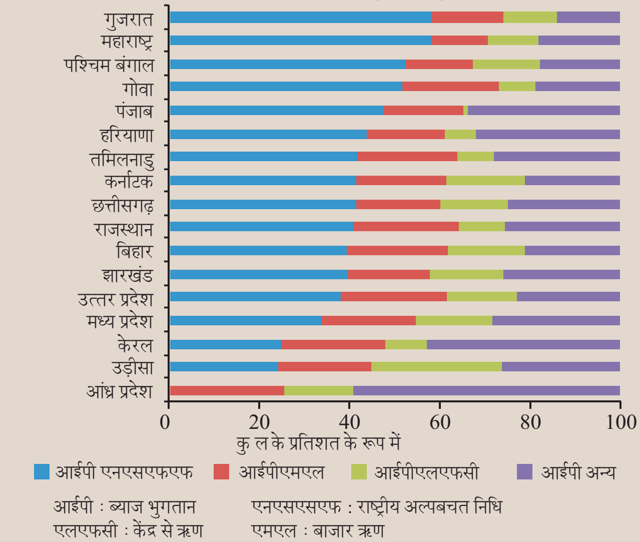

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश अपने बजट दस्तावेजों में एनएसएसएफएफ पर ब्याज संबंधी आंकड़े नहीं देता है।

प्रभाव को दर्शाती है। तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि एनएसएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान जिसे डीसीआरएफ के अधिकार क्षेत्र बाहर रखा जाता है, ने 2007-08 (सं.अ.) में अनेक राज्यों जैसे गुजरात (58.3 प्रतिशत), महाराष्ट्र (58.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (58.5 प्रतिशत) और गोवा (58.7 प्रतिशत) में कुल ब्याज भुगतान देयताओं के आधे से अधिक और बहुत से अन्य राज्य जैसे कि पंजाब (47.6 प्रतिशत), हरियाणा (43.9 प्रतिशत), तमिलनाडु (41.8 प्रतिशत), कर्नाटक (41.5 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (41.4 प्रतिशत) ने 40 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया। इसके अलावा, 2007-08 (सं.अ.) में बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतानों ने कुछ राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश (25.5 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (23.6 प्रतिशत) और केरल (23.3 प्रतिशत) में कुल ब्याज भुगतानों के लगभग एक-चौथाई हिस्से का निर्माण किया। डीसीआरएफ का केंद्र से लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी से संबंधित प्रभाव पड़ा जिसने उड़ीसा को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में कुल ब्याज भुगतानों के 20 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया (चार्ट 18, विवरण 17)।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशनों पर किया जानेवाला व्यय उसी अवधि के दौरान कुछ राज्यों जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम हो गया। 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी की पेंशन का अनुपात महाराष्ट्र सबसे कम (0.8 प्रतिशत) था। 2007-08 (सं.अ.) में 4 राज्यों यथा गोवा, गुजरात, हरियाणा और झारखंड का जीएसडीपी से पेंशन का अनुपात 0.9 प्रतिशत था जोकि कम है।

2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल में ब्याज भुगतानों ने राजस्व प्राप्तियों के 36.5 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया। इसके बाद केरल (22.1 प्रतिशत), गुजरात (21.2 प्रतिशत) और राजस्थान (19.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के 7 राज्यों ने आइपी-आरआर (15.0 प्रतिशत) के संबंध में टीएफसी का लक्ष्य हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 57.0 प्रतिशत पूर्वक्रय कर लिया। इसके बाद केरल (50.9 प्रतिशत), झारखंड (39.2 प्रतिशत) और पंजाब (37.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। यह व्यय का आबंटन निर्धारित करने में राज्य सरकारों की नमनीयता घटाता है (चार्ट 19, विवरण 36)।

V.2.2 विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सभी राज्य सरकारों का कुल राजस्व लेखा सुधार का 76.3 प्रतिशत था।उसी अवधि के दौरान कुल राजस्व लेखे में सुधार में मणिपुर का हिस्सा 10.6 प्रतिशत था इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (8.8 प्रतिशत), सिक्किम (8.0 प्रतिशत), मिजोरम (6.7 प्रतिशत) और मेघालय (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चार्ट 19: गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.)

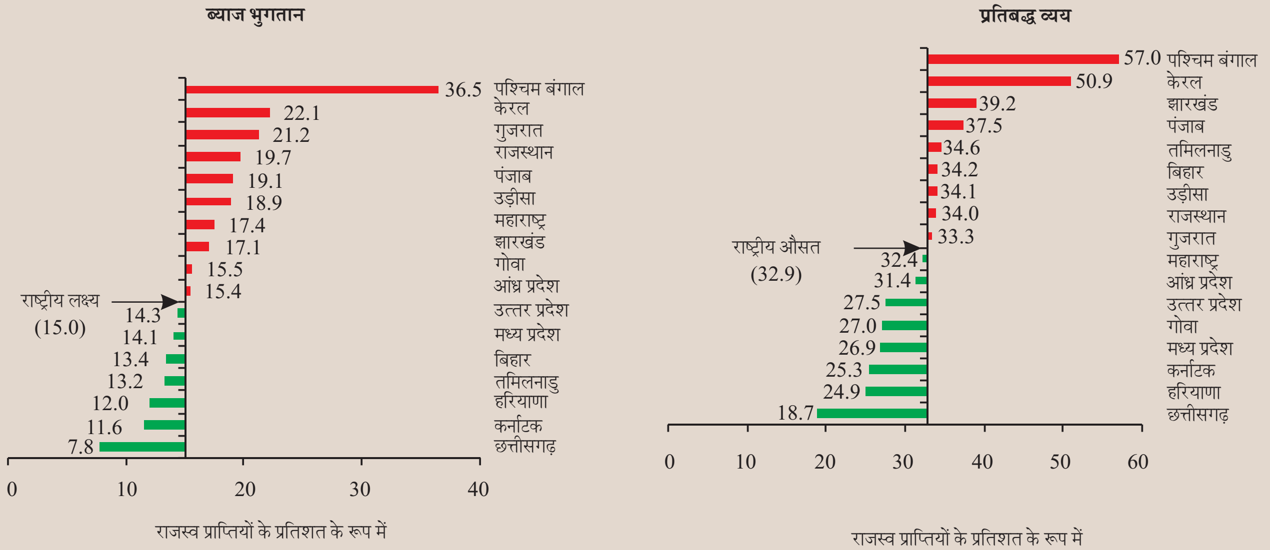

राजस्व प्राप्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच देखी गयी प्रवृत्ति के समान ही 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में जीएसडीपी के अर्थ में कुल राजस्व प्राप्तियां बढ़ीं। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में दो राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने 2004-07 (औसत) की तुलना में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शायी। उसी अवधि के दौरान कुछ राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम में स्वराजस्व प्रयास की तुलना में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि अधिक थी। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में स्वराजस्व प्रयास बढ़े। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम ने स्वराजस्व प्रयास में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की जिसके बाद उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा स्वराजस्व प्रयास में यह वृद्धि विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नगालैण्ड में सीटी-जीएसडीपी अनुपात में हुई वृद्धि से अधिक थी। इसका निहितार्थ यह है कि 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा रिकार्ड किये गये उच्च राजस्व अधिशेष में स्वराजस्व प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है (चार्ट 20 और सारणी 18 से 23)।

सिक्किम ने 2007-08 (सं.अ.) में 124.4 प्रतिशत का सर्वोच्च आरआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (87.5 प्रतिशत), मिज़ोरम(71.9 प्रतिशत), और जम्मू कश्मीर (43.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में कुल राजस्व प्राप्तियों का एक बढ़ा भाग केंद्र से मौजूदा अंतरणों से निर्मित होता है। विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों में देखी गयी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत सिक्किम

चार्ट 20: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) की तुलना में स्व-राजस्व और केंद्रीय अंतरणों में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

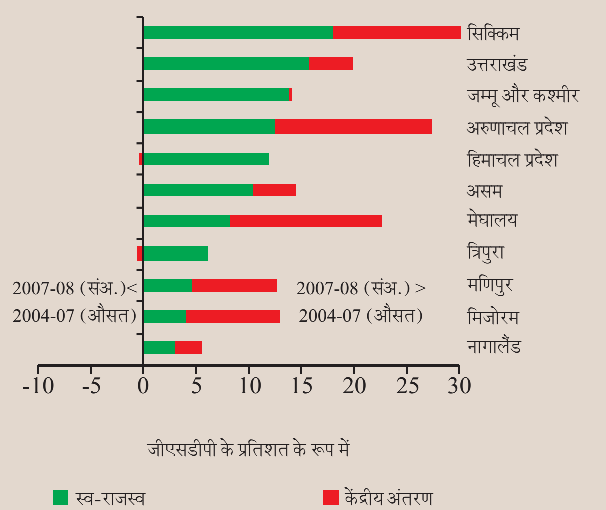

चार्ट 21 : विशेष श्रेणी के राज्यों का स्व-कर और स्व-करेतर राजस्व - 2007-08 (सं.अ.)

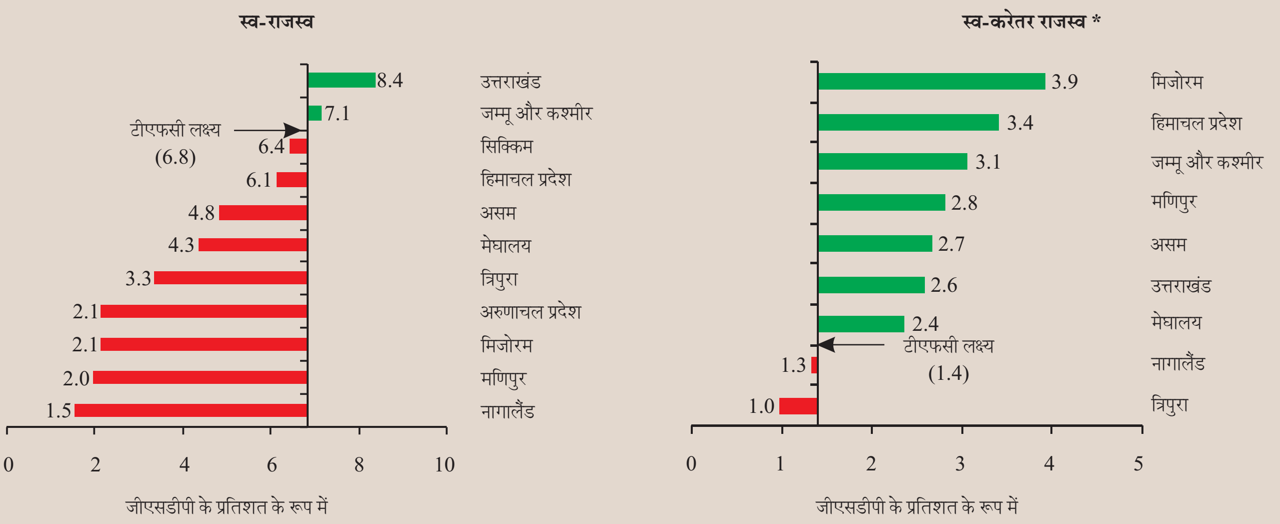

* : सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को उनके अत्यंत ऊंचे मूल्यों के कारण चार्ट से हटा दिया गया है।

में ओएनटीआर, मुख्य रूप से राज्य लॉटरियां कुल राजस्व प्राप्तियों के एक बड़े भाग (60.2 प्रतिशत) का निर्माण करती हैं। उत्तराखंड ने 2007-08 (सं.अ.) में 8.4 प्रतिशत का सर्वोच्च स्वकर प्रयास दर्ज किया इसके बाद जम्मू और कश्मीर (7.1 प्रतिशत) और सिक्किम (6.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 21 और विवरण 19)।

वैट ने विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में ओटीआर के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया (चार्ट 22)। 2007-08 (सं.अ.) में वैट-ओटीआर अनुपात मणिपुर में सर्वाधिक (80.5 प्रतिशत) था और उसके बाद मिज़ोरम (79.8 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (78.6 प्रतिशत) था (चार्ट 22)।

राजस्व व्यय

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के अर्थ में राजस्व व्यय विशेष श्रेणी के 9 राज्यों यथा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम, नागालैण्ड, उत्तराखंड, सिक्किम और त्रिपुरा में बढ़ा। चार राज्यों यथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर राजस्व व्यय का विकास घटक जीएसडीपी के अर्थ में 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में बढ़ा। पांच राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा में राजस्व व्यय का विकासेतर घटक 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी के अर्थ में कम हुआ (चार्ट 23)। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश ने डीआरई से जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। उसके बाद मेघालय, असम और मिजोरम का स्थान रहा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम ने एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। उसके बाद जम्मू

चार्ट 22: विशेष श्रेणी के राज्यों में मूल्यवर्धित कर-2007-08 (सं.अ.)

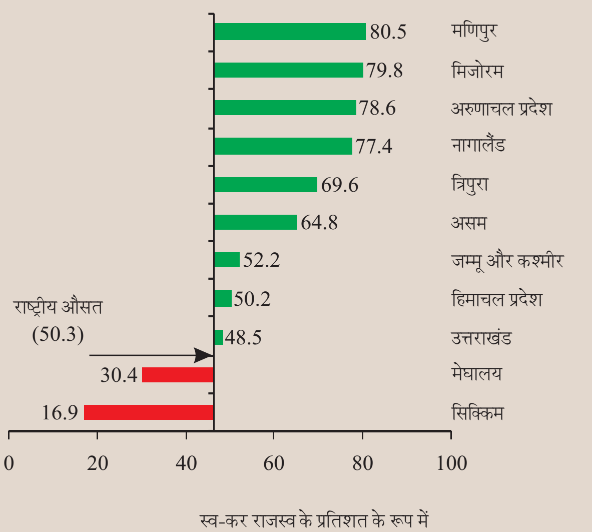

चार्ट 23: 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में विकास और विकासेतर व्यय में घटबढ़ - विशेष श्रेणी के राज्य

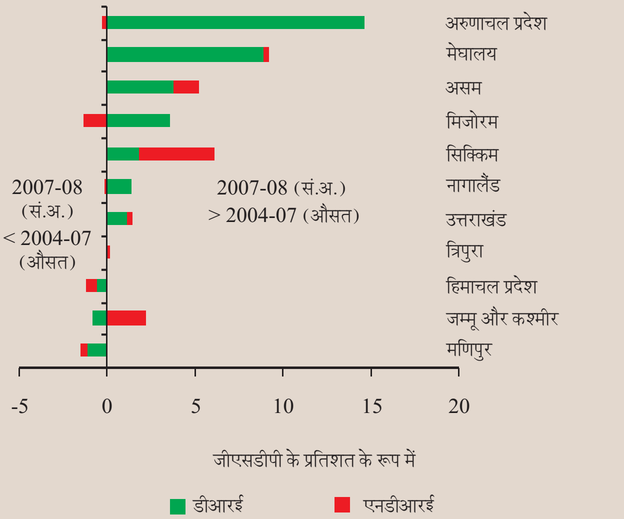

चार्ट 24: विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों का संघटन - 2007-08 (सं.अ.)

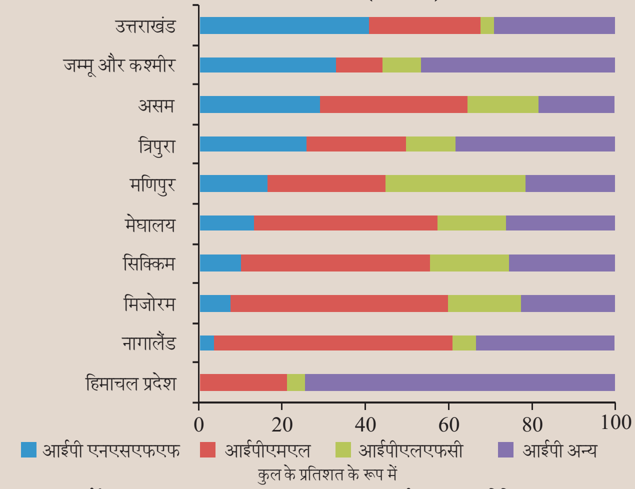

आईपी : ब्याज भुगतान
एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्पबचत निधि
एलएफसी : केंद्र से ऋण
एमएल : बाजार ऋण

टिप्पणी : 1) हिमाचल प्रदेश अपने बजट दस्तावेज़ों में एनएसएफएफ पर ब्याज संबंधी आंकड़े नहीं देता है।
2) अरुणाचल प्रदेश को उनके बजट दस्तावेजों में ब्याज भुगतान का संघटन उपलब्ध न होने के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

और कश्मीर तथा असम का स्थान रहा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी से अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान विशेष श्रेणी के 7 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा में कम हो गए। तथापि, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पेंशन केवल 3 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में कम हुई (सारणी 22 और विवरण 12 एवं 13)।

सिक्किम ने 105.5 प्रतिशत का सर्वोच्च आरई-जीएसडीपी अनुपात दर्शाया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (69.9 प्रतिशत) तथा मिजोरम (60.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। अरुणाचल प्रदेश ने 53.3 प्रतिशत का सर्वोच्च डीआरई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और मिजोरम (40.7 प्रतिशत) और सिक्किम (35.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम 70.0 प्रतिशत के एनडीआरई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सबसे आगे रहा। 2007-08 (सं.अ.) में जम्मू और कश्मीर ने 6.3 प्रतिशत का सर्वोच्च आइपी-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। और उसके बाद सिक्किम (5.6 प्रतिशत) तथा मिजोरम (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश ने 3.3 प्रतिशत का सर्वोच्च पेंशन-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (सारणी 22)।

2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में केंद्र से ऋणों पर ब्याज भुगतानों में कुल ब्याज अदायगियों के छोटे से हिस्से का योगदान दिया (चार्ट 24)। मजे की बात यह है कि 2007-08 (सं.अ.) में आइपी-आरआर(15.0 प्रतिशत) के संबंध में टीएफसी लक्ष्य हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय (जिसमें ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाएं आती हैं) ने राजस्व प्राप्तियों के 42.2 प्रतिशत का पूर्वक्रय कर लिया और उसके बाद जम्मू और कश्मीर (36.7 प्रतिशत), नागालैंड (35.9 प्रतिशत) और त्रिपुरा (33.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 25 और विवरण 17,36 और 37)।

V.3 राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

व्यय के आबंटन के विश्लेषण ने राज्य सरकार के स्तर पर महत्त्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि प्रमुख व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे गए हैं। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चलनेवाली सुधार और समेकन की प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास तथा सामाजिक क्षेत्र की ओर निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है। इस खंड में व्यय की कुछ गुणात्मक श्रेणियों यथा पूंजी परिव्यय, विकास व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय का विश्लेषण किया गया है। 2004-07 (औसत) और 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के लिए इन व्यय श्रेणियों से संबंधित आंकड़े, गैर विशेष और विशेष दोनों ही श्रेणियों के लिए सारणी 23 में दिए गए हैं।

चार्ट 25 : विशेष श्रेणी के राज्यों में ब्याज भुगतानों और प्रतिबद्ध व्यय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का पूर्वक्रय - 2007-08 (सं.अ.)

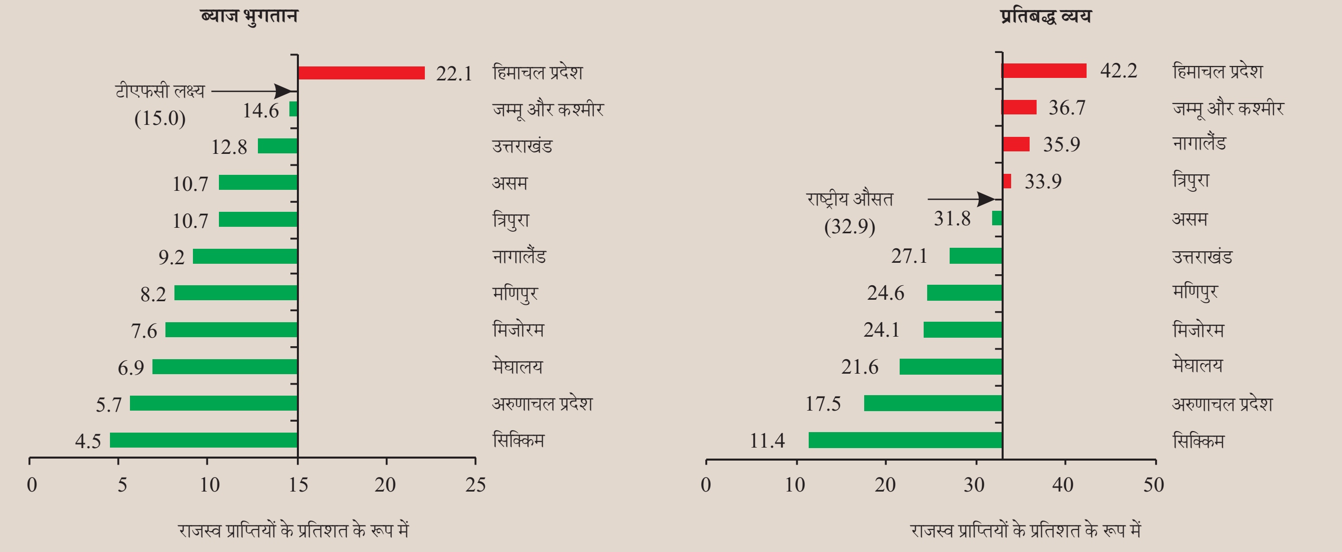

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर जीएसडीपी अनुपात के रूप में विकास व्यय गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्य में बढ़ा। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में छत्तीसगढ़ ने डीई से जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की।इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने सर्वोच्च डीई से जीएसडीपी अनुपात (20.7 प्रतिशत) दर्ज किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (18.8 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (17.4 प्रतिशत) और गोवा (16.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23, चार्ट 26 और विवरण 12)।

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र व्यय में उसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शायी। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच उसी अवधि

चार्ट 26 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय

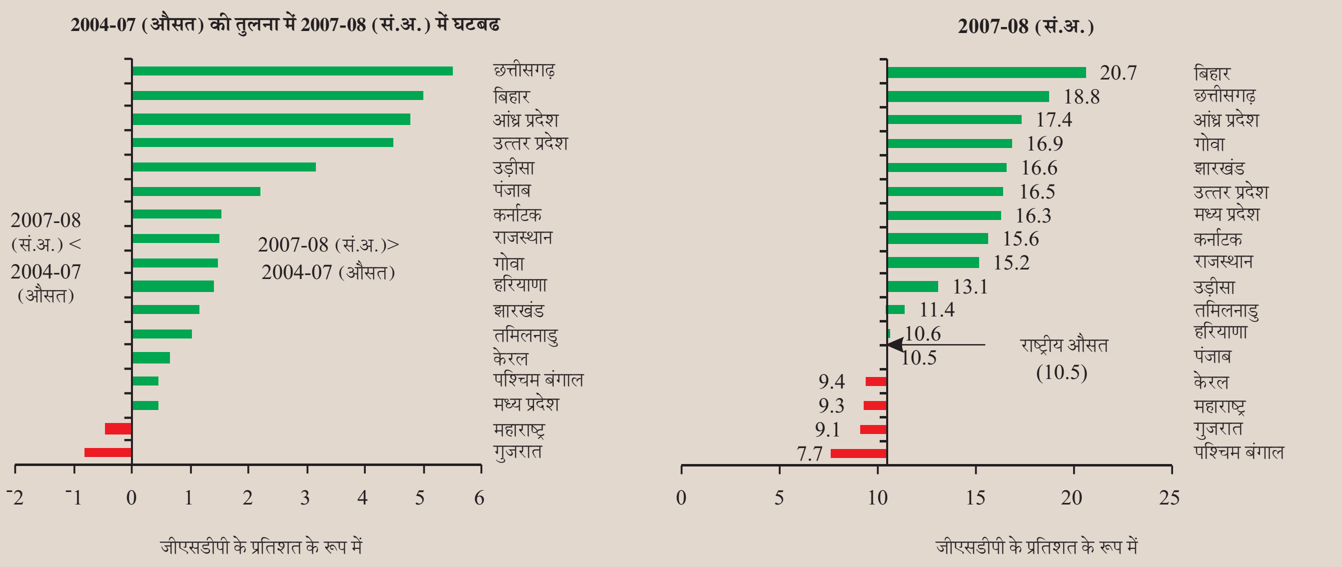

सारणी 23 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07 (औसत)*			2007-08 (सं.अ.)		
	डीइवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी	डीइवी/ जीएसडीपी	एसएसई/ जीएसडीपी	सीओ/ जीएसडीपी
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	12.6	6.6	3.2	17.4	9.2	4.1
2. बिहार	15.7	10.3	3.3	20.7	13.2	6.7
3. छत्तीसगढ़	13.3	8.6	3.1	18.8	12.3	5.2
4. गोवा	15.5	7.1	4.3	16.9	7.7	4.6
5. गुजरात	10.0	5.2	2.8	9.1	5.0	2.5
6. हरियाणा	9.2	4.2	1.5	10.6	5.1	2.1
7. झारखंड	15.4	9.8	3.7	16.6	10.3	4.9
8. कर्नाटक	14.1	7.0	3.7	15.6	8.3	4.1
9. केरल	8.7	6.2	0.7	9.4	6.6	1.0
10. मध्य प्रदेश	15.8	7.7	4.8	16.3	9.4	4.8
11. महाराष्ट्र	9.8	5.5	2.1	9.3	5.5	2.1
12. उड़ीसा	9.9	6.7	1.5	13.1	8.2	2.7
13. पंजाब	8.3	3.8	1.4	10.5	4.6	2.5
14. राजस्थान	13.6	8.7	3.3	15.2	9.3	4.3
15. तमिलनाडु	10.4	6.6	2.1	11.4	7.2	2.6
16. उत्तर प्रदेश	12.0	7.2	3.3	16.5	9.2	5.5
17. पश्चिम बंगाल	7.2	4.8	0.8	7.7	5.5	0.9
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	53.3	24.4	15.2	79.1	28.4	26.7
2. असम	14.9	8.3	2.7	19.6	12.4	4.3
3. हिमाचल प्रदेश	17.6	11.0	3.3	17.7	10.8	4.0
4. जम्मू और कश्मीर	30.8	14.3	11.5	32.8	15.9	14.9
5. मणिपुर	32.2	16.6	11.5	36.6	17.6	17.3
6. मेघालय	21.0	12.2	4.2	33.1	17.3	7.6
7. मिजोरम	52.7	26.6	15.3	56.9	29.2	16.5
8. नागालैंड	23.4	12.0	8.1	27.9	13.9	11.6
9. सिक्किम	51.8	28.2	19.1	64.3	33.2	30.5
10. त्रिपुरा	20.5	12.5	7.6	22.7	14.4	10.5
11. उत्तराखंड	18.8	10.6	5.8	21.9	12.5	7.5
सभी राजय #	**9.3**	**5.3**	**2.1**	**10.5**	**6.1**	**2.7**
ज्ञापन मदें :						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.3	4.4	1.5	9.3	5.7	2.9
2. पुदुचेरी	28.9	13.6	5.4	27.5	13.9	3.9

एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय   सं.अ. : संशोधित अनुमान   डीईवी : विकास व्यय

सीओ : पूंजी परिव्यय   जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

*: पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।

#: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।

टिप्पणी : 1. विकास व्यय में राजस्व व्यय का विकास घटक, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

2. सामाजिक क्षेत्र व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय, खाद्यान्न भंडारण और वेयर हाउसिंग पर व्यय तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत ग्रामीण व्यय, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

3. पूंजी परिव्यय में राज्य सरकारों के विकास और विकासेतर पूंजी परिव्यय दोनों ही शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

के दौरान केवल महाराष्ट्र और गुजरात ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की। छत्तीसगढ़ ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की और उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश रहे। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 13.2 प्रतिशत का सर्वोच्च एसएसई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (12.3 प्रतिशत) तथा झारखंड (10.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और चार्ट 27) (विवरण 41,42 और 47 भी देखें)।

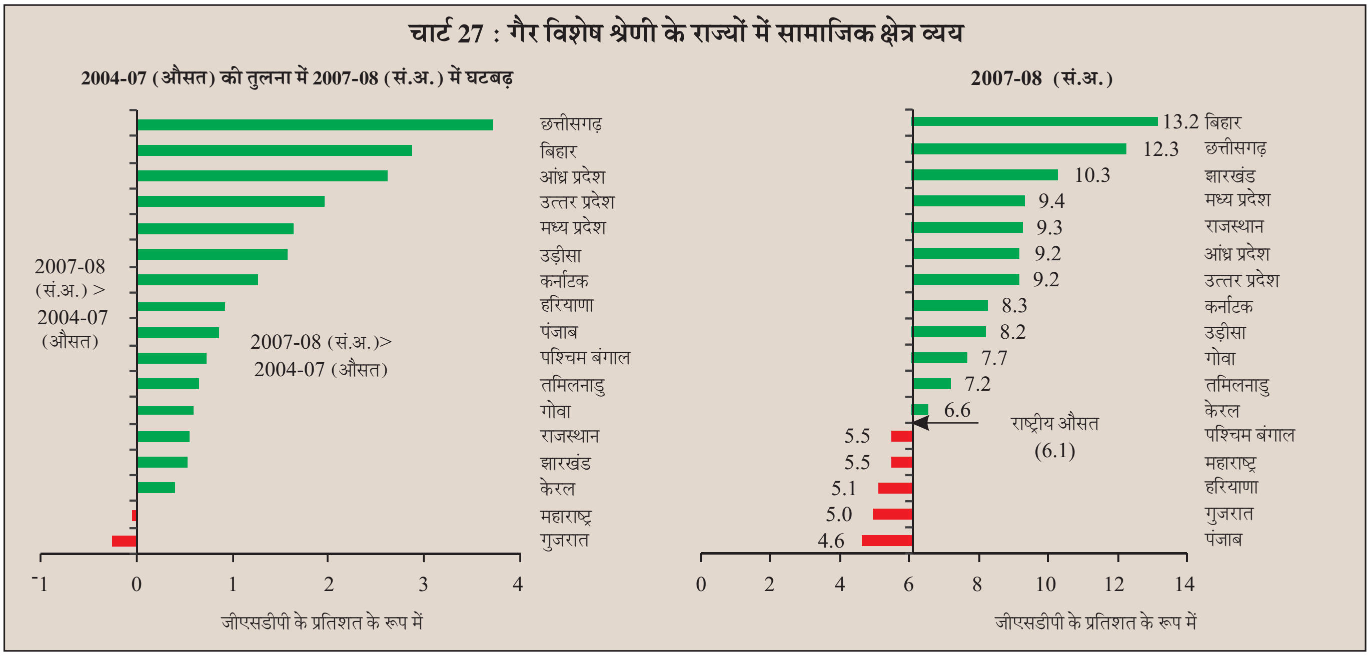

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में जीएसडीपी से पूंजी परिव्यय (सीओ) के अनुपात में थोड़ी कमी दर्शायी। उसी अवधि के दौरान सीओ-जीएसडीपी अनुपात में बिहार ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की और उसके बाद उत्तर प्रदेश,छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने 6.7 प्रतिशत के सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश (5.5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (5.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल (0.9 प्रतिशत) और केरल (1.0 प्रतिशत) का सीओ-जीएसडीपी अनुपात 2007-08 (सं.अ.) में अत्यंत कम रहा (सारणी 23 और चार्ट 28)।

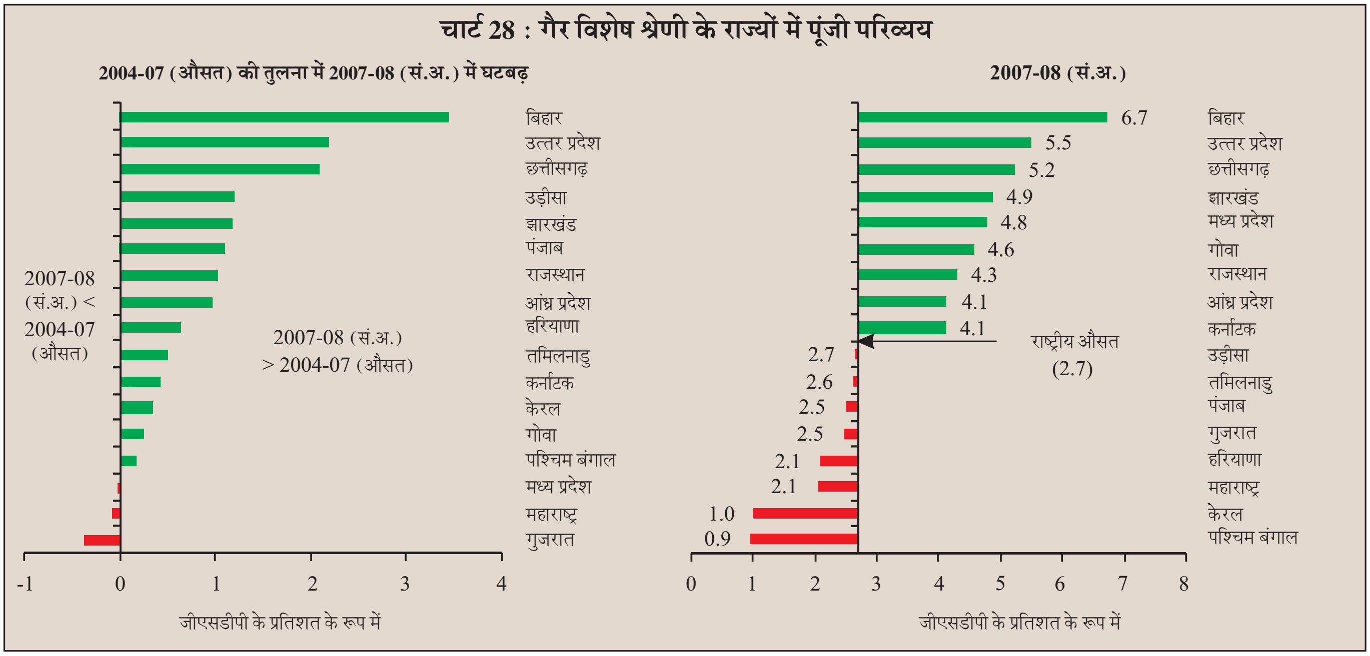

चार्ट 29 : विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय

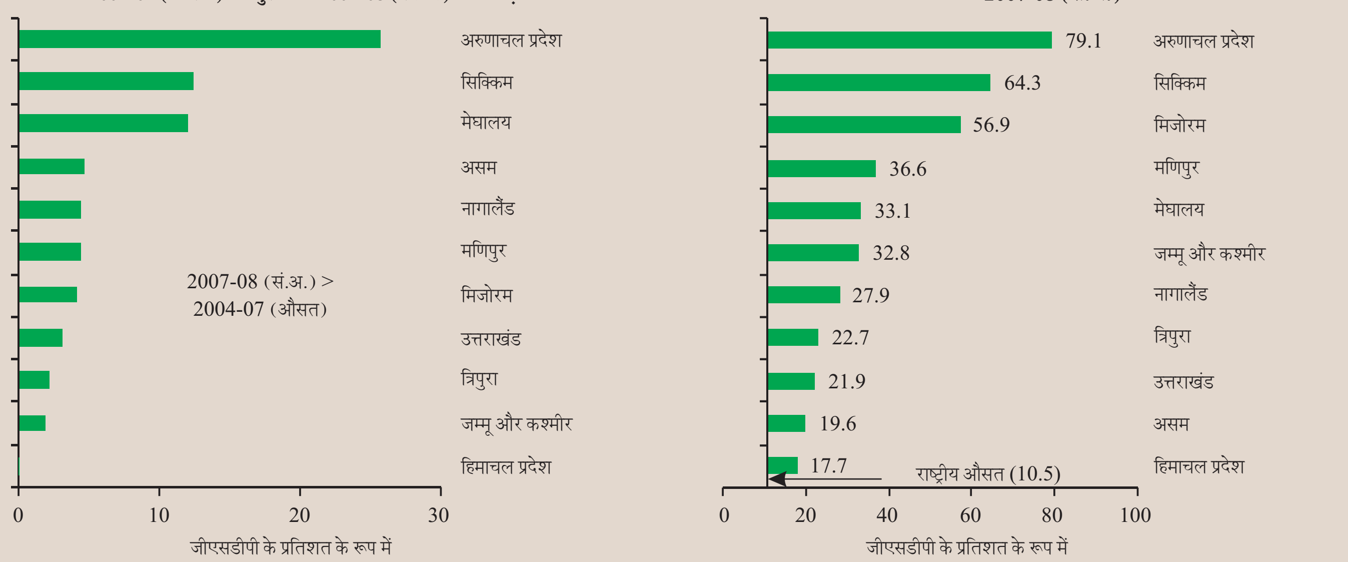

V.3.2 विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने डीई-जीएसडीपी अनुपात में 2007-08 (सं.अ.) में वृद्धि दर्ज की । उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने डीई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्शायी और उसके बाद सिक्किम, मेघालय और असम का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच अरुणाचल प्रदेश ने 79.1 प्रतिशत का सर्वोच्च डीई-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया (सारणी 23 और चार्ट 29 और विवरण 12)।

2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी (चार्ट 30)। उसी अवधि के

चार्ट 30 : विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय

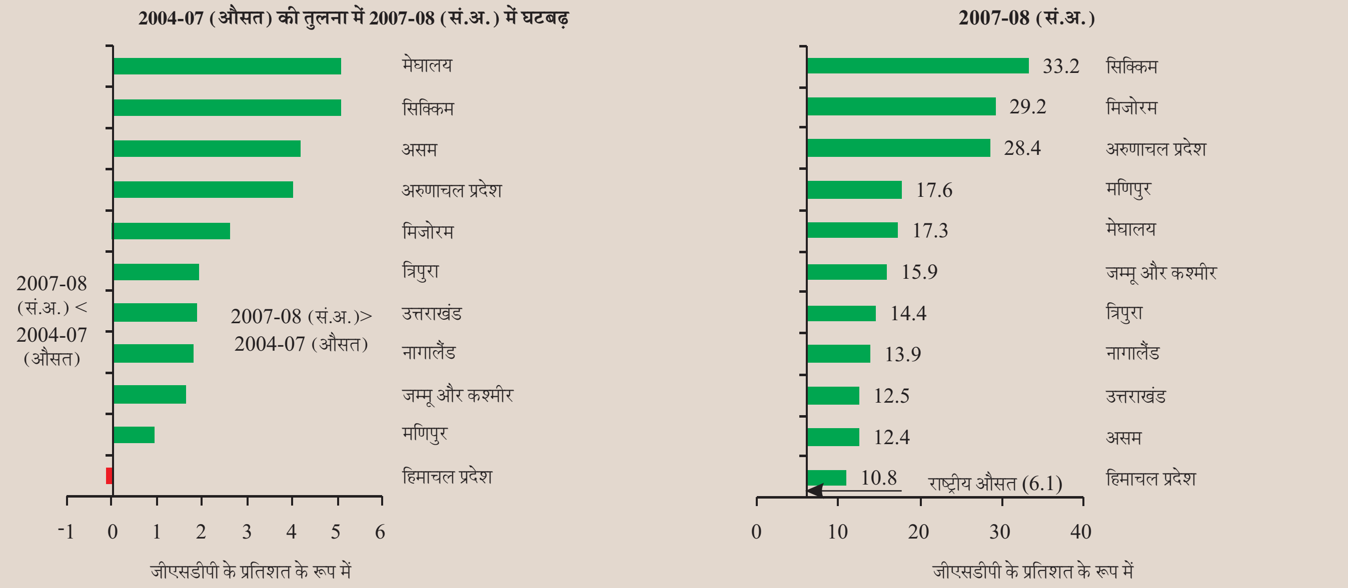

दौरान मेघालय ने एसएसई-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की। और उसके बाद सिक्किम और असम का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) के दौरान 33.2 प्रतिशत के एसएसई-जीएसडीपी अनुपात के साथ सिक्किम का स्थान सर्वोच्च रहा और उसके बाद मिजोरम (29.2 प्रतिशत) तथा अरुणाचल प्रदेश (28.4 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और विवरण 41,42 और 47)।

विशेष श्रेणी के सभी राज्यों ने 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में सीओ-जीएसडीपी में वृद्धि दर्शायी। उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश ने सीओ-जीएसडीपी अनुपात सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की और उसके बाद सिक्किम और मणिपुर रहे। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम ने सर्वोच्च सीओ-जीएसडीपी अनुपात (30.5 प्रतिशत) दर्ज किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (26.7 प्रतिशत) तथा मणिपुर (17.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 23 और चार्ट 31)

V.4 राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय

साहित्य में यह बात अच्छी तरह लिखी गई है की किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में व्यय का स्तर निम्न होना केवल दो कारणो से हो सकता है अर्थात राज्य सरकार द्वारा कम राजकोषीय प्राथमिकता देना और राज्य सरकार की निम्न राजकोषीय क्षमता11 यदि यह संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जुडी निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) के कारण व्यय का स्तर निम्न हो सकता है। दूसरी ओर, व्यय यह निम्न स्तर निम्न राजकोषीय दक्षता के कारण हो सकता है अर्थात यह तक की राजकोषीय प्राथमिकता जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है अथवा उसके बराबर है के बाद भी संबंद्धि राष्ट्रीय औसत राज्य के प्रति व्यक्ति व्यय से कम है। कुछ राज्यों में दोनों ही कारक साथ-साथ कार्य कर सकते हैं ,परिणामस्वरूप व्यय का स्तर निम्न रहेगा।

इस खंड में राज्य सरकारों की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण किया गया है। एक विशेष क्षेत्र को राज्य सरकारों द्वारा दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता का आकलन करने के लिये दो चर राशियां अर्थात जीएसडीपी से सकल व्यय और सकल व्यय से संबंधित व्यय की श्रेणी ली गई है (सारणी 24)। प्रति व्यक्ति के अर्थ में तथा समायोजित प्रति व्यक्ति अर्थ में गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु वे श्रेणियों से संबंधित आंकड़े सारणी 25 में दिए गए हैं। राजकोषीय क्षमता की गणना पद्धति की व्याख्या बॉक्स 6 में दी गयी है।

चार्ट 31: विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय

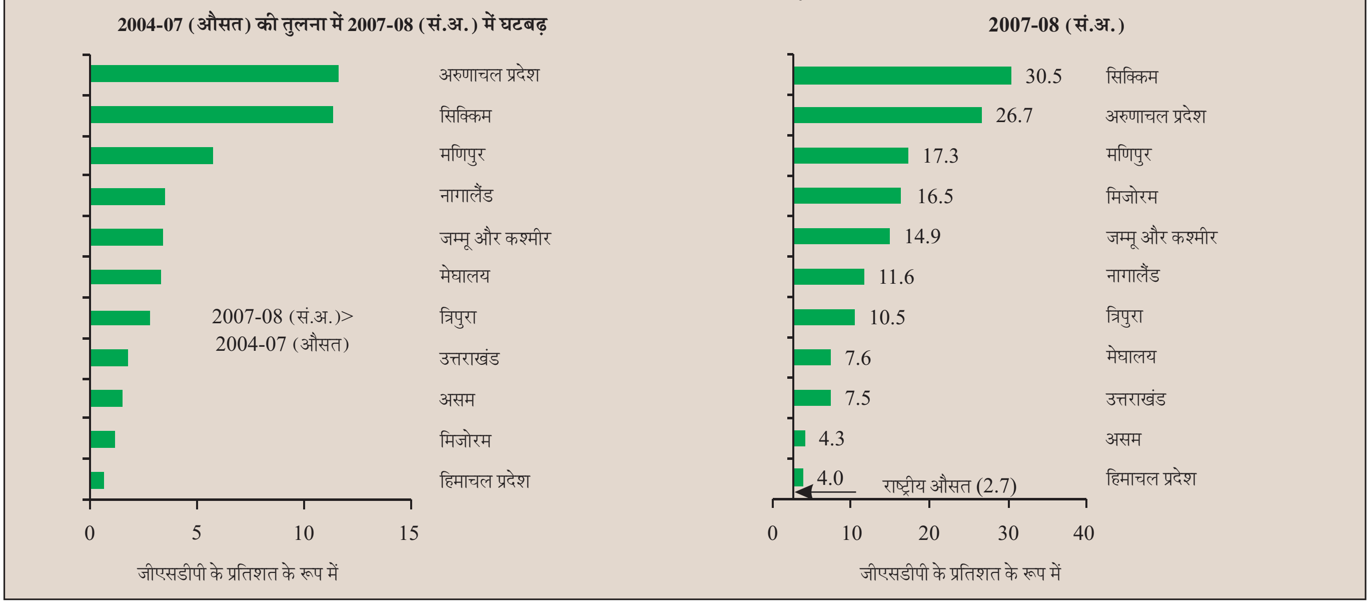

11 भारत सरकार (2004),बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, अक्तूबर.

सारणी 24: राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता- 2007-08 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	एई/ जीएसडीपी	डीई/ एई	एसएसई/ एई	सीओ/ एई
1	2	3	4	5
I. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	25.2	68.9	36.5	16.4
2. बिहार	32.4	63.7	40.7	20.7
3. छत्तीसगढ़	25.1	74.9	49.0	20.7
4. गोवा	23.7	71.5	32.6	19.3
5. गुजरात	14.4	63.6	34.4	17.1
6. हरियाणा	15.1	70.4	33.9	13.9
7. झारखंड	23.8	69.8	43.5	20.4
8. कर्नाटक	22.5	69.4	36.7	18.3
9. केरल	20.1	46.6	32.8	5.0
10. मध्य प्रदेश	25.3	64.2	36.9	18.8
11. महाराष्ट्र	14.2	65.6	38.5	14.4
12. उड़ीसा	24.2	54.0	34.0	11.0
13. पंजाब	21.3	49.4	21.8	11.7
14. राजस्थान	23.5	64.6	39.5	18.3
15. तमिलनाडु	19.7	57.9	36.6	13.3
16. उत्तर प्रदेश	25.9	63.6	35.6	21.2
17. पश्चिम बंगाल	15.5	49.4	35.3	6.1
II. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	101.4	78.0	28.0	26.4
2. असम	29.5	66.5	42.2	14.5
3. हिमाचल प्रदेश	31.4	56.4	34.6	12.8
4. जम्मू और कश्मीर	53.0	61.9	30.0	28.1
5. मणिपुर	55.4	66.1	31.7	31.2
6. मेघालय	45.2	73.3	38.2	16.8
7. मिजोरम	80.2	71.0	36.4	20.5
8. नागालैंड	45.7	61.1	30.3	25.4
9. सिक्किम	138.4	46.5	24.0	22.0
10. त्रिपुरा	37.3	61.0	38.7	28.1
11. उत्तराखंड	32.8	66.9	38.0	23.0
सभी राजय	**16.7***	**62.7**	**36.3**	**16.3**

एई : सकल व्यय   एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय
डीई : विकास व्यय   सीओ : पूंजी परिव्यय
* : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में   आरई : संशोधित अनुमान
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

V.4.1 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति विकास व्यय (पीसीडीई) 2007-08 (सं.अ.) में 8 राज्य सरकारों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल और झारखंड में 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एई-जीएसडीपी और डीई-एई के लिए समायोजन करने के बाद भी यह पीसीडीई 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से नीचे रहता है। जबकि, केरल में समायोजन के बाद यह पीसीडीई राष्ट्रीय औसत के ऊपर चला जाता है। शेष राज्यों में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसतों के ऊपर आता है। तथापि, एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात ऊंचे रहने पर भी उनके पीसीडीई राष्ट्रीय औसत से नीचे आते हैं। दूसरी ओर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचा पीसीडीई दर्शाया, हालांकि उनके संबंधित एई-जीएसडीपी तथा डीई-एई अनुपात अथवा उनमें से कोई भी संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इस प्रकार, समायोजन के बाद उनके पीसीडीई और बढ़ते हैं। कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पीसीडीई तथा संबंधित एई-जीएसडीपी तथा डीई-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसतों से ऊपर आते हैं। इस प्रकार, इन राज्यों के मामले में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय औसतों के साथ एई-जीएसडीपी और डीई-एई अनुपात के लिए समायोजन करने के बाद पीसीडीई का राष्ट्रीय औसत 4,308 रुपए से बढ़कर 4,725 रुपए हो जाता है। यह पीसीडीई समायोजन के बाद 8 राज्य सरकारों यथा गुजराज, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बढ़ता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 32)।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) में प्रति व्यक्ति के अर्थ में सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में किया जाने वाला व्यय 7 राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम था। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय 2,492 रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम रहता है। पंजाब में एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात के लिए समायोजन करने के बाद यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत से ऊपर चला जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में यह एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात पहले से ही संबंधित राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं; अतः कोई समायोजन नहीं किया गया था । तथापि, इन तीन राज्यों में यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है । गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र में यह पीसीएसई राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचा है। हालांकि, उनके एई-जीएसडीपी और एसएसई-एई अनुपात अथवा उनके में से कोई एक संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इस प्रकार, समायोजन के बाद इन राज्यों का संबंधित पीसीएसई और बढ़ता है। कुछ अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और

सारणी 25: राज्य सरकारों का प्रति व्यक्ति व्यय - 2007-08 (सं.अ.)

(राशि रुपए में)

राज्य	प्रति व्यक्ति			समायोजित प्रति व्यक्ति*		
	डीईवी	एसएसई	सीओ	डीईवी	एसएसई	सीओ
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर विशेष श्रेणी						
1. आंध्र प्रदेश	6,607	3,505	1,571	6,607	3,505	1,571
2. बिहार	2,294	1,465	744	2,294	1,465	744
3. छत्तीसगढ़	5,390	3,527	1,494	5,390	3,527	1,494
4. गोवा	16,371	7,467	4,409	16,371	8,302	4,409
5. गुजरात	4,749	2,572	1,278	5,518	3,146	1,485
6. हरियाणा	6,594	3,177	1,299	7,307	3,761	1,690
7. झारखंड	4,272	2,660	1,249	4,272	2,660	1,249
8. कर्नाटक	5,858	3,104	1,548	5,858	3,104	1,548
9. केरल	4,069	2,861	438	5,476	3,168	1,424
10. मध्य प्रदेश	3,343	1,923	979	3,343	1,923	979
11. महाराष्ट्र	5,046	2,961	1,110	5,928	3,478	1,474
12. उड़ीसा	3,385	2,133	687	3,928	2,272	1,021
13. पंजाब	5,414	2,384	1,281	6,862	3,970	1,784
14. राजस्थान	3,909	2,390	1,110	3,909	2,390	1,110
15. तमिलनाडु	5,115	3,235	1,177	5,536	3,235	1,439
16. उत्तर प्रदेश	2,988	1,670	995	2,988	1,703	995
17. पश्चिम बंगाल	2,701	1,933	334	3,687	2,133	959
II. विशेष श्रेणी						
1. अरुणाचल प्रदेश	24,909	8,949	8,419	24,909	11,581	8,419
2. असम	4,759	3,019	1,037	4,759	3,019	1,167
3. हिमाचल प्रदेश	8,631	5,292	1,962	9,599	5,553	2,496
4. जम्मू और कश्मीर	8,531	4,131	3,870	8,639	4,998	3,870
5. मणिपुर	10,127	4,863	4,787	10,127	5,557	4,787
6. मेघालय	9,972	5,200	2,279	9,972	5,200	2,279
7. मिजोरम	19,100	9,806	5,525	19,100	9,806	5,525
8. नागालैंड	10,714	5,317	4,458	10,996	6,361	4,458
9. सिक्किम	24,874	12,845	11,773	33,537	19,400	11,773
10. त्रिपुरा	7,434	4,718	3,421	7,640	4,718	3,421
11. उत्तराखंड	7,974	4,535	2,745	7,974	4,535	2,745
सभी राजय	**4,308**	**2,492**	**1,120**	**4,725**	**2,717**	**1,316**

डीईवी : विकास व्यय एसएसई : सामाजिक क्षेत्र व्यय सीओ : पूंजी परिव्यय

* : समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय बॉक्स 6 में स्पष्ट की गई पद्धति के अनुसार परिकलित किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

तमिलनाडु में पीसीएसई और एई दोनों तथा एसएसई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचे हैं। अतः इन राज्यों में कोई भी समायोजन नहीं किया गया है। संबंधित राष्ट्रीय औसतों के साथ एई-जीएसडीपी अनुपात तथा एसएसई-एई अनुपात में समायोजनों के बाद पीसीएसई का राष्ट्रीय औसत बढ़कर 2,717 रुपए हो जाता है। समायोजन के बाद गैर विशेष श्रेणी के 9 राज्यों में पीसीएसई बढ़ गया (सारणी 24, 25 और चार्ट 33)।

2007-08 (सं.अ.) में 8 राज्यों नामतः बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने प्रति व्यक्ति के अर्थ में पूंजी परिव्यय पर राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपातों के लिए समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है। महाराष्ट्र और केरल में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपातों के लिए समायोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है। महाराष्ट्र और केरल में एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपतों हेतु समायोजन करने के बाद पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से ऊपर चला जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि उनके एई-जीएसडीपी तथा सीओ-एई अनुपात उनके राष्ट्रीय औसत से ऊंचे हैं। तथापि,

बाक्स 6 : राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता: पद्धति

राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता की गणना करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गई निम्नलिखित पद्धति अपनाने का सुझाव दिया गया है।

1. एई-जीएसडीपी और सीओ/डीई/एसएसई-एई के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।
2. एई-जीएसडीपी अनुपात के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सकल व्यय निकालें ताकि किसी भी राज्य का एई-जीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न रहे अर्थात यदि
   एई-जीएसडीपी = एक्स
   एई = एक्स * जीएसडीपी -------(1)
   जहां एक्स एई-जीएसडीपी के अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।
   जहां कहीं भी राज्यों का एई-जीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किए गए थे। जहां कहीं भी यह अनुपात औसत से कम था, इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया गया।
3. डीई-एई,एसएसई-एई और सीओ-एई के राष्ट्रीय औसत के आधार पर डीई, एसएसई और सीओ निकालें ताकि किसी भी राज्य के ये अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न रहें अर्थात् यदि
   डीई/एई = वाइ
   डीई=वाइ * एई ---------------(2)
   जहां वाइ डीई-एई अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।
   समीकरण (1) को (2) में विस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है
   डीई=वाई*एक्स*जीएसडीपी . . . . .(3)
   जहां राज्यों का डीई-एई,एसएसई-एई और सीओ-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किए गए। जहां कही यह अनुपात औसत से कम थे, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।
4. समीकरण (3) के अनुसार निकाले गए डीई, एसएसई और सीओ के आधार पर तत्संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गई थी अर्थात
   पीसीडीई=डीई/पी . . . . (4)
   जहां पीसीडीई प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और पी आबादी है।
   (4) में (3) को विस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है।
   पीडीई=(वाई*एक्स*जीएसडीपी)/पी . . . . . . (5)
   समीकरण (5) समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय देता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है तो राज्यों का व्यय करने का निम्न स्तर निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण है। जब सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय औसत के बराबर इन क्षेत्रों के साथ राजकोषीय प्राथमिकता जोड़ रही हैं तो यह व्यय के वास्तविक स्तर की तसवीर प्रस्तुत करता है।

संदर्भ :

भारत सरकार (2004), बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, अक्तूबर

उनके पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से कम आते हैं। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से अधिक ऊंचा हैं। हालांकि, एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपात अथवा उनमें से कोई एक औसत से कम है। इस प्रकार समायोजन के बाद उनके

चार्ट 32 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

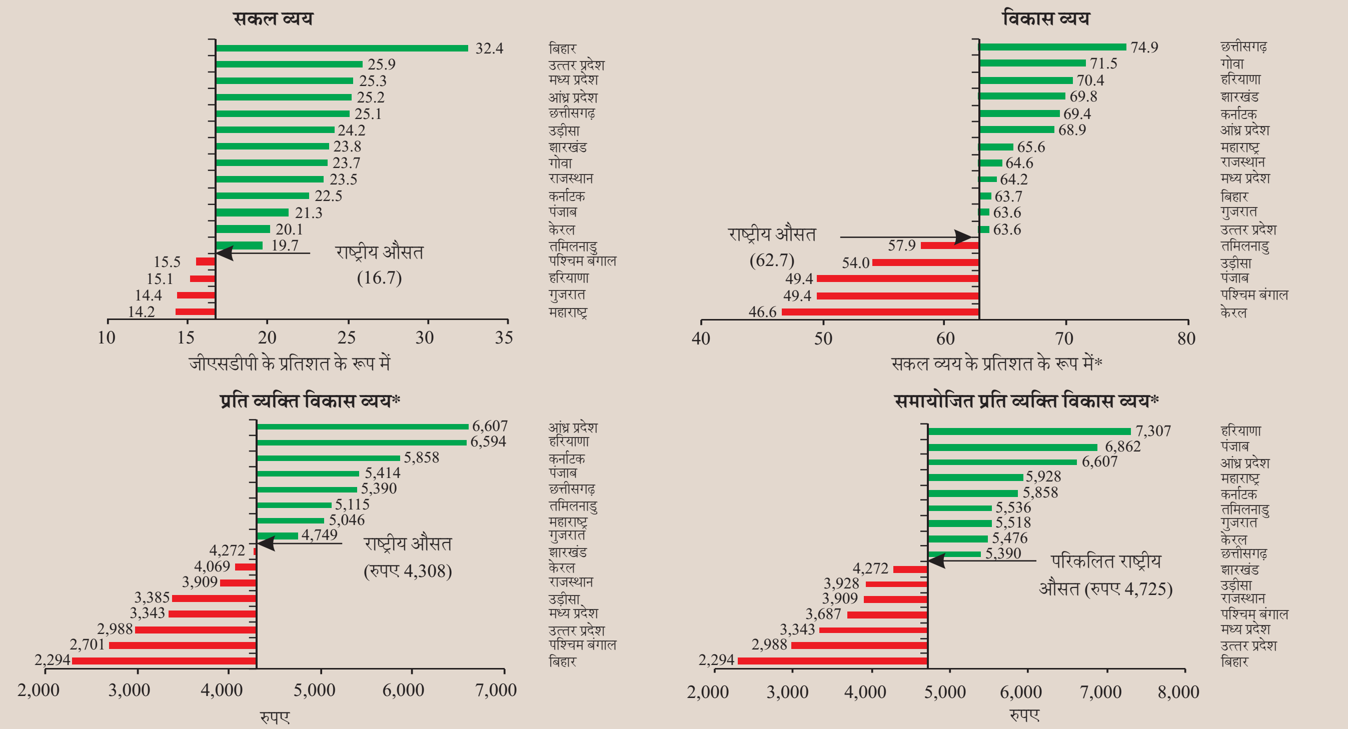

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

चार्ट 33 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

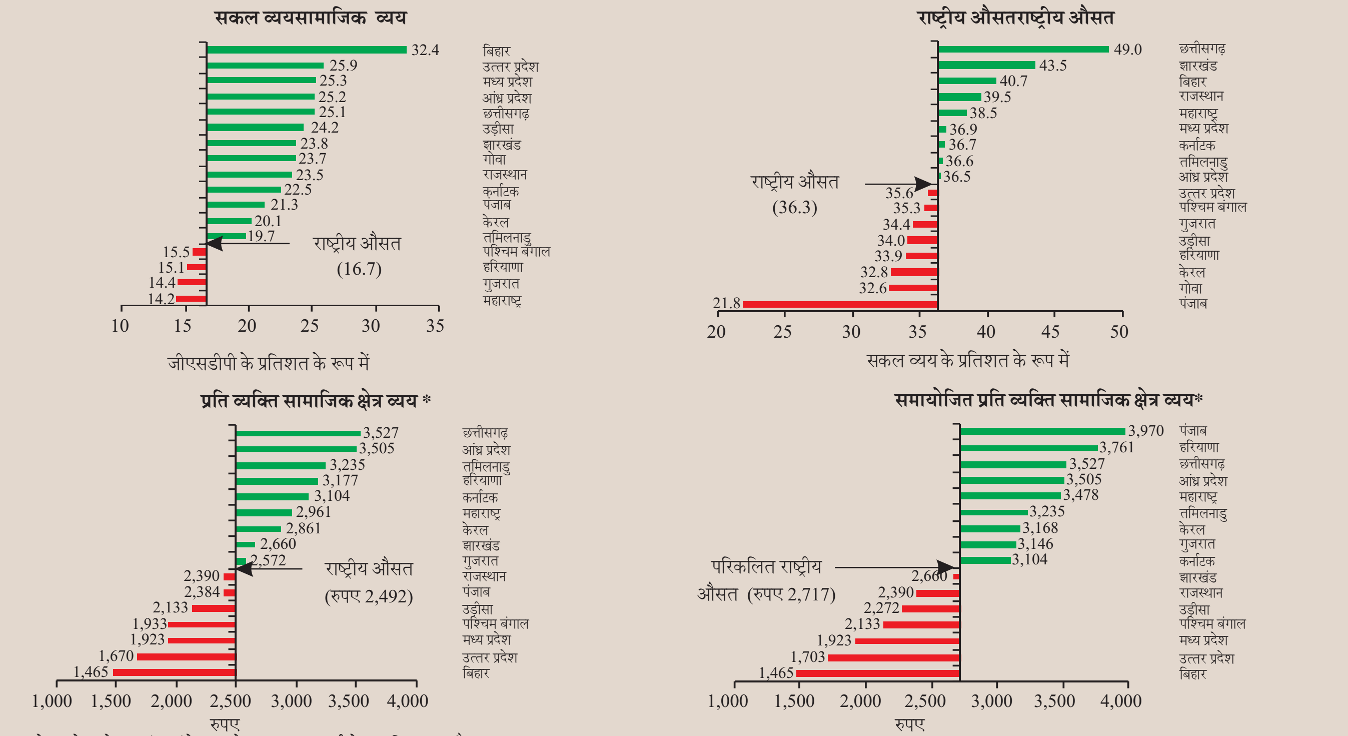

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

पीसीसीओ और बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और कर्नाटक में पीसीसीओ, एई-जीएसडीपी और सीओ-एई अनुपात संबंधित राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊंचे हैं। कई राज्यों में राजकोषीय प्राथमिकता में कमियों के लिए समायोजन करने के बाद पीसीसीओ का राष्ट्रीय औसत 1,120 रुपए से बढ़कर 1,316 रुपए हो गया। समायोजन के बाद, 8 राज्य सरकारों ने पीसीसीओ में वृद्धि दर्शायी (सारणी 24, 25 और चार्ट 34)।

V.4.2 विशेष श्रेणी के राज्य

ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेष श्रेणी के सभी राज्यों का पीसीडीई 2007-08 (सं.अ.) में 4,308 रुपए के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों यथा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का डीई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। इन राज्यों ने समायोजन के बाद पीसीडीई में वृद्धि अनुभव की (सारणी 24, 25 और चार्ट 35)।

इसी प्रकार, पीसीएसई के अर्थ में विशेष श्रेणी के सभी राज्य 2,492 रुपए के राष्ट्रीय औसत से ऊपर आते हैं। तथापि, बहुत से राज्यों जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश ने एसएसई-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे आता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 36)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केवल असम में पीसीसीओ 1,120 रुपए के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। असम और हिमाचल प्रदेश में सीओ-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। तथापि, हिमाचल प्रदेशों में पीसीसीओ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आता है (सारणी 24, 25 और चार्ट 37)।

इस प्रकार, उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजस्व लेखे में सुधार तथा परिणामी राजस्व आधिक्य ने विशेष और गैर विशेष दोनों ही श्रेणी के राज्यों के लिए विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजी परिव्यय में वृद्धि आसान बनायी। तथापि, कुछ राज्यों में अपर्याप्त राजकोषीय क्षमता व्यय की इन श्रेणियों में मात्रात्मक वृद्धि के मार्ग में आती है। कुछ अन्य राज्यों में, व्यय की इन श्रेणियों से जुड़ी निम्न राजकोषीय प्राथमिकता से प्रति व्यक्ति व्यय कम होता है। कुछ राज्यों में तो दोनों ही तरफ साथ-साथ कार्य करते हैं

चार्ट 34 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.)

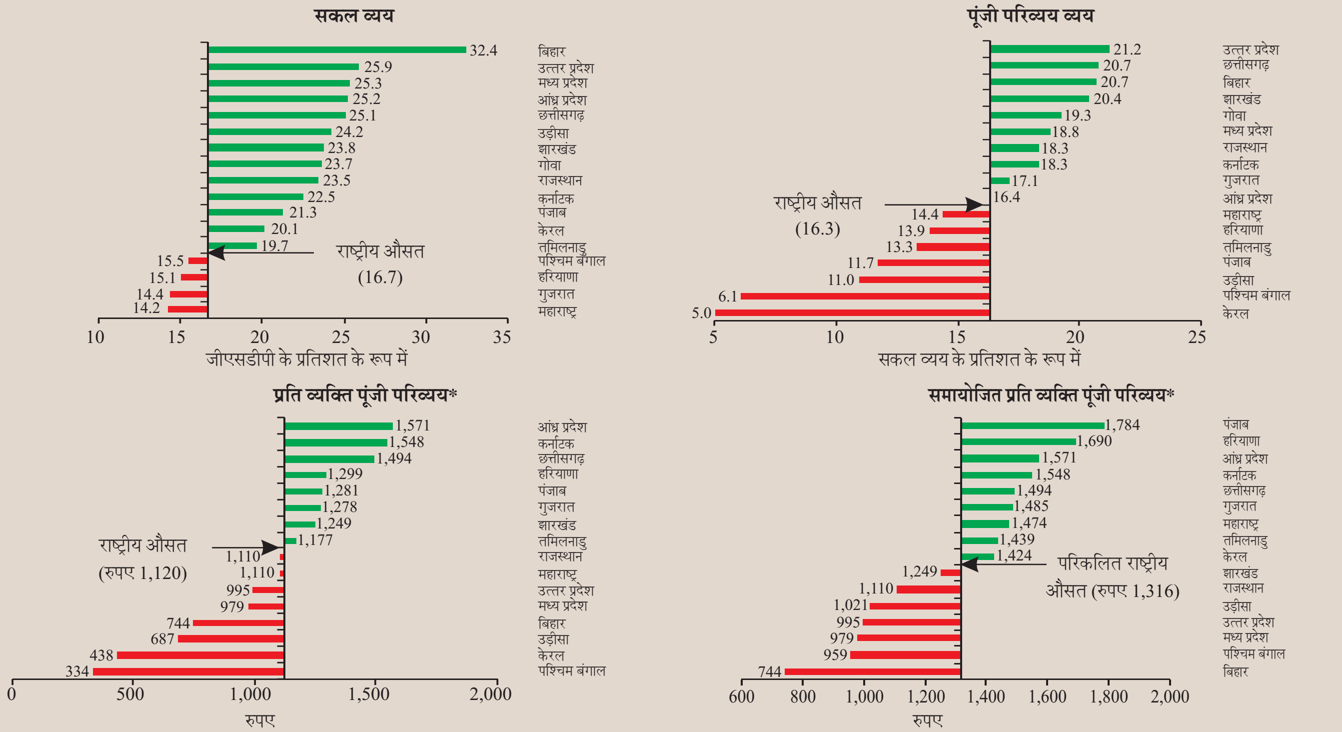

* : गोवा को इसके अत्यंत ऊंचे मूल्य के कारण इस चार्ट से हटा दिया गया है।

चार्ट 35 : विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

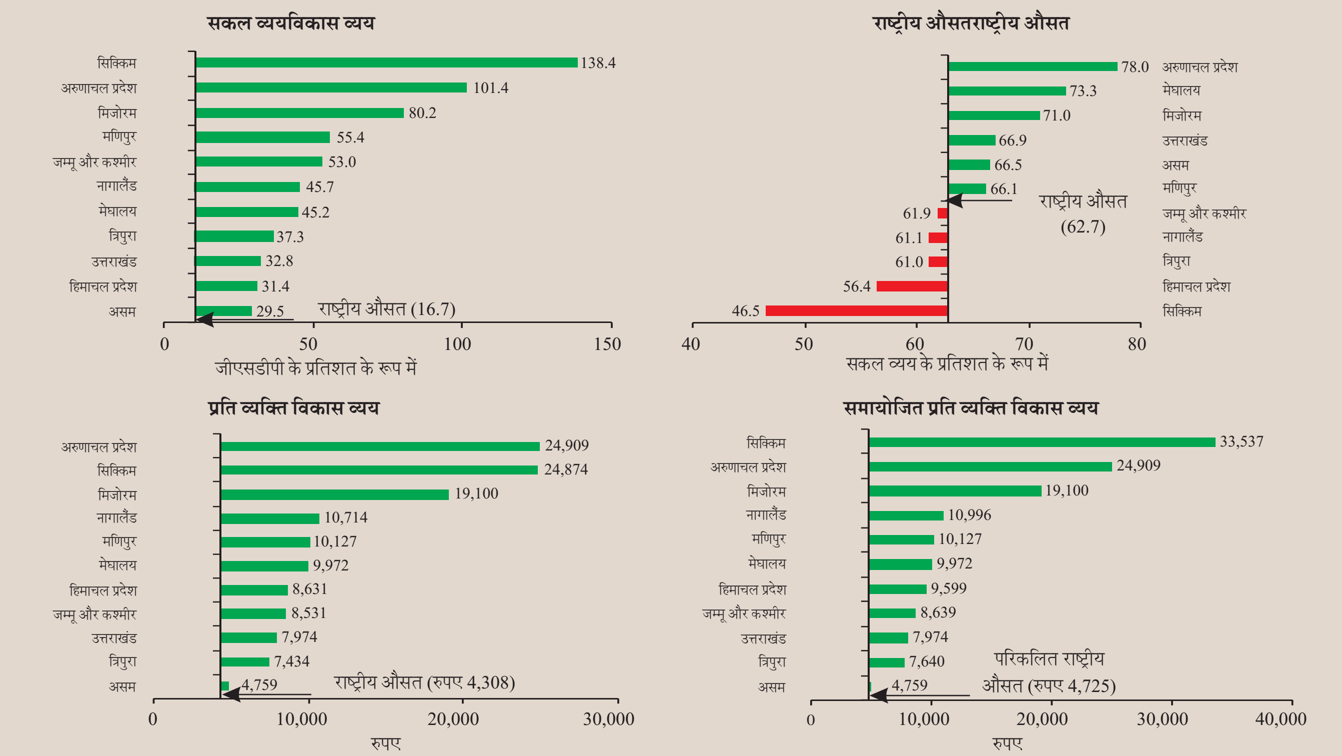

चार्ट 36 : विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र व्यय- 2007-08 (सं.अ.)

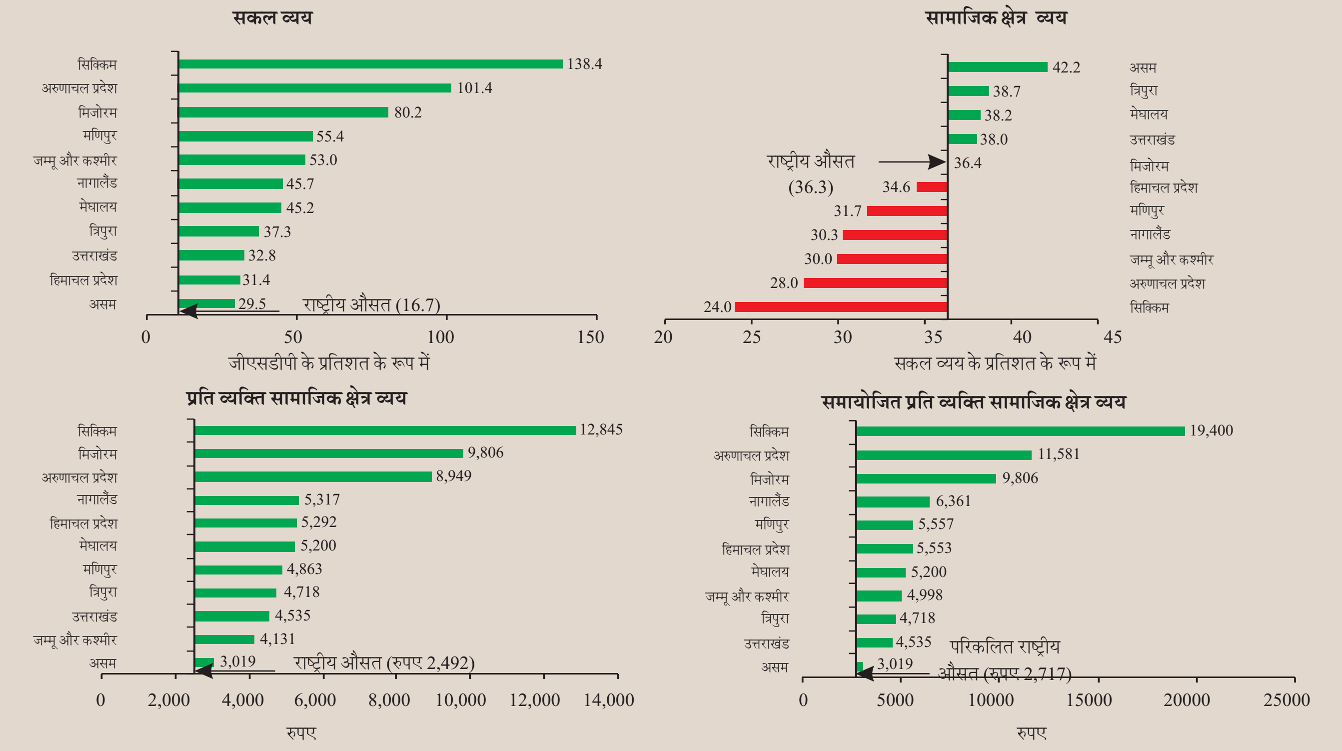

चार्ट 37 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पूंजी परिव्यय- 2007-08 (सं.अ.)

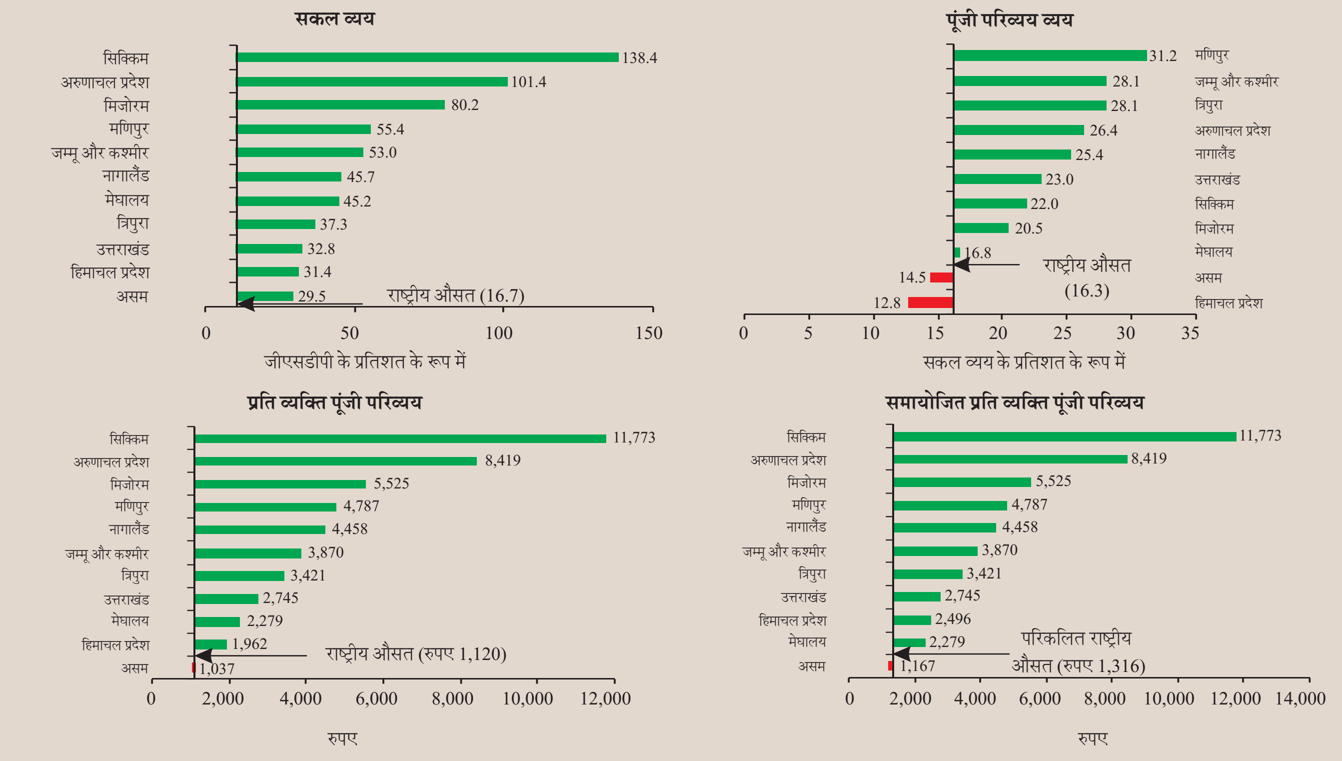

और परिणामस्वरूप व्यय का स्तर निम्न हो जाता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कम प्रति व्यक्ति व्यय के परिप्रेक्ष्य में बारहवें वित्त आयोग में विशेष राज्य सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान देने की सिफारिश की थीं। विषमता के साथ प्रति व्यक्ति विकास व्यय राज्यों के बीच काफी व्यापक रहने वाला है और ऐसे विशेष अनुदानों को जारी रखने में ही फायदा है।

इस खंड में किया गया विश्लेषण इस बात की ओर संकेत करता है कि हाल ही के वर्षों में सभी राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद राज्य सरकारों के बीच राजकोषीय निष्पादन में व्यापक अंतर मौजूद रहता है। विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अनेक राजकोषीय उपाय किये गये हैं जैसा कि उड़ीसा के संबंध में किये गये मामला अध्ययन में रेखांकित किया गया है जो बॉक्स 7 में दर्शाया गया है। जहां कुछ राज्य सरकारों ने बहुत से संकेतकों के संबंध में टीएफसी लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिये हैं वही कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया धीमी है। यह स्पष्ट है कि राजस्व लेखे में सुधार तथा उसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य से लगभग सभी राज्यों विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर व्यय का अधिक आबंटन हुआ है।

अंत में, राज्य बिक्री के बदले वैट के कार्यान्वयन, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) (26 राज्यों द्वारा) और परिणामस्वरूप ऋण राहतें तथा साझायोग्य करों के अर्थ में केंद्रों द्वारा राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक डिवोल्यूशन एवं बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार सहायता अनुदान जैसे कुछ सामान्य तत्वों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया राज्यों के बीच सुगम बनायी है। लेकिन राजकोषीय प्राथमिकता सहित राज्य विशिष्ट राजकोषीय स्थितियां तथा कम राजकोषीय क्षमता भी राजकोषीय पुनर्संरचना डिज़ाइन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

VI. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं, बाजार उधार और आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारों का बकाया ऋण, जो मौजूदा दशक के प्रथमार्ध में भारी और सतत राज्यकोषीय असंतुलनों के कारण ऊंचे स्तर तक चला गया था, ने हाल ही में बिते समय में सुधार के संकेत दर्शाना प्रारंभ कर दिया है। राज्यों की प्रासंगिक देयताएं भी कम हुई हैं। एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में कमी तथा केंद्र से मिलने वाले ऋणों के चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाने के कारण बाजार उधारों पर राज्यों की निर्भरता बढ़ी है। इस खंड में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं, बाजार उधार, आकस्मिक देयताओं और अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट का विश्लेषण किया गया है।

VI.1 बकाया देयताएं[12]

VI.1.1 मात्रा

राज्य वित्तों की संरचनागत कमजोरियां भारी और सतत राजस्व घाटे में सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई भारी सकल राजकोषीय घाटा और ऋण के भारी संचय तथा ऋण चुकौती भार में सहगामी वृद्धि के रूप में परिणित हुईं। 1991-2004 के बीच राज्यों का समेकित ऋण सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 10.7 प्रतिशत अंक बढ़कर 33.2 प्रतिशत हो गया। बारहवें वित्त आयोग ने 30.8 प्रतिशत के ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और 15.0 प्रतिशत के आइपी-आरआर अनुपात का लक्ष्य 2009-10 तक हासि करने सिफारिश की है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की ऋण राहत व्यवस्था जिसमें नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, से बकाया देयताओं की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता मिली। राज्य सरकारें का ऋण सकल घरेलू अनुपात मार्च 2004 के अंत के 33.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 2007-08 (सं.अ.) में 28.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया इसे 2008-09 में अनुमान है कि यह 27.4 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा (सारणी 26, चार्ट 38 और परिशिष्ट सारणियां 19-20)।

12 राज्य सरकारों की बकाया देयताएं विभिन्न

बॉक्स 7: राजकोषीय सुधार - उड़ीसा का मामला अध्ययन

अपने वित्त की स्थिति सुधारने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उड़ीसा सरकार ने कई सुधारक कदम उठाए। पहले कदम के रूप में उड़ीसा सरकार ने 1979 और 2001 में दो श्वेत पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से राजकोषीय समस्या से संबंधित सभी सूचना प्रसारित की। सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ राजकोषीय समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 1999 और 2001 में राज्य सरकार ने सुधार उपायों के एक सहमत सेट के कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। राज्य ने 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान कार्यान्वित किया और निगरानी योग्य राजकोषीय लक्षियों के साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना तैयार की। उडीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये प्रमुख सुधार उपाय तीन श्रेणियों में आते हैं यथा, राजस्व बढ़ाने के उपाय, व्यय घटाने के उपाय और स्टाफ यौक्तिकीकरण उपाय।

राजस्व बढ़ाने के उपायों में कर और करेतर राजस्व दोनों को ही बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। राज्य ने 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया है। इसने प्रवेश कर और व्यवसायों पर भी कर लगाया है। सरकार ने कर दरों और स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों को भी तर्क संगत बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। सरकार ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वसुली में सुधार लाने के लिये संपत्ति के कम मुल्यांकन को रोकने के उपाय किये है तथा बिक्री कर के अंतर्गत छूट देना चरण बद्ध रूप से समाप्त कर दिया है। कर प्रशासन में सुधार लाने के लिए वाणिज्यिक करों का कम्प्यूटरीकरण, ऑन-लाईन पंजीकरण तथा विवरणियों की ई-फाईलिंग, भू-लेखों का कम्प्यूटरीकरण, आदि जैसे उपाय प्रारंभ किये गये थे। माल और सामान के लाने ले जाने के लिए पर चौकसी तथा कर योग्य लेन देनों की ट्रैकिंग ने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राज्य ने नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की है। करेतर राजस्व में सुधार लाने के उपायों में शामिल जल कर की दरों में संशोधन जल आपूर्ति टैरिफ का समयबद्ध संशोधन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और पशु चिकित्सा सेवाओं में उपयोगिता प्रभार की शुरूआत।

उड़ीसा सरकार ने पेंशन के रूप में जाने वाली भावी राशि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नये भर्ती किये लोगों के लिए 1 जनवरी 2005 से लागू परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की। बढ़ती ब्याज भुगतान देयताओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य ने ऊंची लागत वाले ऋणों को बदल लिया और फिर से खरीद लिया तथा भारत सरकार के माध्यम से बाह्य निधीयक एंजेसियों से कम लागत वाले तथा रियायती उधार लिये। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से अभ्यर्पित छुट्टी नकदीकरण समाप्त कर दिया और 1 नवंबर 2003 से डॉक्टरों के लिए नॉन-प्रॅक्टिसिंग भत्ता समाप्त कर दिया। सरकार ने बुनियादी सुविधा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक व्यवस्था प्रारंभ की। राज्य ने शिक्षा और तकनीकी संस्थाओं में स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। सरकार ने आवश्यकतानुसार समेकित वेतन पर संविदागत नियुक्तियों के माध्यम से श्रम शक्ति को सही आकार देने का प्रयास किया है। इसके लिए उसने खाली पदों को समाप्त करना और अतिरिक्त श्रम शक्ति की पहचान करना तथा उन्हें उन क्षेत्रों में जहां श्रम शक्ति की आवश्यकता है वहां उनका पुनर्नियोजन करने का कार्य किया है। सरकार ने जरूरत से ज्यादा व्यय को रोकने के लिए बजटीय आबंटनों का ऑन-लाइन सत्यापन भी प्रारंभ किया और लेखांकन तथा रिपार्टी को ऑन-लाइन तैयार करना लक्ष्यित परिव्यय को देखते हुए व्यय की बेहतर निगरानी के लिए प्रारंभ किया है। एक बार ऊर्जा क्षेत्र के सुधार समाप्त हो जाएं तो राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को सब्सिडीयां देना रोकने का भी निर्णय लिया है। हानि उठानेवाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने, उनका निजीकरण करने और उनकी पुनर्संरचना करने का कार्य भी राज्य सरकार के सक्रिय विचारों के अधीन है।

उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्टाफ को तर्कसंगत बनाने के उपायों में शामिल है। 27 जनवरी 2003 से लागू राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ करना तथा डॉक्टरों, नर्सों, प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों, पुलिस के कार्मिकों, जेल और अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर अन्य में नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा नए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को 'शिक्षा सहायक' के रूप में कुल 3,000 रुपए के वेतन पर संविदागत आधार पर काम पर लिया जा रहा है।मध्यावधि की नीतिगत रणनीति में लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों और सुधारात्मक उपायों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से धन के मूल्य तथा सरकारी धन के लिए जवाबदेही बढ़ाना सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक व्यय प्रबंधन को सुधारना शामिल है। मात्रात्मक और निगरानीयोग्य भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के साथ परिव्यय को परिणामों से जोड़ना विचाराधीन है। बुनियादी संरचना परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने दक्ष खरीद एवं संविदा प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की। लिए गए निवल उधारों को न्यूनतम स्तर पर रखकर राज्य सरकार उधारों पर निर्भरता घटाने की योजना बना रही है तथा ब्याज भार में कमी लाने तथा विकास हेतु मुक्त राजकोषीय स्थान बनाने के लिए ऋण पुनर्संरचना को भी लक्ष्य बना रही है। मध्यावधि में सरकार राजस्व अधिशेष को और बढ़ाने का प्रयास करेगी ताकि पूंजी परिव्यय बढ़ाया जा सके। सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु बड़ी निधियां भी मध्यावधि में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करेंगी।

स्रोत :

उड़ीसा सरकार (2008),बैकग्राउंड नोट फार स्टेट लेवेल सेमिनार आन स्टेट्स मेमोरेंडम टु द 13थ फायनांस कमीशन, भुवनेश्वर, 17 अक्तूबर।

VI.1.2 ऋण का संघटन

राज्यों के बकाया ऋण के अंतर्गत आंतरिक ऋण (मुख्यतः बाजार उधार, एनएसएसएफ को जारी की विशेष प्रतिभूतियां, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण और रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट), केंद्र से ऋण, लोक लेखा देयताएं (इसमें अल्प बचत, राज्य भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां और जमा राशियां तथा अग्रिम शामिल हैं) तथा आकस्मिक निधि आते हैं।

राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन एनएसएसएफ से ऋणों, बाजार उधारों और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के हिस्से में तेज वृद्धि के साथ केंद्र से ऋणों के हिस्से में तेज गिरावट दर्शाता है। यद्यपि, एनएसएसएफ से ऋणों का हिस्सा 2007 की स्थिति से नीचे आ गया है, 2008-09 (ब.अ.) के दौरान बकाया देयताओं में यह घटक सबसे बड़ा घटक (31.2 प्रतिशत) बना रहेगा। इसके बाद 2008-09 (ब.अ) में 25.0 प्रतिशत पर बाजार उधारों का स्थान रहेगा जो

सारणी 26: राज्य सरकारों की बकाया देयताएं

वर्ष (मार्च के अंत तक)	राशि (करोड़ रुपए में)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	ऋण/जीडीपी (प्रतिशत)
1	2	3	4
1991	1,28,155	–	22.5
1992	1,47,030	14.7	22.5
1993	1,68,365	14.5	22.4
1994	1,87,875	11.6	21.7
1995	2,16,473	15.2	21.3
1996	2,49,535	15.3	20.9
1997	2,85,898	14.6	20.7
1998	3,30,816	15.7	21.7
1999	3,99,576	20.8	22.8
2000	5,09,529	27.5	26.1
2001	5,94,148	16.6	28.3
2002	6,90,747	16.3	30.3
2003	7,86,427	13.9	32.0
2004	9,13,376	16.1	33.2
2005	10,29,174	12.7	32.7
2006	11,67,866	13.5	32.6
2007	12,57,362	7.7	30.3
2008 (सं.अ.)	13,33,656	6.1	28.3
2009 (ब.अ.)	14,51,026	8.8	27.4

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
स्रोत : 1) राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।
2) भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त और राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार
3) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4) रिज़र्व बैंक रिकार्ड
5) केंद्रीय वित्त लेखे, भारत सरकार

2006-07 (लेखे) ने 19.3 प्रतिशत थे। दूसरी ओर, केंद्र से ऋण, 1991 में जिनका हिस्सा 57.4 प्रतिशत था, काफी कम हो

चार्ट 38: घाटा, ऋण और ब्याज भार

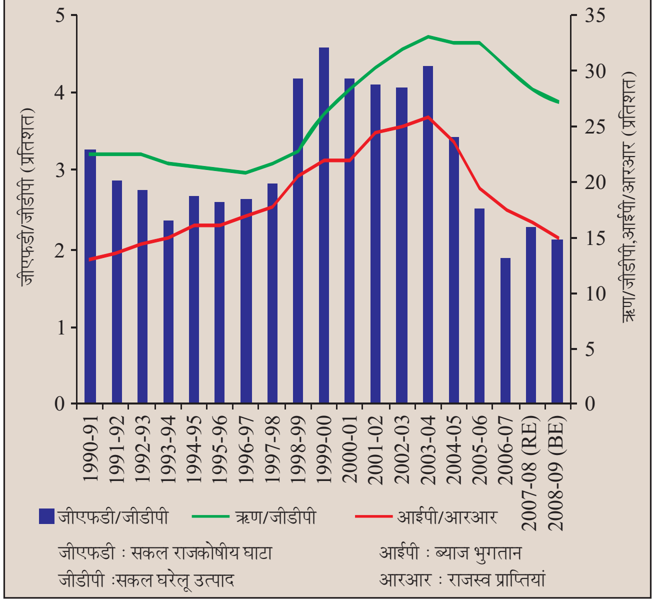

गया और अनुमान है कि 2008-09 (ब.अ.) में ये मात्र 10.8 प्रतिशत का ही योगदान देंगे। कुल देयताओं में लोक लेखों का हिस्सा 25 से 30 प्रतिशत के दायरे में रहा (सारणी 27 और चार्ट 39)।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से उनकी बकाया देयताओं का पर्याप्त विवरण नहीं मिलता है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशियां और संबद्ध शर्तें (जैसे कि ब्याज दर और परिपक्वता संरचना) शामिल हैं। यह विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वार्तातय ऋणों के मामले में और

सारणी 27: राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद	1991	2000	2005	2006	2007	2008 (सं.अ.)	2009 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल देयताएं (1 से 4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.8	57.8	59.8	61.1	62.5	63.7
जिसमें से :							
(i) बाजार ऋण	12.2	14.8	20.7	19.6	19.3	22.4	25.0
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	–	5.0	27.4	31.3	33.8	32.3	31.2
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.0	3.4	6.6	6.2	5.8	6.0	6.0
2. केंद्र से ऋण एवं अग्रिम	57.4	45.2	15.6	13.4	11.7	11.3	10.8
3. लोक लेखे (i से iii)	26.8	29.9	26.6	26.6	27.2	26.2	25.4
(i) अल्प बचत, राज्य भविष्य निधि,आदि	13.2	15.8	14.2	13.8	13.6	13.8	13.5
(ii) आरक्षित निधियां	3.7	3.9	5.1	5.4	5.6	4.6	4.3
(iii) जमा और अग्रिम	10.0	10.2	7.3	7.4	7.9	7.8	7.5
4. आकस्मिक निधि	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान
'–' : लागू नहीं
स्रोत : सारणी 26 के अनुसार

चार्ट 39: बकाया देयताओं का संघटन
(मार्च के अंत में)

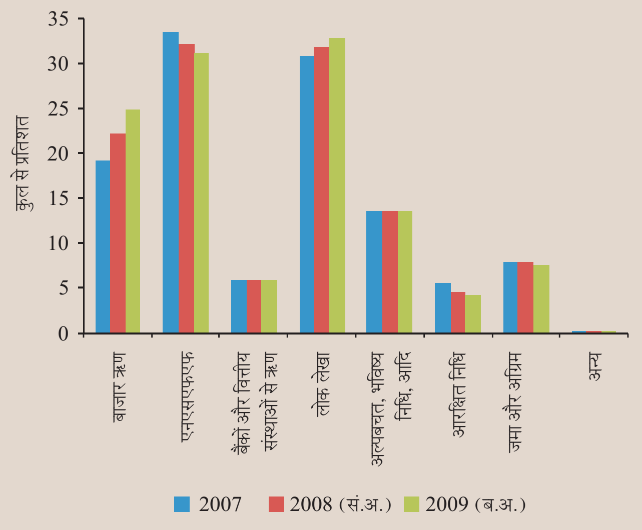

भी स्पष्ट है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के ऋणों की स्थिति का विश्लेषण सीमाबद्ध है। 1990-91 से 2008-09 (ब.अ.) तक राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विस्तृत संघटन परिशिष्ट सारणी 19 और 20 में दिया गया है, जबकि बकाया देयताओं का राज्य-वार संघटन विवरण 26 से 28 में दिया गया है।

VI.1.3 राज्य-वार ऋण स्थिति[13]

यह खंड गैर विशेष और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच ऋण के स्तर में राज्य-वार अंतर प्रस्तुत करता है। राज्य-वार ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) स्थिति सारणी 28 में दर्शाई गई है।

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 2007-08 (सं.अ.) में उत्तर प्रदेश ने 50.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया उसके बाद बिहार (47.9 प्रतिशत) और राजस्थान (46.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा ने 20.0 प्रतिशत का न्यूनतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया उसके बाद छत्तीसगढ़ (21.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (25.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। पांच राज्य सरकारों तथा हरियाणा,

सारणी 28: राज्यवार ऋण-जीएसडीपी स्थिति

(प्रतिशत)

राज्य	2004-07* (औसत)	2007-08 (सं.अ.)
1	2	3
I. गैर विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	42.5	37.5
2. बिहार	56.9	47.9
3. छत्तीसगढ़	25.1	21.3
4. गोवा	40.6	40.1
5. गुजरात	37.3	33.1
6. हरियाणा	24.9	20.0
7. झारखंड	26.8	31.7
8. कर्नाटक	29.3	27.0
9. केरल	40.1	39.5
10. मध्य प्रदेश	42.1	39.7
11. महाराष्ट्र	32.7	28.0
12. उड़ीसा	49.8	40.4
13. पंजाब	45.4	40.7
14. राजस्थान	51.8	46.3
15. तमिलनाडु	27.6	25.1
16. उत्तर प्रदेश	54.7	50.3
17. पश्चिम बंगाल	46.8	43.5
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	77.9	79.8
2. असम	31.3	28.0
3. हिमाचल प्रदेश	68.0	60.5
4. जम्मू और कश्मीर	67.2	70.5
5. मणिपुर	70.4	62.8
6. मेघालय	40.2	39.4
7. मिजोरम	115.6	104.8
8. नागालैंड	46.5	43.5
9. सिक्किम	70.7	72.2
10. त्रिपुरा	57.1	48.4
11. उत्तराखंड	45.2	42.5
सभी राजय#	**31.8**	**28.3**
ज्ञापन मदें :		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	19.8	18.9
2. पुदुचेरी	40.0	45.7

सं.अ. : संशोधित अनुमान
* : पुदुचेरी के आंकड़े 2006-07 से संबंधित हैं।
\# : सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत : सारणी 26 के अनुसार

छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने 2007-08 (सं.अ.) में पहले ही ऋण-जीएसडीपी अनुपात के 30.8 प्रतिशत का टीएफसी लक्ष्य प्राप्त कर लिया है (चार्ट 40)। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में झारखंड को छोड़कर गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच ऋण-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। झारखंड का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2004-07 (औसत) के 26.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 31.7 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सर्वाधिक गिरावट उड़ीसा में दर्ज की गयी और उसके बाद बिहार और राजस्थान का स्थान रहा। आइपी-आरआर अनुपात जिसका ऋण की वहनीयता पर प्रभाव पड़ता है, 2007-08 (सं.अ.) में सात गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में 15.0 प्रतिशत के टीएफसी लक्ष्य से नीचे रहा। पश्चिम

13 बकाया देयताओं का राज्य-वार और घटक-वार विस्तृत विवरण 26-28 में दिया गया है। तीन द्विभाजित राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मार्च 2000 के अंत में बकाया देयताएं उनकी तत्संबंधित आबादी के अनुपात के आधार पर तीन नवसृजित राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड)को प्रभाजित कर दी गई हैं।

चार्ट 40 : ऋण-जीएसडीपी- गैर विशेष श्रेणी के राज्य

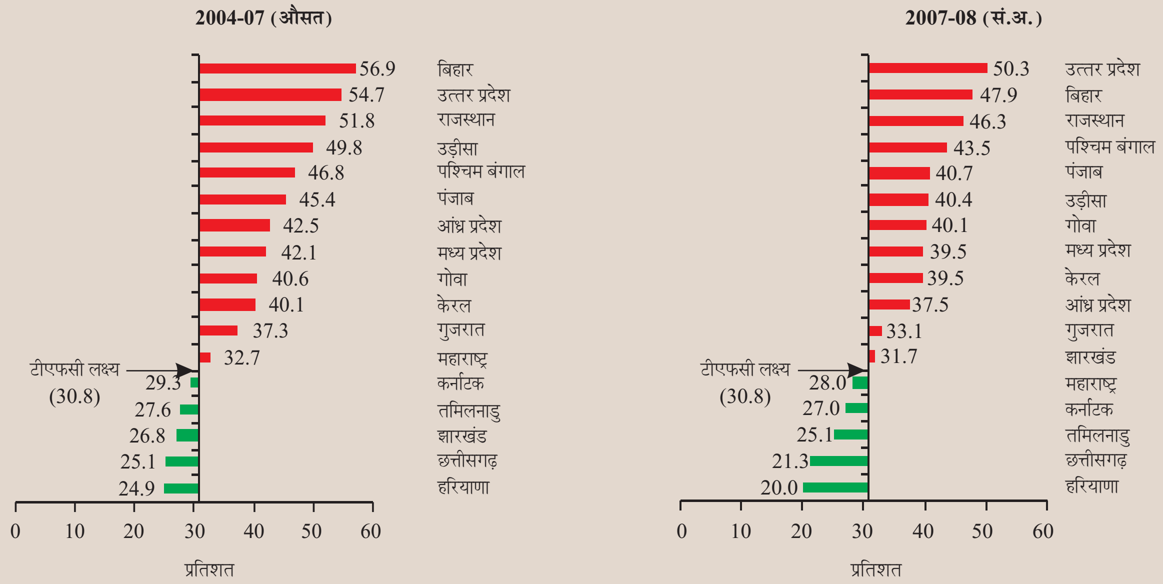

बंगाल का आइपी-आरआर अनुपात 2007-08 (सं.अ.) में 36.5 प्रतिशत रहा (देखें चार्ट 19)।

विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ऋण- जीएसडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक था। असम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह अधिक था। 2007-08 (सं.अ.) ने मिजोरम ने 104.8 प्रतिशत का उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश (79.8 प्रतिशत), सिक्किम (72.2 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (70.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। असम ने 28.0 प्रतिशत का न्यूनतम ऋण-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद मेघालय (39.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केवल असम ने 2007-08 (सं.अ.) में 30.8 प्रतिशत का ऋण-जीएसडीपी अनुपात का टीएफसी लक्ष्य हासिल किया है (चार्ट 41)। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा

चार्ट 41 : ऋण-जीएसडीपी- विशेष श्रेणी के राज्य

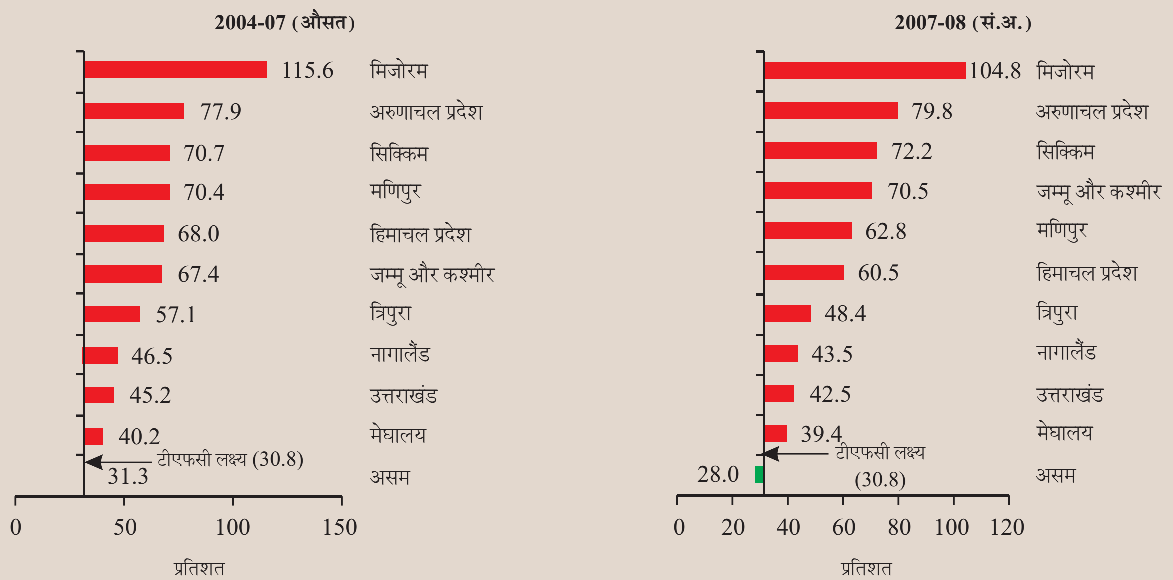

सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के अन्य सभी राज्यों ने 2004-07(औसत) से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट का अनुभव किया। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम का ऋण-जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 77.9 प्रतिशत, 67.4 प्रतिशत और 70.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 79.8 प्रतिशत, 70.5 प्रतिशत और 72.2 प्रतिशत हो गया। 2004-07 (औसत) की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में सर्वोच्च गिरावट का अनुभव मिज़ोरम ने किया जिसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) आइपी-आरआर अनुपात हिमाचल प्रदेश को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के लिए 15.0 प्रतिशत टीएफसी लक्ष्य से नीचे था (देखें चार्ट 25)।

VI.2. बाजार उधार

VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारों ने विभिन्न अवधियों वाली (अधिकांशतः 10 वर्षीय परिपक्वता) दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की जो अधिकतर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदी गईं। राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2000 के अंत के 14.8 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ मार्च 2005 अंत की स्थिति अनुसार 20.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 27)। कुल बकाया ऋणों में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत के स्थिति अनुसार घटकर 19.4 प्रतिशत हो गया लेकिन अनुमान है कि 2008-09 में यह बढ़कर 25.0 प्रतिशत हो जाएगा। बाजार उधारों पर अपेक्षाकृत निर्भरता एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में गिरावट के कारण है। राज्य सरकारों के बाजार उधारों से संबंधित हाल ही की गतिविधियां बॉक्स 8 में दशाई गई हैं।

राज्य सरकारों के उच्ची लागत वाले बाजार ऋणों (ब्याज दर 10 प्रतिशत से अधिक) का हिस्सा 2007-08 के दौरान और कम हो गया। मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत और उसे अधिक उससे अधिक की ब्याज दर वाले बकाया स्टॉक का हिस्सा मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार 27.4 प्रतिशत से घटकर 18.4 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 29)। तथापि, 8 प्रतिशत से कम की ब्याज दर वाले बकाया बाजार ऋणों के हिस्से में गिरावट रही और यह मार्च 2007 के अंत के 62.6 प्रतिशत से मार्च 2008 के स्थिति के अनुसार 54.3 प्रतिशत हो गया। 8-10 प्रतिशत के बीच ब्याज दर वाले बकाया बाजार ऋणों के हिस्से में तदनुरूप वृद्धि हुई और यह मार्च 2007 के अंत के 10.0 प्रतिशत से मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार 27.3 प्रतिशत हो गया जो ब्याज दरों में सामान्य उर्ध्वमुखी चाल को दर्शाता है।

सारणी 29: राज्य सरकार प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का ब्याज दर स्वरूप

(मार्च के अंत में)

ब्याज दर सीमा	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल से प्रतिशत	
	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	13.9	11.3
6.00-6.99	58,564	58,564	24.1	19.6
7.00-7.99	59,638	69,759	24.6	23.4
8.00-8.99	18,791	76,112	7.7	25.5
9.00-9.99	5,412	5,412	2.2	1.8
10.00-10.99	14,468	14,418	6.0	4.8
11.00-11.99	16,934	16,869	7.0	5.7
12.00-12.99	25,960	23,550	10.7	7.9
13.00-13.99	9,186	–	3.8	–
कुल	**2,42,777**	**2,98,508**	**100.0**	**100.0**

'–' : कुछ नहीं

स्रोत: रिजर्व बैंक रिकार्ड

VI.2.2 2008-09 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन

रिज़र्व बैंक के रिकार्डों के अनुसार राज्य सरकारों के बाजार उधारों का निवल आबंटन 2002-03 से स्थिर गति से बढ़ता रहा है (सारणी 30)। एनएसएसएफ में कमी के कारण 35,780 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन[14] की वजह से पिछले वर्ष के 20,045 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 के दौरान कुल निवल आबंटन तेजी से बढ़कर 69,015 करोड़ रुपए हो गये। बाजार उधार कार्यक्रम के अंतगर्कत राज्य सरकारों के लिए निवल आबंटन 2008-09 में 57,103 करोड़ रुपए रखा गया है। 14,371 करोड़ रुपए की चुकौतियों को ध्यान में रखते हुए सकल आबंटन की राशि 71,474 करोड़ रुपए होती है जो पिछले वर्ष के तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है (परिशिष्ट सारणी 21)। 2008-09 (11 दिसंबर 2008 तक) के दौरान राज्यों ने 6.95-9.90 प्रतिशत की सीमा में उच्चतम दर के साथ नीलामियों के माध्यम से बाजार उधार जुटाये जिनकी राशि 36,551 करोड़ रुपए (अथवा सकल आबंटन का 51.1 प्रतिशत) थी।

14 अतिरिक्त आबंटन वित्त वर्ष के प्रारंभ में किये गये आबंटन के अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधारो की स्वीकृति है।

बॉक्स 8: राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में हाल ही की गतिविधियां

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के अंतर्गत संग्रहों में गिरावट आने के कारण बाजार उधार राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं। बाजार उधारों ने पिछले वर्ष के 16.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 (सं.अ.) के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 58.9 प्रतिशत का वित्तपोषण किया। 2008-09 में बाजार उधार राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के 56.7 प्रतिशत का वित्तपोषण करेंगे। 2007-08 के दौरान, एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहों में कमी के कारण भारत सरकार ने राज्यों को 35,780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया । इस प्रकार 2007-08 में बाजार उधारों का सकल आबंटन पिछले वर्ष के 26,596 करोड़ रुपए (6,551 करोड़ रुपए की चुकौतियों सहित) की तुलना में 80,570 करोड़ रुपए (11,555 करोड़ रुपए की चुकौतियों सहित) रहा। 2008-09 के दौरान बाजार उधारों का सकल आबंटन 71,474 करोड़ रुपए होता है। राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान अपने सकल आबंटन का 84.1 प्रतिशत जुटाया। 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) राज्य सरकारों ने बाजार उधारों का सकल आबंटन 51.1 प्रतिशत जुटाया है।

2006-07 के सभी राज्य सरकारें नीलामी के माध्यम से बाजार से ऋण जुटाती रही है। हाल के वर्षों में बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर की बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। भारित औसत ब्याज दर 2002-03 के 7.49 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गई। 2008-09 में बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर 11 दिसंबर 2008 तक बढ़ी और 8.35 प्रतिशत पर टिकी रही। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारित औसत ब्याज दर 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) मिजोरम के लिए 9.4 प्रतिशत से लेकर सिक्किम और मणिपुर के लिए 7.0 प्रतिशत की सीमा में रही। 2007-08 के दौरान जुटाए गए ऋणों पर ब्याज दरें 7.84- 8.90 प्रतिशत की सीमा में रहीं जबकि 2008-09 के दौरान अब तक (11 दिसंबर 2008) जुटाए गए ऋणों पर ब्याज दरें 6.95 -9.90 प्रतिशत की सीमा में थीं। पश्चिम बंगाल ने जुलाई 2008 में 9.9 प्रतिशत की सर्वोच्च्य उच्चतम दर पर 800 करोड़ रुपए जुटाए थे।

चार राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और त्रिपुरा ने 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। दूसरी ओर, 12 राज्य सरकारों यथा अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 2007-08 के दौरान अपने समग्र आबंटन का 100 प्रतिशत जुटाया। इसके अलावा 2007-08 में भारी अधिशेष नकद शेषों तथा इस पर अर्जित नकारात्मक स्प्रेड के परिप्रेक्ष्य में उड़ीसा ने 156 करोड़ रुपए की कीमत की 11 प्रतिभूतियां वापस खरीद लीं। 2008-09 में अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) 20 राज्य सरकारों ने पुदुचेरी सहित राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में भाग लिया। पुदुचेरी सहित 13 राज्य सरकारों ने 11 दिसंबर 2008 की स्थिति के अनुसार बाजार उधारों के अपने संबंधित सकल आबंटन का 50 प्रतिशत पहले ही जुटा लिया था।

जनवरी 2007 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 19 वें सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अगले वित्त वर्ष 2007-08 के राज्य विकास ऋणों की नीलामी में 'गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी योजना' प्रारंभ की जाए। जुलाई 2007 के दौरान सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई संशोधित सामान्य अधिसूचना में गैर प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा हेतु एक योजना शामिल की गई थी। यह योजना आरबीआइ-एनडीएस नीलामी मॉड्यूल (वर्जन 2) के एक अंग के रूप में जारी की जाएगी जो इस समय भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है।

राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया था कि ' राज्य अपने विवेक और पहल पर एक उन्नत सांकेतिक खुला बाजार उधार कैलेंडर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे'। राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में विस्तृत चर्चाओं के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के उधारों से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण किया जाए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता' शीर्षक से एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें निवल आबंटन, परिपक्वताएं, उस समय तक जुटाई गई राशि तथा 2007-08 की शेष अवधि के दौरान जुटाई जानेवाली शेष राशि दर्शायी गयी थी। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों से अवधिवार उधार आवश्यकताएं प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था। 17 जून 2008 को 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम - 2008-09' शीर्षक से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें वर्ष 2008-09 के लिए बाजार उधारों की अनुमानित सकल आवश्यकताओं का विवरण दिया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह बात दोहरायी गई थी कि 'राज्य सरकारों/ भारतीय रिजर्व बैंक के पास इन उधार आवश्यकताओं की समीक्षा करने और राज्य सरकारों की उभरती आवश्यकताओं, बाजार स्थितियों तथा अन्य संबंधित कारकों को दृष्टिगत रखते हुए उधारों में आशोधन करने की नमनीयता रहेगी'।

संदर्भ

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (2007), 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता-2007-08', प्रेस विज्ञप्ति, 12 सितंबर।
2. _____ (2008), वार्षिक रिपोर्ट - 2007-08.
3. _____ (2008), 'राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम - 2008-09', प्रेस विज्ञप्ति, 17 जून।

बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर 2007-08 के 8.25 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 (11 दिसंबर 2008 तक) के दौरान मामूली बढ़कर 8.35 प्रतिशत हो गयी (सारणी 31)। 2008-09 में अब तक (11 दिसंबर 2008 तक) बाजार उधारों की समस्त राशि 2007-08 के समान ही नीलामी के माध्यम से जुटाई गयी थी।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंध

राज्य सरकारो को अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के संबंध में परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष श्री एम.पी. बेज़बरुआ) की सिफारिशों के अनुसरण में 2006-07 में राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के संबंध में प्रारंभ की गयी

सारणी 30: राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242	28,781	49,439
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	2,803	40,234 #	7,664
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	–	–	–	–
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,971	19,634	20,045	69,015	57,103
5. चुकौतियां	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551	11,555	14,371
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,094	25,908	26,596	80,570	71,474
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	–	–	–	–
8. आरआइडीएफ ऋणों को समय पूर्व चुकाने के लिए जुटाई गई राशि	–	–	1,386	–	–	–	–
9. जुटाई गई कुल राशि (i + ii)	30,853	50,521	39,101	21,729	20,825	67,779	36,551
(i) टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	–	–	–
(ii) नीलामियां	2,973	2,895	885	10,543	20,825	67,779	36,551
	(13)	(8)	(3)	(24)	(22	(21)	(20)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	14,274	56,224	22,179
11. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस के अलावा) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	14,274	56,224	22,179
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आरआइडीएफ के अलावा) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	14,274	56,224	22,179
ज्ञापन मदें :							
(i) कूपन/कट-आफ प्रतिलाभ सीमा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66	7.84-8.90	6.95-9.90
(ii) भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.10	8.25	8.35
(iii) औसत परिपक्वता (वर्ष में)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00	10.00	10.00

* : दिसंबर 2008 तक जुटाई गई राशि   '–' : शून्य/लागू नहीं

: एनएसएसएफ में प्रत्याशित गिरावट के बदले रु. 35,780 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन।

डीएसएस : ऋण बदली योजना   आरआइडीएफ : ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि

टिप्पणी : (i) कोष्ठक के आंकड़े नीलामी मार्ग अपनानेवाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं। 2006-07 से सभी राज्य नीलामी मार्ग के माध्यम से बाजार उधार लेते रहे हैं।

(ii) भारिबैं रिकार्ड के अनुसार बाजार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सूचित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

(iii) 2007-08 के आंकड़ों में पुदुचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

स्रोत : रिज़र्व बैंक रिकार्ड

संशोधित योजना 2007-08 के दौरान जारी रही। पुदुचेरी के सामान्य बैंकिंग कारोबार चलाने तथा रुपया लोक ऋण का प्रबंध करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 17 दिसंबर 2007 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार के साथ एक करार किया और इसकी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 50 करोड़ रुपए तय की गयी थी। 2008-09 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की समीक्षा की गयी थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि 2008-09 के लिए 9,925 करोड़ रुपए की विद्यमान राज्य-वार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं बनाई रखी जाएं (केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए 50 करोड़ रुपए सहित)(सारणी 32)।

2008-09 के दौरान राज्यों द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्टों का औसत उपभोग कम बना रहा जो अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा भारी अधिशेष नकद शेष के निर्माण के फलस्वरूप था। 2008-09 के दौरान (30 नवंबर 2008 तक) राज्यों द्वारा किया गया 389 करोड़ रुपए का अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दैनिक बकाया का औसत) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में किये गये 903 करोड़ रुपए के उपभोग की तुलना में काफी कम था (चार्ट 42)। 2008-09 (30 नवंबर 2008 तक) के दौरान छह राज्यों में 2-33 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम किये जिसमें से 3 राज्यों ने 4-14 दिनों के बीच की अवधि के लिए ओवर ड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 38)। पिछले वर्ष की तुलना गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पश्चिम बंगाल तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच नागालैण्ड जैसे राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिया जाना अपेक्षाकृत कम था। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान पंजाब और उत्तराखंड जैसे कुछ अन्यों राज्यों में अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने में वृद्धि हुई। राज्य सरकारों के बजट दस्तावेंज दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारों को केंद्र के (सकल) अर्थोपाय अग्रिमों में 2002-03

सारणी 31 : राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ

वर्ष	प्रतिलाभ सीमा (प्रतिशत)	भारित औसत प्रतिलाभ (प्रतिशत)	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07	7.65-8.66	8.10	20,825
2007-08	7.84-8.90	8.25	67,778
2008-09*	6.95-9.90	8.35	36,551

* 11 दिसंबर 2008 तक
स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड

(बारह राज्य) के 3,329 करोड़ रुपए से लगातार गिरावट आई है और यह 2007-08 (सं.अ.) में (एक राज्य) 50 करोड़ रुपए हो गये। तथापि, 2008-09 (दो राज्य) में अनुमान है कि यह बढ़कर 360 करोड़ रुपए हो जाएगा। विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच असम और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच केरल ने 2008-09 के दौरान ऐसे अग्रिमों के लिए अनुमान लगाया है (विवरण 39)।

सारणी 32: सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं - 1996 से 2008

अवधि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2
i. अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234
ii. मार्च 1999 to जनवरी 2001	3,941
iii. फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283
iv. अप्रैल 2002 से मार्च 2, 2003	6,035
v. मार्च 3, 2003 से मार्च 31, 2004	7,170
vi. अप्रैल 1, 2004 से मार्च 31, 2005	8,140
vii. अप्रैल 1, 2005 से मार्च 31, 2006	8,935
viii. अप्रैल 1, 2006 से मार्च 31, 2007	9,875
ix. अप्रैल 1, 2007 से मार्च 31, 2008	9,925
x. अप्रैल 1, 2008 से मार्च 31, 2009	9,925

स्रोत : रिजर्व बैंक रिकार्ड

चार्ट 42 : राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का उपभोग

(दैनिक बकायों का औसत)

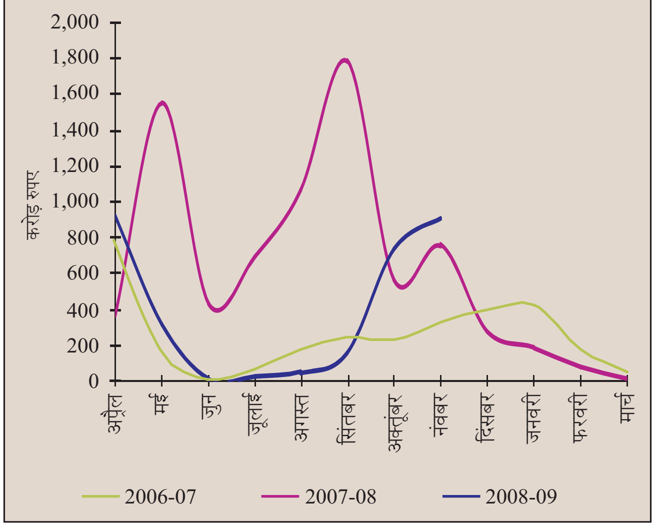

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा अन्य संस्थाओं की ओर से गारंटियां और चुकौती आश्वासन पत्र जारी करती रही हैं ताकि वे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकें। ऐसा मूलतः इसलिए है क्योंकि ऐसे निवेशों के लिए राज्य बजटीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि, आकस्मिक देयताएं राज्यों के ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं लेकिन उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक करने की स्थिति में राज्यों को ऋण चुकौती देयताएं पूरी करनी होंगी। वहीं उनके द्वारा दी गयी गारंटियों के संबंध में राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध देयताओं का पालन न करने से सरकार की साख पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों ने गारंटियों पर उच्चतम सीमा (संवैधानिक अथवा प्रशासनिक) लगाने के लिए कदम उठाएं है अबतक 17 राज्य सरकारों ने गारंटियों पर संविधिक / प्रशासनिक उच्चतम सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। 11 राज्यों ने गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) स्थापित की है।

चुनिंदा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य सरकारों की बकाया गारटियां मार्च 2000 के अंत 1,32,059 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) से तेजी से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,19,658 करोड़ रुपए (जीडीपी का

8.0 प्रतिशत)हो गयीं। उसके बाद राज्य सरकारों की बकाया देयताएं मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार घटकर 1,54,183 करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) हो गयीं।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों के ऋण की मात्रा के अलावा उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है जो ऋण की वहनीयता निर्धारित करते हैं। इस खंड में ब्याज अदायगियों के भार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के परिपक्वता पैटर्न तथा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले चलनिधि प्रबंध के संदर्भ में उठने वाले मुद्दों के अर्थ में राज्य सरकारों की ऋण वहनीयता का मूल्यांकन किया गया है।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों का आइपी-आरआर अनुपात जो कि ऋण वहनीयता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, 1990-91 के 13.0 प्रतिशत से तेजी से खराब होता हुआ 2003-04 में 26.0 प्रतिशत पर पहुंच गया लेकिन बाद में आंशिक रूप से डीएसएस (2002-03 से 2004-05) के अंतर्गत ब्याज लाभ के कारण तथा आंशिक रूप से गिरती ब्याज दरों के कारण 2007-08 (सं.अ.) में 16.4 प्रतिशत पर आ गया। ब्याज भुगतानों का उच्च भार का राजस्व घाटे को चौड़ा करने की ओर प्रवृत्त होता है और परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा बढ़ता है। परिणामस्वरूप घाटे, ऋण और ब्याज भुगतानों का एक दुश्चक्र निर्मित हो जाता है (देखें चार्ट 38)। बारहवें वित्त आयोग ने पुनर्संरचना के अपने प्रस्तावित पथ के अनुसार सिफारिश की थी कि अवार्ड अवधि के अंतिम वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक सभी राज्यों द्वारा आइपी-आरआर अनुपात क्रमिक रूप से घटाकर 15 प्रतिशत ले आना चाहिए।

सारणी 33 : राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

वर्ष (मार्च के अंत में)	राशि (करोड़ रुपए)	जीडीपी का प्रतिशत
1	2	3
1992	40,158	6.1
1993	42,515	5.6
1994	48,865	5.6
1995	48,479	4.8
1996	52,631	4.4
1997	65,339	4.7
1998	73,751	4.8
1999	79,457	4.5
2000	1,32,029	6.8
2001	1,68,719	8.0
2002	1,65,386	7.3
2003	1,84,294	7.5
2004	2,19,658	8.0
2005	2,04,426	6.5
2006 अ	1,96,914	5.5
2007 अ	1,54,183	3.7

अः अनंतिम

टिप्पणी : 17 राज्यों के आंकड़े 2005 तक, 16 राज्यों के 2006 तक और 19 राज्यों के 2007 तक हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

2008-09 के दौरान आइपी-आरआर अनुपात 15.1 प्रतिशत पर बजट किये जाने साथ ही समेकित स्तर पर आइपी-आरआर अनुपात में क्रमिक रूप से कमी आई है। हाल ही के वर्षों में ऋण की वृद्धि में गिरावट राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने कि दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों की अभिव्यक्ति है। डीएसएस (अर्थात केंद्र को ऊंची लागत वाले ऋण की समय पूर्व अदायगी) सहित राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के विन्यास का प्रभाव राज्य सरकारों के बकाया ऋणों पर औसत ब्याज दर में कमी से स्पष्ट है जो 1999-2000 के 11.2 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर घटकर 2003-04 में 10.2 प्रतिशत और 2008-09 में 8.1 प्रतिशत हो गया है (सारणी 34)।

VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की परिपक्वता के स्वरूप के अर्थ में मार्च 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक का लगभग 44.9 प्रतिशत सात वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता ब्रैकेट से संबंधित था जबकि 21.9 प्रतिशत पांच से सात वर्ष के अंदर वाले ब्रैकेट का था और 33.1 प्रतिशत पांच वर्ष से कम वाले ब्रैकेट का था (सारणी 35)।

वर्ष 2002-03 और 2004-05 के दौरान डीएसएस के अंतर्गत उधारों की भारी राशि के कारण बाजार उधारों का परिपक्वता स्वरूप 2012-13 से भारी चुकौती देयताएं दर्शाता है। एनएसएसएफ कमी को पूरा करने के लिए 2007-08 के दौरान उधारों की भारी मात्रा के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में चुकौती देयताएं दुगने से भी ज्यादा होंगी (सारणी 36) (विवरण 34 और 35 भी देखें)।

सारणी 34 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	ब्याज दर *
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.4
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06	8.2
2006-07	8.0
2007-08 (सं.अ.)	8.2
2008-09 (ब.अ.)	8.1

सं.अ. : संशोधित अनुमान   ब.अ.: बजट अनुमान

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतानों को पिछले वर्ष के बकाया ऋण से भाग देकर निकाला गया।

स्रोत : सारणी 26 के समान।

VI.5.3 नकद शेषों का निवेश

राज्य सरकारों के पास लगातार भारी मात्रा में अधिशेष नकद शेष बना हुआ है जैसाकि 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में उनके निवेशों में परिलक्षित है। 2008-09 (30 नवंबर 2008 तक) के दौरान 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों में राज्यों द्वारा किये गये साप्ताहिक औसत निवेश की राशि 79,221 करोड़ रुपए थी जो कि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 70,727 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है (चार्ट 43)। राज्यों को उधार लिये गये संसाधनों की तुलना में इन निवेशों पर कम दर से लाभ प्राप्त होता है। अतः राजस्व लेखे पर बकाया नकद शेषों का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

VI.5.4 ऋण समेकन और राहत

बारहवें वित्त आयोग द्वारा आगे रखी गयी ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के दो घटक है - (i) सभी राज्यों के लिए लागू ऋण राहत की सामान्य योजना और (ii) 2008-09 तक राजस्व अधिशेष हासिल करने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजकोषीय निष्पादन से जुड़ी बट्टाखाता डालने की योजना। डीसीआरएफ का लाभ उठाना एफआरएल के अधिनियमन, आगे आने वानले प्रत्येक वर्ष में राजस्व घाटे की मात्रा में कमी करना और सकल राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर पर नियंत्रित रखने के अधीन है। 2007-08 के दौरान 21 राज्य सरकारों ने ऋण राहत से और 25 राज्य सरकारों ने ब्याज राहत से लाभ उठाया। 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों को दी गयी सकल ऋण और ब्याज राहत क्रमशः 4,812 करोड़ रुपए तथा 3,903 करोड़ रुपए रही। तीन राज्य सरकारें यथा जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल 2007-08 के दौरान ऋण अथवा ब्याज राहत में से किसी को भी पाने में असफल रहे (विवरण 48)।

सारणी 35 : बकाया राज्य सरकार प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

(मार्च 2008 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत				
	0-1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5-7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक वर्ष
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	6.11	12.80	19.86	18.71	42.53
2. अरुणाचल प्रदेश	1.60	5.07	11.06	12.19	70.09
3. असम	5.67	11.64	20.68	16.93	45.09
4. बिहार	6.85	12.99	25.61	24.16	30.39
5. छत्तीसगढ़	7.33	20.54	30.94	21.85	19.34
6. गोवा	6.51	11.58	17.19	16.36	48.37
7. गुजरात	3.56	9.58	19.93	19.95	46.98
8. हरियाणा	6.13	12.84	23.57	34.84	22.63
9. हिमाचल प्रदेश	2.70	8.44	18.64	22.43	47.78
10. जम्मू और कश्मीर	2.26	6.99	16.16	11.85	62.74
11. झारखंड	5.24	9.94	19.51	18.52	46.79
12. कर्नाटक	6.95	16.76	24.22	33.35	18.72
13. केरल	4.46	8.95	14.54	17.29	54.76
14. मध्य प्रदेश	4.03	11.25	15.66	28.27	40.79
15. महाराष्ट्र	2.87	6.51	9.21	25.67	55.75
16. मणिपुर	3.62	7.24	12.49	14.30	62.35
17. मेघालय	5.77	11.98	14.87	12.27	55.12
18. मिजोरम	3.58	8.35	19.32	10.11	58.65
19. नागालैंड	4.68	12.41	17.50	12.81	52.59
20. उड़ीसा	8.35	14.88	29.34	27.93	19.50
21. पंजाब	3.14	7.73	12.10	22.76	54.27
22. राजस्थान	6.01	14.15	19.58	20.32	39.94
23. सिक्किम	6.09	11.07	4.95	5.26	72.63
24. तमिलनाडु	3.93	10.50	18.14	21.82	45.61
25. त्रिपुरा	7.00	16.95	17.51	17.56	40.98
26. उत्तराखंड	2.54	4.83	23.81	21.45	47.38
27. उत्तर प्रदेश	7.18	13.65	18.67	20.77	39.73
28. पश्चिम बंगाल	2.70	6.34	12.34	22.07	56.55
सभी राज्य	**4.81**	**10.69**	**17.63**	**21.93**	**44.94**

स्रोत : रिज़र्व बैंक रिकार्ड ।

सारणी 36: बकाया राज्य विकास ऋणों और पावर बांडों की परिपक्वता सूची

(मार्च 2008 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राज्य विकास ऋण	ऊर्जा बांड	कुल
1	2	3	4
2008-09	14,371	1,453	15,825
2009-10	16,238	2,907	19,145
2010-11	15,660	2,907	18,566
2011-12	21,993	2,907	24,900
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
2017-18	67,442	–	67,442
कुल	**2,98,508**	**23,144**	**3,21,652**

'–' : कुछ नहीं

स्रोत: रिज़र्व बैंक रिकार्ड

चार्ट 43 : राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में निवेश

(दैनिक बकायों का औसत)

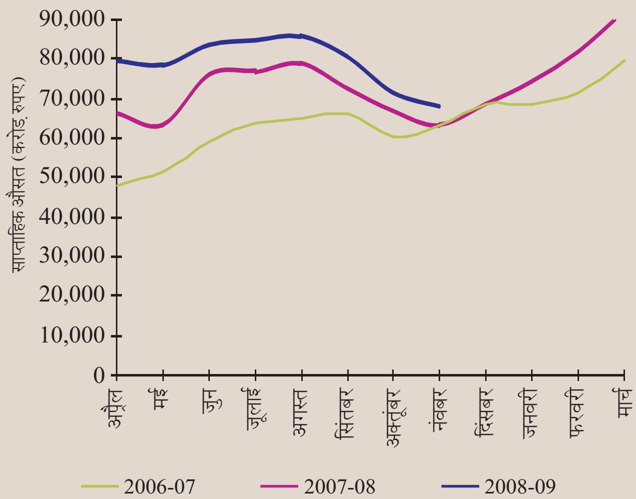

VII. राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन

संरचनागत कमज़ोरियों के कारण नब्बे के दशके में राज्य सरकारों के वित्त में क्षरण हुआ जैसा कि राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे में सतत विस्तार, प्रतिबद्ध किंतु विकासेतर व्यय का बढ़ता हिस्से, सामाजिक क्षेत्र और व्यय घटता हिस्से और करेतर राजस्व के कम होने तथा गिरने में परिलक्षित है। इस पृष्ठभूमि के सामने राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार प्रारंभ किये जिनका लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग तथा संस्थागत सुधारों द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन व्यवस्था द्वारा समर्थित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के क्रमिक रूप से कार्यान्वियन सहित राजकोषीय सुधार एवं समेकन था। 2003-04 से राज्य सरकारों के वित्त में उल्लेखनिय सुधार दर्शाया है जो उनके राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि द्वारा समर्थित थी।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों को मोटे तौर पर कर एवं करेतर राजस्व में वर्गीकृत किया जा सकता है। कर राजस्व के अंतर्गत राज्यों के स्व-कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में हिस्सा आता है और करेतर राजस्व में राज्यों के स्व-करेतर राजस्व तथा केंद्र से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान आते हैं। मौजूदा संघीय राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत कर वसूलने के राज्यों के अधिकार व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष करों तक सीमित हैं, प्रमुखरूप से पण्य करों जैसे कि बिक्री कर तथा अन्य प्रत्यक्ष लेवियों जैसे कि राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन पर सेवा कर और यात्रियों एवं माल की ढुलाई पर कर तक। राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर मूल रूप से भूमि राजस्व और कृषीय आयकर तक सीमित हैं। राज्यों ने कर सुधार प्रारंभ किये हैं जिनका लक्ष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों को सरल तथा तर्क संगत बनाना है और मुख्य रूप से राज्य स्तर पर गठित की गयी कर सुधार विषयक विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लेकर कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करना है। इस कर सुधार प्रकिया का सकारात्मक प्रभाव राज्य स्तर पर स्व-कर राजस्वों से होनेवाले राजस्व संग्रह के क्रमिक सुधार में परिलक्षित हुआ था। करेतर मोर्चे पर, सुधारों में हो रही प्रगति तुलनात्मक रूप से धीमी रही है।

इस खंड में 1980-81 से राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों की व्यापक प्रवृत्ति और पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। इस खंड में दिया गया विश्लेषण राज्य सरकारों के कर एवं करेतर दोनो ही प्रकार की स्व-राजस्व प्राप्तियों पर फोकस है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र से राज्य सरकारों को किये गये राजकोषीय अंतरणों का विश्लेषण विस्तृत रूप से पिछले वर्ष के अध्ययन[15] में एक विशेष थीम के रूप में किया गया था।

15 राज्य वित्त - वर्ष 2007-08 के बजटों का अध्ययन, पृ.सं. 58-75, भारतीय रिज़र्व बैंक, नवंबर 2007.

VII.1 राज्य स्तरीय राजस्व सुधार

भारत में कर संरचना की एक झलक देने के बाद इस खंड में उन प्रमुख राजस्व सुधारों का वर्णन किया गया है जो हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य सरकार के स्तर पर हुए हैं। राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में निर्धारित किय गये लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सघन राजकोषीय उपाय प्रारंभ किये गये हैं। चूंकि राज्यों के स्व-कर राजस्व अपने राजस्व के प्रमुख घटक का निर्माण करते हैं, अतः राज्य स्तर पर कर सुधारों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

VII.1.1 भारत में कर संरचना

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में क्रमशः संघ और राज्य सूचियों में केंद्र और राज्यों के राजस्व स्रोत निर्दिष्ट किये गये हैं। भारतीय संघिय व्यवस्था में प्रमुख कर जैसे कि आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आदि केंद्र सरकार को सौंपे गये हैं। राज्य सरकारों को सौंपे गये विभिन्न कर हैं राज्य बिक्री कर/वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टॉम्प और पंजीकरण शुल्क, कृषि आय कर, आदि। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की राजस्व जुटाने की शक्तियों में परिणामी वैषम्य अंतर सरकारीय अंतरणों की प्रणाली के माध्यम से दूर किया जाता है। केंद्रीय करों में हिस्सा जो कि वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार से विभिन्न राज्य सरकारों को डिवॉल्व किया जाता है, भारत में अंतर सरकारीय अंतरणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैनल है। वर्तमान में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के निवल कर संग्रह का 30.5 प्रतिशत राज्य सरकारों को डिवॉल्व होता है।

VII.1.2 राज्य सरकारों द्वारा कर सुधार

राज्य सरकारों के कर सुधारों का मुख्य फोकस प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों के सरलीकरण और तार्किकीकरण पर था जिसका लक्ष्य कर संग्रह में वृद्धि करना, कर ढांचे की विसंगतियां दूर करना, कर प्रशासन में सुधार लाना और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर संग्रहण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करना।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर सुधार जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया है राज्य बिक्री कर के बदले वैट के प्रारंभ से संबंधित है। अप्रैल 2003 में हरियाणा द्वारा की गई शुरुआत से लेकर सभी राज्य सरकारों ने वैट कार्यान्वित किया है। उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य था जिसने जनवरी 2008 में वैट कार्यान्वित किया। वैट ने ढेर सारी मौजूदा कर दरों की संख्या को घटाकर तथा कर रियायतों को कम कर के कर संरचना पहले से सरल बना दी है। केंद्र सरकार ने तकनीकी सहायता देकर वैट के कार्यान्वियन को सुगम बनाया। वैट शुरू करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की केंद्र द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक क्षतिपूर्ति फार्मूला बनाया गया था। राज्य सरकार के स्तर पर इस नई प्रणाली का शुरू करना सरल रहा। वैट के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक संबंद्ध सुधार था केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना। यह केंद्रीय बिक्री कर वस्तुओं के अंतर राज्यीय व्यापार पर लगाए जाता है। वैट-पूर्व व्यवस्था के दौरान केंद्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत की दर से लगाया जाता था। केंद्रीय बिक्री कर की यह दर 1 अप्रैल 2007 से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गयी थी जिसे 1 अप्रैल 2008 से और घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। केंद्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाए गये क्षतिपूर्ति फार्मूले ने भी काम किया। वैट की दक्षता में सुधार लाने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गये अन्य कदमों में शामिल है वैट का लेखा परीक्षा मूल्यांकन, उन व्यापारियों को निविष्ट कर का क्रेडिट न देना जिन्होंने बिक्री की कीमत निर्धारित करते समय निविष्टियों पर अदा किये गये कर को हिसाब में लिया है, निर्यातोन्मुखी इकाईयों को निविष्ट कर क्रेडिट की वापसी में तेजी लाना, वैट विवरणी फार्म का सरलीकरण और कर वापसी की अदायगी की प्रकिया को सरल बनाना। कर के मोर्चे पर सुधार का प्रमुख क्षेत्र होगा 1 अप्रैल 2010 से व्यापक माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वियन। माल और सेवा कर माल और सेवाओं पर राज्य और केंद्र स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक तर्क संगत प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

राजस्व वृद्धि को लक्ष्य करके हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा अनेक नये कर लगाये गये जिससे वर्तमान कर जाल व्यापक हुआ है और कई करों की कर दर बढ़ी हैं। राजस्व वृद्धिकारक कुछ उपायों में शामिल है, पंजीकृत डीलरों द्वारा इस्तेमाल की गयी प्रमाणित कारों की पुनःबिक्री पर कर लगाना (गोवा), केबल आपरेटरों की आय और होटलों, क्लबों जैसे कतिपय परिसरों से मिलनेवाले किराये पर विलासिता कर (केरल), प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए उन पर 'हरित

कर' (राजस्थान), कोलकाता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग एरिया के बाहर स्थित होटलों पर विलासिता कर (पश्चिम बंगाल), दारू के व्यापार से संबंधित उत्पाद शुल्क और शुल्कों में वृद्धि (असम), सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को कवर करनेवाला विशेष पथ कर तथा व्यवसाय कर बढ़ाना (हिमाचल प्रदेश), कतिपय वस्तुओं पर विशेष प्रवेश कर (कर्नाटक), होटलों और लौजिंग हाऊसों तथा अन्य लक्ज़री हाऊसों पर विलासित कर (मिज़ोरम), और गोवा के बाहर पंजीकृत वाहनों पर 100 रुपए प्रति वाहन की दर से प्रवेश कर (गोवा)। राजस्व संग्रह में तेजी लाने के प्रयास में राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्य करों पर कर अधिभार भी लगाया है जिनका लक्ष्य शिक्षा और मूल्य स्थिरता निधि गठित करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट व्ययों की दिशा में है। कर भार को कम करने तथा स्लैब की संख्या घटाकर कर दरों को तर्क संगत बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कर सुधारों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किये गये सुधारों के एक अभिन्न अंग के रूप में कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने थे। कर प्रशासन को संभालने के लिए बहुत सी राज्य सरकारों जैसे कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड ने कोषागारों / कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। प्रारंभ किये गये अन्य कदमों में शामिल है, कर विभाग की वेब साईट शुरु करना जिसमें करों से संबंधित सभी सूचना रहेगी (असम), नौ स्थानों पर समन्वित चेक पोस्ट स्थापित करना जिसे की कर वसूली की प्रकिया को अधिक विधिवत और पारदर्शी बनाया जा सके (झारखंड), ईमानदार कर दाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोल्डन और सिल्वर कार्ड योजनाओं की शुरूआत (असम), लखनपुर में नये टोल प्लाज़ा की स्थापना करना ताकि चौबीसों घंटे माल का आवागमन आसानी से हो सके (जम्मू और कश्मीर), कर अपवंचन-प्रणव वस्तुओं पर कर के अग्रिम संग्रह हेतु एक सुनिश्चित प्रावधान और वाणिज्यिक कर विभाग को सरल एवं कारगर बनाना (केरल), कर प्रशासन का सरलीकरण (कर्नाटक), और व्यापारियों के स्व-विकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर अदायगी की सुविधा (पश्चिम बंगाल)। कर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने और अनुपालन के लिए बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और असम सहित कुछ राज्यों ने स्व-कर मूल्यांकन योजना प्रारंभ की है। विभिन्न राज्य करों के अंतर्गत देय बकायों की तेजी से वसूली सुनिश्चित करने के लिए अनेक राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और केरल सहित) ने हाल ही के वर्षों में विभिन्न प्रकार की माफी योजनाएं और बकायों के एक बारगी निपटान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

विशिष्ट क्षेत्रों/उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कर राजस्व बढ़ाने के राज्य सरकारों के उपायों के साथ-साथ अनेक रियायतें भी चलीं। राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए तरह-तरह की विभिन्न छूटें/रियायतें दी गयी हैं यथा जीवन रक्षक और अन्य दवाएं (अरुणाचल प्रदेश और असम), रिफाईनरियों के कच्चे तेल पर प्रवेश कर (असम), निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेल पर प्रवेश कर (कर्नाटक), मनोरंजन कर(बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान), होटलों पर विलासिता कर (जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल), राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय कर (हिमाचल प्रदेश), प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद पर स्टाम्प शुल्क (महाराष्ट्र), जूट और चाय उद्योग का पुनरुज्जीवन (पश्चिम बंगाल), आवास ऋण और शिक्षा ऋण दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क (महाराष्ट्र), अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क (असम और हरियाणा) और चल संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क (राजस्थान) के लिए रियायतें दी गयी हैं।

VII.1.3 राज्य सरकारों द्वारा करेतर सुधार

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने भी करेतर सुधार प्रारंभ किये हैं। करेतर मोर्चे पर सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं उर्जा क्षेत्र, राज्य स्तर के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करना और उपभोक्ता प्रभार लगाकर/तर्क संगत बनाकर लागत वसूली करना। राजस्व जुटाने के लिए उपभोक्ता प्रभार लगाना एक उदीयमान स्रोत है और यह राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है (बॉक्स 9)।

बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर जैसी अनेक राज्य सरकारों ने उर्जा क्षेत्र के सुधार प्रारंभ कर दिये हैं ताकि हानि और बिजली चोरी कम करके इस क्षेत्र से मिलने वाले राजस्वों में सुधार लाया जा सकता है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक नयी पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित की है। कुछ राज्य सरकारों जैसे कि मेघालय, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल

बॉक्स 9: जनसेवाओं से लागत वसूली

राज्य सरकारों का करेतर राजस्व गैर-सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों, सरकारों द्वारा प्राप्त लाभांश और लाभ, राज्य लाटरियों जैसी सामान्य सेवाओं से राजस्व, राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त तरह-तरह की सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर लगाये जाने वाले उपभोक्ता प्रभारों से प्राप्त राजस्व जैसी ढेर सारी विविध प्रकार की प्राप्तियों से बनता है। हाल ही के वर्षों में उपभोक्ता प्रभारों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने राज्य सरकारों के कुल स्व-करेतर राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। तथापि, यह सर्व विदित है कि ये उपभोक्ता प्रभार जनता को ये सेवाएं (सामाजिक और आर्थिक) उपलब्ध कराने की लागत का बड़ी मुश्किल से वित्तपोषण कर पाते हैं। लागत वसूली संबंधी सुनिश्चित आंकड़ों के अभाव में इन सेवाओं से लागत वसूली हेतु करेतर राजस्व व्यय से करेतर राजस्व का अनुपात एक प्रतिनिधिक अनुपात के रूप में लिया जाता है। 2007-08 (सं.अ.) में सामाजिक सेवाओं के लिए यह अनुपात 4.0 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं के लिए 32.3 प्रतिशत रहा जो इन दोनों सेवाओं के संबंध में न्यून लागत वसूली दर्शाता है और उपभोक्ता प्रभारों की प्रणाली की पुनर्सरचना करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तथापि, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इन सेवाओं संबंधी उपभोक्ता प्रभारों को बढ़ाते समय विचार करने की आवश्यकता है।

इन उपभोक्ता प्रभारों के पक्षधरों का तर्क यह है कि उपभोक्ता प्रभार राज्य सरकारों को ये सेवाएं प्रदान करने की लागत पूरी तरह से या आंशिक रूप से जनता को पास करने में समर्थ बनाएंगे। यही बात सरकार के कर राजस्व से इन सेवाओं का वित्तपोषण करने से रोकती है जिसके लाभ समग्र रूप से पूरे समाज को न मिलकर के केवल विशिष्ट व्यक्तियों को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में, लोगों के घरों को की जानेवाली सरकारी जल आपूर्ति एक मीटर की रीडिंग के आधार पर प्रभारित की जा सकती है। ऐसी प्रणाली एक बार कार्यान्वित होने पर घरों में होनेवाले जल के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। यह उपभोक्ता प्रभार जनमानस के उपभोक्ता व्यवहार को बदलने में भी उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए सड़कों के उपयोग के संबंध में वसूले जाने वाले टोल में भीड़भाड़ वाले समय और भीड़भाड़ रहित समय के आधार पर अंतर किया जा सकता है। इससे जनता को व्यस्त समय में किसी सड़क अथवा पुल विशेष का उपयोग कम करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

तथापि, सरकार द्वारा दी जानेवाली कुछ अन्य सामाजिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनोपयोगी माल/सेवाओं(मेरिट गुड्स) की श्रेणी में आती हैं, जिसे सभी नागरिक,चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो भी हो, उपभोग कर सकते हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र भी जनता को ये सेवाएं प्रदान करने में समानरूप से सक्रिय है। तथापि, बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार जैसे कि निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं में हैं, उनका भार आबादी का गरीब वर्ग नहीं उठा सकता है। इस प्रकार, गरीब वर्गों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व हो जाता है। यही तर्क जल आपूर्ति पर भी लागू होता है जहां गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों को नल का कनेक्शन देने में सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इस प्रकार, सरकार को विशिष्ट हिताधिकारी व्यक्तियों की पहचान करने के अलावा उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित हिताधिकारियों को उनसे अलग रखने के भी आवश्यकता है।

उन आर्थिक सेवाओं के मामले में जहां यह सेवा जैसे की बिजली लाभ कमाने के लिए उपयोग में लायी जाती है, ऐसे मामलों में सरकार को इसके ऊपर बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार लगाने चाहिए। ऐसे में यह जनता को वह विशेष प्रदान करने में होनेवाले व्यय का वित्तपोषण कर सकती है। इसके अलावा, यदि सरकार जनता को विशुद्धरूप से निजी माल/सेवाएं प्रदान करती है तो इसे चाहिए कि यह निजी क्षेत्र के साथ गुणात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार निर्धारित उपभोक्ता प्रभार लगाये। चूंकि उपभोक्ता प्रभार मुआवजा प्राप्ति है, उपभोक्ता प्रभार के माध्यम से संग्रह की गयी अधिकतम राशि जनता को दी गयी सेवाओं की लागत से अधिक नही होनी चाहिए। उपभोक्ता प्रभारों के माध्यम से संग्रह किया गया समस्त धन उस विषय सेवा पर ही खर्च किया जाना चाहिए और सरकार के किसी अन्य व्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। यह उपभोक्ता प्रभार जनता को दी जानेवाली सेवाओं की गुणवता से जुड़े होने चाहिए ताकि इसे और स्वीकार्य बनाया जा सके।

संदर्भ:

1. दास गुप्ता, अरिंदम (2005), 'नॉन-टैक्स रेवेन्यूज इन इंडियन स्टेट्स: प्रिन्सिपल्स एण्ड केस स्टडीज़', एशियाई विकास बैंक के लिए तैयार किया गया पेपर, 'पॉलिसी रिसर्च नेटवर्किंग टु स्ट्रेंग्थेन पॉलिसी रिफॉर्म'।
2. नेशनल कॉन्फरेन्स ऑफ स्टेट लेजिसलेटर्स - फोरम फॉर अमेरिकाज् आयडियाज् (1999), द अप्रोप्रियेट रोल ऑफ यूजर चार्जेस् इन स्टेट एण्ड लोकल फायनान्स, जुलाई।

प्रदेश ने उपभोक्ता प्रभारों के ढांचे को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव रखा है। सिक्किम ने सेवाओं के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु कदम उठाते समय सभी उचित उपभोक्ता प्रभार लागू किये। मेघालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडियां घटाने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु ने सभी करेतर राजस्व स्रोतों की समीक्षा करने और सेवाएं की पर्याप्त लागत वसूली करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। केरल ने केरल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की हानियों को घटाने के लिए एक पैकेज प्रारंभ किया।

करेतर राजस्व बढ़ाने के लिए अनेक राज्यों ने विशेष उपाय किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए बिजली शुल्क बढ़ा दिया और बिजली का अधिक उपयोग करनेवाले उद्योगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। जम्मू और कश्मीर ने अपने व्ययों के अनुरूप जल और सिंचाई दरों को बढ़ाया। राज्य ने सरकारी विभागों और नगरपालिका निकायों तथा निजी संस्थानों द्वारा देय पॉवर टेरिफ और जल प्रभार के बकायों की वसूली के लिए अपने प्रयास भी सघन कर दिए हैं। मेघालय ने कुछ चुनिंदा पशु अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क प्रारंभ करना प्रस्तावित किया है। मिजोरम ने सड़कों और पुलों पर पथकर लगाया है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में लघु सिंचाई पर जल प्रशुल्क लगाया है। इसने मीटर रीडिंग के आधार पर चल प्रभार निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है। मेघालय ने

सिंचाई के लिए उपलब्ध जल पर सीमित जल उपभोक्ता प्रभार लगाया है। गोवा ने उन उपभोक्ताओं, जो 500 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खर्च करते हैं, के सकल बिजली उपभोग पर 0.5 प्रतिशत का ऊर्जा उपकर लगाया है।

राज्य सरकारों ने करेतर राजस्व में सुधार लाने के लिए भी संस्थागत उपाय किए। हरियाणा ने किसानों के बकाया बिजली देयों के मामलों के निवारण के लिए एक समिति गठित की। हिमाचल प्रदेश ने परिवहन, शिक्षा, जल, सिंचाई, आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए एक पावर टैरिफ कमीशन गठित किया। नागालैंड ने जनता को दिए जानेवाले माल और सेवाओं की लागतों /मूल्यों की देय दरों के निर्धारण में न्याय देने हेतु एक स्वतंत्र मूल्यन ट्रिब्यूनल और नियामक प्राधिकरण गठित किया है। जम्मू और कश्मीर ने तिमाही आधार पर करेतर राजस्व की वसूली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की है। कनार्टक ने सरकार के कर और करेतर राजस्व की समीक्षा करने के लिए एक राजस्व सुधार आयोग गठित किया।

करेतर राजस्व सुधारने के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने विशेष क्षेत्रों को सब्सिडियां और छूटें प्रदान की। ऐसे कुछ उपाय जो करेतर राजस्व वसूली पर अपना प्रभाव डालते हैं, निम्नलिखित हैं : आंध्र प्रदेश ने किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी। किसानों के बकाया देय भी माफ कर दिए गए हैं। राज्य ने नवस्थापित उद्योगों, लौह मिश्र धातु उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों को भी ऊर्जा सब्सिडी प्रदान की है। गुजरात ने किसानों को बिजली शुल्क से पूरी छूट दी है। असम ने जनरेटर सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर विद्युत शुल्क की अदायगी से घरेलू क्षेत्र को मुक्त किया है। गोवा ने पावर टिलर्स , इलेक्ट्रिक वाटर पंप खरीदने और जलवाहिनी पाइप बिछाने की लागत के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी है। जम्मू और कश्मीर ने ऊर्जा देयों के बकायों के समापन हेतु एक माफी योजना प्रस्तावित की है। कर्नाटक ने उपभोक्ताओं के एक निश्चित वर्ग के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क बिजली दी है। राज्य ने दलित बस्ती योजना के अंतर्गत घरों की एक बहुत बड़ी संख्या को भी निःशुल्क बिजली देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य ने भाग्य ज्योति और कुटीर ज्योति के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार बिजली बिलों का बकाया माफ कर दिया है बशर्तें कि उनका कनेक्शन चल रहा हो। हरियाणा ने सभी किसानों के बिजली बिलों के बकाया का भुगतान कर दिया है ताकि चालू बिलों का भुगतान किया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी प्रशुल्क दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सब्सिडी दी। गुजरात ने उपभोक्ताओं के बड़े वर्गों के बीच बिजली प्रभार कम कर दिये हैं। तमिलनाडु ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी है। राज्य ने यह भी निर्णय लिया है कि स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत दिये गये 2,40,000 कृषि कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति की जाए, दो महीने में 100 यूनिट बिजली उन हथकरघा बुनकरों को दी जाए जिनके अपने वर्कशेड हैं और वे बुनाई में लगे हैं तथा दो महीने में 500 यूनिट बिजली उन पॉवरलूम बुनकरों को दी जाए जो अपने पॉवरलूम चलाते हैं। कैप्टिव जेनरेशन प्लांटों से उद्योगों को राहत देने के लिए जेनरेटिंग सेटों से पैदा की जानेवाली ऊर्जा पर शुल्क घटा दिया। पंजाब ने अनुसूचित जाति परिवारों को दी जानेवाली निःशुल्क घरेलू बिजली की मात्रा 50 यूनिट तक बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दी। राजस्थान ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली पर शुल्क अदायगी से कैप्टिव पावर जेनरेशन को छूट देने का प्रस्ताव रखा है। उड़ीसा ने लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान की।

VII.2 राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के दो दशकों के अंतराल के पश्चात 2006-07 (लेखे) में समेकित स्तर पर राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त की। राजस्व अधिशेष के उदय हेतु राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एक प्रमुख योगदान कारक है। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 1980-85 के दौरान 11.0 प्रतिशत तथा 1995-00 के दौरान 10.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2005-09 में 12.9 प्रतिशत पर पहुंच गयीं (सारणी 37 और परिशिष्ट सारणी 24)। मोटे तौर पर स्व-कर राजस्व तथा केंद्र से चालू अंतरणों (कर डिवोल्यूशन और अनुदानों सहित) ने पिछले तीन दशकों के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई जबकि राज्यों के करेतर राजस्व ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई (चार्ट 44)। राज्यों के औसत स्व-कर राजस्व ने उल्लेखनीय सुधार दर्शाया और यह 1985 के सकल

सारणी 37: राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां

(जीडीपी से प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	स्व-राजस्व			चालू अंतरण			राजस्व प्राप्तियां
	स्व-कर राजस्व	स्व-करेतर राजस्व	स्व-राजस्व	केंद्रीय करों में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	कुल चालू अंतरण	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4+7
1980-85	4.8	1.9	6.8	2.4	1.8	4.2	11.0
1985-90	5.3	1.9	7.2	2.6	2.2	4.8	12.0
1990-95	5.3	1.8	7.2	2.6	2.3	4.8	12.0
1995-00	5.1	1.6	6.7	2.4	1.6	4.0	10.7
2000-05	5.6	1.4	7.0	2.4	1.8	4.2	11.2
2005-09	6.1	1.4	7.5	3.0	2.4	5.4	12.9

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से 2005-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, स्व-करेतर राजस्व में क्रमिक क्षरण दिखाई दिया। केंद्र से चालू अंतरणों में औसतन गिरावट आई और यह 1985-90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से 1995-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2005-09 के दौरान सुधरकर 5.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, राज्यों के करेतर राजस्व 1980-85 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत के औसत से गिरकर 1995-00 में 1.6 प्रतिशत पर आ गया तथा विद्यमान दशक में और गिरकर 1.4 प्रतिशत हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वराजस्व ने औसतन राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के लगभग 60 प्रतिशत का निर्माण किया जबकि चालू अंतरणों ने लगभग 40 प्रतिशत निर्मित किया। इस प्रकार, राज्यों का राजस्व निष्पादन उनके स्व प्रयासों के साथ-साथ केंद्रीय करों तथा अन्य अंतरणों में उछाल पर निर्भर करता है।

चार्ट 44 : राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों की प्रवृत्तियां

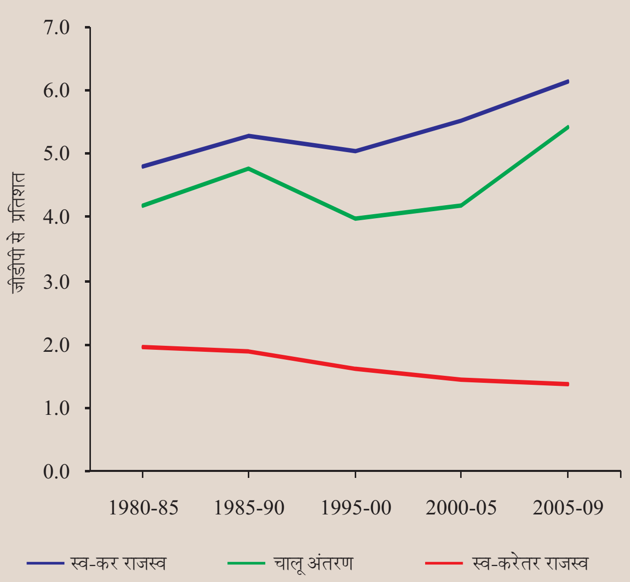

VII.2.1 स्वकर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के प्रमुख स्रोत कृषि आय कर, व्यवसाय कर, संपत्ति कर और पूंजी लेनदेन कर जैसे प्रत्यक्ष कर तथा वैट सहित वस्तुओं, सेवाओं पर लगने वाले कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, मनोरंजन कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष कर हैं।सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अनुपात के रूप में ओटीआर ने 1995-00 के 5.1 प्रतिशत के औसत स्तर से स्थिर रूप से बढ़ते हुए 2005-09 ने 6.1 प्रतिशत पहुंच कर सुधार दर्शाया जोकि अस्सी के दशक के पूर्वार्ध में 4.8 प्रतिशत के औसत स्तर की तुलना में काफी अधिक है। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में राज्यों का कर संग्रहण मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर करों में कमी के कारण गिर गया था। इस अवधि के दौरान केंद्रीय करों में मिलनेवाले हिस्से में भी कुछ कमी दिखाई पड़ी थी। इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा दशक में हुई ओटीआर में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के बिक्री कर/वैट और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्कों से उत्पन्न बढ़े हुए राजस्व के कारण थी। वस्तुओं और सेवाओं पर करों में हुई वृद्धि औसतन रूप से 1995-00 के दौरान जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गईं। घटकवार देखें तो राज्य बिक्री कर/वैट में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि राज्य उत्पाद शुल्क ने अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शायी और वाहन कर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत के आसपास लगभग अटका रहा। राज्यों के ओटीआर को बेहतर बनाने में प्रमुख बाधाओं में से एक है

आय पर करों का निष्पादन जोकि विगत तीन दशकों से जीडीपी के 0.1 प्रतिशत से भी कम पर अटका हुआ है। तथापि, संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर लगनेवाले करों ने नब्बे के दशक के उत्तरार्ध के बाद स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के बेहतर निष्पादन के कारण बेहतर निष्पादन दर्शाया क्योंकि नब्बे के दशक के जीडीपी के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर यह 2005-09 में 0.8 प्रतिशत होकर दुगुना हो गया (सारणी 38)।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर राज्यों के ओटीआर के प्रमुख घटक का निर्माण करते हैं। तथापि, ओटीआर से अनुपात के रूप में वस्तुओं और सेवाओं पर करों ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और 1980-85 के 90.1 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में औसतन 84.8 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण राज्य उत्पाद शुल्क तथा वाहन कर के हिस्से में गिरावट थी। ओटीआर में राज्य बिक्री कर/वैट का योगदान 1980-85 के 42.7 प्रतिशत से 2005-09 में 50.4 प्रतिशत तक पहुंचना क्रमिक वृद्धि दर्शाता है। यह नोट किया जा सकता है कि ओटीआर के प्रतिशत के रूप में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने पिछले तीन दशक की अवधि की तुलना में स्थिर वृद्धि दर्शायी और यह 1980-85 के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में 12.7 प्रतिशत तक पहुंच कर दुगुने से भी अधिक हो गया। ओटीआर में आय कर और भू-राजस्व का हिस्सा अत्यल्प ही बना रहा (सारणी 39 और चार्ट 45)।

संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर लगनेवाले करों में भूराजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा शहरी अचल संपत्ति कर शामिल हैं। संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर कर से प्राप्त होनेवाले राजस्व में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने 2005-09 के दौरान 90.2 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि 1980-85 की अवधि में यह 72.5 प्रतिशत था। इस शीर्ष के अंतर्गत वसूलियों में सुधार, स्थावर संपदा उद्योग में उर्ध्वमुखी पलटाव को दर्शाता है (सारणी 40)।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर के अंतर्गत आते हैं, राज्य बिक्री कर/वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल और यात्री कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर और अन्य कर एवं शुल्क। इस शीर्ष के अंतर्गत बिक्री कर का हिस्सा स्थिर रूप से बढ़ता हुआ 1980-85 के 64.8 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 में 71.6 प्रतिशत पर पहुंच

सारणी 38 : स्व-कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
अ. प्रत्यक्ष कर (क + ख)	**0.48**	**0.56**	**0.60**	**0.60**	**0.70**	**0.94**
क. आय पर कर	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07
जिसमें से:						
व्यवसाय,व्यापार और रोजगार पर कर	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07
ख. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	0.40	0.48	0.51	0.53	0.60	0.87
जिसमें से:						
भू-राजस्व	0.11	0.13	0.10	0.07	0.07	0.08
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	0.29	0.34	0.41	0.45	0.53	0.78
आ. अप्रत्यक्ष कर - पण्य और सेवाओं पर कर	**4.34**	**4.74**	**4.74**	**4.45**	**4.85**	**5.21**
जिसमें से:						
राज्य बिक्री कर/ वैट	2.06	2.41	2.41	2.35	2.62	3.10
राज्य उत्पाद कर	0.67	0.76	0.81	0.69	0.71	0.72
वाहन कर	0.28	0.31	0.29	0.30	0.33	0.33
इ. स्व-कर राजस्व (अ+आ)	**4.82**	**5.30**	**5.34**	**5.05**	**5.55**	**6.15**
ई. केंद्रीय करों में अंश	**2.42**	**2.63**	**2.57**	**2.43**	**2.39**	**2.98**
उ. कुल कर राजस्व (इ+ई)	**7.24**	**7.93**	**7.91**	**7.48**	**7.94**	**9.13**

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 39 : स्व-कर प्राप्तियों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
अ. प्रत्यक्ष कर (क + ख)	**9.9**	**10.6**	**11.3**	**11.9**	**12.6**	**15.2**
क. आय पर कर	1.5	1.6	1.6	1.5	1.7	1.1
जिसमें से:						
व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर	0.9	1.1	1.2	1.3	1.7	1.1
ख. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	8.4	9.0	9.6	10.4	10.9	14.1
जिसमें से:						
भू-राजस्व	2.2	2.5	1.8	1.5	1.3	1.3
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	6.1	6.4	7.8	8.8	9.5	12.7
आ. अप्रत्यक्ष कर - पण्य और सेवाओं पर कर	**90.1**	**89.4**	**88.7**	**88.1**	**87.4**	**84.8**
जिसमें से:						
राज्य बिक्री कर/ वैट	42.7	45.5	45.1	46.5	47.3	50.4
राज्य उत्पाद कर	14.0	14.4	15.2	13.7	12.9	11.7
वाहन कर	5.8	5.8	5.4	5.9	6.0	5.4
इ. स्व-कर राजस्व (अ+आ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

गया जिसका मुख्य कारण राज्य बिक्री कर/वैट का सुधरा हुआ निष्पादन है। राज्य उत्पाद शुल्क का हिस्सा जिसने 1990-95 में लगभग 17.1 प्रतिशत का योगदान दिया था। 2005-09 में घटकर 13.8 प्रतिशत पर आ गया। वाहन कर का हिस्सा जो 1980-85 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000-05 में 6.9 प्रतिशत पर पहुंच गया था, 2005-09 में गिरकर 6.3 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 41)।

चार्ट 45 : स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

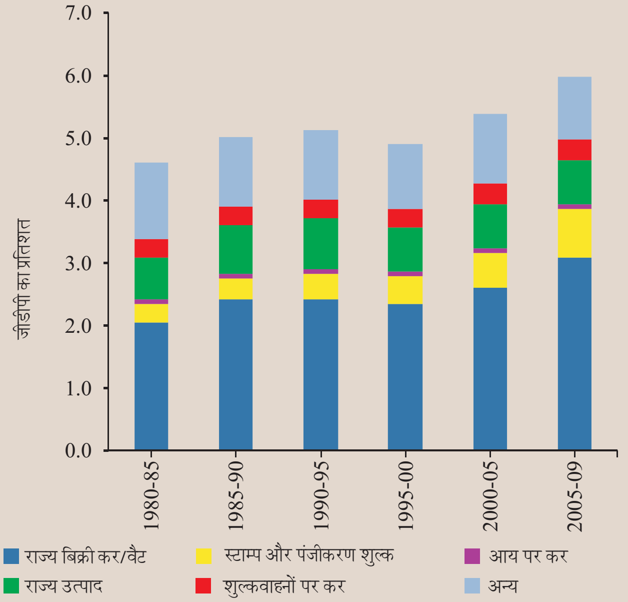

अपने वित्त को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राज्यों ने विभिन्न करों जैसे कि वाहन कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, विद्युत शुल्क, आदि को बढ़ाने/की पुनर्संरचना करने की दिशा में अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं।

VII.2.2 स्व-करेतर राजस्व - प्रवृत्ति एवं संघटन

राज्य सरकारों के करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और अन्य सेवाओं से प्राप्त होनेवाली उपभोक्ता प्रभारों के माध्यम से होनेवाली आय शामिल रहते हैं। जीडीपी से अनुपात के रूप में राज्यों का स्व-करेतर राजस्व (ओएनटीआर) नब्बे के दशक के 1.9 प्रतिशत से क्रमिक रूप से घटते हुए मौजूदा दशक में 1.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 42)। ओएनटीआर के सभी घटकों ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी अथवा निम्न स्तरों पर ही अटके रहे। आर्थिक सेवाएं जोकि ओएनटीआर की मुख्य योगदानकर्ता हैं, ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और मुख्य रूप से बिजली, सड़क और उद्योगों से कमजोर वसूलियों के चलते 1995-00 से जीडीपी के 0.6 प्रतिशत के स्तर पर ही रुकी रहीं। ब्याज प्राप्तियों ने भी गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी और 2005-09 में जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर रहीं। सामाजिक सेवाओं से होनेवाली वसूली जीडीपी के 0.1 प्रतिशत के आसपास के स्तर पर अटकी रही जबकि सामान्य सेवाओं से

सारणी 40 : संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद 1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09	
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
संपत्तिऔर पूंजी लेनदेन पर कर (i+ii+iii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i. भू-राजस्व	26.6	27.6	18.8	14.0	12.4	9.3
ii. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	72.5	71.7	80.4	85.1	87.0	90.2
iii. शहरी अचल संपत्ति कर	0.9	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

होनेवाली वसूली नब्बे के दशक के 0.4 प्रतिशत से घटकर मौजूदा दशक में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत रहीं।

ओएनटीआर में विभिन्न शीर्षों के योगदान पर दृष्टि डालने पर यह देखा जा सकता है कि आर्थिक और सामाजिक सेवाओं से होनेवाली वसूलियों का हिस्सा नब्बे के दशक में तेज गिरावट के बाद मौजूदा दशक में बढ़ा है। आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 1995-00 के 37.4 प्रतिशत के औसत से सुधर कर 2005-09 में 45.7 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 1985-90 के 51.1 प्रतिशत के औसत की तुलना में अभी भी कम है (सारणी 43 और चार्ट 46)। ओएनटीआर वसूलियों में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 1990-95 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में 9.6 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं का हिस्सा 1985-90 के 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 में 24.3 प्रतिशत हो गया।

सामाजिक सेवाओं के भीतर ही शहरी विकास पर व्यय से होनेवाली वसूली का योगदान 1990-95 के 6.0 प्रतिशत के औसत से बहुत सुधर कर 2005-09 में 34.0 प्रतिशत हो गया। तथापि, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रावधान से वसूली का हिस्सा 1990-95 के 31.0 प्रतिशत से गिरकर 2005-09 में 14.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। जल आपूर्ति और सफाई से होनेवाली वसूली का योगदान 1990-95 में बढ़ा किंतु उसके बाद कम हो गया (सारणी 44)।

आर्थिक सेवाओं से राजस्व के प्रमुख शीर्ष हैं : उद्योग, बिजली, वानिकी और वन्य-जीवन। उद्योगों का योगदान 1980-85 के 6.2 प्रतिशत से बहुत बढ़कर 2005-09 में 45.1प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, बिजली क्षेत्र से होने वाली वसूली 1980-85 के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 16.1 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, वन

सारणी 41 : पण्य और सेवाओं पर करों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
पण्य और सेवाओं पर कर (i से vii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) बिक्री कर	64.8	64.9	66.3	67.2	69.3	71.6
जिसमें से :						
राज्य बिक्री कर/ वैट	47.4	50.9	50.8	52.8	54.1	59.5
केंद्रीय बिक्री कर	12.1	10.8	11.7	9.2	9.1	7.5
मोटर स्पिरिट और लुब्रिकेन्ट पर बिक्री कर	2.7	2.6	3.1	4.7	4.3	3.0
ii) राज्य उत्पाद कर	15.5	16.1	17.1	15.6	14.7	13.8
iii) वाहन कर	6.4	6.5	6.1	6.7	6.9	6.3
iv) माल और यात्री कर	4.7	4.1	3.6	2.7	3.0	3.2
v) बिजली पर कर और शुल्क	3.8	4.9	4.7	4.5	4.4	3.9
vi) मनोरंजन कर	3.9	2.3	1.3	0.9	0.7	0.3
vii) अन्य कर एवं शुल्क	1.0	1.2	1.0	2.3	1.1	0.9

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 42 : स्व-करेतर प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
स्व-करेतर राजस्व (क से च)	**1.95**	**1.87**	**1.84**	**1.62**	**1.42**	**1.36**
क. ब्याज प्राप्तियां	0.52	0.53	0.57	0.49	0.36	0.27
ख. लाभांश और लाभ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ग. सामान्य सेवाएं	0.30	0.23	0.38	0.41	0.34	0.33
घ. सामाजिक सेवाएं	0.18	0.14	0.11	0.10	0.11	0.13
ड. राजकोषीय सेवाएं	–	–	–	–	–	–
च. आर्थिक सेवाएं	0.94	0.96	0.78	0.60	0.60	0.62
जिसमें से:						
वानिकी और वन्य-जीवन	0.36	0.28	0.18	0.11	0.07	0.06
बिजली	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.10
उद्योग	0.06	0.27	0.27	0.25	0.24	0.28
सिंचाई	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04
सड़क	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02

'–' : शून्य / नगण्य
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

और वन्य-जीवन के योगदान में गिरावट देखी गई और यह 1985-90 के 37.7 प्रतिशत से गिरकर 2005-09 में 8.9 प्रतिशत हो गया (सारणी 45)।

सामाजि क सेवाओं पर किए जानेवाले कुल खर्च के लगभग तीन-चौथाई हिस्से के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और आर्थिक सेवाओं पर किए जानेवाले कुल खर्च का आधे से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा दिया गया। ऐसी सेवाओं से वसूला गया उपभोक्ता प्रभार ऐसे शीर्षों पर किए गए खर्च की तुलना में काफी कम है। सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर कम उपभोक्ता प्रभारों के अलावा सार्वजनिक निवेश पर अपर्याप्त प्रतिलाभ से भी करेतर राजस्व में ढुलमुलपन पैदा होता है। राज्यों ने उन्हें मिलनेवाली रॉयल्टियों जिसमें खनिज, वानिकी और वन्यजीवन पर मिलनेवाली रॉयल्टी, शिक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क, सिंचाई/जल दरों तथा शहरी जल आपूर्ति पर टैरिफ का संशोधन करना शामिल है, की समीक्षा करके/उन्हें तर्कसंगत बनाकर करेतर राजस्व को बढ़ाने के लिए उपाय प्रारंभ

सारणी 43 : स्व-करेतर प्राप्तियों के घटक

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
स्व-करेतर प्राप्तियां (क से च)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
क. ब्याज प्राप्तियां	26.8	28.6	30.7	30.7	25.3	19.5
ख. लाभांश और लाभ	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9
ग. सामान्य सेवाएं	14.8	12.1	20.1	25.0	23.7	24.3
घ. सामाजिक सेवाएं	9.1	7.7	5.9	6.3	8.0	9.6
ड. राजकोषीय सेवाएं	–	0.1	–	–	–	–
च. आर्थिक सेवाएं	48.8	51.1	42.8	37.4	42.2	45.7
जिसमें से:						
वानिकी और वन्य-जीवन	18.3	15.0	9.9	6.7	5.0	4.1
बिजली	1.4	2.2	1.9	2.4	4.4	7.4
उद्योग	3.0	14.3	14.7	15.2	17.1	20.6
सिंचाई	2.9	2.7	2.3	1.8	2.4	2.7
सड़क	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2	1.4

'–' : शून्य / नगण्य
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 46: स्वकरेतर राजस्व के घटक

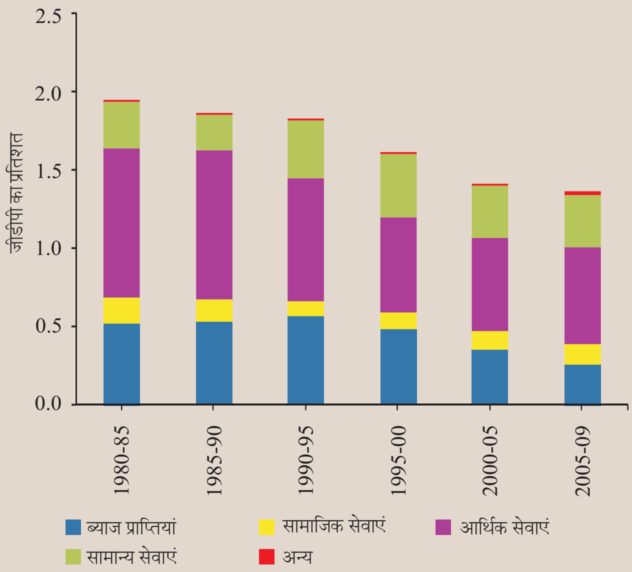

किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए उचित प्रभार वसूल किया जाना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

VII.3 राज्यवार राजस्व प्राप्तियां

इस खंड में राज्य सरकारों के बीच स्व-राजस्व प्राप्तियों की राज्यवार प्रवृत्तियां और संघटन प्रस्तुत किया गया है।

VII.3.1 स्व-कर राजस्व की राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ओटीआर की प्रवृत्ति दर्शाती है कि विगत तीन दशकों के दौरान गैर-विशेष श्रेणी के आठ राज्यों यथा गोवा, कर्नाटक, केरल,मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इस अनुपात में स्थिर गति से सुधार दर्शाया। कुछ राज्य सरकारों जैसे कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में स्व-कर अनुपात अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में घट गया लेकिन मौजूदा दशक में यह बढ़ गया। बिहार और पश्चिम बंगाल के मामले में स्व-कर अनुपात अस्सी और नब्बे के दशक की तुलना में 2000-09 के दौरान कम हो गया। 2000-09 के दौरान कर्नाटक ने 10.7 प्रतिशत का सर्वोच्च ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया जिसके बाद तमिलनाडु (9.5 प्रतिशत), केरल (8.6 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (8.4 प्रतिशत) का योगदान रहा। उसी अवधि के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल ने 4.4 प्रतिशत का सबसे कम ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद झारखंड (5.2 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच 7 राज्य सरकारों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,

सारणी 44 : सामाजिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
		(औसत)		
1	2	3	4	5
सामाजिक सेवाएं (i से ix)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	26.4	24.9	30.9	28.9
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	31.0	25.0	21.2	14.5
iii) परिवार कल्याण	–	–	0.1	0.9
iv) आवासन	6.0	6.0	5.9	3.2
v) शहरी विकास	3.5	7.4	8.0	34.0
vi) श्रम और रोजगार	5.5	5.8	4.6	4.3
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8.2	9.7	6.4	2.9
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	13.2	12.7	8.4
ix) अन्य	19.4	8.1	10.3	2.7

'–' : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : 1990 के पूर्व के सामाजिक सेवा के अलग-अलग ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 45 : आर्थिक सेवाओं से प्राप्त करेतर राजस्व का संघटन

(कुल के प्रतिशत के रूप में)

मद	1980-85	1985-90	1990-95	1995-00	2000-05	2005-09
	(औसत)					
1	2	3	4	5	6	7
आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
i) खेती	–	2.8	2.0	2.0	2.0	1.0
ii) पशु पालन	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4
iii) मत्स्यपालन	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
iv) वानिकी और वन्य -जीवन	37.7	29.3	18.0	18.0	11.9	8.9
v) बागान	–	0.1	–	–	–	–
vi) सहकारिता	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.1
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	6.0	5.2	4.8	4.8	5.7	5.9
ix) लघु सिंचाई	–	1.3	1.1	1.1	0.7	0.8
x) बिजली	3.0	4.4	6.2	6.2	9.8	16.1
xi) पेट्रोलियम	–	3.5	3.1	3.1	3.8	5.3
xii) ग्राम और छोटे उद्योग	–	1.0	0.8	0.8	0.5	0.4
xiii) उद्योग @	6.2	28.2	40.6	40.6	40.7	45.1
xiv) बंदरगाह और प्रकाशगृह	–	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6
xv) सड़क परिवहन	6.3	5.4	5.9	5.9	5.4	3.2
xvi) पर्यटन	–	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
xvii) अन्य*	34.2	15.3	13.9	13.9	16.0	10.3

@ : इसमें अलौह खनन और धातु पर आधारित उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं। '–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं

* : इसमें डेअरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागरी उड्ड यन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, अपारंपारिक उर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाएं, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल, आदि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा ने विगत तीन दशकों के दौरान ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात में स्थिर गति से सुधार अनुभव किया। यद्यपि विशेष श्रेणी के शेष राज्यों के ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात में नब्बे के दशक में गिरावट दिखाई दी जबकि उपर्युक्त सात राज्यों का यह अनुपात 2000-09 के दौरान बढ़ा। सिक्किम ने 2000-09 के दौरान 7.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया। इसके बाद उत्तराखंड (6.3 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (5.8 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान नागालैंड द्वारा न्यूनतम (1.5 प्रतिशत) ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया और उसके बाद मिज़ोरम (1.6 प्रतिशत), मणिपुर (1.8 प्रतिशत) तथा अरुणाचल प्रदेश (1.9 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

VII.3.2 मूल्यवर्धित कर की राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

छः राज्य सरकारों यथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु ने पिछले तीन दशकों के दौरान वैट-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। तीन राज्य सरकारों यथा बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने वैट-जीएसडीपी अनुपात में अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वृद्धि दर्शायी लेकिन 2000-09 के दौरान इसमें गिरावट अनुभव की गई। मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वैट-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की लेकिन 2000-09 के दौरान यह अनुपात बढ़ गया। केरल और तमिलनाडु ने 2000-09 के दौरान 6.2 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया । इसके बाद कर्नाटक (5.6 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (5.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2000-09 के दौरान बिहार द्वारा सबसे कम (2.5 प्रतिशत)वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (2.6 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 47)।

विशेष श्रेणी के राज्य

छः राज्य सरकारों यथा असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने विगत तीन दशकों के

सारणी 46: स्व-राजस्व की राज्य-वार प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	ओटीआर/जीएसडीपी			ओएनटीआर/जीएसडीपी			कुल/जीएसडीपी		
	1980-90	1990-00	2000-09	1980-90	1990-00	2000-09	1980-90	1990-00	2000-09
	(औसत)			(औसत)			(औसत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	7.4	6.4	8.4	2.4	2.0	2.0	9.8	8.3	10.4
2. बिहार	5.4	6.0	4.4	3.8	2.8	0.6	9.2	8.7	4.9
3. छत्तीसगढ़	–	–	7.0	–	–	2.4	–	–	9.4
4. गोवा	2.6	7.7	8.2	2.0	8.5	9.3	4.6	16.2	17.5
5. गुजरात	7.1	7.6	7.2	2.4	2.4	2.1	9.5	10.0	9.3
6. हरियाणा	6.8	6.7	8.0	3.4	5.5	2.6	10.3	12.2	10.6
7. झारखंड	–	–	5.2	–	–	2.0	–	–	7.2
8. कर्नाटक	8.1	8.7	10.7	2.8	1.9	1.7	10.9	10.6	12.4
9. केरल	7.0	7.8	8.6	1.7	1.1	0.8	8.7	8.8	9.4
10. मध्य प्रदेश	6.8	6.9	7.4	4.1	3.4	2.1	10.9	10.3	9.5
11. महाराष्ट्र	7.6	7.0	7.8	2.8	2.0	1.4	10.4	9.0	9.2
12. उड़ीसा	3.6	4.2	5.9	1.9	1.8	1.8	5.5	6.0	7.7
13. पंजाब	6.8	6.1	7.1	1.8	3.4	4.4	8.5	9.5	11.5
14. राजस्थान	5.1	5.3	7.2	2.7	2.8	2.0	7.8	8.1	9.2
15. तमिलनाडु	7.8	8.2	9.5	1.4	1.2	1.1	9.2	9.4	10.6
16. उत्तर प्रदेश	4.5	4.9	6.7	1.6	1.5	1.3	6.2	6.4	8.0
17. पश्चिम बंगाल	4.9	4.9	4.4	0.9	0.5	0.5	5.7	5.3	4.9
II. विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.6	1.9	3.9	6.6	6.2	4.1	7.3	8.1
2. असम	2.8	3.3	4.7	2.5	1.7	2.1	5.3	5.0	6.8
3. हिमाचल प्रदेश	4.0	4.5	5.5	3.6	2.3	2.2	7.6	6.8	7.7
4. जम्मू और कश्मीर	–	3.2	5.8	–	2.0	2.2	–	5.3	8.0
5. मणिपुर	1.4	1.3	1.8	2.9	2.0	1.7	4.3	3.3	3.4
6. मेघालय	2.8	3.0	3.6	2.9	1.8	2.2	5.7	4.8	5.9
7. मिजोरम	0.3	0.6	1.6	1.2	6.7	3.1	1.5	7.3	4.7
8. नागालैंड	2.8	1.4	1.5	6.4	2.2	1.2	9.2	3.7	2.7
9. सिक्किम	4.4	3.6	7.3	8.5	71.9	61.4	12.9	75.5	68.6
10. त्रिपुरा	1.4	2.0	3.0	2.4	1.3	1.4	3.7	3.3	4.3
11. उत्तराखंड	–	–	6.3	–	–	1.9	–	–	8.2
सभी राज्य*	**5.1**	**5.2**	**5.8**	**1.9**	**1.7**	**1.4**	**7.0**	**6.9**	**7.2**

ओटीआर : स्व-कर राजस्व ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व जीएसडीपी:सकल राज्य घरेलू उत्पाद

*: सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं। '–' : लागू नहीं /उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

दौरान वैट-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में वैट-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट अनुभव की लेकिन 2000-09 के दौरान इसमें वृद्धि दिखाई दी। 2000-09 के दौरान असम ने 3.6 प्रतिशत का सर्वोच्च वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उत्तराखंड (3.4 प्रतिशत) तथा जम्मू और कश्मीर (3.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान नागालैंड द्वारा न्यूनतम (1.0 प्रतिशत) वैट-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया गया (सारणी 47)।

VII.3.3 स्व-करेतर राजस्व में राज्यवार प्रवृत्तियां

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

विगत तीन दशकों के दौरान मात्र दो राज्य सरकारों यथा गोवा और पंजाब ने ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि दर्शायी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में गिरावट दिखाई दी और मौजूदा दशक में यह अटका रहा। गुजरात में यह ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान 2.4 प्रतिशत पर ही अटका रहा लेकिन

सारणी 47: वैट/जीएडीपी की राज्य-वार प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

राज्य	1980-90	1990-2000	2000-09
	(औसत)		
1	2	3	4
I. गैर विशेष श्रेणी			
1. आंध्र प्रदेश	3.8	4.0	5.4
2. बिहार	3.7	4.0	2.5
3. छत्तीसगढ़	–	–	3.6
4. गोवा	1.9	5.5	5.5
5. गुजरात	4.8	5.1	3.4
6. हरियाणा	3.2	3.5	4.9
7. झारखंड	–	–	3.6
8. कर्नाटक	4.3	5.1	5.6
9. केरल	4.4	5.4	6.2
10. मध्य प्रदेश	3.4	3.1	3.6
11. महाराष्ट्र	4.8	4.3	4.6
12. उड़ीसा	2.0	2.6	3.5
13. पंजाब	3.1	2.8	3.8
14. राजस्थान	3.0	2.8	4.0
15. तमिलनाडु	5.2	5.4	6.2
16. उत्तर प्रदेश	2.4	2.4	3.8
17. पश्चिम बंगाल	2.8	3.0	2.6
II. विशेष श्रेणी			
1. अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.0	1.2
2. असम	1.8	2.0	3.6
3. हिमाचल प्रदेश	1.6	1.6	2.6
4. जम्मू और कश्मीर	0.0	1.3	3.3
5. मणिपुर	0.5	0.7	1.2
6. मेघालय	1.5	1.4	2.3
7. मिजोरम	0.0	0.2	1.2
8. नागालैंड	1.6	0.9	1.0
9. सिक्किम	1.0	1.3	2.9
10. त्रिपुरा	0.8	1.1	2.0
11. उत्तराखंड	–	–	3.4
सभी राज्य*	**2.9**	**3.1**	**2.8**

'–' : लागू नहीं। वैटः मूल्यवर्धित कर।

जीएसडीपी : सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

*: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी से प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में गिरावट के कारण 2000-09 के दौरान गिरकर 2.1 प्रतिशत पर आ गया। कई राज्य सरकारों यथा बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ने विगत तीन दशकों के दौरान अपने करेतर अनुपात में स्थिर गिरावट दर्शायी। यद्यपि, हरियाणा ने अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी। हालांकि हाल ही के वर्षों में इसमें गिरावट आयी। मौजूदा दशक के दौरान गोवा ने 9.3 प्रतिशत का सर्वोच्च ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद पंजाब (4.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात पश्चिम बंगाल में 0.5 प्रतिशत, बिहार में 0.6 प्रतिशत और केरल में 0.8 प्रतिशत रहकर निम्न बना रहा (सारणी 46)।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में विगत तीन दशकों की तुलना में स्थिर गिरावट दिखाई दी। विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों जैसे कि असम, मेघालय और त्रिपुरा में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात यद्यपि नब्बे के दशक में गिरा किंतु 2000-09 के दौरान यह बढ़ गया। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम ने अस्सी के दशक की तुलना में ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि दर्शायी किंतु उसके बाद इसमें गिरावट दिखाई दी। वर्ष 2000-09 के दौरान सिक्किम ने 61.4 प्रतिशत का सर्वोच्च ओएनटीआर-जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया और उसके बाद उसी अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश (6.2 प्रतिशत) और मिज़ोरम (3.1 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 46)।

VII.3.4 स्व-कर राजस्व का राज्यवार संघटन

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में 2007-08 (सं.अ.) के दौरान वस्तुओं और सेवाओं पर कर ने कुल स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के 80 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) के दौरान गैर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं पर करों का सब से महत्वपूर्ण घटक राज्य बिक्री कर/वैट था। 2007-08 (सं.अ.) में वैट ने केरल में ओटीआर के 65.9 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद और उसके बाद गोवा (62.5 प्रतिशत) और बिहार (61.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में इसने उत्तर प्रदेश में ओटीआर के मात्र 37.1 प्रतिशत का ही निर्माण किया और उसके बाद महाराष्ट्र 37.3 प्रतिशत का स्थान रहा। वैट के अलावा, वस्तुओं और सेवाओं पर करों के अन्य प्रमुख घटक हैं राज्य उत्पाद कर और वाहन कर आदि। वर्ष 2007-08 में एसईटी ने कर्नाटक में ओटीआर के 17.2 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया और उसके बाद पंजाब (16.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (16.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (15.8 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में गुजरात में इसने मात्र 0.2 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया और उसके बाद

गोवा (5.4 प्रतिशत), झारखंड (5.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (7.1 प्रतिशत) का निर्माण किया। वाहन कर ने राजस्थान में ओटीआर के 8.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद उड़ीसा (8.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसने ओटीआर के क्रमशः मात्र 2.0 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 48)।

2007-08 (सं.अ.) में आय कर ने ओटीआर के लगभग एक प्रतिशत का निर्माण किया जबकि संपत्ति और पूंजी लेनदेन कर(टीपी) ने ओटीआर के लगभग 15 प्रतिशत का निर्माण किया। तथापि, राज्यों के बीच भारी विषमताएं हैं। उदाहरण के लिए 2007-08 (सं.अ.) में टीपी ने झारखंड में ओटीआर के मात्र 4.1 प्रतिशत, गोवा में 6.1 प्रतिशत, उड़ीसा में 8.7 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ 9.8 प्रतिशत का निर्माण किया। पश्चिम बंगाल में टीपी ने 2007-08 (सं.अ.) में ओटीआर के 19.4 प्रतिशत का निर्माण किया उसके बाद उत्तर प्रदेश (18.8 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (18.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 के (सं.अ.) में दस के लगभग गैर विशेष श्रेणी के राज्यों ने स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने 90 प्रतिशत अधिक का निर्माण किया। 2007-08 के (सं.अ.) में स्टाम्प और पंजीकरण

सारणी 48 : स्व-कर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान)

(प्रतिशत)

राज्य	टीआइ	टीपीटी एंड ई	टीपी	एसआरएफ	एलआर	डीटी	टीसी	एसएसटी/वैट	एसईटी	टीवी	आइडीटी	ओटीआर
1	2	3	4	5	6	7=2+4	8	9	10	11	12=8	13=7+12
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	1.2	1.2	12.5	11.9	0.4	13.7	86.3	59.7	13.1	6.0	86.3	100.0
2. बिहार	–	–	12.8	11.3	1.5	12.8	87.2	61.4	9.7	4.6	87.2	100.0
3. छत्तीसगढ़	0.4	0.4	9.8	8.1	1.7	10.1	89.9	43.6	14.4	5.1	89.9	100.0
4. गोवा	–	–	6.1	5.5	0.6	6.1	93.9	62.5	5.4	6.4	93.9	100.0
5. गुजरात	0.7	0.7	10.0	7.4	2.1	10.6	89.4	57.8	0.2	6.1	89.4	100.0
6. हरियाणा	–	–	16.0	15.9	0.1	16.0	84.0	53.3	10.7	2.0	84.0	100.0
7. झारखंड	–	–	4.1	3.0	1.1	4.1	95.9	57.8	5.9	5.2	95.9	100.0
8. कर्नाटक	1.5	1.5	14.3	14.0	0.3	15.8	84.2	49.4	17.2	6.6	84.2	100.0
9. केरल	–	–	15.1	14.2	0.4	15.1	84.9	65.9	8.5	6.3	84.9	100.0
10. मध्य प्रदेश	1.6	1.6	14.0	13.0	1.0	15.6	84.4	44.4	14.7	6.5	84.4	100.0
11. महाराष्ट्र	3.1	3.1	18.7	17.2	1.5	21.8	78.2	37.3	8.2	4.8	78.2	100.0
12. उड़ीसा	1.2	1.2	8.7	5.3	3.4	9.9	90.1	53.1	8.2	8.1	90.1	100.0
13. पंजाब	–	–	16.6	16.4	0.2	16.6	83.4	51.4	16.7	5.1	83.4	100.0
14. राजस्थान	–	–	13.0	11.7	1.0	13.0	87.0	54.6	13.6	8.4	87.0	100.0
15. तमिलनाडु	–	–	14.0	13.5	0.5	14.0	86.0	53.9	15.8	5.1	86.0	100.0
16. उत्तर प्रदेश	0.1	0.1	18.8	17.3	1.4	18.8	81.2	37.1	16.6	2.4	81.2	100.0
17. पश्चिम बंगाल	2.1	2.1	19.4	10.7	8.6	21.5	78.5	53.3	7.1	4.2	78.5	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	–	–	2.7	0.9	1.9	2.7	97.3	78.6	13.7	5.0	97.3	100.0
2. असम	3.5	3.4	5.4	3.1	2.3	8.9	91.1	64.8	5.6	4.9	91.1	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	4.7	4.6	0.1	4.7	95.3	50.2	19.5	6.6	95.3	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	–	–	3.2	2.9	0.3	3.2	96.8	52.2	10.4	3.0	96.8	100.0
5. मणिपुर	9.8	9.8	2.9	2.1	0.8	12.7	87.3	80.5	2.8	3.1	87.3	100.0
6. मेघालय	0.4	0.4	2.5	2.4	0.1	2.9	97.1	30.4	21.6	3.2	97.1	100.0
7. मिजोरम	7.0	7.0	2.0	0.3	1.7	9.0	91.0	79.8	2.4	6.9	91.0	100.0
8. नागालैंड	11.8	11.8	1.2	0.7	0.5	13.1	86.9	77.4	2.3	6.2	86.9	100.0
9. सिक्किम	28.4	28.4	2.1	1.4	0.6	30.5	69.5	16.9	19.6	2.7	69.5	100.0
10. त्रिपुरा	6.4	6.4	5.1	4.3	0.8	11.5	88.5	69.6	10.5	6.2	88.5	100.0
11. उत्तराखंड	0.2	0.2	16.8	16.1	0.7	17.0	83.0	48.5	16.0	5.9	83.0	100.0
सभी राज्य*	**1.1**	**1.1**	**14.6**	**13.1**	**1.4**	**15.6**	**84.4**	**50.3**	**11.7**	**5.3**	**84.4**	**100.0**

टीआइ : आयकर
टीपी : संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर
एलआर : भू-राजस्व
टीसी : पण्य और सेवाओं पर कर
वैट : मूल्यवर्धित कर
टीवी : वाहन कर
ओटीआर : स्व-कर राजस्व
टीपीटीए एंड ई : व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर
एसआरएफ : स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क
डीटी : प्रत्यक्ष कर
एसएसटी : राज्य बिक्री कर
एसईटी : राज्य उत्पाद शुल्क
आइडीटी : अप्रत्यक्ष कर
'-' : शून्य / नगण्य

* : सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

शुल्क ने उत्तर प्रदेश ओटीआर के 17.3 प्रतिशत, महाराष्ट्र में ओटीआर 17.2 प्रतिशत और पंजाब में ओटीआर के 16.4 प्रतिशत का निर्माण किया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल में ओटीआर के 8.6 प्रतिशत हिस्से का भू-राजस्व ने निर्माण किया और उसके बाद उड़ीसा (3.4 प्रतिशत) और गुजरात (2.1 प्रतिशत) का स्थान रहा, जबकि गैर विशेष श्रेणी के सभी अन्य राज्यों में इसने ओटीआर के लगभग एक प्रतिशत अथवा उससे भी कम हिस्से का निर्माण किया।

विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के छह जितने राज्यों में वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले करों ने ओटीआर के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया। सिक्किम को छोड़कर विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में इसने उसी वर्ष में ओटीआर के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्माण किया। 2007-08 के (सं.अ.) में सिक्किम और मेघालय को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में वस्तु और सेवाओं पर करों की प्रमुख मद वैट था। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम में वैट ने ओटीआर के मात्र 16.9 प्रतिशत का निर्माण किया और मेघालय में इसने ओटीआर के 30.4 प्रतिशत का निर्माण किया। दूसरी ओर, 2007-08 (सं.अ.) में वैट ने मणिपुर में ओटीआर के 80.5 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद मिज़ोरम (79.8 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (78.6 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में एसईटी ने मेघालय में ओटीआर के 21.6 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद सिक्किम (19.6 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (19.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। इसके ठीक विपरीत, इसने 2007-08 (सं.अ.) में नागालैण्ड में मात्र 2.3 प्रतिशत, मिज़ोरम में 2.4 प्रतिशत, मणिपुर में 2.8 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में वाहन कर ने मिज़ोरम में ओटीआरके 6.9 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश (6.6 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.2 प्रतिशत) और नागालैण्ड (6.2 प्रतिशत) का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम में वाहन कर ने ओटीआर के मात्र 2.7 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 48)।

गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पाई गयी प्रवृत्ति के ठीक विपरीत विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों जैसे कि सिक्किम (28.4 प्रतिशत), नागालैण्ड (11.8 प्रतिशत), मणिपुर (9.8 प्रतिशत), मिज़ोरम (7.0 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.4 प्रतिशत) और असम (3.5 प्रतिशत) जैसे विशेष श्रेणी के कुछ राज्यों में आय कर ने ओटीआर के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में उत्तराखंड में टीपी ने ओटीआर के 16.8 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद असम (5.4 प्रतिशत) और त्रिपुरा (5.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में इसने उसी अवधि के दौरान ओटीआर के 5 प्रतिशत से भी कम का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ने ओटीआर के 16.1 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में भू-राजस्व ने असम में ओटीआर के 2.3 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (1.9 प्रतिशत) और मिज़ोरम (1.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में विशेष श्रेणी के शेष राज्यों में भू-राजस्व ने ओटीआर के 1 प्रतिशत से भी कम का निर्माण किया (सारणी 48)।

VII.3.5 स्व-करेतर राजस्व का राज्यवार संघटन

गैर विशेष श्रेणी के राज्य

राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न आर्थिक सेवाओं से संग्रहीत होनेवाले उपभोक्ता प्रभारों ने 2007-08 (सं.अ.) में झारखंड में कुल ओएनटीआर के 90 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (86.5 प्रतिशत) और गोवा (86.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में पंजाब में इसने कुल ओएनटीआर के 6.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद पश्चिम बंगाल (25.1 प्रतिशत) और हरियाणा (25.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। गैर विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों ने उद्योगों से प्राप्त होनेवाले राजस्व में आर्थिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व के महत्त्वपूर्ण हिस्से का योगदान दिया। तथापि, 2007-08 (सं.अ.) में गोवा और उत्तर प्रदेश में उर्जा क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में क्रमशः ओएनटीआर के 78.7 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत का निर्माण किया। वानिकी और वन्य जीव क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले राजस्व में मध्य प्रदेश में ओएनटीआर के 21.2 प्रतिशत का योगदान दिया और उसके बाद छत्तीसगढ़ (15.5 प्रतिशत) और केरल (13.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। सिंचाई से प्राप्त होनेवाले राजस्व में 2007-08(सं.अ.) में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार ने ओनएनटीआर के क्रमशः 11.8 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत का निर्माण किया। हरियाणा में सड़कों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने 2007-08 (सं.अ.) में ओनएनटीआर के 16.1 प्रतिशत का योगदान दिया और इसके बाद पंजाब (3.3 प्रतिशत) का योगदान (सारणी 49)।

2007-08 (सं.अ.) में सामान्य सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व, विशेषकर राज्य लौटरी ने पंजाब में ओनएनटीआर के 69.3 प्रतिशत का निर्माण किया। इसी प्रकार, 2007-08 (सं.अ.) में केरल

सारणी 49 : स्व-करेतर प्राप्तियों का संघटन - 2007-08 (संशोधित अनुमान)

(प्रतिशत)

राज्य	आइआर	जीएस	एसएस	ईएस	जिसमें से						ओएनटीआर @
					एफ एंड डब्ल्यूएल	बिजली	उद्योग	सिंचाई	सड़क	अन्य #	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =2 to 5
I. गैर विशेष श्रेणी											
1. आंध्र प्रदेश	52.4	4.5	3.6	38.5	2.1	0.4	25.5	1.0	–	9.5	100.0
2. बिहार	14.1	22.2	16.5	47.0	1.1	–	29.9	6.3	–	9.7	100.0
3. छत्तीसगढ़	8.9	2.7	1.8	86.5	15.5	–	61.1	5.9	–	4.0	100.0
4. गोवा	1.1	2.2	10.1	86.4	0.2	78.7	2.9	1.0	–	3.7	100.0
5. गुजरात	5.8	18.3	7.8	67.1	1.1	–	49.8	9.8	–	6.4	100.0
6. हरियाणा	17.7	3.9	52.9	25.3	0.8	0.1	4.5	2.9	16.1	0.9	100.0
7. झारखंड	3.8	2.6	3.3	90.0	1.8	–	85.5	0.7	–	2.1	100.0
8. कर्नाटक	10.4	28.4	7.7	53.3	7.9	2.4	25.2	1.3	–	16.5	100.0
9. केरल	4.5	47.8	15.9	28.7	13.4	–	3.1	0.5	–	11.7	100.0
10. मध्य प्रदेश	7.2	20.3	2.0	68.1	21.2	–	42.4	1.3	–	3.2	100.0
11. महाराष्ट्र	19.4	12.4	10.2	57.8	3.9	9.7	17.4	11.8	–	15.0	100.0
12. उड़ीसा	20.3	5.8	6.1	66.0	3.3	0.1	55.3	3.8	–	3.5	100.0
13. पंजाब	21.0	69.3	3.1	6.4	0.2	–	0.2	0.3	3.3	2.3	100.0
14. राजस्थान	28.4	26.1	6.9	37.8	1.3	–	31.3	1.4	–	3.7	100.0
15. तमिलनाडु	33.8	18.0	16.2	30.9	3.5	–	18.7	0.7	–	7.9	100.0
16. उत्तर प्रदेश	24.3	25.3	3.6	46.7	2.7	31.1	6.6	2.6	–	3.7	100.0
17. पश्चिम बंगाल	49.0	16.5	9.2	25.1	2.9	–	1.0	0.5	–	20.6	100.0
II. विशेष श्रेणी											
1. अरुणाचल प्रदेश	3.7	2.8	1.0	92.5	1.6	79.2	5.1	–	3.7	2.9	100.0
2. असम	9.1	7.3	1.1	81.2	1.9	–	–	–	–	79.2	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	1.2	6.0	7.3	85.4	4.5	74.4	4.8	–	–	1.8	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	2.0	3.7	4.0	87.2	3.7	79.2	1.6	0.2	–	2.5	100.0
5. मणिपुर	19.6	29.9	2.7	47.8	1.1	31.8	–	4.2	–	10.7	100.0
6. मेघालय	3.3	12.7	2.0	81.8	9.9	–	67.3	–	–	4.6	100.0
7. मिजोरम	4.8	16.6	6.3	72.2	2.5	62.0	1.2	–	1.3	5.2	100.0
8. नागालैंड	3.1	14.0	5.5	77.4	5.8	61.2	0.1	–	8.9	1.4	100.0
9. सिक्किम	0.5	91.4	0.4	7.7	0.5	5.8	–	–	1.0	0.4	100.0
10. त्रिपुरा	30.1	42.7	6.5	18.8	4.9	–	8.7	–	–	5.2	100.0
11. उत्तराखंड	2.4	23.2	6.0	68.4	21.2	35.4	7.9	–	0.1	3.7	100.0
सभी राज्य*	**20.8**	**22.2**	**9.0**	**47.3**	**3.8**	**9.9**	**20.5**	**3.0**	**1.5**	**8.6**	**100.0**

आइआर : ब्याज रसीदें   जीएस : सामान्य सेवाएं   एसएस : सामाजिक सेवाएं

ईएस : आर्थिक सेवाएं   एफ एंड डब्ल्यू एल : वानिकी और वन्य जीवन   ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व

'-' : शून्य/ नगण्य

: इसमें खेती, पशु पालन, मत्स्यपालन, बागान,सहकारिता,अन्य कृषि कार्यक्रम, पेट्रोलियम, बंदरगाह और प्रकाशगृह और पर्यटन शामिल हैं।

@ : इसमें लाभ और लाभांश से प्राप्त राजस्व भी शामिल है जिसमें 1 प्रतिशत से कम करेतर राजस्व शामिल है।

* : सभी राज्यों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

में ओएनटीआर का 47.8 प्रतिशत सामान्य सेवाओं से उत्पन्न हुआ और उसके बाद कर्नाटक (28.4 प्रतिशत), राजस्थान (26.1 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (25.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ब्याज प्राप्तियों से मिलने वाले राजस्व ने क्रमशः ओएनटीआर के 52.4 प्रतिशत और 49.0 प्रतिशत हिस्से का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में हरियाणा में सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 52.9 प्रतिशत का योगदान दिया। 2007-08 (सं.अ.) में बिहार ने सामाजिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 16.5 प्रतिशत का योगदान दिया और उसके बाद तमिलनाडु (16.2 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 49)।

विशेष श्रेणी के राज्य

2007-08 (सं.अ.) में सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में ओएनटीआर का प्रमुख घटक आर्थिक सेवाएं थीं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2007-08 (सं.अ.) में अरुणाचल प्रदेश में ओएनटीआर का 92.5 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं से उत्पन्न हुआ और उसके बाद जम्मू और कश्मीर (87.2 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (85.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच पायी गयी प्रवृत्ति के विपरीत उर्जा ने विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों में आर्थिक सेवाओं से प्राप्त होनेवाले राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उर्जा क्षेत्र से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में 2007-08 (सं.अ.)

में ओएनटीआर के 79.2 प्रतिशत का निर्माण किया। 2007-08 (सं.अ.) में मेघालय में उद्योगों से प्राप्त होनेवाले राजस्व में ओएनटीआर के 67.3 प्रतिशत का योगदान दिया। 2007-08 (सं.अ.) में उत्तराखंड में उर्जा से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 35.4 प्रतिशत तथा वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने ओएनटीआर के 21.1 प्रतिशत का निर्माण किया (सारणी 49)।

सामान्य सेवाओं विशेषकर राज्य लाटरियों से प्राप्त होनेवाले राजस्व ने 2007-08 (सं.अ.) में में सिक्किम में ओएनटीआरी के 91.4 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद त्रिपुरा (42.7 प्रतिशत), मणिपुर (29.9 प्रतिशत) और उत्तराखंड (23.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2007-08 (सं.अ.) में त्रिपुरा में ओएनटीआर का 30.1 प्रतिशत ब्याज प्राप्तियों से उत्पन्न हुआ और उसके बाद मणिपुर (19.6 प्रतिशत) का स्थान रहाप। 2007-08 (सं.अ.) में में सामाजिक सेवाओं से होनेवाली राजस्व प्राप्तियों ने ओएनटीआर के 7.3 प्रतिशत का निर्माण किया और उसके बाद त्रिपुरा (6.5 प्रतिशत) और मिज़ोरम (6.3 प्रतिशत) का स्थान रहा (सारणी 49)।

VII.4 राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन

VII.4.1 स्व-राजस्व तथा घाटा सुधार

राज्यों की समेकित राजस्व प्राप्तियां 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के आधिक्य में बदल गयीं। इस प्रकार 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि में राजस्व लेखे में सुधार आया और यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत बैठता है। सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत के इस सुधार में से स्व-कर प्राप्तियों ने 0.6 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि कर डिवोल्यूशन तथा अनुदानों सहित केंद्र से होने वाले चालू अंतरणों ने 1.5 प्रतिशत का योगदान दिया।इस अवधि के दौरान स्व-करेतर प्राप्तियां - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 0.02 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दी। इस सुधार (सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत) का एक हिस्सा राजस्व व्यय को दबाकर कम करने के कारण था। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत की इस वृद्धि ने 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) के दौरान राजस्व घाटे में कुल सुधार के 76.1 प्रतिशत का योगदान दिया। 2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) की अवधि के दौरान राजस्व घाटे में स्व-राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ने 21.9 प्रतिशत का योगदान दिया तथा केंद्र से होने वाले अंतरणों में हुई वृद्धि ने 54.2 प्रतिशत के सुधार का योगदान दिया (सारणी 50)। राज्य सरकारें राजकोषीय सशक्तिकरण अर्थात राजस्व प्रवाहों की व्याप्ति और आकार बढ़ाने पर जोर दे सकती हैं जो राजकोषीय सुधार को टिकाऊ बनाने में योगदान देगा।

VII.4.2 स्व-राजस्व द्वारा सकल व्यय का वित्तपोषण

80 के दशक के शुरूआत से स्व-कर प्राप्तियों द्वारा सकल व्यय के वित्तपोषण की प्रवृत्ति में क्रमिक सुधार दिखाई देता है जबकि स्व-करेतर प्राप्ति द्वारा सकल व्यय के वित्तपोषण में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्व-कर प्राप्तियों तथा स्व-करेतर प्राप्तियों दोनों में गिरावट के कारण चालू दशक की पहली छमाही में कुछ कुछ चूकें दिखाई दीं। 2005-09 के दौरान स्व-कर प्राप्तियों ने 2000-05 के 32.6 प्रतिशत की तुलना में 37.8 प्रतिशत के सकल व्यय

सारणी 50 : राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन और घाटे में सुधार

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप मे)

वर्ष	ओटीआर	ओएनटीआर	एससीटी	जीआइए	आरआर	राजस्व व्यय	आरडी
1	2	3	4	5	6=2 to 5	7	8
2003-04	5.60	1.40	2.44	1.85	11.29	13.53	2.30
2004-05	5.80	1.50	2.49	1.79	11.58	12.79	1.24
2005-06	5.90	1.30	2.63	2.14	11.97	12.23	0.20
2006-07	6.10	1.50	2.90	2.28	12.78	12.20	-0.60
2007-08 (सं.अ.)	6.20	1.30	3.14	2.64	13.28	12.86	-0.48
परिवर्तन*	**0.60**	**-0.02**	**0.70**	**0.80**	**2.08**	**-0.70**	**-2.80**

ओटीआर : स्व-कर राजस्व; ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व; एससीटी : केंद्रीय करों में अंश
जीआइए : सहायता अनुदान; आरडी : राजस्व घाटा; सं.अ. : संशोधित अनुमान
* : 2003-04 और 2007-08 (सं.अ.)के बीच परिवर्तन
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

का औसत वित्तपोषण किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसी अवधि के दौरान स्व-करेतर प्राप्तियों द्वारा सकल व्यय का वित्तपोषण अटक गया था। सकल व्यय से प्रतिशत के रूप में स्व-राजस्व का हिस्सा 2000-05 के 41.0 प्रतिशत से सुधरकर 2005-09 में 46.2 प्रतिशत हो गया इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल व्यय वित्तपोषण हेतु स्व-राजस्व के हिस्से में वृद्धि वित्त व्यय को चालू अंतरणों पर निर्भरता घटाती है (सारणी 51)। असमूहित स्तर पर स्व-राजस्व द्वारा समूहित व्यय का वित्तपोषण 2000-09 की अवधि के दौरान गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में 18.0 प्रतिशत (बिहार) और 68.9 प्रतिशत (हरियाणा) के बीच तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में 6.1 प्रतिशत (नागालैण्ड) और 52.0 प्रतिशत (सिक्किम) के बीच व्यापक रहा।

VII.4.3 राज्य बिक्री कर/वैट की प्रवृत्तियां

सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर के बदले वैट कार्यान्वित किया है। समेकित स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट 1980-85 के 2.1 प्रतिशत से सुधार कर 2005-09 के दौरान 3.1 प्रतिशत हो गया। स्व-कर प्राप्तियों से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट 1980-85 के 42.7 प्रतिशत से बढ़कर 2005-09 के दौरान 50.4 प्रतिशत हो गया और इसने इस अवधि के दौरान 7.7 प्रतिशत अंक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में राज्य बिक्री कर/वैट ने पिछले तीन दशकों के दौरान क्रमिक सुधार भी दर्शाया। जहां तक वैट द्वारा कुल संवितरणों के वित्तपोषण का प्रश्न है, राज्य बिक्री कर/वैट ने 1980-85 के 13.5 प्रतिशत की तुलना में 2005-09 के दौरान कुल व्यय के 19.1 प्रतिशत का वित्तपोषण किया (सारणी 52)।

सारणी 51 : स्व-राजस्व से समग्र व्यय का वित्तपोषण

(प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	ओटीआर/एई	ओएनटीआर/एई	ओआर/एई
1	2	3	4=2+3
1980-85	31.5	12.7	44.3
1985-90	32.8	11.6	44.4
1990-95	33.6	11.6	45.2
1995-00	34.0	10.9	44.8
2000-05	32.6	8.4	41.0
2005-09	37.8	8.4	46.2

ओटीआर : स्व-कर राजस्व; एई : समग्र व्यय
ओएनटीआर : स्व-करेतर राजस्व; ओआर : स्व-राजस्व
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सारणी 52 : राज्य बिक्री कर / वैट

(प्रतिशत)

वर्ष (औसत)	वैट/ ओटीआर	वैट/ टीआरआर	वैट / एई	वैट/ जीडीपी
1	2	3	4	5
1980-85	42.7	18.8	13.5	2.1
1985-90	45.5	20.2	14.9	2.4
1990-95	45.1	20.0	15.2	2.4
1995-00	46.5	22.1	15.8	2.3
2000-05	47.3	23.5	15.4	2.6
2005-09	50.4	24.0	19.1	3.1

वैट : मूल्यवर्धित कर; ओटीआर : स्व-कर राजस्व
टीआरआर : कुल राजस्व रसीदें; एई : समग्र व्यय
जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

VII.4.4 स्व-कर राजस्व की वृद्धि दरें और उछाल

2005-09 के दौरान स्व-कर प्राप्तियां 16.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं जो 1995-00 और 2000-05 के दौरान रही 13.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। कर उछाल16 जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रति स्व-कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता ग्रहण करता है, नब्बे के दशक के 1.0 प्रतिशत की तुलना में 2000-05 में बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह उछाल 2005-09 के दौरान उतरकर 1.2 प्रतिशत पर आ गया क्योंकि स्व-करों में वृद्धि ऊंची होने के बादजूद सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में कम थी। बिक्री कर/वैट की औसत वार्षिक वृद्धि नब्बे दशकके उत्तरार्थ की तुलना में वर्तमान दशक में काफी सुधार गई। इसी प्रकार, बिक्री कर के उछाल में चालू दशक के प्रथमार्ध में काफी सुधार आया लेकिन बाद में इसमें गिरावट आ गई (सारणी 53)।

2003-04 से 2007-08 (सं.अ.) अवधि के दौरान असमुच्चयित स्तर पर गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बिहार ने 2.2 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर उछाल दर्ज किया और उसके बाद राजस्थान (1.9 प्रतिशत) का स्थान रहा। उसी अवधि के दौरान न्यूनतम स्व-कर उछाल झारखंड (0.8 प्रतिशत) ने दर्ज किया। 2003-08 के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच मिज़ोरम ने 2.4 प्रतिशत का सर्वोच्च स्व-कर उछाल दर्ज किया और उसके बाद

16 अलग-अलग राज्यों के लिए उछाल की गणना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सबंध में की गयी है।
उछाल की गणना इस प्रकार की गयी है : B=[(OTRt-OTRt-1)OTRt-1]/[(GDPt - GDPt-1)/GDP-1]
जहां B स्व-कर राजस्व का उछाल है, OTR स्व-कर राजस्व है और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है।

सारणी 53 : वृद्धि दरें और ओटीआर और राज्य बिक्री कर / वैट का उछाल

वर्ष (औसत)	ओटीआर		राज्य बिक्री कर / वैट	
	वृद्धि दर (प्रतिशत)	उछाल	वृद्धि दर (प्रतिशत)	उछाल
1	2	3	4	5
1980-85	16.8	1.2	16.7	1.1
1985-90	16.2	1.2	17.9	1.3
1990-95	15.7	1.0	16.7	1.1
1995-00	13.0	1.0	12.6	0.9
2000-05	13.0	1.3	15.2	1.6
2005-09	16.6	1.2	15.2	1.3

ओटीआरः स्व-कर राजस्व वैट : मूल्यवर्धित कर

स्रोतः राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

मेघालय (1.96 प्रतिशत) तथा जम्मू और कश्मीर (1.94 प्रतिशत) रहे। उसी अवधि के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच सिक्किम ने 0.6 प्रतिशत का न्यूनतम स्व-कर उछाल दर्ज किया (सारणी 54)।

सारांश में, हाल ही के वर्षों में राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों में उर्ध्वमुखी तेजी दिखाई दी जो मुख्य रूप से डिवोल्यूशन, केंद्र से संसाधनों के ऊंचे अंतरणों एवं स्व-कर प्राप्तियों में सुधार के कारण थी। हाल ही में राज्य बिक्री कर के स्थान पर प्रारंभ किये गये वैट राज्य सरकारों के लिए राजस्व के उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। तथापि, राज्य सरकारों ने स्व-करेत्तर प्राप्तियों में मंद निष्पादन का अनुभव किया करेत्तर मोर्चे पर राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभारों से मिलनेवाले राजस्व ने राज्य सरकारों के कुल स्व-करेत्तर प्राप्तियों के लगभग 50 प्रतिशत का निर्माण किया। यह ध्यान देना उपयुक्त होगा की राजस्व प्राप्तियों में सुधार ने 2003-08 की अवधि के दौरान कुल राजस्व लेखा सुधार के 76.1 प्रतिशत का योगदान दिया। स्व-कर प्राप्तियों का उछाल विगत तीन दशकों के दौरान एक प्रतिशत से ऊपर रहा है।

VIII. मुद्दे और महत्त्व

राज्य वित्त सचिवों के द्विवार्षिक सम्मेलन में रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को सामान्य रूप से उनके वित्त के बारे में और विशेष रूप से बाजार उधारों के बारे में सावधान करता रहा है। संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और राज्य सरकारों के विचारार्थ सिफारिशें करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य दल गठित किए गए हैं। इस खंड में राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं।

VIII.1 राजस्व बढ़ाना

व्यय उत्तरदायित्वों के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त राजस्व पैदा करना राज्य सरकारों के ऊपर डाला गया है और यह राज्य सरकारों के लिए एक सतत चुनौती है। ऋणेतर सृजन स्रोतों के माध्यम से राजस्व बढ़ाना राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय स्थान पैदा करने

सारणी 54 : स्व-कर उछाल - राज्य -वार

राज्य	2003-08 (औसत)	राज्य	2003-08 (औसत)
1	2	3	4
I. गैर विशेष श्रेणी		**II. विशेष श्रेणी**	
1. आंध्र प्रदेश	1.52	1. अरुणाचल प्रदेश	1.60
2. बिहार	2.22	2. असम	1.25
3. छत्तीसगढ़	1.38	3. हिमाचल प्रदेश	1.56
4. गोवा	1.47	4. जम्मू और कश्मीर	1.94
5. गुजरात	1.16	5. मणिपुर	1.19
6. हरियाणा	1.19	6. मेघालय	1.96
7. झारखंड	0.82	7. मिजोरम	2.44
8. कर्नाटक	1.73	8. नागालैंड	1.37
9. केरल	1.22	9. सिक्किम	0.62
10. मध्य प्रदेश	1.73	10. त्रिपुरा	1.43
11. महाराष्ट्र	1.11	11. उत्तराखंड	1.79
12. उड़ीसा	1.30		
13. पंजाब	1.22		
14. राजस्थान	1.92		
15. तमिलनाडु	1.18		
16. उत्तर प्रदेश	1.54		
17. पश्चिम बंगाल	1.14		

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर

हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों के राजस्वों का लगभग 40 प्रतिशत केंद्र सरकार से होनेवाले डिवोल्यूशन और अंतरणों के स्वरूप का है और इसलिए यह बाह्‌य कारकों से तय होता है। राजस्व का शेष 60 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा उनके स्व-कर तथा करेतर स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। अतः अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए राज्य सरकारों की विवेकाधीन अथवा बाह्य क्षमताएं उनके स्व-कर राजस्व तक सीमित हैं। कर के मोर्चे पर सभी राज्यों सरकारों द्वारा वैट का कार्यान्वियन राज्यों के लिए राजस्व के एक उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। राज्यों ने कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर प्रशासन को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगले कुछ वर्षों में सुधार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जीएसटी का कार्यान्वियन होगा। जहां राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति जीएसटी के कार्यान्वियन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है, वहीं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी इस मुद्दे की जांच की जायेगी। योजनानुसार जीएसटी का कार्यान्वियन 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जायेगा।

करेतर स्रोतों (जीडीपी से अनुपात के रूप में) से राजस्व उत्पन्न करना। हाल ही के वर्षों में कमोबेश स्थिर रहा और यहां तक कि नब्बे के दशक की तुलना में कम हुआ। राज्यों को विभिन्न जनसेवाओं से लागत वसूली सुधारने के लिए उचित कदम उठाने होंगे जोकि राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सहगामी सुधार पर निर्भर करता है। राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना करना जिसका उद्देश्य उन्हें लाभकारी बनाना तथा गंभीर रूप से रुग्ण एवं अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने के विषय पर भी राज्यों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

VIII.2 व्यय की गुणवत्ता

एक ऐसा विषय जिसने राजकोषीय सुधार के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर पर काफी रुचि इकठ्ठी कर ली है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सुधार व्यय की मात्रा अथवा गुणवत्ता दोनों में से किसी में कमी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में जीडीपी से अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में कुछ कमी हुई है। हालांकि जीडीपी से अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय ने ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शायी है। लेकिन फिर भी राज्य व्यय का विकास घटक भी बढ़ा नहीं सके हैं। इस पहलू के महत्व के परिप्रेक्ष्य में 13वें वित्त आयोग को ‘‘ बेहतर उत्पादन और परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता’’ विषय पर विचार करने के लिए पहली बार विशेष रूप से कहा गया है। बारहवें वित्त आयोग ने व्यय की पुनर्संरचना करके उत्पादन और परिणाम सुधारने के महत्व पर भी जोर दिया है।

जब हम व्यय की गुणवत्ता सुधार ने की बात करते हैं तो इसमें तीन पहलू आते हैं यथा व्यय पर्याप्तता (अर्थात जन सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), कारगरता (अर्थात चुनिंदा सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन/परिणाम संकेतकों का मूल्यांकन) और व्यय के उपयोग की दक्षता। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो व्यय गुणवत्ता के संदर्भ में उभरते हैं। पहला, राज्य सरकारों के व्यय का एक काफी बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध अथवा विकासेतर व्यय से बनता है जिसमें ब्याज भुगतान, मजदूरी और वेतन, पेंशन देयताएं और प्रशासनिक व्यय शामिल रहते हैं। यह अपने आप ही व्यय के विवेकाधीन घटक को कम कर देता है। राज्यों को अपने बजटों में प्रतिबद्ध व्यय कम करने तथा उस व्यय पर जो कि "वृद्धि उन्मुख" है, पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है। दूसरा, राज्यों को वांछित ‘परिणाम’ प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाईन तथा इनपुट के इष्टतम मिश्रण को हासिल करने पर जोर देने की आवश्यकता है। तीसरा, मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही अर्थों में यह सर्व विदित है कि सार्वजनिक सेवाएं निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस संदर्भ में, सेवाओं को निर्धन लोगों के लिए काम करने योग्य बनाकर संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करने हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधारभूत घटकों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है[17] - (i) उन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना जिनका मानव विकास के साथ सबसे सीधा संपर्क है - शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सफाई और बिजली; (ii) सेवा प्रदाता शृंखला के तीन महत्वपूर्ण संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेहीः निर्धनों और सेवा प्रदाताओं के बीच, निर्धनों और नीति निर्माताओं के बीच, नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच; (iii) निर्धन ग्राहकों के विकल्प बढ़ाना और सेवा देने में सहभागिता जो उन्हें सेवा प्रदाताओं की निगरानी करने तथा उन्हें अनुशासन में रखने में सहायक होगा; (iv) प्रभावशाली सेवा देने को पुरस्कृत करना तथा अयोग्य सेवा प्रदाताओं को दंडित करना और (v) निर्धन को सशक्त बनाने की

17 विश्व बैंक (2004, विश्व विकास रिपोर्टः सेवाओं को निर्धन लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना, विश्व बैंक।

दिशा में लक्ष्यित सूचना का सिलसिलेवार मूल्यांकन और प्रसार करना। चौथा, राज्य राज्य-स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विशेष रूप से राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को गारंटियां देते रहे हैं ताकि वे बाजार से उधार ले सकें। तथापि, इनमें से अधिकांश संस्थाएं हानि उठाती रही है और पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ दर्शाती रही हैं, अतः ऐसी देयताओं को चुकाने का भार राज्य सरकारों पर आ सकता है। इससे राज्य सरकारों को विकास व्यय प्रारंभ करने के लिए कम मौका मिलेगा।

VIII.3 ऋण एवं नकदी प्रबंध

एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा जो राज्य वित्त द्वारा की गयी प्रगति के ऊपर सतत छाया हुआ है, वह है उनकी उच्चस्तरीय ऋण देयताएं। हाला की बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोत्साहन - आधारित ऋण राहत व्यवस्था के कारण राज्यों की ब्याज देयताओं में कुछ कमी आई है। यह योजना राज्यों द्वारा केंद्र से लिये गये उधारों तक सीमित थी। तिस पर भी, दिलासा देने वाली बात यह है कि 2006-07 में राज्य समेकित आधार पर प्राथमिक आधिक्य उत्पन्न करने में समर्थ रहे हैं, जो कि जीडीपी से ऋण के स्थिर अनुपात के अर्थ में ऋण की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक (किंतु पर्याप्त नहीं) शर्त है। तथापि, अगले दशकके मध्य के आसपास राज्यों को अपने बाजार उधार के संबंध में चुकौतियों के समूहित हो जाने की संभावित समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए भारी मात्रा में बाजार से उधार लेने की जरूरत पड़ेगी और इससे ब्याज दरों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ सकता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ), 2005-10 की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी कार्यदल गठित किया है जिसकी सिफारिश बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी थी।

इसी से जुड़ा एक मुद्दा है राज्य सरकारों द्वारा भारी मात्रा में अधिशेष नकद शेष बनाये रखना जो कि 17 दिसंबर 2008 की स्थिति के अनुसार 74,857 करोड़ रुपए था। नकद शेषों की इतनी भारी मात्रा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले नकदी प्रबंधन के बारे में प्रश्न चिह्न लगाती है। यद्यपि अधिशेष नकद शेषों का निर्माण प्रारंभ में एनएसएसएफ संग्रहों के अत्यधिक स्वायत्त अंतर्वाहों की देन था किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उच्च अधिशेष नकद शेषों का यह चमत्कार हाल ही के वर्षों में एनएसएसएफ अंतर्वाहों में तेज गिरावट के बावजूद बना रहा है। चूंकि अधिशेष नकद शेष भारत सरकार के खज़ाना बिलों (14 दिवसीय आइटीबी और एटीबी) में निवेश किये जाते हैं। जिन पर राज्य सरकारों के बाजार उधारों की भारित औसत ब्याज दर की तुलना में ब्याज की दर कम रहती है, अतः राज्य सरकारों के लिए यह विवेक सम्मत होगा कि वे अधिशेष नकद शेषों को घटाकर राज्यकोषीय घाटे का वित्तपोषण करें। राज्यों का अधिशेष नकद शेष भी भारत सरकार के नकद शेषों को अस्थिरता प्रदान करता है।

VIII.4 छठे केंद्रीय वेतन आयोग के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया

छठा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) जो 5 अक्तूबर 2006 को सरकार द्वारा गठित किया गया था, ने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें वेतनमानों तथा पेंशन के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है जो 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सरकारी वित्त पर इस वेतन वृद्धि का संभावित प्रभाव 12,561 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा तथा बकायों के भुगतान के कारण होने वाला एक बारगी प्रभाव जो 1 जनवरी 2006 से पूर्व व्यापी होगा, 18,060 करोड़ रुपए होगा। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2008 को छठे केंद्रीय वेतन आयोग अवार्ड की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया।

राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सुधारने के लिए कमोबेश सीपीसी अवार्ड का अनुसरण करती हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारें अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित करती हैं। केरल और कर्नाटक ने क्रमशः 2006 और 2007 में अपने संबंधित राज्य के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया है। सूचनानुसार राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए सीपीसी का अवार्ड कार्यान्वित किया है। ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आठ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के बाद नब्बे के दशक के बाद के हिस्से में राज्य वित्त में क्षरण का अनुभव किया। राज्यों का वेतन बिल 1996-97 में राजस्व व्यय के 33.3 प्रतिशत और जीडीपी के 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में बढ़कर राजस्व व्यय का 39.1 प्रतिशत और जीडीपी का 4.5 प्रतिशत हो गया। सिफारिशों के अंगीकरण की रफ्तार और उनके कार्यान्वयन के आधार पर छठे केंद्रीय वेतन आयोग का प्रभाव प्रत्येक

राज्य में भिन्न-भिन्न रहेगा। कुछ राज्यों ने 2008-09 के लिए अपने बज़टों में वेतन संशोधनों के लिए पहले से ही अंतरिम प्रावधान कर लिये हैं। सतत चल रहे राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, आबादी के आकार और उत्पादक नियोजन हेतु अनुपूरक व्यय पर उचित विचार करने के पश्चात वेतन स्तरों से संबंधित अपने निर्णयों को आधारित करने की आवश्यकता होगी।

VIII.5 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

भारतीय संविधान द्वारा सरकार के तीसरे स्तर को सौंपी गयी महत्त्वपूर्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में तेरहवां वित्त आयोग "राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण हेतु राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले आवश्यक उपायों" पर सिफारिशें देगा। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों के वित्त एक चुनौती भरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह सर्व विदित है कि राज्य वित्त आयोगों के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधि डिवॉल्व करने की प्रक्रिया से कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने राज्य वित्त आयोगों के गठन की समय सारणी का पूरी कड़ाई से पालन किया है। राज्य वित्त आयोगों का गठन का समय भी वित्त आयोगों के साथ समरस नहीं किया गया है। इस प्रकार उत्तरवर्ती को परिकल्पनानुसार महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित किया गया है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों में भी विषमता है। विभिन्न स्तरों के बीच पारस्पारिक वितरण के बारे में सिफारिशें करते समय रिपोर्टें एक समान मानदंड नहीं अपनाती है। इसके अलावा राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय निकायों को निधियों के डिवॉल्यूशन में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका में काफी सुधार की गुंजाइश रह जाती है। एक स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में राज्यों से स्थानीय निकायों को निधियों का डिवॉल्यूशन अननुमेय रहता है। और इसके साथ ही अपना राजस्व जुटाने में स्थानीय इकाईयों की क्षमता सीमित है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत जैसे कि संपत्ति कर, विशेष रूप से शहरों के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में काफी आशाजनक स्रोत हैं, परंतु इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के मामले में उन्हें दिये गये कर राजस्व स्रोतों के कर आधार बहुत छोटे हैं और उनके उछाल भी कम रहते हैं। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गयी परिकल्पना के अनुसार विकेन्द्रीकरण से वांछित परिणाम केवल तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सरकार के तीसरे स्तर को राजकोषीय शक्ति प्रदान करने को लक्ष्य करके तहे दिल से किये जाने वाले प्रयास इसके साथ जुड़े हों। राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में।

VIII.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर राजकोषीय ढांचा

राज्य सरकारों ने 2002 से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) अधिनियमित करने प्रांरभ किये। टीएफसी द्वारा सिफारिश की गयी ऋण राहत व्यवस्था के साथ एफआरएल के अधिनियमन को जोड़ देने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। अधिकांश राज्यों के एफआरएल में निर्दिष्ट किये गये अनुसार राजकोषीय सुधार के पथ में यह परिकल्पना की गयी है 2008-09 तक राजकोषीय घाटा समाप्त कर दिया जाए और जीएफडी को घटाकर 2009-10 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक ले आया जाए। जैसा कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, ढेर सारे राज्यों ने अपने एफआरएल में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विचारणीय प्रगति की है। अतः एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा राज्य सरकार के स्तर पर राजकाषीय समेकन के लाभों को सतत बनाए रखना है। यह सर्व विदित है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया मूल रूप से व्यय प्रबंधन पर काफी कम फोकस के साथ राजस्व प्रणित रही है। राज्यों के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा की वे अब तक अर्जित अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सटीक राजकोषीय उत्तरदायित्त्व विधानोत्तर संरचना डिज़ाईन करें। राज्यों को सतत ऊंचे ऋण-जीडीपी अनुपात के परिप्रेक्ष्य में अपने घाटे (और उधार) के स्तरों को लगातार न्यून रखने की आवश्यकता होगी। प्राथमिक राजस्व शेष उत्पन्न करना भी महत्त्वपूर्ण है जो राज्य सरकारों के ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह भी वांछनीय हो सकता है कि व्यय की पुनर्प्राथमिकताकरण को लक्ष्य करके व्यय की कतिपय श्रेणियों के संबंध में कुछ अंकीय लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। इसके अलावा, उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार आधारित स्रोतों का रास्ता अपनाए जाने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों ने हाल ही के वर्षों में अपनी समेकित राजकोषीय स्थिति में ध्यान देने योग्य सुधार देखा है। राज्यों के राजस्व लेखे दो दशकों के अंतराल के बाद 2006-07 के दौरान घाटे से अधिशेष में बदले। 2007-08 के संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा और अधिशेष क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत पर रखे गये हैं। 2008-09 (ब.अ.) में राज्य सरकारों ने सकल घरेलू उत्पाद के 0.54 प्रतिशत पर ऊंचे राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कम होकर 2.1प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि बहुत-सी राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग का लक्ष्य तथा 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में एफआरएल के अंतर्गत निर्दिष्ट लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिये है।

केवल दो राज्यों (सिक्किम और पश्चिम बंगाल) को छोडकर सभी राज्यों द्वारा अपनाये गये नियम आधारित राज्यकोषीय नीति ढांचे ने राज्य सरकारों को राज्यकोषीय सुधार के पथ पर आगे बढ़ना सुसाध्य बनाया। सुधरे हुए स्व-कर प्रयास तथा विकासेत्तर व्यय को सीमित करने के लिए किये गये कुछ प्रयासों ने राज्यस्तर पर राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया को सहायता पहुंचाई है। अन्य महत्त्वपूर्ण कारक अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक वृद्धि द्वारा समर्थित ऊंचे डिवोल्यूशन तथा केंद्र से संसाधनों के अंतरण से संबंधित है।

संसाधन संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से किया गया 2008-09 के लिए उनके बजटों में उनके द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों में देखा जा सकता है। संसाधन संग्रहण में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों ने कर वसूली तथा कर अनुपालन मे सुधार लाने के उपाय किये हैं, नये कर लगाने का प्रस्ताव रखा है तथा संसाधन संग्रहण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। व्यय पक्ष की ओर, राज्य सरकारों ने अपनी विभिन्न योजनाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने योजनेतर व्यय में कमी लाने और पूंजी निवेश हेतु संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर बनाये रखा है।

राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में समग्र सुधार के बावजूद राजकोषीय निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों के बीच भारी भिन्नता मौजूद है। जहां कुछ राज्य सरकारों ने अनेक संकेतकों के संबंध में बारहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य निर्दिष्ट समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिये हैं, वही कुछ अन्य राज्य ऐसे भी है जहां राजकोषीय सुधार की गति धीमी है। राजस्व लेखे में सुधार तथा परिणामस्वरूप पैदा होने वाला राजस्व अधिशेष लगभग सभी राज्यों में विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय के अधिक आबंटन के रूप में परिणित हुआ है। तथापि, राजकोषीय प्राथमिकता तथा राजकोषीय क्षमता सहित राज्य विशिष्ट राजकोषीय स्थितियां भी व्यय का पैटर्न डिज़ाईन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऋण राहत व्यवस्था, जो नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था के अनुपालन द्वारा प्रोत्साहित है, ऋण चुकौती भार में उल्लेखनीय सुधार लाई है। पिछले घाटों के परिणामस्वरूप ऋण के उच्च स्तर ने हाल ही के वर्षों तथा 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाना प्रारंभ कर दिया है, 30.8 प्रतिशत पर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के बारहवे वित्त आयोग के लक्ष्य से कम है। तथापि, बहुत से राज्यों में यह ऋण-राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से काफी ऊपर है, इस प्रकार यह इसकी निरंतरता के बारे में चिताएं पैदा करता है। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों का अनुपात जिसका ऋण की निरंतरता से संबंध है, 2007-08 (सं.अ.) में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में 15.0 प्रतिशत के बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से काफी नीचे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्य सरकारों ने 2007-08 (सं.अ.) में प्राथमिक राजस्व अधिशेष रिकार्ड किया है। तथापि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत से राज्यों में प्राथमिक राजस्व अधिशेष इतना बड़ा नहीं है कि वह ब्याज भुगतानों को पूरा कर सके।

राज्यों को व्यय वित्त पोषण के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के लिए एक सतत चुनौती है। सभी राज्यों द्वारा वैट का कार्यान्वियन राज्यों के लिए राजस्व के एक उछाल भरे स्रोत के रूप में सिद्ध हुआ है। जीएसटी का कार्यान्वियन सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। करेतर मोर्चे पर राज्यों को विभिन्न जन सेवाओं से लागत वसूली सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी जो राज्यों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में सहगामी सुधार पर निर्भर होगी। राज्य सब्सिडियों को तर्क संगत बनाने तथा

राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं।

एक मुद्दा जिसने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय सुधार के परिप्रेक्ष्य में काफी रुचि इकट्ठा कर ली है तथा उनके एफआरएल को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सुधार उनके व्यय के मात्रा अथवा गुणवत्ता में कमी की कीमत पर नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में कुछ कमी हुई हैं। राज्य व्यय के विकासात्मक घटक को भी नहीं बढ़ा सके हैं, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय ने उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। जब हम व्यय की गुणवता सुधारने के बारे में बात करते हैं तो इसने तीन पहलू आते हैं यथा, व्यय पर्याप्तता (अर्थात जन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), कारगरता (अर्थात चुनिंदा सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन/उत्पादन संकेतक) और व्यय दक्षता का उपयोग।

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी), जिसका गठन 5 अक्तूबर 2006 को सरकार द्वारा किया गया था, ने 24 मार्च 2008 को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2008 को छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अनुमोदित कर दीं। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा सुधारने के लिए कमोबेश सीपीसी अवार्ड का अनुसर करती हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित किये है। छठवें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रभाव सिफारिशों के अंगीकरण के कदम तथा उनके कार्यान्वयन के आधार पर हर राज्य में भिन्न-भिन्न होगा। राजकोषीय सुधार और समेकन की सतत प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य ने राज्यों को अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, जनसंख्या के आकार और उत्पादक नियोजन हेतु अपेक्षित अनुपूरक व्यय पर पर्याप्त विचार करने के पश्चात वेतन स्तरों से संबंधित अपने निर्णयों को आधारित करने की आवश्यकता होगी।

भारत में स्थानीय निकायों, शहरी और ग्रामीण दोनों, के वित्त निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह बात अच्छी तरह से प्रमाणित हो चुकी है कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधियों को डिवॉल्व करने की प्रक्रिया के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इसके साथ ही, अपने स्व-राजस्व जुटाने की स्थानीय निकायों की योग्यता सीमित है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के कुछ राजस्व के स्रोत जैसे कि संपत्ति कर विशेषकर शहरों के विस्तार की दृष्टि से आशाजनक स्रोत हैं किन्तु इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि विकेन्द्रीकरण जैसा कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में परिकल्पित है, अपेक्षित परिणाम केवल तभी दे सकता है यदि इसके साथ सरकार के तीसरे स्तर के राजकोषीय सशक्तिकरण को लक्ष्य कर के सच्चे मन से प्रयास किये जाएं। राज्य सरकारें इन स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने में, विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर अवधि में अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार के परिप्रेक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

अंत में, हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य वित्त में बेहतरी के लिए विभिन्न राजकोषीय सुधार यथा एफआरएल का कार्यान्वयन, वैट लागू करना, कर प्रशासन सुधारने के लिए नये कर और उपाय लागू करना, विकासेत्तर व्यय को सीमित करने को लक्ष्य कर के किये गये उपाय काफी हद तक आभारी हैं। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक वृद्धि द्वारा समर्थित केंद्र सरकार से बड़े डिवोल्यूशन और अंतरणों ने भी राज्य सरकार के स्तर पर राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया में सहायता की है। राज्य सरकारें प्रमुख व्यय शीर्षों के अंतर्गत और गुणवता सुनिश्चित कर के, व्यय वित्तपोषण हेतु उधार ली जाने वाली निधियों का रास्ता कम अख्तियार कर के तथा स्थानीय सरकार के स्तर को संसाधनों का डिवोल्यूशन बढ़ाकर करेतर संसाधनों से राजस्व संग्रहण में सुधार लाने हेतु अपने प्रयासों का अनुसरण कर सकती हैं। राज्य सरकारों को नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानोत्तर संरचना डिजाईन करनी पड़ेगी।